खण्ड-363, अंक-7
शुक्रवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1905
(9 सितम्बर, 1983 ई0)

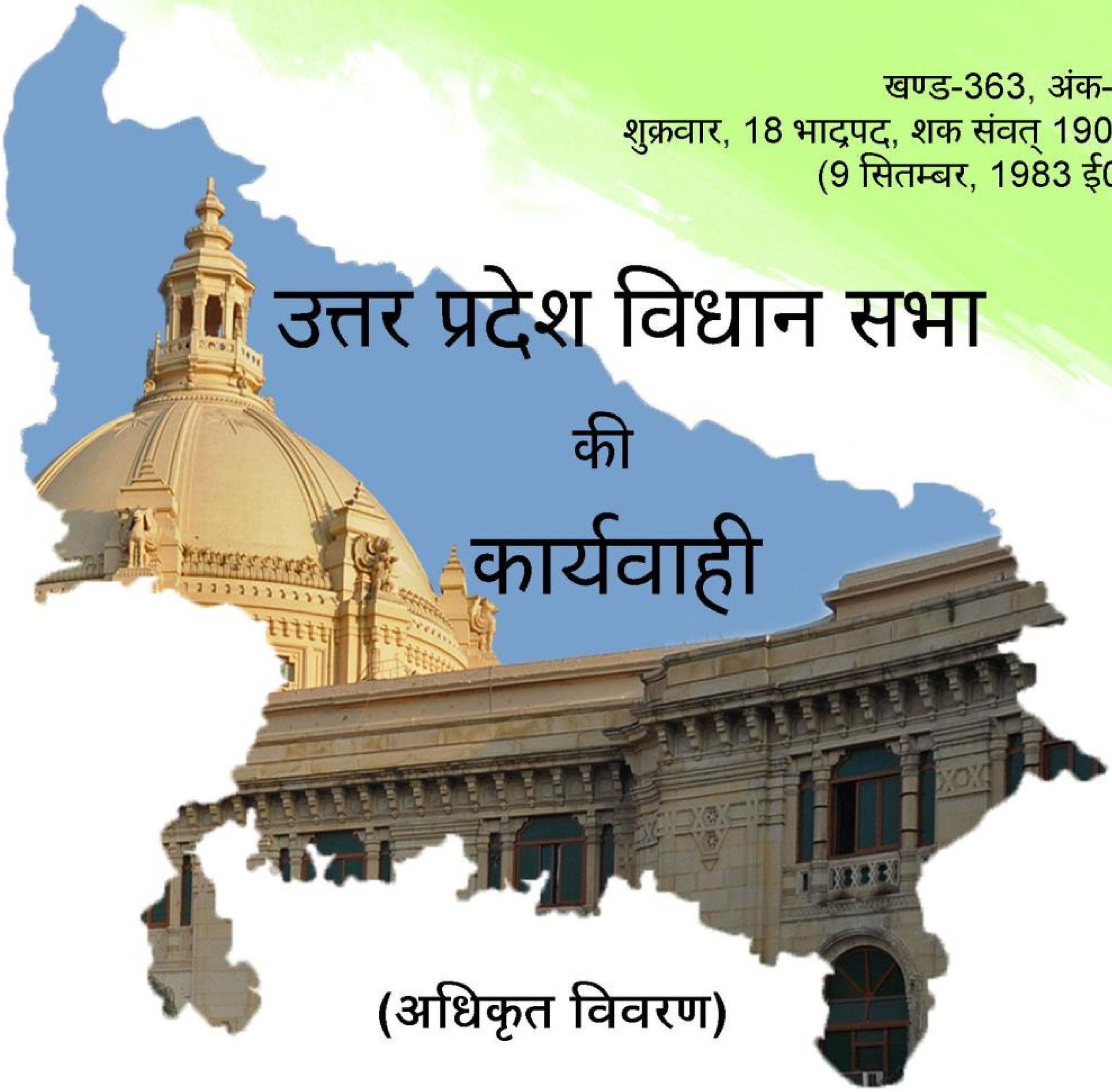

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 363 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	—	—	—	1363–1368
प्रश्नोत्तर	—	—	—	1369–1455
जनपद इलाहाबाद के ग्राम सरसवां निवासी श्री एन० के० सिंह को पुलिस सब इन्सपेक्टर तथा डकैतों द्वारा गायब किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1455
विकास खण्ड बल्दीराय जिला सुल्तानपुर में आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत वितरित धनराशि में गोल माल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1456
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी संघ द्वारा धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1456
नेशनल कार्बेट पार्क के टाइगर प्रोजेक्ट के अन्दर आने वाले ग्रामों में जंगली पशुओं से क्षति तथा पुनर्वासन की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1456–1457
जिला आजमगढ़ के थाना अतरौलिया के अन्तर्गत ग्राम मीरपुर में कुछ सामन्तों द्वारा हरिजनों की पिटाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1457
ग्राम हाजीपुर सलइया, जिला जालौन में कुछ चकदारों को उनके चकों का कब्जा न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1457–1458
बस्ती जनपद के ग्राम सेवरा निवासी श्री राम सुमेर सिंह की हत्या पुलिस साजिश से किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1458
नोएडा काम्पलेक्स गाजियाबाद के औद्योगिक विकास कार्य-क्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले भूखण्डों एवं फ्लैटों की ऋण की वसूली में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1458–1459
प्रदेश के अनेक भागों में पैरेथीनियम पौधों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1459
देवबन्द जनपद सहारनपुर में श्री मितरू की हत्या तथा हत्यारों के पकड़े न जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			—	1460
बस्ती व फैजाबाद में कतिपय व्यक्तियों द्वारा हरिजन होने का जाली प्रमाण पत्र देने, स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बावजूद प्रदेश की लैब टेक्नीशियन्स की मांग न पूरी किये जाने का विधान सभा में लम्बित कार्य समाप्त किये बिना सत्र के समाप्ति व 10 दिनों के उप-वेशन न होने तथा खादी आश्रम गोरखपुर की लूट के संबंध में कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने के संबंध में औचित्य के प्रश्न			—	1460–1471

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधयक 1983– (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) – 1471

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक 1983(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) – 1471–1472

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1982–83) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) – 1472

श्री उमाशंकर बाजपेयी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जालौन तथा रामायण सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष कदौरा के विरुद्ध श्री शंकर सिंह द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय – 1472–1473

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री बलबीर सिंह द्वारा दिये गये संशोधन के कुछ अंश को निकाल दिये जाने के संबंध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय – 1473–1474

सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना – 1475–1477

सहायक अभियन्ता के विरुद्ध श्री मारकण्डेय चन्द द्वारा उठायी गयी विशेषाधिकार की सूचना को लिए जाने की मांग – 1478

दिनांक 5 मार्च 1982 को राम आसरे वर्मा सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अंतारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही की सूचना – 1478–1479

उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1983 (पुरःस्थापित किया गया) – 1479

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) संशोधन विधेयक, 1983 (पुरःस्थापित किया गया) – 1479–1480

उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (विचारार्थ स्वीकृत) – 1480

विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें निर्दिष्ट सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध अप्रकाशित लेख्यों की प्रतिलिपियाँ श्री शंकर सिंह सदस्य विधान सभा को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव – 1480–1481

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं – 1481–1488

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 (वापस लिया गया) – 1488–1496

उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1983 (वापस लिया गया) – 1496–1506

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 (जारी) – 1507–1512

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) – 1513–1521

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संसोधन) विधेयक 1933 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) – 1522–1525

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 (जारी) – 1525–1527

पाँच बजे से दर्शक दीर्घाएं खाली कराये जाने के संबन्ध में व्यवस्था का प्रश्न – 1527

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) – 1527–1537

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं – 1537

कानपुर निवासी श्री महावीर शर्मा की पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या किये जाने के संबध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य – 1537–1540

नत्थियाँ – 1541–1556

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 9 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 379

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर ईमान, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री	बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु, अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशफाक अहमद अंसारी, श्री	बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (तल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या)	खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी,	एटा
ऊदल श्री	वाराणसी
ए. सी. ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंगल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रागड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़

गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	नैनीताल
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्रबली ब्रम्हचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोण्डा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती, श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दल सिगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोण्डा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्मसिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई

अविभाजित प्रति

नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
निर्मल खत्री, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूँ
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फरारे आलम, श्री — बदायूँ
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलवीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री — रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा० — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भागीरथ, श्री — झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री — बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भीम सिंह, श्री — मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — गाजियाबाद
भूपसिंह केन, श्री — गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद

मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रती राम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री — राय बरेली
रवीन्द्र श्री — आजमगढ़
राजकिशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० — जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री — मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नारायण सिंह एडवोकेट, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल श्री — प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
रामपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सहारनपुर
राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सिंह रावल, श्री — एटा
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच

राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रूद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) — इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री — एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा० — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रूखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री — कानपुर
विशन लाल, श्री — विजनौर
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर — गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री — वाराणसी
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बाँदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शिव नारायन सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री — अलीगढ़
शिवानंद नौटियाल डाक्टर, श्री — पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री — विजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — विजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूँ
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
संकटा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सन्त बख्स रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज' श्री — प्रतापगढ़
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, नवाब, श्री — शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता, श्रीमती — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सुल्तानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री — जालौन
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी

सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री	मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंस राज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हेमचन्द निमेष, श्री	मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 9 सितम्बर, 1983

तारांकित प्रश्न

*1– श्री राम आसरे वर्मा–

[10 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या–18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निबन्धन विभाग में लिपिकों से उप निबन्धकों के पदों पर प्रोन्नति

*2 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धन विभाग में लिपिकों से उप निबन्धकों के पदों पर प्रोन्नति का क्या प्रतिशत आरक्षित है तथा इन प्रोन्नति पदों पर अन्तिम चयन कब हुआ था ? क्या सरकार अगला चयन शीघ्रातिशीघ्र कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)–

लिपिकीय संवर्ग के पदों से उप निबंधक के पदों पर प्रोन्नति के लिये 25./ कोटा निर्धारित है। इन प्रोन्नति के पदों पर अन्तिम चयन वर्ष 1961 में हुआ था। अगला चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। आयोग से इस चयन को शीघ्र कराये जाने के संबंध में दिनाँक 25 अगस्त, 1983 को पुन: अनुरोध कर दिया गया है। तथा निबन्धन महानिरीक्षक को भी इस मामले का आयोग से अनुसरण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1961 में यह बात जानकारी में आयी जिसको कि अब 22–23 साल हो रहे हैं इसमें अब तक प्रमोशन न देने के लिये शासन दोषी है। या वे दोषी हैं। लोक सेवा आयोग को इस संबंध में शासन ने पहला पत्र कब लिखा और मेरे प्रश्न करने के बाद वहां कब-कब रिमाइन्डर भेजे गये ?

श्री ब्रह्मदत्त–

इसमें मान्यवर, 1961 के बाद 1979 में पत्र उनको भेजा गया और उसके बारे में रिट हुई। उसके बाद 1982 को भेजा गया और अब फिर भेजा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

1961 से लेकर 1983 तक इतनी लम्बी कालावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त क्या उन पदों के अगेंस्ट में कोई नियुक्तियां हुई हैं या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त–

252 का केडर हैं जिसके विरुद्ध 154 डाइरैक्ट और 5 प्रमोशन के व्यक्ति कार्यरत हैं। 23 डाइरेक्ट के लिये रिम्बिजिशन भेजा हैं। 63 पद प्रोन्नति के लिये हैं जिसमें से 53 के लिए, मैं ठीक से नहीं कह सकता, परन्तु शायद 53 के लिए ही अधियाचन भेजा हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रमोशन के पद इतने दीर्घ काल से रिक्त हैं इस कारण से कर्मचारियों को सेवा में असन्तोष उत्पन्न होता है,

और इसीलिये वे आन्दोलन का रास्ता अपनाते हैं, तो इनके जो प्रोन्नति के पद हैं उन्हें भरने के लिये लोक सेवा आयोग से बात करने की कृपा करेंगे कि इनको शीघ्र ही भर दिया जाय ?

श्री ब्रह्म दत्त–

लोक सेवा आयोग से हम निवेदन कर रहे हैं, इसमें तो हमारा ही नुकसान होगा ।

मथुरा जनपद की माठ तहसील में नई चीनी मिल की स्थापना की मांग

*3–श्री सरदार सिंह–(अनुपस्थित)

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मथुरा जनपद में गत वर्षों में हुई गन्ने की बरबादी तथा छाता शुगर मिल, छाता द्वारा जिले के पूरे किसानों के गन्ने को न लिये जाने को देखते हुए मथुरा जनपद की तहसील मांट या सादाबाद में एक नई शुगर मिल की स्थापना करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)–

मथुरा जनपद की माठ तहसील में नई चीनी मिल लगाने के लिए लाइसेंस हेतु भारत सरकार को वर्ष 1980 में ही प्रस्ताव भेजा गया था । जो भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1981 में अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दिया गया और यह परामर्श दिया गया कि यदि राज्य सरकार आवश्यक समझें तो लाईसेंस के लिए नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मथुरा जनपद में नई चीनी मिल लगाने की संभावनाओं के बारे में भारत सरकार द्वारा दिये गये परामर्श के अधीन पुन: परीक्षण किया जा रहा है ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

[माननीया सदस्या ने वापस ले लिया ।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषद, लक्सर में पुलियों के निर्माण में अनियमिततायें

*5–श्री मोहन सिंह–

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषद लक्सर में वर्ष 1974-75 में 13 पुलों का निर्माण कार्य हुआ था जिसमें बहुत से पुलों में सीमेंट कांक्रीट आदि की मात्रा नाममात्र की प्रयोग की गयी थी ? क्या इसके संबंध में इन्जीनियर्स ने अपनी रिपोर्ट सं० 8917 दि० 28-10-77 को दी थी ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस रिपोर्ट को सदन के पटल रखने की कृपा करेंगे तथा बतायेंगे कि इजीनियर्स की रिपोर्ट संख्या 8917 दि. 28-10-77 के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हां 13 पुलियों के निर्माण में अनियमिततायें 1975-76 में प्रकाश में आयीं । इनकी जानकारी होते ही आगे का भुगतान रोककर एक अवर अभियन्ता की सेवायें समाप्त कर दी गयीं थी और एक सहायक अभियन्ता तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को निलम्बित करने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी थी । अत: कार्य के सम्बन्ध में विभागीय इंजीनियरों की रिपोर्ट दिनाँक 28-10-77 के बाद इस दिशा में फिर से कार्र-

वाई आवश्यक नहीं समझी गयी । इंजीनियरों की रिपोर्ट दिनांक 28-10-77 को सदन के पटल पर रखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

* 6–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि एच. आर. शुगर फैक्ट्री, बरेली को 1977 में उस मिल पर गन्ना किसानों का रु० 77,00,000 बाकी होने के कारण, रिसीवर शिप में लिया गया था ? क्या यह सत्य है कि 7-3-83 तक उस मिल पर काश्तकारों का 4 करोड़ रुपया बाकी हो गया हैं ? यदि हां तो इसका क्या कारण है और इसके लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

एच. आर. शुगर फैक्ट्री बरेली पर 71,88,936,59 रु. बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान मिल मालिकों द्वारा न किये जाने के कारण इसकी वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 19-9-77 को जारी किया गया तथा उक्त मिल पर शासकीय आदाता की नियुक्ति की गई । दिनांक 7-3-83 को उक्त मिल पर केवल 186.39 लाख रुपया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया था जो दिनांक 31-7-83 को घटकर 133.84 लाख रुपया रह गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	बकाया गन्ना मूल्य (लाख रु० में)
1981–82 से पूर्व वर्षों का	17.32
1981–82	12.33
1982–83	104.19

यह बात सही नहीं हैं कि दिनांक 7-3-83 को उक्त मिल पर 4 करोड़ रुपया बाकी था अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

जनपद बरेली में मीरगंज नामक नई तहसील के पुनर्गठन पर विचार

* 7–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में मीरगंज नामक नई तहसील बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

प्रदेश में तहसीलों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में तहसील पुनर्गठन समिति का गठन दिनांक 18 मई, 1982 को किया गया था । समिति का प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हो गया है जिस पर यथाशीघ्र परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति ने अपने प्रतिवेदन में मीरगंज को तहसील बनाने के लिए सिफारिश की है । मीरगंज पहले तहसील थी जो बरेली में सम्मिलित कर ली गयी जिससे बरेली तहसील बहुत बड़ी हो गयी । मीरगंज

में पहली तहसील के भवन भी अभी हैं तो क्या मंत्री जी मीरगंज को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर संस्तुति देगें ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)–

मान्यवर, यह समिति राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित हुई थी, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है अब शासन स्तर पर विचार उस पर होगा कि कौन कहां तहसील बनायी जाये ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति ने अपने प्रतिवेदन में मीरगंज को तहसील बनाने की संस्तुति की है, निर्णय तो शासन बाद में लेगा । क्या सिफारिश की है, इसका उत्तर नहीं आया है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, अभी उस पर परीक्षण नहीं हुआ है, कौन सी तहसील कहाँ पर बनेगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता है ।

श्री प्रियदर्शी जैतली–

मान्यवर, राजस्व परिषद ने कुछ तहसीलों के बनाये जाने के बारे में शासन को अपनी संस्तुति भेजी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन सी तहसीलें है जिनके लिए राजस्व परिषद ने अपनी संस्तुति भेजी है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

यह मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि अभी उस पर विचार नहीं किया गया है, कि कहां के लिए संस्तुति की है और कहां के लिए नहीं ।

श्री भीखा लाल–

जो तहसीलों के पुनर्गठन की समिति बनायी गयी है तो क्या उसने स्थानीय विधायकों से भी कोई परामर्श लिया है, या अपने आप ही सारे निर्णय ले लिए हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, समिति ने अपने तरीके से काम किया है समिति ने दौरे किए और जिलों से जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है । स्थानों को मौके पर जाकर देखा है । किसी से परामर्श लिया है या नहीं, यह मेरे पास नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, अभी बरार जी ने प्रश्न किया कि समिति ने मीरगंज को तहसील बनाने की सिफारिश की है । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि परीक्षण नहीं किया गया है । मान्यवर, समिति की रिपोर्ट पूछी जा रही है । मीरगंज को तहसील बनाने के लिए समिति ने क्या सिफारिश की है ? परीक्षण तो बाद में किया जायेगा आप समिति के मत को बता दें ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मैंने कहा कि उस रिपोर्ट को अभी मैंने देखा नहीं है । इसी अगस्त के महीने में आयी है ।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि तहसीलों के पुनर्गठन के साथ साथ जिलों के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के सामने था तहसीलों का जब पुनर्गठन किया जा रहा है तो जिलों का भी पुनर्गठन आवश्यक है।

तो क्या इस पर उस समिति की तरफ से कोई राय आपके पास आयी है ? इसमें यदि आप यह करेंगे कि तहसीलों का पुनर्गठन हो जायेगा तो तब तो बहुत से जिलों के पुनर्गठन का मामला विचाराधीन है वह सब गड़बड़ हो जायेगा। तो जो रिपोर्ट आई है उस पर विचार करने के लिये क्या आपने कोई समिति नियुक्त की है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समिति को जिलों के सृजन के लिये कोई सुझाव नहीं दिया गया था।

श्री बिहारी लाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गत दो वर्ष पहले भटालिया में एक तहसील मंजूर की गई थी, वह कब तक बन जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। उन्होंने कह दिया कि विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य बरार जी ने यह सवाल किया था कि क्या वह रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पूरक प्रश्न उन्होंने किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि आपने इसको नियमित घोषित किया है ! मैं चाहूंगा कि अगर उस समिति की रिपोर्ट गोपनीय नहीं है, क्योंकि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट आ गयी है और उसी पर आधारित सवाल किया गया है तो वह रिपोर्ट मंत्री जी की पत्रावली में होगी इसलिये यदि वह रिपोर्ट गोपनीय नहीं है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस रिपोर्ट में मीरगंज सहित और भी प्रदेश की कौन–कौन सी जगहें हैं जिनको तहसील बनाने की संस्तुति की गई थी ? क्या यह सही है कि शासन ने पिछले 15 अगस्त को ही तहसीलें बनाने की घोषणा की है। उसके बारे में अब क्या स्थिति है और मीरगंज को तहसील बनाने के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आयी है उसकी क्या स्थिति है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूँ स्पष्ट रूप से कि अभी उस रिपोर्ट को मैंने देखा नहीं है और न ही पढ़ा है तथा न ही उस पर कोई विचार किया गया है और न निर्णय लिया गया है। किसी तहसील के सृजन के लिये कोई विधिवत घोषणा भी नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह नहीं है बल्कि यह है कि जो रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है यदि वह गोपनीय नहीं है और आपके पास है तो उसको बताने में क्या दिक्कत है, इस पर विचार कर लें।

श्री बैजनाथ कुरील–

रिपोर्ट गोपनीय नहीं है लेकिन उस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र–

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसको हमने नहीं पढ़ा है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी तो आपने टर्म्स आफ रिफरेंस उस समिति को दिये थे उन्हें ही बता दें कि वह क्या थे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, टर्म्स आफ रिफरेंस बिलकुल सिम्पुल थे । जगह जगह से मांग आ रही थी कि तहसीलें जिलों में बना दी जांय और इसी आधार पर यह विचार किया गया था ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति ने प्रदेश में नई तहसीलें बनाने के बारे में क्या सुझाव आपको दिये हैं और दूसरे किस तारीख को समिति ने आपको रिपोर्ट प्रस्तुत की ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, यही तो मुश्किल है । यही मैं नहीं बता सकता कि उसमें क्या है । रिपोर्ट तो इसी अगस्त में प्राप्त हुई है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मीरगंज पहले तहसील थी और वहां के लोगों को बरेली आने-जाने में छोटे-छोटे कामों के लिये असुविधा होती है । तो क्या मंत्री जी अपने प्रशासनिक आदेश से वहां पर एक सब तहसील बनाने का आदेश दें जहां पर एक नायब तहसीलदार हो जिससे वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके ? इससे नई तहसील बनाने पर कोई नया व्यय भी अन्तर्गस्त नहीं होगा और सिर्फ किसानों को सुविधा देने के लिये जैसे कि रामपुर में एक सुआल टांडा सब-तहसील है, वहाँ पर भी बनाने का विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, यह उसी प्रकरण में है जब रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा तो यह भी विचार कर लिया जायेगा वहां की जो दिक्कत है उस पर ।

*8–श्री केदारनाथ सिंह–

[20 वें मंगलवार में ताराँकित प्रश्न संख्या–17 पर स्थानाँतरित]

*9–श्री भीखा लाल

[दिनाँक 2-9-83 को अताराँकित प्रश्न संख्या-100 द्वारा उत्तरित]

*10–श्री चन्दन सिंह–

[16 वें मंगलवार में ताराँकित प्रश्न संख्या-15 के अन्तर्गत स्थानाँतरित]

* 11—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[32 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

आर्थिक विकास की दर का लक्ष्य

*12—श्री ऊदल—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982—83 में आर्थिक विकास की दर का लक्ष्य 6 फीसीदी निर्धारित किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि औद्योगिक विकास पाँच फीसदी के स्थान पर तीन फीसदी, और कृषि में आठ की जगह छः फीसदी ही रहा ? यदि हाँ, तो लक्ष्य की पूर्ति किन-किन कारणों से नहीं हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी नहीं

1982—83 में आर्थिक विकास की दर का लक्ष्य 6 प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकास की दर का लक्ष्य 6 प्रतिशत नहीं निर्धारित किया गया था तो कितना प्रतिशत निर्धारित किया था और उसमें पूरा कितना हुआ ?

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय सदस्य बहुत अनुभवी सदस्य हैं किसी पंचवर्षीय योजना का पूरा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है किसी वार्षिक योजना का लक्ष्य नहीं निर्धारित किया जाता ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो पूरा लक्ष्य निर्धारित हुआ था वह कितना कृषि में और कितना औद्योगिक तथा दूसरे विकास कार्यों में कितना निर्धारित किया गया था और उसमें से अब तक कितना पूरा हुआ है और कितना बाकी है तथा योजना के कितने वर्ष बाकी है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए जो हमने कम्पाउंड रेट आफ ग्रोथ, चक्रवृद्धि विकास दर निर्धारित की थी वह 6 प्रतिशत रखी गयी थी । अगर हम 1979—80 को बेस इयर मानें तो हमारा अनुमान है 7.9 प्रतिशत और अगर 1978—79 को बेस इयर मानें तो 4.4 प्रतिशत के लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं ।

श्री ऊदल—

यह तो आपने औद्योगिक क्षेत्र में बता दिया ।

श्री ब्रह्मदत्त—

नहीं यह पूरा है ।

श्री ऊदल–

तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 4.4 प्रतिशत लक्ष्य अभी तक पूरा हो रहा है और जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किये हैं योजना के यह उससे बहुत कम हैं और वह पूरे नहीं होंगे ? यदि हाँ, तो क्या सरकार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मैंने निवेदन किया कि 79–80 को बेस इयर मान लें जैसा राष्ट्रीय स्तर पर मान लिया गया है तो लक्ष्य पूरा हो चुका है, 78–79 आर्थिक दृष्टि से बहुत खराब है। तो उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं और उम्मीद है कि विकास दर प्राप्त कर लेंगे इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक।

प्रदेश में पानी, ओला और तूफान से रबी की फसल को क्षति

*13–[अनुपस्थित] श्री हरगोविन्द वर्मा, [अनुपस्थित] श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा [अनुपस्थित] प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 12 से लेकर 18 अप्रैल, 83 तक पूरे प्रदेश में पानी, ओला और तूफान से रबी की फसल को कितनी हानि उठानी पड़ी. सरकार ने संकट ग्रस्त किसानों को क्या सहायता दी है ? क्या सरकार लगान, खाद, पानी, बिजली तथा अन्य देयों को माफ करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजस्व विभाग के श्री आनन्द प्रकाश बदौली तथा श्री मोहन सिंह भंडारी का निलम्बन तथा चार्ज शीट न दिया जाना

*14–डा० शिवानन्द नौटियाल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 19-3-82 को गढ़वाल लोक सभा उप चुनाव के दिन काँडाखाल, तहसील, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोई घटना घटित हुई थी जिसके सम्बन्ध में राजस्व विभाग के एक पटवारी और कानूनगो को निलम्बित किया गया था ? क्या यह सही है कि तब से अब तक न तो उसको चार्जशीट दी गयी है और न ही नौकरी पर लिया गया ? यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है और कब तक उन्हें बहाल कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

जी हाँ।

यह सही है कि श्री आनन्द प्रकाश बदौली [निलंबित पटवारी] तथा श्री मोहन सिंह भंडारी [निलंबित सुपरवाइजर कानूनगो] को अभी तक न तो चार्जशीट दी गई है और न ही उन्हें नौकरी पर लिया जा सका है। श्री आनन्द प्रकाश बदौली भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147/148/149/395/397 के अन्तर्गत नामजद मुलजिम हैं। इस मुकदमें की विवेचना खंड अधिकारी, अपराध अनुसंधान विभाग, मेरठ द्वारा की जा रही है और विवेचना अभी पूरी नहीं हुयी है।

श्री मोहन सिंह भंडारी, सुपरवाइजर कानूनगो [निलंबित] जिन्होंने श्री आनन्द प्रकाश को थाने में दाखिल नहीं किया था, सभी उक्त मुकदमें से परोक्ष रूप से संबंधित हैं।

श्री बदौली एवं श्री भंडारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त परगनाधिकारी, कोटद्वारा को जाँच अधिकारी नियुक्ति किया गया है परन्तु चार्जशीट दिये जाने अथवा नौकरी पर लिए जाने के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

डा० शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला 1982 जून से है और जैसा मंत्री जी ने बताया कि धारा 147/148/149/395/397 के अन्तर्गत कोई मुकदमा दायर किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह मुकदमा कहाँ और किन लोगों ने इसकी पहले पहल एफ० आई० आर० लाज करायी। और जैसा कहा है कि थाने में हाजिर नहीं करवाया गया, तो हमारे यहाँ थाने इतने नहीं होते हैं, हमारे यहाँ तो पटवारी की चौकियाँ होती हैं जो थाने का काम करती हैं। तो क्या काँडारवाल में ही पटवारी की चौकी थी। तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एफ. आई. आर. में कौन-कौन अपराधी दर्ज कराये गये और एफ. आई. आर. क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, श्री आनन्द प्रकाश बदौली को जिला अधिकारी के आदेश से 21/5/82 को निलंबित किया गया। झगड़ा हुआ और मुकदमा दायर हुआ तो उन्हें निलंबित किया गया।

दूसरे भंडारी हैं इनको ऐज मुल्जिम लेकर आये लेकिन हैंडओवर नहीं किया गया और कहा गया कि दोषी हैं, इसलिये इनको भी निलंबित किया गया। अब पूरी जाँच हो रही है और जब तक जाँच पूरी न हो जाये, जो मुकदमा चल रहा है उसका फैसला न हो जाये तब तक विभागीय कार्यवाही करना संभव नहीं है।

डा० शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा कि संभव नहीं है, मैंने पूछा कि उनके ऊपर क्या अपराध था जिसके लिये उनको दंडित किया गया, क्या एफ. आई. आर. लाज की गयी, क्या उसको पढ़ेंगे और क्या विशेष घटना हुई जिससे यह हुआ ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, एफ. आई. आर. मेरे पास नहीं है लेकिन जो धारायें हैं वह तो फौजदारी की हैं जिस पर मुकदमा चला है।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, यह आश्चर्य का विषय है कि एफ. आई. आर. नहीं है ! मुख्य चीज मैं जानना चाहता हूं कि एफ. आई. आर. किसके द्वारा लिखाई गयी, और भंडारी या भदौली के खिलाफ क्या अपराध हैं लेकिन यह मंत्री जी को मालूम नहीं है, इसलिये धारा 147/148/149/395/397 लिखाने से काम नहीं चलता है। मान्यवर, जब एफ. आई. आर. और अपराध को मंत्री जी इस सदन को नहीं बता सकते हैं तो समय ले लें और मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें।

श्री बैजनाथ कुरील–

कृपा करके माननीय सदस्य प्रश्न को देखें उसमें नहीं है कि क्या झंझट हुआ, उसमें है कि क्या इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई थी और मुकदमा चला तथा यह लोग निलम्बित हैं। किसने एफ. आई. आर. दर्ज करायी और एफ. आई. आर. की सूचना मेरे पास नहीं है। सवाल के मुताबिक उत्तर दिया है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस एफ. आई. आर. में इन दोनों व्यक्तियों के नाम है जो निलम्बित हैं ? और क्या एफ. आई. आर. के आधार पर कोई विभागीय जांच करायी गयी। यदि करायी गयी, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

इन्क्वायरी करने का काम राजस्व विभाग का नहीं है, यह सही है कि यह कर्मचारी निलम्बित हैं .. (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह दोनों कर्मचारी एफ. आई. आर. में नामजद हैं ? यदि नहीं, तो इनके निलम्बन का क्या औचित्य है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

यह जो मिस्टर भदौली हैं वह उस मुकदमें में हैं, दूसरे जो भन्डारी है उनके खिलाफ चार्ज यह है कि वे मिस्टर भदौली को पुलिस स्टेशन ले गये, लेकिन उन्होंने वहां हैंडओवर नहीं किया। इसलिये यह निलम्बित हैं। यह मुकदमें में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नामजद हैं कि नहीं ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, उत्तर में दिया हुआ है कि यह जो भदौली हैं यह झगड़े से संबंधित हैं, दूसरे जो भन्डारी हैं यह झगड़े से संबंधित नहीं हैं।

श्री भीखालाल–

इन दोनों निलम्बित कर्मचारियों को क्या निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जो मुकदमा चल रहा है उसके फैसले के बाद कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न किये गये हैं और जो उत्तर दिये गये हैं मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इसको स्थगित करता हूं। मंत्री जी कृपया इसकी पुनः जांच करवा लें।

गोरखपुर जनपद की महाराजगंज तहसील में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए ग्राम

* 15–[अनुपस्थित] श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा [अनुपस्थित] श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की महराजगंज तहसील के गांव मार्च एवं अप्रैल, 1983 में ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुए है ? क्या पीड़ित

किसानों को तत्काल कोई सहायता दी गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त गांवों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गोरखपुर जनपद की तहसील महाराजगंज के कुल 180 ग्राम मार्च एवं अप्रैल, 1983 में ओलावृष्टि से प्रभावित हुये जिनमें से 138 ग्रामों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची । 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने वाले ग्रामों के ओला प्रभावित किसानों को मालगुजारी में छूट दिये जाने का प्रस्ताव राजस्व परिषद एवं शासन के विचाराधीन है । 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त गांवों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1541 पर ।)

*16–श्री खैरुल बशर–

[दिनांक 4–3–83 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

चकबन्दी विभाग में कार्यरत चकबन्दीकर्ताओं के वेतन में हुई विसंगतियों को दूर करने हेतु ज्ञापन

*17– श्री मलिक मो. कमाल यूसुफ–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चकबन्दी विभाग में कार्यरत चकबन्दी कर्ता वर्ग तथा राजस्व विभाग के सुपरवाइजर कानूनगो के वेतनमान में हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए 1 वर्ष से लम्बित ज्ञापन पर क्या कार्यवाही हो रही है जबकि चकबन्दी अधिनियम की धारा 3(3-ए) एवं चकबन्दी कर्ता सेवा नियमावली जिसका प्रकाशन सरकारी गजट में दिनांक 25–3–78 को हुआ है, के अनुसार चकबन्दी कर्ता की परिभाषा में सुपरवाइजर कानूनगो भी शामिल हैं ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

चकबन्दी विभाग में कार्यरत चकबन्दीकर्ताओं के वेतन में हुई विसंगति को दूर करने सम्बन्धी ज्ञापन दिनांक 18–6–32 तथा अन्य अनुवर्ती ज्ञापन शासन को प्राप्त हुए हैं । शासन द्वारा अभी मामले में विचार किया जा रहा है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे इन विसंगतियों का कारण क्या है और यह कब तक दूर हो जायेंगी ? इनको दूर करने में कठिनाइयां क्या आ रही हैं ? जब एक ही कैडर के तीनों लोग हैं, तो आप यह स्पष्ट आश्वासन दें कि आप कब तक इन विसंगतियों को दूर कर देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

यह सही है–दोनों का काम एक सा है और उनके वेतनमान भी 1-10-75 तक एक जैसे थे, लेकिन वेतन आयोग ने जो संस्तुति की उसमें अन्तर हो गया । सुपरवाइजर कानूनगो ने अपना प्रतिवेदन दिया तो उनका वेतनमान बढ़ा दिया गया, लेकिन इनका कोई प्रतिवेदन नहीं था, इसलिए इनका वैसे ही नीचे रह गया । अब जो है सुपरवाइजर कानूनगो का 250–435 से बढ़ाकर रु. 470–735 कर दिया गया और इनका 230–385

से बढ़ाकर 430–665 कर दिया गया, तो दोनों में अन्तर है । इसको हम स्वीकार करते हैं, हमने इसके लिए संस्तुति की है, कुछ दिक्कतें हैं, उनके दूर कर देने के बाद सब कर दिया जाएगा ।

*18–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[16 वे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या–14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम रुदौली कलां जिला बस्ती में दो व्यक्तियों को चकबन्दी विभाग द्वारा जारी की गयी नकलों के विरुद्ध कार्यवाही

*19–श्री दिवाकर विक्रम सिंह (अनुपस्थित)

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि. 21-10-82 बाबत ग्राम रुदौली कलां, परगना मगहर, तह. बांसी, जिला बस्ती के एक ही भूमि का दो व्यक्तियों को चकबन्दी विभाग, बस्ती द्वारा अलग-अलग दो सत्य प्रतिलिपि दिए जाने के बारे में मय फोटो स्टेट कापी के प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो चकबन्दी कार्यालय, बस्ती द्वारा इस प्रकार की धांधलेबाजी किए जाने के बारे में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

जी हां । इसकी प्रारम्भिक जांच चकबन्दी अधिकारी द्वारा कराई गई । गाटा सं. 1042 के बारे में आकार पत्र 2 क व आधार वर्ष के खसरा की नकलें क्रमशः दिनांक 24–9–82 व 25–6–82 को जारी की गई हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं । प्रथम दृष्टया आकार पत्र 2 क की प्रविष्टियां स्थल के अनुसार सही प्रतीत होती हैं । नकलें प्राप्त करने के बाद विस्तृत जांच के निर्देश दे दिये गये हैं । जांच के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि गाटा संख्या 1042 के बारे में दो तिथियों में दो भिन्न नकलें जारी की गयीं । साथ ही माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रथम दृष्टया आकार पत्र 2 क की प्रविष्टियाँ स्थल के अनुसार सही प्रतीत होती हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो दोनों नकलें जारी की गयी हैं, इनमें से कौन सी नकल सही है और कौन सी गलत है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, जो आकार पत्र 2 क की नकल है वह सही है । मौके पर देख करके वह बनायी गयी है । लेकिन जो फसली की नकल है यह 25–6–82 को दी गयी है । जांच करने पर पता चला है कि यह फर्जी बनाई गयी है । फिलहाल तो यह कोशिश की जा रही है कि जो मूल नकल हैं, मूल रूप में प्राप्त हो जाय । तब इसका परीक्षण कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जिस आदमी ने फर्जी नकल प्राप्त की है तो वह मूल प्रति जांच के लिए

कैसे देगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो फोटो स्टेट प्रति प्राप्त हो गयी है और जो मंत्री जी को दी गयी है, क्या वे उस पर जांच कराने की कृपा करेंगे ? जिसने फर्जी नकल तैयार की है, वह देगा क्यों अपनी मूल नकल ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, प्रयास किया जा रहा है कि मूल नकल मिल जाय, यदि मूल नकल नहीं मिलेगी तो इस पर भी कार्यवाही की जायगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नकल किसके हस्ताक्षर से जारी की गयी हैं प्रथम और द्वितीय दोनों 25–6–82 की जो नकल है वह जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर से निकली है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और इस मामले में क्या जांच की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, वहां जो नकल देने वाले बैठते हैं, उनके हस्ताक्षर हैं । यह स्पष्ट तो नहीं पढ़े जाते ।

श्री मेंहदी असगर–

मान्यवर, माननीय सदस्य दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो प्रश्न किया है उसके सिलसिले में आपने कहा कि अधिकारी से जांच करायी है, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, इसकी जांच हुई है । चकबन्दी अधिकारी ने जांच की है । जांच में आया है कि दोनों एक दूसरे के भिन्न हैं, लेकिन जो आकार पत्र 2 क की है, यह ठीक है और दूसरी गलत है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, अभी मंत्री जी को नहीं पता है कि फर्जी नकल लेने पर क्या होता है । जब कोई फर्जी नकल लेकर इनकी जमीन लिखवा लेगा तो जान जाएंगे । मेरे जिले में ऐसी घटनाएं होती हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस फर्जी नकल को रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जो आदमी नकल लेना चाहे, वह सीधे लेखपाल से न ले सके । केवल लेखपाल के ही हस्ताक्षर वैध न मान करके उसके जो उच्च अधिकारी है उनसे भी हस्ताक्षर कराके उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि ही दी जाय ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, व्यवस्था यही है कि नकल ठीक दी जाय और ठीक तरह से कागजात रखे जांय । यदि कोई फोरजरी करता है और पकड़ा जाता है तो उसे सजा भी मिलती है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मेरा प्रश्न यह था कि, लेखपाल के पास से जो हम को नकल दी जाती है, जिस पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, वे हमेशा के लिए प्रमाणित माने जाते हैं, उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसे प्रमाणित करने के

लिए आप क्या कोई उच्च अधिकारी द्वारा उसकी जाँच कराने की व्यवस्था करेंगे ताकि वह फोरजरी न कर सके ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, यह सही बात है कि इस प्रकार की कई घटनायें हुई हैं और वे सामने भी आयी हैं। इस पर हम विचार कर रहे हैं कि इस तरह के केसेज को कैसे रोका जा सके ताकि भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो। इस पर हम विचार भी कर रहे हैं तथा इसे रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपनी निश्चित जानकारी के अनुसार यह कहना चाहता हूं कि बस्ती में जो सी.ओ.आर. का कार्यालय है वहाँ पर फर्जी केसेज को बैक डेट में फाइल किया जाता है और उसका फैसला ए.डी.ओ. के दस्तखत से कर दिया जाता है, वहाँ पर फर्जी काम किये जाते हैं। तो क्या इस संबंध में माननीय मंत्री जी बस्ती सी.ओ.आर. के कार्यालयों में जितनी प्रविष्टियां आज तक की गयी हैं उनकी थारो जाँच करायेंगे ? दूसरा वहां पर जो कर्मचारी 5 वर्ष से लगातार कार्य करते आ रहे हैं उनका वहां से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसकी थारो जांच करायी जायेगी और जो दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जहां तक स्थानान्तरण का संबंध है, कर्मचारियों को जिले से बाहर भी ट्रांसफर किया जायेगा।

दैवी आपदा से प्रभावित पीड़ित किसानों को अनुदान एवं अन्य सहायता का वितरण

*20–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, अग्निकांड की राजकीय सहायता राशि वितरण में तहसील कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा भारी गोलमाल को रोकने हेतु क्षेत्रीय विधायक या उसका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं राजस्व विभाग के किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से तैयार सहायता सूची पर ही सहायता राशि बांटने के आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा तथा अग्निकांड के कारण सहायता राशि वितरण हेतु प्रभावित व्यक्तियों में पात्र व्यक्तियों की सूची लेखपाल द्वारा ग्राम सेवक तथा पचायत सेवक के सहयोग से बनाये जाने के आदेश हैं। इस सूची की सुपरवाइजर कानूनगो, नायब तह०, ए.डी.ओ., वी.डी.ओ. तथा तहसीलदार द्वारा क्षेत्र बांटकर जांच किये जाने के भी आदेश हैं। इन सभी अधिकारियों द्वारा 40 प्रतिशत जांच किये जाने तथा परगनाधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत जांच किये जाने के आदेश हैं। इन सूचियों को क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि देख सकते हैं और उनमें पाई गई त्रुटि की ओर परगनाधिकारी या जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी आदेश है कि गृह अनुदान एवं अन्य सहायता के वितरण के लिए तिथियां निर्धारित कर उनका प्रचार किया जाय ताकि उनकी पूर्ण जानकारी दैवी आपदा से प्रभावित पीड़ितों को हो सके तथा इन तिथियों की पूर्व सूचना स्थानीय विधायकों तथा ब्लाक प्रमुखों को भी दी जाय ताकि यदि वह चाहें तो अनुदान एवं अन्य सहायता वितरण के समय स्वयं उपस्थित रह सकें।

इसके बाद भी यदि किसी मामले में किसी जन प्रतिनिधि की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करवाई जाती है।

इस प्रकार वर्तमान पद्धति में किसी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो उत्तर की प्रतिलिपि आप भेजा करें, उसकी मेरे पास ठीक कापी आनी चाहिए। कुछ मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसमें शब्द छूट गया है, जैसे जिलाधिकारी, तो इसको ठीक करके मेरे पास भेजना चाहिए था और भी इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, [व्यवधान] भविष्य में आप इस प्रकार की बातों का ध्यान रखें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

सम्बन्धित सवाल पर अनुपूरक पूछने के पूर्व आपसे निवेदन करना है कि यह सवाल इतना व्यापक है कि इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं– समय देने में हमारे साथ उदारता बरतियेगा, अध्यक्ष जी आप भी सामाजिक और राजनैतिक जीवन के बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बाढ़, सूखा, घरगिरी और अग्निकांड– यह चार चीजें जहां जनता के लिए विनाशकारी हैं, वहां यह आपदाएं तहसील कर्मचारियों के लिए वरदान सिद्ध होती हैं और उनकी सहालग शुरू हो जाती है···

तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जितने पके हुये राजनीतिज्ञ हैं उतना ही पुराना उनको तहसील का अनुभव है। इसलिये जहां उन्होंने कहा है कि आदेश दे दिया है तो मान्यवर, आदेश तो दे दिया है लेकिन उसका पालन कहां पर हुआ। जैसा उन्होंने कहा है कि प्रभावित व्यक्तियों में पात्र व्यक्तियों की सूची लेखपाल द्वारा ग्राम सेवक तथा पंचायत सेवक के सहयोग से बनाये जाने के आदेश हैं नंबर एक। दूसरे इस सूची की सुपरवाइजर कानूनगो, नायब तहसीलदार, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, तथा तहसील दार द्वारा क्षेत्र बांटकर जांच किये जाने के आदेश हैं। तो अध्यक्ष जी यह जो आदेश हैं यह बिल्कुल फर्जी आदेश हैं केवल आपका लेखपाल बनाता है। नायब-तहसीलदार वगैरह मिलकर आपस में बांट लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ। इसके बाद मान्यवर, जो नीचे लिखा हुआ है उसके संदर्भ में मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो उत्तर है वह एक तरह से सत्य से बिल्कुल दूर है, मगर क्या माननीय मंत्री जी आज स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे कि चाहे अति-

वृष्टि हो, चाहे सूखा हो, अग्निकांड हो जो सूची बनायी जाय तो उसमें ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, क्षेत्रीय विधायक और तहसील का कोई सक्षम अधिकारी इन चारों की उपस्थिति में, चारों के द्वारा जो सूची बनायी जाय वह चारों के हस्ताक्षर से हो और उसके द्वारा पैसे का विवरण कराने की घोषणा करेंगें ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, अभी तो जो व्यवस्था है, जो सूची बनायी जाती है उसकी चेकिंग ऊपर के अधिकारी करते हैं। 40 परसेंट तक ऊपर के अधिकारी करते हैं और 5 परसेंट परगनाधिकारी चेकिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जनप्रतिनिधि हों या विधायक गण हों या ब्लाक प्रमुख हों, अगर वह देखना चाहें तो देख सकते हैं और अगर कोई दिक्कत हो तो नोटिस में ला सकते हैं यह व्यवस्था है : जब वितरण होता है तो उस वक्त जन प्रतिनिधि को सूचना दी जाती है और अगर वह उपस्थिति हो सकते हैं तो उनकी उपस्थिति में वितरण होता है। जहां तक ग्राम प्रधान की बात है, वह तो मौजूद रहते हैं उनके दस्तखत होते हैं कि यह हमारे गांव का आदमी है। तो यह सब व्यवस्था है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्षेत्र का विधायक देख सकता है और परगनाधिकारी और जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। मान्यवर, जब तक ध्यान आकर्षित किया जायगा तब तक दूसरी वर्षा और दूसरा सूखा आ जाता है और कोई हल नहीं निकल पाता है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि माननीय सदन को विश्वास में लेते हुये और आदरणीय जन प्रतिनिधियों को सम्मान देते हुये स्पष्ट घोषणा करेंगे कि क्षेत्रीय विधायक के हस्ताक्षरों के बाद ही वितरण होगा ?

(मेजों की थपथपाहट)

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, अभी तक जो अपने देश और प्रदेश की व्यवस्था है, उसमें हैं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो अभी विधायिका, के हाथ में इक्जीक्यूटिव का कार्य नहीं आया है अगर ऐसा कर देंगें तो मुझे जरा भी एतराज नहीं होगा।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूची लेखपाल सुपरवाइजर कानूनगो, ग्राम सेवक आदि के सहयोग से बनती है जन प्रतिनिधि को कहीं शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ तक सूची बनाने में ग्राम प्रधान को भी शामिल नहीं किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब पैसे का वितरण होता है तो प्रधान को बुला लिया जाता है और विधायक को बुला लिया जाता है। मान्यवर, वह सूची सही है या नहीं इसका पता लगाने के लिये यह आवश्यक है कि कम से कम ग्राम प्रधान को इसमें शामिल किया जाय। क्योंकि वह प्रजातंत्र की पहली इकाई है। ग्राम प्रधान गाँव वालों को जानता है और यह गांव का मामला होता है। तो मान्यवर, जन प्रतिनिधियों द्वारा इस सूची का सत्यापन कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम प्रधान को इसमें शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आदेश कर दिया जायेगा सूची बनाने में उनको शामिल किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

जन प्रतिनिधि को शामिल करेंगे या नहीं ? यह पूछा गया है।

श्री बैजनाथ कुरील–

मैंने कहा वह तो शामिल है।

(शोर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

सूची बनाने में नहीं है वह तो देख सकते हैं।

श्री बैजनाथ कुरील–

मैं यह नहीं कहूंगा कि माननीय विधायक सूची बनाये यह तो उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होगा। यह सुपरविजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने सामने वितरण करा सकते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि घर–घर जाकर सूची बनाये।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

शासन की प्रणाली की व्याख्या माननीय मंत्री जी ने किया। इस बात को ध्यान रखते हुये कि यह रिलीफ वर्क से सम्बन्धित काम है, जनहित में जो दुखी जनता है उसको रिलीफ देने की बात है। रिलीफ देने के लिये तमाम जो संस्थायें होती है उनको आमंत्रित किया जाता है। उनका सहयोग लिया जाता है। प्रश्न इस बात का है कि रिलीफ वर्क में सही व्यक्ति का चयन लेखपाल कर सकता है, लेखपाल के साथ जन प्रतिनिधि...

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण कर रहे हैं। आप प्रश्न करें।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

रिलीफ वर्क की चयन प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाय तो कौन सी कानूनी अड़चन है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

कानूनी अड़चन नहीं है जिस तरह की हमारे सभी सदस्य की भावना है इसके ऊपर फिर विचार करेंगे। कोई तरीका निकल सकता है तो निकालेंगे।

श्री मित्रसेन–

जो वितरण की सूची बनती है जब लेखपाल उसको गलत बना देता है तो वितरण के समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं और जिस गलत आदमी को पैसा मिलता उससे वापस नहीं करा सकते हैं। सूची का सत्यापन जनप्रतिनिधि से करा ली जाय कि सही है या नहीं। इस बात को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

इस पर विचार करेंगे।

श्री मुईद अहमद–

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा जो आती है। इस आपदा में लेखपाल बराबर मिलकर रुपया बांटता है। जिस प्रकार से एन० आर० पी० और आई० आर० डी० के अन्तर्गत इनकम टैक्स पेयी तक पात्र व्यक्ति की सूची में रखे गये है उसी प्रकार लेखपाल कमीशन लेता है और जिससे कमीशन नहीं पाता है उसको शामिल नहीं करता है। बाद में विधायक के सामने सूची जाती है तो बड़ी दयनीय स्थिति उसकी होती है किसको नाराज करें। उनकी पूर्व राय लेकर सूची बनाकर लेखपाल सूची प्रकाशित करे तो सही सूची होगी। जनहित में शासन जो धन भेजता है उसका लाभ जनता को मिल सके। क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये जनहित में लेखपाल, एस० डी० एम०, तहसीलदार तो जो लेखपाल सूची बनाता है उसी का अनुमोदन कर देते है, जनहित में जो इसका उद्देश्य है सही लाभ पहुंचाने के लिये सूची विधायक द्वारा स्वीकृत करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर दे दिया है विचार करेंगे ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सूची जो बनायी जाती है जिसको विधायक देख सकता है, देखने के लिये कौन से लेखपाल के पास जाय और कहाँ सूची उपलब्ध हो सकती है।

क्या माननीय मंत्री जी आदेश देने की कृपा करेंगें कि यह जो सूची बनायी जाएगी उनकी एक प्रतिलिपि ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय विधायक को समय से उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वितरण के पहले उसकी जांच हो सके ?

श्री बैजनाथ कुरील–

अभी तक यह व्यवस्था रही है कि सूची ब्लाक में और तहसील में उपलब्ध रही है, किन्तु यदि विधायक चाहते हैं तो उनके पास भी भेज दी जाएगी।

श्री आजाद कुमार कर्दम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है अगर इसमें कमेटी बना दी जाए, जिसमें तहसीलदार, क्षेत्रीय विधायक और लेखपाल हैं तो उससे इस मामले को काफी सहायता मिल सकती है और फर्जी लोगों का बहिष्कार हो सकता है।

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि पूरे प्रकरण पर विचार करके जो सुविधाजनक होगा किया जाएगा।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, श्रीमन् जो श्याम लाल बाजपेयी जी का प्रश्न है उसका उत्तर इतने प्रश्न हो जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सका। मान्यवर, जो व्यवस्था रही है उसका जिक्र हो रहा है, अब तक जो व्यवस्था रही उसमें अगर 100 रुपया

है तो 50/– रुपया अधिकारी की जेब में चला जाता है, 50/– रुपया ग्राम में चला जाता है। क्या माननीय मंत्री जी मौजूदा व्यवस्था को बदलकर जनप्रतिनिधियों को रखेंगे ? आज तक प्रतिलिपि की व्यवस्था है जो यह भेज देते हैं। इसमें मान्यवर, जो बाजपेई जी चाहते हैं, उस व्यवस्था को लागू करने में इनको क्या दिक्कत है ? आज तक जितने राहत के कार्य हुए हैं, करोड़ों रुपया राहत कार्य में मिलता है उसमें आधा पैसा कलेक्टर और अधिकारियों की पॉकेट में चला जाता है गरीबों को नहीं मिल पाता ? इस व्यवस्था को बदलने में क्या दिक्कत है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कि विचार करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र–

करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार में जा रहा है विचार क्या करेंगे ?

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के आदेश करेंगे कि जो सहायता राशि बांटी जाएगी वह जनप्रतिनिधियों के द्वारा बांटी जाएगी इस प्रकार के निश्चित आदेश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विचार करेंगे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, आपकी बड़ी कृपा है जो मुझे दुबारा बोलने का मौका दिया है। श्रीमन्, मेरा प्रश्न पूरे सदन का प्रश्न है, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधियों का और सम्पूर्ण जनता का प्रश्न है। मंत्री जी वरिष्ठ और सुयोग्य हैं, इन्होंने कार्य पालिका, न्याय पालिका विधायिका की बात कही। मान्यवर, इसमें जनप्रतिनिधियों को, जो एक लाख लोगों के बीच से चुनकर आते हैं, और उनके क्षेत्र में बाढ़, अतिवृष्टि या आग लगती है, उनके सामने अगर यह सूची बनती है या उनकी जानकारी में होती है, तो यह कौन सा अधिकार कार्य-पालिका का उनको देने जा रहे हैं, कार्यपालिका में तो तहसीलदार बैठा ही हुआ है, मान्यवर, आप जानते हैं जो इस प्रकार का वितरण होता है उसमें 60 और 40 का रेशियो है जो धन मिलता है सहायता मिलती है उसका 60 परसेन्ट तो अधिकारियों की और कलेक्टर की जेब में चला जाता है। सिर्फ 40 परसेन्ट ही बंट पाता है। मान्यवर, यह जनता का आरोप है और सबका आरोप है क्या मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि जनप्रतिनिधियों के बगैर इस सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया जाएगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इस पूरे प्रकरण पर विचार करके अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो उन्हीं के माध्यम से बंटवाने के लिये तैयार हूं। लेकिन कुछ विचार तो करने दीजिये।

नोट:– तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

निजी क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री मोहन सिंह श्री मित्र सेन श्री जनार्दन प्रसाद ओझा श्रीमती गौरी देवी ।

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि निजी क्षेत्रों को विद्युत उत्पादन करने की स्वीकृति देने का निर्णय अभी हाल में ही शासन ने किया है ? यदि हां, तो उसकी पूरी रूपरेखा क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

प्रदेश में विद्युत उपलब्धता की स्थिति तथा राज्य के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में 1500 मेगावाट की क्षमता के ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त की जाये ।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सरकार ने स्वयं अपनी असफलता को स्वीकार किया है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी गयी है वह क्या है ? ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों ने आपसे यह चाहा हो कि वे इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं इसलिये उनको मौका दिया जाय । या फिर उनको लाइसेन्स देने की बात कही गयी है या फिर उनको जनरेशन का काम दिया जाना है और उनको सप्लाई का काम दिया जाना है। इस पूरे प्रकरण की माननीय मंत्री जी जो रूप-रेखा है, उसे आप बता दें ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, यह नीति विषयक प्रश्न है । सबसे पहले केन्द्र सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी । निजी क्षेत्र के लोग केवल ताप विद्युत गृह बनाने तथा उत्पादन करने तक ही सीमित रहेंगे, विद्युत वितरण की व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है । इसमें हमने केन्द्र सरकार से अनुमति माँगी है तथा साथ ही साथ लोगों से प्रस्ताव भी माँगे हैं कि वे इस कार्य के लिये तैयार हैं कि नहीं ?

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में उत्पादन देने के पहले जो सरकारी परियोजनाएं हैं विद्युत उत्पादन करने की, मुख्य रूप से सरजू परियोजना पर एक जो राप्ती नहर पर विद्युत गृह बनाने की योजना है और इसी तरह की सरकारी परियोजनाएं जो अधूरी पड़ी हुई हैं, क्या पहले उन अधूरी सरकारी परियोजनाओं को पूरा करायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, जो योजनाएं ली हुई हैं, उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं । लेकिन, सारा अनुमान लगाकर जो हमारी आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिये हमारे पास

संसाधन नहीं हैं। अगर हमें 15 सौ मेगावाट के लिये निजी क्षेत्र में अनुमति मिल गयी, अपनी शर्तों के अधीन, तो उससे प्रदेश के आर्थिक विकास में बहुत मदद मिलेगी।

श्री मित्र सेन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब सरकार सिद्धान्त रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिये सहमत है, तो इसे प्राइवेट सेक्टर में देने का क्या कारण है? दूसरी बात मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस काम को करने के लिये, निजी क्षेत्र में बिजलीघर लगाने के लिये किस-किस ने प्रार्थना पत्र दिया है, सरकार के पास किसके प्रस्ताव आये हैं?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, पहली बात का तो उत्तर दे ही दिया गया कि जो मांग और पूर्ति का अन्तर है, उसको पूरा करने के लिये हमारे पास संसाधन नहीं है। दूसरे, जो अभी तक प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, वे टाटा इलेक्ट्रिकल कम्पनी, बाम्बे और हिन्दुस्तान एल्मुनियम कम्पनी, मिर्जापुर के हैं।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन स्माल स्टीम पावर हाउसेज को निजी क्षेत्र में दे दिया जायेगा, जिनमें अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन में कमी हो रही है?

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, जो स्माल पावर हाउसेज हैं, उनको दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। एक तो जिनमें हम उत्पादन कर सकते हैं, उनको तो हम खुद चलायेंगे। जो स्क्रेप हैं, उसको लेने के लिये कोई तैयार नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र–

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक टाटा इलेक्ट्रिकल ने एप्लाई किया है और दूसरे इन्होंने हिन्दुस्तान एल्मुनियम का नाम लिया, जो बिड़ला साहब का है। एक तरफ तो आप समाजवादी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपबलिकन की बात कहते हैं और समाजवाद का आडम्बर भरते हैं, तो इसमें टाटा बिड़ला से पिंड छूटेगा नहीं। माननीय मंत्री जी ने तर्क दिया कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं तो लॉ एण्ड आर्डर की भी डिटरियोरेट हालत है, तो लॉ एण्ड आर्डर को भी किसी निजी संस्था को देंगे, इस पर विचार करेंगे? बिजली नहीं पैदा हो रही है, उत्पादन क्षमता आपकी है नहीं, इसलिये प्राइवेट को देगें, तो लॉ एण्ड आर्डर की वही हालत है, तो उसको भी प्राइवेट में दे दीजिए?

श्री ब्रह्मदत्त–

अगर लॉ एण्ड आर्डर का ठेका माननीय मिश्र जी लेने को तैयार हों, तो हम विचार करेंगे।

श्री भीखा लाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि टाटा इलेक्ट्रिकल से निमंत्रण आया है कि वे बिजली का केन्द्र लगायेंगे। मान्यवर, अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस सदन में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं टाटा को जानता

नहीं, बच्चों को घर से निकलते वक्त टाटा करते जरूर देखा है। मैं जानना यह चाहता हूं कि सरकार इन उद्योगपतियों को यह धन्धा दे रही है, तो जो सरकारी उत्पादन केन्द्र लगे हुए हैं, उनको भी निजी क्षेत्र में करने जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

किसी अपने उद्योग को किसी निजी क्षेत्र में देगें, ऐसा विचार नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने निजी क्षेत्र में देने का जो कारण बताया वह यह था कि विद्युत की उपलब्धता में कमी और सीमित संसाधनों का होना। अगर इनको भी दे देने से उपलब्धता बढ़ जायेगी, तो निश्चय ही यह स्वागत योग्य कदम है। परन्तु, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने सीमित संसाधनों के बारे में कहा, उसका मतलब वित्तीय संसाधनों से ही है, जब इन प्राइवेट संस्था को आप यह बिजली के उत्पादन का लाइसेंस देंगे, बिजली घर का लाइसेंस देंगे, तो क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे, उस एग्रीमेंट में कि जो पब्लिक फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स हमारे हैं, जिनके संसाधन से डेवलपमेंट का काम करना है, उनके साधन का इन निजी संसाधन में प्रयोग न हो ? नहीं तो वही संसाधन हम स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र में चलने वाले पावर हाउसों में राजकीय क्षेत्र के संसाधन न इस्तेमाल किये जायं ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जो साधन हमें प्राप्त हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई दूसरा नहीं लगा पायगा।

श्री हुकुम सिंह–

टाटा और बिड़ला अपने घर से पैसा नहीं लगायेंगे। सभी पैसा फाइनैन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स से लेकर लगाने जा रहे हैं। सरकार के सामने क्या दिक्कत है, जब वही स्रोत निजी क्षेत्र में उपलब्ध हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगाने में क्या दिक्कत है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

निजी क्षेत्र की जो कम्पनी आती है, तो जनता को शेयर बेचे जाते हैं, उसमें कोल-बोरेशन भी प्राप्त किया जा सकता है। जो संसाधन हमें प्राप्त हो सकते हैं, वह हम किसी को लेने नहीं देंगे लेकिन जो और वह जुटा सकते हैं, उसमें नहीं पड़ेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह एक नीति सम्बन्धी मामला जरूर है। जैसा आपने कहा केवल प्रबन्ध उनको दिया जायगा क्योंकि वित्तीय साधन अलग संस्थाओं से आयेंगे, निजी संस्थाओं से फलोट करेंगे। बिजली हमारा ऐसा उद्योग है जिस पर और उद्योग भी आधारित होते हैं। इसको दूसरे के हाथों में देना सुरक्षित नहीं होगा और इससे सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो सकता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है, जो माँग और पूर्ति की बात आपने की है, मैं जानना चाहता हूं कि मांग क्या है और उपलब्धता क्या है ? जो संयंत्र लगे हुए हैं, उनकी कुल

जनरेशन कैपेसिटी क्या है ? आज उपलब्धता में 1500 मेगावाट में क्या बढ़ाना है ? इस नीति को तिलांजित न करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

निजी क्षेत्र में जहां विद्युत उत्पादन हो रहा है, वितरण भी हो रहा है, वहां कभी राजकीय सुरक्षा को खतरा नहीं पैदा हुआ। बम्बई में टाटा की कम्पनी है, उत्पादन भी करती है और वितरण भी करती है। कलकत्ता में जहाँ पर मार्किसिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी एक कम्पनी ही इस काम को करती है। एक सीमित उत्पादन देने पर विचार कर रहे हैं, वितरण हमारे हाथ में होगा।

दूसरे प्रश्न के बारे में इस वक्त 3700 मेगावाट क्षमता है, उसमें से 2500 मेगावाट तापीय है और 1200 मेगावाट हाइड्रो–इलेक्ट्रिक है। हमें केन्द्र की जो परियोजनायें हैं, छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 700 मेगावाट मिल जायगा। हमारा जो जनरेशन है वह इस समय 42–43 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर चल रहा है। उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 50 प्रतिशत तक आ जाने की आशा है। 1985 के अन्त तक 2900 मेगावाट की उपलब्धता हो जायगी। मांग 4792 मेगावाट हो जायगी क्योंकि नये ट्यूबवैल लग रहे हैं, नये–नये उद्योग लग रहे हैं। इसलिये हम उत्पादन देने पर विचार कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मैं जानना चाहता हूं कि लघु पन-विद्युत योजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन करने का अधिकार निजी क्षेत्र को देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो इन निजी उत्पादकों को वित्तीय संसाधनों से ऋण देने पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, इसका उत्तर मैं दे चुका।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में लघु विद्युत योजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन की काफी गुंजायश है और वहां पर लोग निजी क्षेत्र में यह काम करना चाहते हैं। क्या सरकार वहाँ पर लघु पन-विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली उत्पादन के लिये उनकी कोई वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की व्यवस्था करने में सहायता करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

अगर माननीय सदस्य ऐसा कोई प्रस्ताव भेजेंगे तो मैं कम से कम इसके लिए प्रयास करूंगा, मैं इससे सहमत हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जिन बिड़ला और टाटा कम्पनियों जो बाम्बे और कलकत्ता में हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 90/100 है और रेनुकोट की 100 परसेंट है, और आपकी उत्पादन क्षमता 36 परसेंट है, यदि इस उत्पादन को आप 90 परसेंट तक बढ़ा सकें क्योंकि आपके पास आदमी भी इनसे 3 गुने हैं, अगर आप भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें जैसे वह बढ़ा सकते हैं, तो इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री ब्रह्म दत्त–

माननीय सदस्य तो वित्त मन्त्री भी रह चुके हैं और बहुत ही समझदार हैं। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रयास तो हम भी कर रहे हैं, परन्तु यह सब निर्भर करता है मशीनों की कडीशन पर और यह मशीनें कब की हैं, इस पर निर्भर करता है, कोयले की आपूर्ति पर निर्भर करता है और ऐसा भी नहीं है कि निजी क्षेत्र के लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि उनके आदेश मिलें और वह सब फौरन तैयार हो जायं, जहां तक क्षमता बढ़ाने की बात है, इसके लिए हम स्वयं प्रयत्नशील हैं और यदि कोई जनहित में इसको लगाना चाहे, अगर वह हमारी शर्तों के अधीन होगा तो हम उनको इजाजत दे देंगे।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, हमारे इस प्रदेश में पहले मार्टिन बर्नस बिजली पैदा करते थे और जब उनकी बहुत लम्बी-लम्बी गड़बड़ियाँ होने लगीं तो हमारी पार्टी के लोगों ने उसका सामना किया और हर साल जेल जाते रहे, तब इस प्राइवेट कम्पनी का राष्ट्रीयकरण हो सका, लेकिन अब यहाँ एक ऐसी सरकार बन गयी है जो रोडवेज नहीं चला पा रही है तो प्राइवेट कम्पनी को दे दिया और अब बिजली विभाग नहीं चला पा रहे हैं, तो उसको भी प्राईवेट कम्पनी को देने जा रहे हैं। अगर आप तैयार हों तो पहाड़ वाले अपने संयत्र चलाने को तैयार हैं, वहाँ पर जितनी नदियाँ और नाले हैं, उनको प्रयोग में लाकर। इस लिए इस सम्बन्ध में हमारे यहां की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, उन्होंने आपको प्रार्थना-पत्र और प्रस्ताव भेजे हैं, क्या आप उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेंगें ? ताकि विद्युत परिषद में जो इस समय भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह भी खत्म हो सके और इससे प्रदेश के उत्पादन में भी असर पड़ेगा।

श्री ब्रह्मदत्त–

इसमें असहमति का कोई सवाल नहीं है, ग्राम सभाएं माइक्रो-हाइडिल चला सकती हैं, वह मिनी हाइडिल नहीं चला सकती हैं अगर ग्राम सभाएं माइक्रोहाइडिल चलाना चाहती हैं, तो चलाएं मैं उनका स्वागत करूंगा।

पुलिस सेवा में सेलेक्ट लिस्ट में नान कैडर पद पर नियुक्ति अधिकारी तथा अनुसूचित जाति के अधिकारी

**2–श्री भगवती सिंह विशारद, श्री गया सिंह–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सेलेक्ट लिस्ट के कितने अधिकारी नान कैडर पद पर नियुक्त है और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री [श्री गुलाब सेहरा]

इस समय आई. पी. एस. की सेलेक्ट लिस्ट में शामिल राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों में से 6 अधिकारी गैर सम्वर्गीय पदों पर नियुक्त हैं। इनमें से तीन अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जिस कैडर पर सैलेक्ट लिस्ट के 6 अधिकारी गैर सम्वर्गीय पदों पर नियुक्त हैं, क्या उसी तरह से कुछ लोग गैर सेलेक्टेड लिस्ट के नान कैडर पोस्टों के लोग नियुक्त हैं ?

श्री गुलाब सेहरा–

इसमें इक्सट्रा क्वालिफिकेशन और अनुभव भी देखा जाता है ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगें जिस प्रकार सेलेक्ट लिस्ट के अधिकारी नान कैडर पोस्ट पर नियुक्त हैं उसी प्रकार से आई. पी. एस. के जो अधिकारी हैं और उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है उन तक को गैर कैडर पोस्ट पर नियुक्त कराया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा–

आई. पी. एस. अधिकारी ही कैडर पोस्ट पर और नान कैडर पोस्ट पर लिये जाते हैं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, क्या आप जानते हैं कि यह जो नियुक्तियाँ हैं और जो अधिकारी नान कैडर में हैं और सेलेक्ट लिस्ट में नहीं हैं, आई. पी. एस. के प्रोबेशन में नहीं हैं तो वह ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो कि कैडर पोस्ट पर नियुक्त हैं ? इसकी अपेक्षा दूसरे वे जो सेलेक्ट लिस्ट में भी हैं आई. पी. एस. के प्रोबेशन में हैं और कैडर लिस्ट में हैं और वे नान कैडर पोस्ट पर नियुक्त किये गये हैं, ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, जो नान कैडर लिस्ट है उसे मैं पढ़े दे रहा हूं ।

1– श्री मगन लाल मौर्या
2– श्री बुद्ध चन्द
3– श्री गोपाल चन्द शुक्ल
4– श्री पुत्तू लाल
5– श्री बुद्ध दास
6– श्री नौनिहाल चन्द्र श्रीवास्तव

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, आपके माध्यम से इस शासन के जो सुयोग्य राज्य मन्त्री हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि नान कैडर वाले अधिकारी जो सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है और जिनका कैडर निश्चित नहीं हुआ है और वे अधिकारी प्रोबेशन की सूची में भी नहीं हैं, उनमें से कितने अधिकारियों को आपने कैडर लिस्ट में नियुक्त कर रखा है । दूसरे जो अधिकारी कैडर लिस्ट में भी हैं, आई. पी. एस. के प्रोबेशन में भी हैं, शासन से जो संस्तुति की लिस्ट बनी है उसमें भी हैं लेकिन इन सब बातों के बावजूद वे नान कैडर में पड़े हुए हैं इसका क्या कारण है ? क्या इसको आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा–

यह मैंने नान कैडर वाली लिस्ट बतला दी है । जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं इसमें विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी और इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री भीखा लाल–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो अधिकारी सेलेक्ट लिस्ट में हैं उनमें से मंत्री जी ने बताया कि तीन हरिजन हैं तो उनको सम्वर्गीय पदों पर कब नियुक्त किया गया, इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन् यहां कैडर और नान कैडर की बात आयी है जो कैडर लिस्ट में होता है वह परमानेन्ट होता है और जो नान कैडर में होता है वह टेम्परेरी कहलाता है। यह तो क्रम चलता ही रहता है, कभी न कभी तो सभी कैडर पर पहुंचते हैं।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी–

ये मंत्री जी एक प्रश्न को बॉल की तरह इधर-उधर फेंक रहे हैं दाहिने और बायें। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। दो तरह की लिस्ट हैं जो नियुक्तियां हुई हैं उनके सम्बन्ध में कि जो योग्य हैं उन्हें नहीं रखा गया है और जो अयोग्य हैं उन्हें रखा गया है। सिर्फ दो बातें इस प्रश्न में हैं। आप अगर गेंद के खिलाड़ी होते तो मैं इस बात को समझता कि आप जो यह दायें-बायें फेंक रहे हैं प्रश्न को और ठीक से जवाब नहीं देते हैं तो इससे हम लोगों को बहुत परेशानी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मन्त्री जी, तमाम बातों पर विचार करने के बाद, आप स्वयं निर्णय लेने के बाद इस बारे में मुझे सूचना देंगे।

अतारांकित प्रश्न

श्री रमा शंकर सिंह, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त बरेली द्वारा दिये गये निर्देश

1–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर सिंह, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, बरेली ने अपने पत्रांक 9106 दिनांक 2 फरवरी, 1983 द्वारा गन्ना सहायक श्री बी. एन. सिंह को चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों का स्वतन्त्र निरीक्षण न करने का निर्देश दिया था ? क्या विभागीय आदेशों के प्रतिकूल कार्यवाही करने के लिए श्री रमाशंकर सिंह पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

सहायक चीनी आयुक्त एवं गन्ना निरीक्षक बरेली ने अपने पत्रांक 9106 दिनांक 2 फरवरी, 1983 द्वारा गन्ना सहायक श्री विश्वनाथ सिंह को उनके मास फरवरी, 1983 के यात्रा कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया था कि वह सहायक चीनी आयुक्त से सम्पर्क कर उनके साथ भ्रमण पर जायें। उन्होंने श्री विश्वनाथ सिंह को यह निर्देश नहीं दिये थे कि वह गन्ना क्रय केन्द्रों का स्वतन्त्र रूप से निरीक्षण न करें।

नोट :– अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

उक्त निर्देश विभागीय आदेशों के प्रतिकूल नहीं थे अतः श्री रमाशंकर सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

2–श्री भीखा लाल–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

खेती में प्रयोग होने वाली कीटनाशक दवाओं से सेल्स टैक्स के माध्यम से आय

3–श्री जय दीप सिंह बरार–

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980–81 एवं 1981-82 में उ. प्र. में खेती में प्रयोग होने वाली कीटनाशक दवाइयों से सेल्स टैक्स के माध्यम से राज्य सरकार को क्रमशः कुल कितनी आय प्राप्त हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त–

बिक्रीकर विभाग द्वारा खेती में प्रयोग होने वाली कीटनाशक दवाओं से सेल्स टैक्स के माध्यम से होने वाली आय की अलग से कोई सूचना नहीं रखी जाती है। वर्ष 80–81 एवं 81–82 में सम्मिलित रूप से मद 'मेडीसन एण्ड फार्मेस्यूटिकल प्रिपरेशन्स इन्क्लूडिंग इन्सेक्टी साइड्स एण्ड पेस्टीसाइड्स' से क्रमशः रु. 1035.34 लाख रु. तथा 1289.47 लाख की आय सेल्स टैक्स के माध्यम से राज्य सरकार को हुई।

प्रदेश में पिछड़े जिलों की सूची, औद्योगिक विकास के सूचकांक

4–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे बुधवार के अल्प सूचित ता. प्र. सं. 1 के सन्दर्भ में क्या नियोजन मन्त्री पिछड़े जिलों की सूची और उनके आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विकास के वर्ष 1981–82, 1980–81, 1979–80, 1978–79 तथा 1977–78 के सूचकांक बताने की कृपा करेंगी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

पिछड़े जिलों की सूची परिशिष्ट–1 में दी हुई है। वर्ष 1977-78, 1978–79, 1979–80 एवं 1980–81 के औद्योगिक विकास के सूचकांक परिशिष्ट-2 में दिए हैं। वर्ष 1981–82 के जनपदवार सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास के अन्य कोई कम्पोजिट सूचकांक प्रथक से आगणित नहीं किए जाते हैं।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1543 पर।)

रामपुर एवं नैनीताल पिछड़े जनपदों को विद्युत आपूर्ति

5–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे बुधवार के अल्प सूचित ता. प्र. सं. 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि रामपुर जिले को पिछड़ा घोषित होने के बावजूद नैनीताल जिला जो पिछड़ा नहीं है, के मुकाबले बिद्युत सप्लाई कम दी जाती है, जबकि प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा पिछड़ेपन का एक मुख्य आधार है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

रामपुर एवं नैनीताल दोनों जनपद पिछड़े जिले घोषित हैं। पिछड़े जिलों को अलग से विद्युत आपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है। सभी जिलों में (रामपुर सहित) विद्युत आपूर्ति उसकी उपलब्धता पर निर्भर है।

पिछड़े जिलों का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के सूचकांक का कथित अनुश्रवण

6–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के ४थे बुधवार के अल्प सूचित ता. प्र. स. 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े जिलों का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के सूचकांक का प्रतिवर्ष कोई अनुश्रवण भी किया जाता है? यदि हां, तो कौन-कौन से पिछड़े जिले इस आधार पर अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं और उनके लिए शासन द्वारा क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी नहीं। पिछड़े जिलों का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के सूचकांक का प्रतिवर्ष कोई अनुश्रवण नहीं किया जाता है।

7–श्री जयदीप सिंह बरार–

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मिर्जापुर की चुनार तहसील में भट्ठे वालों द्वारा बिक्री कर कार्यालय में पंजीकरण

8–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद की चुनार तहसील के कितने भट्ठे वालों ने बिक्री-कर कार्यालय में वर्ष 1980–81 से 1982–83 तक पंजीकरण कराया है और कितनों ने रूपपत्र 4 भरकर दाखिल किए हैं? कितनों के कर निर्धारण आदेश पारित हो गये और कितना कर लगा?

श्री ब्रह्मदत्त–

मिर्जापुर जनपद की चुनार तहसील में वर्ष 1980–81 में 57, 1981–82 में 79 तथा 1982–83 में 104 भट्ठे वालों ने बिक्रीकर कार्यालय में पंजीकरण कराया। सभी भट्टे वालों ने उक्त वर्षों में रूप पत्र 4 भरकर दाखिल किये। वर्ष 1980–81 में 10 कर निर्धारण वादों का निस्तारण हुआ और उनमें 1,06,903 रुपये कर लगाया गया। वर्ष 1981–82 का एक कर निर्धारण आदेश पारित किया गया जिसमें व्यापारी को कर मुक्त घोषित किया गया। वर्ष 1982–83 के लिए किसी भट्ठे का कर निर्धारण आदेश अभी पारित नहीं किया गया।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री अम्मार रिजवी द्वारा महमूदाबाद में "दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद अवध" सीतापुर का उद्घाटन तथा क्रय किया गया गन्ना तथा व्यय

9–श्री हरगोविन्द वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 अप्रैल, 83 को राजीव गांधी साँसद, मुख्यमंत्री तथा गन्ना विकास मंत्री के साथ सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री

अम्मार रिजवी के क्षेत्र महमूदाबाद में "दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद अवध" सीतापुर का उद्घाटन करने गये ? यदि हां, तो उस दिन कितना गन्ना खरीदा गया और मशीन कितने समय तक चली तथा उद्घाटन से सम्बन्धित चीनी मिल का कुल कितना खर्चा आया ?

कुँवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम विश्रामपुर, जनपद गोण्डा के चकबन्दी अभिलेखों में जांच तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

10—श्री अकबाल हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विश्रामपुर, परगना तुलसीपुर, तह. बलरामपुर, जनपद गोंडा के चकबन्दी अभिलेखों में जांच तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने कोई पत्र राजस्व मंत्री को दिनांक 19—3—82 के आस-पास दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । शिकायती पत्र की जांच बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा की गई । शिकायती पत्र में अंकित केवल यह तथ्य कि सन्दर्भ राम छबीले बनाम सरकार व युसुफ बनाम बदस्ल जमा सन्दर्भ विचाराधीन है, सही पाया गया । अन्य कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

बुन्देलखण्ड के समग्र विकास हेतु विकास परिषद का गठन

11—प्रो. चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड के समग्र विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास परिषद के गठन का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी नहीं । क्योंकि बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन तथा उसके त्वरित विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए बुन्देलखण्ड विकास सलाहकार परिषद पहले ही गठित है ।

12—श्री भीखा लाल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम समाज की भूमि पर ग्राम प्रधान श्री महादेव सिंह द्वारा अवैधानिक कब्जा, हरिजनों को आवंटित किये जाने की मांग

13—श्री बलवीर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम पिछूती तहसील मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर में गाटा संख्या 772 ग्राम समाज की भूमि पर उक्त गांव के ही ग्राम प्रधान श्री

महादेव सिंह द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया गया है ? क्या सरकार ग्राम प्रधान के विरुद्ध अवैधानिक कब्जे के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गाटा संख्या–772 पर प्रधान का कब्जा नहीं है। जमीन सार्वजनिक प्रयोग हेतु सुरक्षित पड़ी है।

14–श्री बलबीर सिंह–

उक्त सन्दर्भ में क्या सरकार उक्त ग्राम समाज की भूमि को हरिजनों में आवंटित के आदेश देगी ? यदि हां, तो यह आवंटन कब तक कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान उटिया, विकास खण्ड उस्का बाजार (बस्ती) द्वारा राजस्व मंत्री को दिया गया प्रार्थना पत्र

15–श्री अम्बिका सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम प्रधान उटिया वि. ख. उस्का बाजार (बस्ती) ने दि. 10–12–82 को राजस्व मंत्री एव मुख्यमंत्री, उ. प्र. सरकार को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने गांव सभा की आराजी नं. 535 (नाला एवं तालाब) 813/1 एव 813/2 (नाला एवं तालाब) को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज हो जाने के सम्बन्ध में लिखा हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी।

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम प्रधान उंटिया ने राजस्व मंत्री को एक प्रार्थना पत्र आराजी नं. 535, 813/1 व 813/2 के बारे में दिया। इस प्रार्थना पत्र पर जांच की गयी। उक्त नम्बरान श्री पुरुषोत्तम दास निवासी, गोरखपुर के परिवार के नाम ज. त्रि. उन्मूलन के पूर्व से दर्ज चला आ रहा है। मौके पर यह आराजी तालाब व नाला के शक्ल में है। प्रधान ने 1360–61 फ. की नकल खतौनी दाखिल किया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त नम्बरान गांव सभा के नाम अंकित होने का आदेश हो चुका था परन्तु 1362 फ. की खतौनी में इस आदेश की अमलदरामद न होने के कारण गांव सभा के नाम दर्ज नहीं हुआ। इस ग्राम में अब भी चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है। चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में अभिलेखों की दुरुस्ती की कार्यवाही की जा रही है।

गुड़ खांडसारी आयुक्त के पद के सृजन की मांग

16–श्री थम्मन सिंह गहलौत–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गुड़ खांडसारी इकाइयों की निपुणता [एफीशेंसी] बढ़ाने व उन्हें अधिक लाभप्रद बनाने के लिए (जिससे गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य मिल सके) प्रदेश में अलग से गुड़ खांडसारी आयुक्त की नियुक्त करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

गन्ना, चीनी, गुड़ एवं खांडसारी के कार्यकलाप एक दूसरे पर निर्भर हैं जिनका समन्वय प्रदेश स्तर पर गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा किया जाता है। चीनी आयुक्त के कार्य को विभाजित कर अलग से एक गुड़ खांडसारी आयुक्त के पद के सृजन का कोई औचित्य नहीं है।

17–श्री भीखा लाल–

[दिनांक 2-9-83 को तारांकित प्रश्न संख्या–7 द्वारा उत्तरित]

तत्कालीन कोषाधिकारी, हरदोई के विरुद्ध आरोपों की जांच तथा मांगा गया स्पष्टीकरण

18–श्री गोपी नाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता. प्र. सं. 20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन कोषाधिकारी, हरदोई के विरुद्ध जांच में सिद्ध आरोपों के सम्बन्ध में कोषाधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो स्पष्टीकरण के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां। प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

रत्ना शुगर मिल शाहगंज, जौनपुर पर जनपद फैजाबाद की अकबरपुर, टाण्डा, बीकापुर तथा सदर तहसीलों से आपूर्ति किये गये गन्ने का भुगतान

19–श्री गोपीनाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें शुक्रवार के लिए निर्धारित अता. प्र. सं. 48 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रश्नगत जनपद में टांडा तथा अकबरपुर, बीकापुर, सदर तहसीलों के किसानों का बकाया गन्ना मूल्य रत्ना शुगर मिल लि०, गौरापुर द्वारा कुछ भुगतान शेष है ? क्या शेष सम्पूर्ण धनराशि का किसानों को भुगतान करा दिया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

रत्ना शुगर मिल शाहगंज, जौनपुर पर जनपद फैजाबाद की अकबरपुर, टाण्डा, बीकापुर तथा सदर तहसीलों से आपूर्ति किये गये गन्ने का वर्ष 1981-82 में कुल देय भुगतान 33.94 लाख रु० था जिसमें 23.11 लाख रु० का भुगतान कर दिया गया है केवल 10.83 लाख रु. की धनराशि अवशेष है। इससे पूर्व वर्षों की कोई धनराशि भुगतान हेतु शेष नहीं है।

वर्ष 1982-83 में चीनी मिल के प्रासंगिक क्षेत्रों से आपूर्ति किए गए गन्ने का कुल मूल्य 34.85 लाख रु० था जिसमें से 22.89 लाख रु० का भुगतान कर दिया गया है। केवल 11.96 लाख रु० भुगतान हेतु अवशेष है।

मिल सुचारू रूप से न चलने एवं मिल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस बकाया के शीघ्र भुगतान हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

चकबन्दी आयुक्त कार्यालय में लेखपाल से कानूनगों के पदों पर प्रोन्नति तथा श्री मैकू लाल को प्रोन्नति पद न दिये जाने का कारण

20–श्री गोरे लाल शाक्य–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी आयुक्त कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 11695/ई०–1437–78–79 दिनांक 7 नवम्बर, 1981 द्वारा कुल 99 पदों पर लेखपाल से कानूनगो के पदों पर पदोन्नति की गयी थी ? जिसमें से क्रम संख्या 82 (श्री मैकूलाल, लेखपाल) को छोड़ कर अन्य सभी को प्रोन्नति पद पर पदभार ग्रहण करा दिया गया है ? क्रम–संख्या 82 पर श्री मैकूलाल को प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण न कराने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील–

चकबन्दीकर्ता के पद के नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी होते हैं। प्रान्तीय स्तर पर चकबन्दी लेखपालों की कोटिक्रम सूची के आधार पर चकबन्दी आयुक्त कार्यालय के ज्ञाप संख्या 11695/ई०–1437/78–79 दिनांक 7-11-81 द्वारा 99 लेखपालों को चकबन्दीकर्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु एक चयन सूची जिसमें क्रम संख्या 82 पर श्री मैकूलाल का नाम भी अंकित है, संबंधित जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी को उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तदर्थ रूप से स्थानापन्न चकबन्दी कर्ता के पद पर उपरोक्त ज्ञाप में अंकित शर्तों को ध्यान में रखते हुये करने हेतु भेजी गयी। इन शर्तों में लेखपालों की गत तीन वर्ष की प्रविष्टि भी देखने के निर्देश दिये गये थे।

यह बात सही नहीं है कि उक्त सूची में अंकित सभी चकबन्दी लेखपालों की प्रोन्नति की जा चुकी है। श्री मैकूलाल की चरित्र पंजिका में वर्ष 1980–81 में प्रतिकूल प्रविष्ट होने के कारण उनकी पदोन्नति के आदेश जिला उप संचालक चकबन्दी प्रतापगढ़ द्वारा जारी नहीं किये गये बाद में प्रतिकूल प्रविष्टि निरस्त होने पर पुनः इनकी पदोन्नति की कार्यवाही चल ही रही थी कि जिला उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 19-7-82 के द्वारा इनको निलम्बित कर दिया गया। उपरोक्त कारणों से श्री मैकूलाल की प्रोन्नति नहीं की जा सकी।

इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है इसलिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम अमुआही, जनपद प्रतापगढ़ में श्री राम सुमेर द्वारा अनधिकृत रूप से भूमि बेचे जाने के सम्बन्ध में विधायक श्री ऊदल का पत्र

21–श्री लल्लू सिंह चौहान–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अमुआही, तह. पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में श्री राम सुमेर पत्र श्री रामयश द्वारा अनधिकृत रूप से भूखण्ड संख्या 455, 489 तथा

574 खाता खतौनी संख्या 210 सन् 1987–92 फसली वर्ष 1979 में बेंचे जाने के सम्बन्ध में श्री ऊदल, एम. एल. ए. के पत्र दि. 4–4–1983 क्रमशः जिलाधिकारी, सुल्तानपुर/प्रतापगढ़ एवं महानिरीक्षक स्टाम्प–1, मिशन रोड, इलाहाबाद को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो क्या उपरिलिखित पत्र की प्रतिलिपियाँ सदन के पटल पर रखते हुए यह बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। दो जिलों में स्थित सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन किसी एक जिले में नियमानुसार कराया जा सकता है। चूंकि श्री राम सुमेर निवासी ग्राम अमुआही ने तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ स्थित भूमि तथा ग्राम गोपालपुर तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर स्थित मकान का 1/3 भाग एक ही लेखपत्र द्वारा हस्तान्तरण किया था, अतः उसका रजिस्ट्रेशन तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर में किया जाना नियमानुसार है। अतः इस प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति से श्री ऊदल, सदस्य, विधानसभा को भी निबंधन महा-निरीक्षक, इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 12–8–1983 द्वारा अवगत करा दिया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1546 पर।)

बिक्री कर विभाग में बिक्री-कर अधिकारी संवर्ग के अनिस्तारित प्रत्यावेदन तथा पदोन्नति के मामले

22– श्री मोहन सिंह–

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि शासनादेश संख्या 36/1/77–कार्मिक–2, दि. 21–3–77 के अनुसार बिक्रीकर विभाग में बिक्रीकर अधिकारी सवर्ग के ऐसे कितने प्रत्या-वेदन 31–12–82 को अनिस्तारित थे जो एक वर्ष से भी अधिक पुराने थे ? इनका निस्ता-रण कब तक होगा ? इनमें से कितने 3 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त–

पचहत्तर।

शीघ्र निस्तारण किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

सत्ताइस।

23– श्री मोहन सिंह–

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–1 के आदेश संख्या वि. क.–1, 451/दस , 128/78 दिनांक 5–2–83 द्वारा की गयी पदोन्नति में कितने बिक्री-कर अधिकारी पदोन्नति से वंचित रखे गये हैं, जबकि उनके प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन चयन के समय तक एक वर्ष से भी अधिक से अनिस्तारित थे ?

श्री ब्रह्मदत्त–

सात।

जनपद आजमगढ़ में जी० आर० मद में तहसीलवार आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि

24–राजकुमार राय–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के किन-किन तहसीलों को वर्ष 1–4–81 से अब तक जी. आर. मद में कितना–कितना धन आवंटित किया गया है एवं वह किस-किस मद में खर्च हुआ ? क्या यह खर्च जी. आर. के अलावा किसी अन्य मद में खर्च किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद आजमगढ़ में जी. आर. के मद में 1–4–81 से 31–7–83 तक तहसीलवार आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

नाम तहसील	आवंटित की गयी धनराशि रु.	व्यय की गयी धनराशि रु.
[1] सदर	3,77,800	2,23,201
[2] मुहम्मदाबाद	3,97,600	2,99,501
[3] सगड़ी	12,47,500	9,37,170
[4] घोसी	7,77,322	6,32,383
[5] फूलपुर	3,90,100	2,58,159
[6] लालगंज	3,66,100	2,60,140

उपरोक्त धनराशि जी. आर. की विभिन्न मदों के अतिरिक्त किसी अन्य मद में नहीं व्यय की गयी । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम व जगराम, ग्राम वाजिदपुर, जनपद फैजाबाद के अर्जित किये गये वृक्षों के प्रतिकर का भुगतान

25– श्री गोपीनाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के तृतीय शुक्रवार के अता. प्र. स. 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रतिकर भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि किन-किन व्यक्तियों को भुगतान की गयी ? सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं । पेड़ों का स्वामित्व विवादास्पद है छानबीन की जा रही है । स्वामित्व के निर्धारण हो जाने के बाद प्रतिकर भुगतान करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

26–27–श्री गोपी नाथ वर्मा–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

श्री हीरा व दीना, निवासी ग्राम गुवान, जनपद फैजाबाद को दूसरी भूमि के बदले भूमि का पट्टा देकर कब्जा दिलाने के विरुद्ध कार्यवाही

28–श्री गोपीनाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 76 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री हीरा व दीना, निवासी ग्राम गुवान,

तह० व ब्लाक टाँडा, जनपद फैजाबाद को परगनाधिकारी, टांडा, के आदेश दि. 28-1-83 द्वारा उक्त हरिजनों को दूसरी भूमि के बदले भूमि का पट्टा देकर कब्जा दिलाया गया ? यदि हां, तो कब्जा दिलाने की तिथि क्या है तथा क्या पट्टेदारों के कब्जा पाने का लिखित प्रमाण-पत्र लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं। जमीन्दारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के धारा 161 के प्राविधानों के अन्तर्गत विनियमितीकरण के दृष्टिकोण से परगना अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8–2–83 के अन्तर्गत सम्बन्धित पर्यवेक्षक कानूनगो को गांव सभा के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। भूमि प्रबंधक समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही इस विषय पर परगना अधिकारी टाण्डा द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया जा सकेगा।

ग्राम सभा भोरमार माफी, जनपद मिर्जापुर में जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में पत्र

29–श्री राम चरण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भोरमार माफी, तह. चुनार, जनपद मिर्जापुर में जमीनों पर किए गये अवैध कब्जों को हटाने के बारे में प्रश्न-कर्त्ता ने दि० 9–2–1983 को एक पत्र उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ।

माननीय सदस्य द्वारा 9–2–83 को दिए गए पत्र के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराई गई जिसमें अवैध कब्जा करने वाले 21 व्यक्तियों के विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा –122– ब के अन्तर्गत वाद तहसीलदार चुनार के न्यायालय में विचाराधीन हैं। 4 पट्टे अनियमित पाये गये जिनमें पट्टेदारों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा–198(4) के अन्तर्गत पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही की गयी है।

ग्राम लोहराजपुर जिला मिर्जापुर में चकबन्दी कराये जाने के संबंध में पत्र

30–श्री रामचरण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लोहराजपुर, परगना मुईली, तह. चुनार, जिला मिर्जापुर में चकबन्दी कराए जाने के बारे में एक पत्र दिनांक 24-2-83 को लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ, प्राप्त हुआ था तथा उसकी प्राप्ति भी शासन के पत्र संख्या एम. 54/1–8/83– रा.–8, दिनांक 23–3–1983 द्वारा स्वीकार की गयी थी।

2– वर्ष 1961 के सर्वेक्षण में प्रश्नगत ग्राम चकबंदी योग्य नहीं था। नये मानक के अनुसार पुनः सर्वेक्षण करवाने के आदेश दे दिये गये हैं।

ग्राम सभा बरुवा खास, जिला वाराणसी के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र

31–श्री भीखा लाल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बरुवा खास, तह. ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के भू. पू. प्रधान के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का शिकायती प्रार्थना-पत्र दि. 8–1–83 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और जाँच का क्या परिणाम निकला ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ । पत्र संप्रति उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । विधायक महोदय से पुनः पत्र की प्रति मांगी गयी है । प्राप्त होने के उपरान्त् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम बेलवा लगुनही तथा साहू-खिरिया, जिला बस्ती में ग्राम समाज की भूमि को पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही, अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही

32–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम बेलवा लगुनही तथा साहू-खिरिया तहसील बांसी, जिला बस्ती में ग्राम समाज की भूमि को कुछ असामाजिक लोगों द्वारा चकबन्दी कार्यालय, बस्ती में, बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव तथा परगनाधिकारी, बांसी द्वारा संस्तुति किए ही फर्जी ढंग से चकबन्दी अभिलेखों में ग्राम समाज का नाम काटकर उन लोगों का नाम दर्ज करा लिया गया है, जिसकी सूचना प्रश्नकर्त्ता द्वारा मय सम्पूर्ण सूची के माह अगस्त, 82 में जिलाधिकारी, बस्ती को तथा दिनांक 26 अगस्त, 82 के पत्र द्वारा राजस्व मन्त्री को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिया गया है ? क्या इसी विषय पर ग्रामवासियों का भी एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दि. 2 सितम्बर, 82 द्वारा मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां । ग्राम सभा बेलवा लगुनही जिसमें बेलवा लगुनही तथा साहू–खिरिया चकबंदी में है, के ग्राम समाज की भूमि सम्बंधी पट्टों के लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर समझौते में धारा 12 उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की कार्यवाही में सहायक चकबन्दी अधिकारी ने आदेश पारित किये थे । जांच में समझौते की कार्यवाही में अनियमितता पाई गई है । अवर जिलाधिकारी बस्ती के न्यायालय में उक्त ग्राम सभा की भूमि के पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है ।

जिलाधिकारी/जिला उपसंचालक चकबंदी बस्ती को निर्देश दे दिये गये हैं कि इस मामले की विस्तृत जांच कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित करें तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर उन्हें दंडित करें ।

प्रश्नोत्तर

33—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 81 बाबत फर्जी पट्टों का चकबंदी अभिलेखों में जिला परगनाधिकारी, बांसी से सत्यापन किये हुए अमल दरामद किए जाने के बारे में सी. ओ. (आर.) बस्ती को प्राप्त हुआ है और उसके बावजूद बिला परगनाधिकारी से सत्यापन किए ही दिनांक 21-7-82 में सियाराम चौधरी, लेखपाल चकबन्दी द्वारा अमल-दरामद कर दिया गया है जबकि यह उस हल्के के लेखपाल भी नहीं थे ? यदि हां, तो फर्जी अमल-दरामद को निरस्त करके ग्राम समाज की सम्पत्ति पुन: चकबंदी अभिलेखों में ग्राम समाज दर्ज किये जाने के विषय में अभी तक क्या कार्यवाही हुई तथा दोषी कर्मचारियों को दन्डित किये जाने के विषय में भी कोई कार्यवाही हुई अथवा नहीं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-9-81 बाबत फर्जी पट्टा चकबन्दी अधिकारी (अंतिम अभिलेख) बांसी स्थित बस्ती को प्राप्त हुआ था। श्री सियाराम चौधरी, चकबंदी लेखपाल जिसको अंतिम अभिलेख तैयार करने के लिए प्रश्नगत ग्राम में लगाया गया था, ने नियमानुसार अमलदरामद किया है।

ग्राम बेलवा लगुनही एवं साहू-खिरिया मे संबंधित पत्रावली संख्या 2029, 2121, 2213, में सहायक चकबंदी अधिकारी, द्वारा पारित आदेश जाँच के दौरान अनियमित पाये गये हैं जिन्हें निरस्त कराने के लिए चकबंदी अधिनियम की धारा 48 (3) में संदर्भ उप संचालक चकबंदी को भेजा जा रहा है, जिसके निर्णय के उपरांत दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

प्रश्नगत ग्रामों से संबंधित पट्टों को निरस्त करने के सम्बन्ध में रिफ्रेंस नम्बर 50 ए अवर जिलाधिकारी बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन है।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी बस्ती को निर्देश दिये जा रहे हैं कि इस प्रसंग में जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर उन्हें दंडित करें।

रोजा सहकारी गन्ना समिति लि० शाहजहांपुर में गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

34—श्री जगदीश सिंह—

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि रोजा सहकारी गन्ना समिति लि., शाहजहांपुर में सीजन वर्ष 1978-79 में श्री प्रकाश चन्द्र, तत्कालीन सचिव द्वारा किए गये गबन के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

रोजा सहकारी गन्ना समिति लि., शाहजहांपुर में पेराई सत्र 1978-79 में गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान में बरती गयी अनियमितताओं के लिये कतिपय कर्मचरियों को दोषी पाया गया। इन कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है—

1– श्री प्रकाश चन्द्र तत्कालीन सचिव

(1) एक वेतन वृद्धि रोकी गयी ।

(2) एक प्रतिकूल प्रविष्टि उनकी चरित्र पंजिका में वर्ष 1978-79 के लिये अंकित की गयी ।

2– श्री रणधीर सिंह, तत्कालीन सहायक, गन्ना रक्षा निरीक्षक रोजा :–

(1) निलम्बन काल में निलम्बन भत्ते के अतिरिक्त कोई वेतन नहीं दिया गया ।

(2) अग्रिम धन रु० 400 तथा सामान के मूल्य रु. 802·19 की वसूली करके गन्ना विकास परिषद रोजा जिला शाहजहांपुर में जमा कराने के आदेश दिये गये ।

(3) कृषि रक्षा यन्त्रों का मूल्य रु. 4946.61 वसूल करके गन्ना विकास परिषद, रोजा में जमा कराने के आदेश हुये हैं ।

(4) इनकी चरित्र पंजिका में एक प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई है ।

3– श्री टीकम सिंह, तत्कालीन गन्ना विकास निरीक्षक/सचिव :–
इनको भविष्य में सावधानी बरतने के लिये एक चेतावनी दी गई ।

4–श्री हरपाल सिंह राठी, तत्कालीन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक :–
इनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

5– श्री हरपाल सिंह कोषाध्यक्ष
6– श्री रामगोपाल भटनागर लेखाकार
7– श्री एस० के० जौहरी सहायक सचिव
8– श्री गोपी कृष्ण लेखाकार

यह कर्मचारी समिति भोगी है । इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

35–श्री जगदीश सिंह–

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रोजा सहकारी गन्ना समिति लि० शाहजहांपुर एवं शाहजहांपुर सहकारी गन्ना समिति लि० में सीजन वर्ष 1981–82 में प्रशासक एवं सचिव द्वारा खाद वितरण तथा गन्ना पूर्ति में की गयी अनियमितताओं की कोई जांच विभाग द्वारा कराई गयी ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हाँ ।

इस प्रकरण से सम्बद्ध 5 सामयिक लिपिकों की सेवायें समाप्त की जा चुकी है तथा अन्य दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम डड़वापाण्डे एवं महुआ, जनपद बस्ती में अवरुद्ध मार्ग को साफ कराने के संबंध में पत्र

36–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि क्या प्रश्नकर्ता ने कोई पत्र दि० 7 फरवरी, 83 जिला अधिकारी, बस्ती को ग्राम डड़वापाण्डे एवं ग्राम महुआ, विकास खण्ड रुधौली, जन-

प्रश्नोत्तर

पद बस्ती के निवासियों के प्रार्थना-पत्र के साथ बावत अवरुद्ध मार्ग को साफ कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें अभी तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ,

पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा पैमाइश करवाकर अवरुद्ध मार्ग को साफ करा दिया गया है ।

श्री लाल जी टण्डन, सदस्य, विधान परिषद द्वारा दिये गये रिमाइण्डर पर कृत कार्यवाही

37–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि श्री लालजी टंडन, सदस्य, विधान परिषद के ता. 22–9–82 के पत्र जिसकी प्राप्ति संख्या एफ./1254/82 दिनांक 28–9–82 द्वारा स्वीकार की गयी थी, के सम्बन्ध में प्रथम रिमाइण्डर दिनांक 11-10-82, द्वितीय रिमाइण्डर दिनाँक 5–11–82 व तृतीय रिमाइण्डर दिनांक 17-12-82 वित्त मन्त्री को मिले थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां । माननीय सदस्य को उनके पत्र का उत्तर शासन के पत्र संख्या-यू. ओ. वि. क.–1-145/दस-83 दिनांक 2-7-83 के द्वारा दिया जा चुका है ।

जनपद देवरिया ग्राम टड़वा तथा गौहमा के अन्तर्गत उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय से मुकदमें का फैसला

38–श्री नन्दकिशोर सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया ग्राम टड़वा तथा गौहमा के अन्तर्गत उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय से मुकदमा नं० 1132, दि० 6–6–81 का फैसला हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या आदेश हुआ और क्या उसके आदेश के अनुसार भू–चित्र बना ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक आदेश का पालन हो जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ । आदेश में उस ग्राम के चक संख्या 92, 89 तथा 94 में प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत हुआ । अपील के जिस आदेश के आधार पर सन्दर्भ बनाया गया था वह आदेश निगरानी संख्या 335 में निरस्त कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरुप भूचित्र में किया गया संशोधन समाप्त हो गया । निगरानी के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में पारित स्थगन आदेश के कारण निगरानी के आदेश का कार्यान्वियन रूका हुआ है । प्रश्नगत मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । अतः उच्च न्यायालय के निर्णय तक भू–चित्र में संशोधन संभव नहीं है ।

ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव में वर्षा से गिरे मकानों की गलत सूची

39–श्री नन्दकिशोर सिंह–

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेवलगंज तह० हसनगंज, जनपद उन्नाव के ग्रामवासियों के संलग्नक पत्र सहित विधायक श्री हर गोविंद वर्मा का कोई पत्र दि० 17–2–83 को उपरोक्त ग्राम में वर्षा के कारण गिरे मकानों की गलत सूची स्थानीय लेखपाल द्वारा बनाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र की शिकायतें क्या थीं और उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कब कराई गयी ? दोषी पाए गये अधिकारी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं ।

विधायक श्री हर गोविंद वर्मा के पत्र दिनाँक 17–2–83 के स्थान पर दिनाँक 14–2–83 का पत्र, ग्रामवासियों के संलग्नक पत्र सहित प्राप्त हुआ था जिसमें ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव में वर्षा के कारण गिरे मकानों की गलत सूची स्थानीय लेखपाल द्वारा बनाने की बात कही गयी है। उक्त पत्र की शिकायत के संबंध क्षेत्रीय सुपरवाइजर कानूनगो से जाँच करायी गयी । जाँच में यह ज्ञात हुआ कि वर्षा के कारण घर गिरने की सूची में मात्र एक मकान गलत अंकित हो गया था । शेष सूची सही पायी गयी । इसमें लेखपाल का कोई नाजायज लाभ प्रतीत नहीं होता है ।

गन्ना विकास विभाग में ग्रुप १, २, ३, ४, में रिक्त स्थान तथा अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग– १ में पदोन्नति तथा २ में कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड

40–श्री नंद किशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग में ग्रुप 1, 2, 3, 4 में कितने स्थान रिक्त है और कब से ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

गन्ना विकास विभाग में ग्रूप 1 में कोई पद रिक्त नहीं है । ग्रूप 2, 3 व 4 में कुल 273 पद रिक्त हैं । ये पद कब से रिक्त है, इसके सम्बंध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

41–श्री नंदकिशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग–1 में 1976 से कोई पदोन्नति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग–1 में वर्ष 1976 से 13 कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गयी हैं ।

42–श्री नंदकिशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग–2 के कर्मचारियों को भी सेलेक्शन ग्रेड का लाभ प्राप्त है ? यदि हां, तो कब से ? अब तक कितने कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त कराया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हाँ। दिनाँक 1–7–1979 से अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग–2 के कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है। आदेशों के कार्यान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तम चन्द्र यादव, तत्कालीन सर्वे कानूनगों, गोरखपुर के विरुद्ध बन्दोबस्त अभिलेख अधिकारी, वाराणसी की जांच रिपोर्ट तथा लगाये गये आरोप

43–श्री नंद किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उत्तम चंद्र यादव, तत्कालीन सर्वे कानूनगो, गोरखपुर के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी, वाराणसी द्वारा दि० 27–3–81 व 9–6–81 को सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर को कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया था ? यदि हाँ, तो रिपोर्ट क्या थी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं।

दिनाँक 27–3–81 व 9–6–81 को बंदोबस्त अधिकारी वाराणसी द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी गोरखपुर को भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1547 पर।)

44–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री उत्तम चन्द यादव, सर्वे कानूनगो, गोरखपुर के विरुद्ध सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर ने दिनांक 3–8–81 के पत्र द्वारा कोई आरोप लगाया था ? यदि हां, तो आरोप क्या था ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिलान्तर्गत केन यूनियन, देवरिया में गांव खसरा तथा शजरा बनवाने के कार्य में व्यय हुई धनराशि

45–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत केन यूनियन, देवरिया द्वारा वर्ष 1980–81 में साढ़े 5 लाख रुपए में गांव खसरा तथा शजरा बनवाया गया ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है ? और यह पैसा कहाँ से आया ? क्या उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

देवरिया जिलान्तर्गत केन यूनियन देवरिया में गांव खसरा तथा शजरा बनवाने का कार्य वर्ष 76–77 से वर्ष 81–82 तक चलता रहा जिसके लिये अंकन रु. चार लाख बयासी हजार तीन सौ तिरानवे पैसठ पैसे मात्र का भुगतान नक्शे खसरे बनवाने में किया गया।

जाँच के आधार पर निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी इसके लिये दोषी पाये गये :–

1410सर्वश्री :–

1–राम नरायन पांडे, गन्ना विकास निरीक्षक (सचिव)
2–शम्भूनाथ त्रिपाठी, गन्ना विकास निरीक्षक (सचिव)
3–अर्जुन प्रसाद पाण्डेय, गन्ना विकास निरीक्षक (सचिव)
4–किशुन देव पाण्डेय, लेखाकार ।
5–स्व कपिलदेव लाल, लेखाकार ।
6–परमहंस सिंह (कार्यवाहक लेखाकार) (लिपिक) ।
7–फतेह बहादुर लाल ।
8–राजेन्द्र सिंह चौहान, लेखाकार ।

उपरोक्त× भुगतान उर्वरक विक्री तथा संबंधित वर्ष के पूर्व अवशेष गन्ना मूल्य की धनराशि से किया गया ।

इस सम्बन्ध में अनियमितता बरतने के फलस्वरूप उपरोक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित मृतक लेखाकार के पावने रोक दिये गये हैं ।

जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया में गन्ना ग्राम सेवकों तथा सामयिक लिपिकों की नियुक्ति का आधार

46–नंद किशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया ने 31-12-82 को 4 गन्ना ग्रामसेवक तथा 22 सामयिक लिपिक की नियुक्ति मनमानी तौर पर बिना कोई समिति बनाए कर दी है ? यदि हां, तो नियुक्ति का आधार क्या है और उक्त अधिकारी के खिलाफ जाँच कराकर सभी नियुक्तियों को रद्द किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

माह दिसम्बर, 1982 में 4 गन्ना ग्राम सेवकों तथा 7 सामयिक लिपिकों की नियुक्ति तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी देवरिया द्वारा बिना कोई समिति बनाये की गयी थी।

जिन सामयिक लिपिकों की नियुक्ति की गयी थी उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं । जहां तक 4 गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्ति का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में जांच करायी गयी है और उन नियुक्तियों को उचित नहीं पाया गया है । सम्बन्धित गन्ना ग्राम सेवकों की सेवायें समाप्त करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

47–प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–26 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

जिला निबन्धक, फर्रूखाबाद (श्री शिव प्रसाद पाण्डे) के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पत्र

48–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला निबन्धक, फर्रूखाबाद (श्री शिव प्रसाद पाण्डे) के विरुद्ध वर्ष 1982 में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की कार्यवाही करने के

सम्बन्ध में स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्र "छिबरामऊ नरेश" के सम्पादक द्वारा 12 व 19 नवम्बर, 1982 को सचिव (वित्त स्टाम्पस रजिस्ट्रेशन) महानिरीक्षक (रजिस्ट्रेशन), इलाहाबाद को प्रेषित शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सम्बन्धित अधिकारियों को स्थानांतरित करके आवश्यक जाँच कराने की सरकार कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त–

प्रश्नगत शिकायतों के संबंध में श्री शिव प्रसाद पाण्डेय, जिला निबंधक फर्रूखाबाद से स्पष्टीकरण माँगा गया है जो दिनाँक 3-7-1983 को जीप से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चिन्ताजनक हालत में मेडिकल कालेज, लखनऊ में भर्ती हुए थे और तभी से चिकित्सा अवकाश पर हैं। उनका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण जाँच की कार्यवाही रुकी हुई है। उनके कार्यभार ग्रहण करने पर जांच की कार्यवाही पूरी हो सकेगी। ऐसी स्थिति में अभी किसी के स्थानाँतरण का कोई प्रश्न नहीं है।

ग्राम अहिरौली, सर्किल नं० ३, गन्ना सहकारी समिति, घुघली (गोरखपुर) में गन्ना उत्पादकों पर बकाया ऋण

49–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अहिरौली, सर्किल नं.–3, गन्ना सहकारी समिति, घुघली (गोरखपुर) में कितने गन्ना उत्पादक ऐसे हैं, जिनके ऊपर 5 हजार से अधिक धन ऋण रूप में देय है और उनके वसूल न किये जाने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

गन्ना विकास समिति घुघली के अन्तर्गत ग्राम अहिरोली सर्किल नं. 3 में 8 ऐसे ऋणी हैं जिनके ऊपर 5000 रु. से अधिक बकाया है।

वसूली हेतु समस्त ऋणग्रहीताओं के विरुद्ध धारा 91 एवं 95 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गयी है।

गन्ना किसान श्री समतुल्लाह के ऊपर देय ऋण की अदायगी न किये जाने से अचल सम्पत्ति की कुर्की

50–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या यह सच है कि उक्त गांव को एक गन्ना किसान श्री समतुल्लाह पुत्र मोहर्रम के ऊपर देय ऋण की अदायगी न किये जाने के कारण उनकी अचल सम्पत्ति की कुर्की माह मार्च, 1983 में की गयी तथा नीलामी की तिथि 6–4–83 को निश्चित की गयी थी जिसे बढ़ाकर 15–5–83 कर दिया गया है ? यदि हां, तो केवल एक व्यक्ति के साथ ही इस प्रक्रिया का क्या औचित्य है ?

कुँवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हां।

शेष सात ऋण ग्रहीताओं के विरुद्ध भी वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

बिक्री कर आयुक्त, श्री हरीश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध घूस लेने की शिकायत की जांच

51–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्रवार दि. 18–2–83 के अता. प्र. सं. 101 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस शिकायत की जांच सतर्कता विभाग ने की थी ? यदि हां तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

नहीं । शिकायत की जांच सर्तकता विभाग द्वारा नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वर्गीय श्री सई मोहम्मद की विधवा श्रीमती कमरुन्निसा को पारिवारिक पेंन्शन का भुगतान

52–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री सई मोहम्मद, चपरासी, चकबन्दी विभाग, जनपद बहराइच की मृत्यु सेवाकाल में दि. 15–10–80 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा श्रीमती कमरुन निशा को पेंशन का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, किया गया तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां । स्वर्गीय श्री सई मोहम्मद की विधवा श्रीमती कमरुन्निसा द्वारा पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी समस्त प्रपत्र भरवाकर जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, बहराइच के पत्रांक 506/ ए. सी. [1]–82, दिनांक 3–8–1982 द्वारा स्वीकृत हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजे जा चुके हैं । जनवरी 1983 में एक विशेष पत्रवाहक भेजकर तथा 29–7–83 व 25–8–83 को पत्र भेजकर महालेखाकार को स्मरण कराया गया है परन्तु अभी तक महालेखाकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है ।

53–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

–[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

54–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

–[मा. सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

55–प्रो. चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–27 के अंतर्गत स्थानांतरित ।]

जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत श्री वाई० डी० शर्मा के कार्यालय में हरिजन/पिछड़ी जाति लिपिकों का कोटा

56–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत (श्री वाई. डी. शर्मा) के कार्यालय में कुल कितने लिपिक हैं व जिले में किन-किन गन्ना विकास परिषदों में कितने-कितने हरिजन जाति, पिछड़ी जाति लिपिकों का कोटा पूरा किया गया

है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गन्ना समितियों के कार्यालयों में शासनादेशों के मुताबिक रिजर्व कोटा पूरा करके सीजन लिपिकों की भर्ती की गई है ? यदि नहीं, तो कोटा पूरा न करने का क्या कारण है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फर्रूखाबाद में जिला निबन्धक द्वारा निबन्धन लिपिकों के स्थानान्तरण तथा उनका औचित्य

57–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जनपद के जिला निबन्धक द्वारा दिसम्बर, 82 से मार्च, 83 तक कितने निबंधन लिपिकों के स्थानांतरण किये गये हैं ? क्या उन कर्मचारियों को एक स्थान पर कार्य करते हुए 3 वर्ष हो चुके हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जिला निबंधक फर्रुखाबाद द्वारा दिसम्बर 1982 से मार्च 1983 तक 3 निबंधन लिपिकों का स्थानांतरण किया गया । इन तीनों में से किसी को भी एक स्थान पर कार्य करते हुए 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे ।

58–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या यह सही है कि फर्रुखाबाद उप निबंधक कार्यालय में 4 स्थायी निबंधन लिपिकों के पद है और माह दिसम्बर, 1982 में वहां पर लगभग 9,000 लेखपत्र 31 दिसम्बर, 1982 तक लिखने को शेष थे ? ऐसी स्थिति में वहां से 4 में से 2 निबंधन लिपिकों के स्थानांतरण का दिसम्बर, 1982 के माह में करने का क्या औचित्य था ।

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां । जिला निबंधक फर्रुखाबाद द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से उप निबंधक कार्यालय फर्रुखाबाद में कार्यरत दो निबंधन लिपिकों का स्थानांतरण किया गया ।

निबन्धक विभाग में स्टेनों द्वारा लिया गया कार्य

59–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या यह भी सही है कि रजिस्ट्री विभाग से सम्बंधित कार्य जिला निबन्धक, फर्रुखाबाद विभागीय कर्मचारी से न लेकर, जो इसी कार्य के लिए तैनात है, कलेक्ट्रेट के स्टेनों से लेते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी नहीं । निबन्धन विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य विभागीय कर्मचारी से ही लिया जाता है परन्तु कुछ महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कागजातों पर जिला निबंधक स्वयं अपने स्टेनों को डिक्टेशन (श्रुति लेख) देकर टाइप कराते हैं, क्योंकि विभागीय कर्मचारी से यह कार्य लिया जाना सम्भव नहीं है ।

गोण्डा जिले के तहसील तरबगंज में ग्राम सभाओं में निहित तालाब पोखरों का पट्टा

60–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले के परगना ग्वारिच में तालाबों-पोखरों का पट्टा सन 1982–83 में किन-किन ग्राम सभाओं में किन-किन लोगों को दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गोण्डा जिला के परगना ग्वारिच तहसील तरबगंज में वर्ष 1982–83 में ग्राम सभाओं में निहित तालाब-पोखरों का पट्टा 8 ग्राम सभाओं में दिया गया है ।

ग्राम सेखुई गोर्द्धन तप्पा बैनियों, डुमरियागंज, बस्ती निवासी जोगिन्दर के जायदाद संबंधी प्रार्थना पत्र तथा मुकदमा

61–श्री मलिक मो. कमाल युसूफ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तह. डुमरियागंज, जिला बस्ती के ग्राम सेखुई गोर्द्धन तप्पा बैनियों के श्री जोगिन्दर पुत्र रघुनन्दन प्रसाद की जायदाद नायब तहसीलदार (श्री यादव) ने मुकदमा नं. 154/696 द्वारा पारिवारिक वन्दोबस्त के अन्तर्गत काटकर श्रीमती कैलाशपति साकिन मदवा तप्पा बुढ़डी के नाम दर्ज होने के आदेश दि. 17–8–82 को जारी कर दिए है ? क्या यह सत्य है कि 27–2–83 को प्रार्थी जोगिंदर ने तहसील डुमरिया गंज के न्यायालय में हाजिर होकर यह बयान दिया कि वकील श्री मिश्रा ने मेरी फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जायदाद दूसरे के नाम करा दिया है ? यदि हां, तो तहसीलदार डुमरिया गंज ने जांच के उपरोक्त क्या तथ्य पाए तथा उस आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रार्थी श्री जोगिन्दर ने दिनांक 26–2–83 को दो प्रार्थना पत्र दिये । एक प्रार्थना पत्र में जालसाजी द्वारा जायदाद पारिवारिक बन्दोबस्त के आधार पर उसके बीबी के नाम किये जाने की शिकायत थी तथा पत्रावली 154/696 सील किये जाने की मांग की गई थी । दूसरा प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 17–8–82 के विरुद्ध धारा 201 भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया था ।

नायब तहसीलदार का आदेश दिनाँक 17–8–82 स्थगित कर दिया गया है और पत्रावली वाद संख्या–154/696 सील कर दी गयी है । श्री जोगिन्दर के प्रार्थना पत्र पर वाद दर्ज रजिस्टर होकर मुकदमें में जांच की कार्यवाही चल रही है । न्यायालय में मामला लम्बित होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही अभी नहीं की गई है ।

62–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सब तहसील चराली जिला चमोली के कतिपय राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत तथा उसकी जांच,

63– श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे सब तहसील चराली, जिला चमोली में कुछ राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधीश ने अपने पत्र संख्या 27/ शिकायत 81–82, दिनांक गोपेश्वर 4 अगस्त, 82 के द्वारा जांच के आदेश प्रसारित किये थे ? यदि हां, तो किस कारण से वह आदेश स्थगित कर दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। जांच के आदेश स्थगित नहीं किये गये थे वरन् कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच परगनाधिकारी द्वारा की गयी थी। जांच के आधार पर शिकायतें निराधार पायी गयीं।

सरकारी शुगर मिल, सुल्तानपुर के मैनेजर श्री परमानन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध गबन का आरोप

64–श्री ऊदल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सहकारी शुगर, मिल सुल्तानपुर में सन 82 तक 11 लाख रुपया का गबन उक्त मिल के मैनेजर (श्री परमानन्द श्रीवास्तव) ने किया था ? जिसकी जाँच शुगर कारपोरेशन के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने की थी और अपनी रिपोर्ट भी सरकार को भेजी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने उक्त मैनेजर के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद हरदोई की ग्राम सभाओं की भूमि पर अतिक्रमण के फलस्वरूप हर्जाने के रूप में वसूल की गयी धनराशि

65–श्री हरी शंकर तिवारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई की ग्राम सभाओं की भूमि पर अतिक्रमण के फलस्वरूप नियम 115 सी ज. वि. अधि. के अन्तर्गत कितनी धनराशि हर्जाने के रूप में गत 3 वर्षों में वसूल की गयी ? यह धनराशि सम्बन्धित गांव सभाओं को कब हस्तान्तरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

गाँव सभाओं की भूमि पर अतिक्रमण के फलस्वरूप उ. प्र. जमींदारी विनाश नियमावली के नियम 115 सी. के अन्तर्गत हर्जाने के रूप में विगत तीन वर्षों में रु.–1,11, 221–94 पैसे की धनराशि वसूल की गयी। यह धनराशि सम्बन्धित गाँव सभाओं को हस्तान्तरित नहीं की गई क्योंकि गाँव सभाओं को ऐसी धनराशि हस्तान्तरित करने का कोई नियम नहीं है।

66–श्री यदुनाथ सिंह–

–[दिनांक 2-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-132 द्वारा उत्तरित]

श्री आ० जी० जौहरी, उपायुक्त बिक्रीकर के सेवाकाल में जीप का कथित नुकसान

67–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इनके श्री आ. जी. जौहरी उपायुक्त, बिक्रीकर सेवाकाल में सरकारी जीप, जिसका मूल्य 80,000 रु. था, का नुकसान हो गया था और इसकी जिम्मेदारी इन पर सिद्ध हुयी थी ? यदि हां, तो सेवानिवृत्त होने से पूर्व इस अधिकारी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

इनके सेवाकाल में रु. 80,000/- मूल्य की किसी जीप का नुकसान नहीं हुआ । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ भूस्खलन तथा हिमपात से हुई क्षति तथा सहायता

68–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में वर्ष 1982–83 में भूस्खलन तथा हिमपात से जन-धन की कितनी हानि हुई तथा प्रभावित व्यक्तियों को कोई सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जिला नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में वर्ष 1982–83 में भूस्खलन एवं हिमपात से हुई क्षति तथा दी गई सहायता का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है:–

नैनीताल–

हिमपात से जन धन की कोई हानि नहीं हुई । अतिवृष्टि के कारण भूमि का कटान हो गया जिससे 16 परिवारों की भूमि में दरारें पड़ गई । एक व्यक्ति को प्रभावित स्थान से दूसरे स्थान पर बसाया गया । उक्त 16 प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने हेतु तहसील किच्छा में सीलिंग से प्राप्त भूमि के आवंटन की कार्यवाही की गई परन्तु वे उक्त भूमि पर नहीं बसना चाहते हैं ।

अल्मोड़ा–

भूस्खलन से कोई हानि नहीं हुई ।

इस जिले की केवल तहसील बागेश्वर में हिमपात से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी । मृतक की विधवा को 1000 रु० अहेतुक सहायता के रूप में प्रदान किया गया ।

पिथौरागढ़–

भूस्खलन तथा हिमपात से कोई जन हानि नहीं हुई । पशु हानि लगभग 3000 रु० तक की हुई ।

भूस्खलन से 23 परिवार प्रभावित हुये जिन्हें लगभग 1, 10, 300 रु० की क्षति पहुंची। प्रभावित परिवारों को 1, 250 रु० अहेतुक सहायता तथा 2, 750 रु० गृह अनुदान वितरित किया गया। प्रभावित परिवारों में से 13 परिवारों को गवर्नमेंट ग्रान्ट के अन्तर्गत भूमि आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम चैनपुर, जिला बहराइच में चक निर्माण में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की जांच

69—श्री राम आसरे वर्मा—

प्रथम सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के अता. प्र. सं. 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चैनपुर, परगना इकौना, जिला बहराइच के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में स. स. चकबन्दी द्वारा की गयी जांच में अनियमितताएं पाई गयीं तथा उन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार पुन: चकबन्दी कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रथम सत्र 83 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संदर्भ में ग्राम चैनपुर परगना इकौना जिला बहराइच के शिकायती पत्र की जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा की गयी और उन्होंने प्रथम दृष्टि में समझौते के स्तर पर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा अनियमितता की जाने की सम्भावना प्रकट की। प्रत्येक समझौते के आधार पर तय किये गये मामले का परीक्षण किये जाने के निर्देश उप संचालक चकबन्दी बहराइच को दिये गये। उप संचालक चकबन्दी बहराइच की जांच आख्या प्रतीक्षित है। प्रथम दृष्टा जांच के दौरान चक निर्माण में ऐसी अनियमिततायें प्रकाश में नहीं आई जिनके कारण पुन: चकबन्दी कराने की आवश्यकता हो।

जनपद इलाहाबाद में गंगा नदी की बाढ़ से कतिपय गांवों को क्षति तथा सहायता

70—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विगत गंगा बाढ़ से ग्राम रंगपुरा, चकिया घाट बहमल पुर उत्तम गिरि की चकिया, जैतवारडीह, पूरेचन्दा, थरवई गोड़वा, परगना व तहसील सौरांव, जनपद इलाहाबाद के घर एवं फसलें पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कोई सहायता अभी तक नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

सहायता दी गयी जिसके विवरण इस प्रकार है। बाढ़ से प्रभावित गाँवों में सुरक्षा की दृष्टि से तीन नावों तथा 50 टेन्ट की व्यवस्था की गयी थी। रोशनी का भी प्रबन्ध किया गया था। प्रभावित लोगों के सुरक्षार्थ होमगार्ड तथा पुलिस भी तैनात की गयी थी। ग्राम जयतवार डीह के 2 गृहस्वामियों को 400/- रुपया की दर से पात्रता के आधार पर कुल 800/- रु. गृह अनुदान वितरित किया गया। शेष प्रभावित व्यक्ति गृह अनुदान प्राप्ति की पात्रता के श्रेणी में नहीं आते थे। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित 123 परि-

वारों को 1 लीटर प्रति परिवार की दर से 123 लीटर मिट्टी का तेल तथा 123 माचिस का वितरण किया गया। 808 के. जी. आटा भी वितरित किया गया, जिससे 808 व्यक्ति लाभान्वित हुए। सभी प्रभावित ग्रामों की खरीफ की मालगुजारी में छूट का प्रस्ताव भी जिलाधिकारी द्वारा राजस्व परिषद को भेजा गया है। राजस्व परिषद से संस्तुति प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा। मार्च 1983 तक सरकारी कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी थी। अतएव प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मधवापुर, तहसील नानपारा में शत्रु सम्पत्ति के आवंटन की व्यवस्था

71–श्री जटा शंकर सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र (1981) के 1ले शुक्रवार के अता. प्र. सं. 184 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'शत्रु सम्पत्ति' के प्राविधानों में निहित की गयी कृषि भूमि इस समय जनपद में किस अधिकारी के सीधे नियन्त्रण में है और क्या उस पर कृषि कार्य हो रहा है? यदि हां, तो उन लोगों को किस आधार पर आवंटन किया है?

श्री बैजनाथ कुरील–

विधान सभा के तृतीय सत्र (1981) के 1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 184 के उत्तर में अंकित ग्राम मधवापुर तहसील नानपारा में शत्रु सम्पत्ति सम्बन्धी भूमि इस समय परती पड़ी हुई है जिसके आवंटन की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार की भूमि की व्यवस्था जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी करता है।

ग्राम दुबौली, गोरखपुर में चकों की पैमाइश की बावत शिकायतें

72–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम दुबौली राजी, तहसील महाराजगंज, गोरखपुर के पूरे गांव के चकों में से 75 प्रतिशत खराब व रकबे मुताबिक न होने आदि से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता ने कितनी शिकायतें शासन व स्थानीय अधिकारियों को माह जनवरी, 1983 से 1-6-83 तक दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम दुबौली राजी नाम का कोई गाँव तहसील महराजगंज में चकबन्दी के अन्तर्गत नहीं है, बल्कि दुबौली नाम का ग्राम है। ग्राम दुबौली के संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र जनवरी 83 से 1-6-83 तक प्राप्त होना नहीं पाया जाता बल्कि वर्ष 1982 में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 29-7-82 को शासन में प्राप्त हुआ था दो और शिकायती पत्र जिलाधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी कार्यालय में क्रमशः दिनांक 27-11-82 व 2-12-82 को प्राप्त हुये थे। उक्त तीनों शिकायती पत्रों में जिनमें चकों की पैमाइश की बावत शिकायतें की गयीं थीं, को चकबंदी अधिकारी महाराजगंज को भेजा गया था किन्तु चूंकि इस ग्राम का धारा 52 के अन्तर्गत प्रख्यापन 22-12-80 को हो चुका है तथा समस्त अभिलेख तहसील व माल अभिलेखागार को सौंपे जा चुके हैं, अतः चकों की पैमाइश हेतु प्रार्थना पत्रों को संबंधित तहसील को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।]

73–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

–[दिनांक 2-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 148 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराज में कार्यरत ए० डबलू० बी० एन० (श्री राम कुंवर) के विरुद्ध आरोपों की जांच

74—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के तहसील महाराजगंज में कार्यरत ए.डब्लू.वी.एन. [श्री राम कुंवर] के विरुद्ध परगनाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर करने, कर्मचारियों के वेतन निकालने में हेरा-फेरी करने एवं पुराने अमीनों व चपरासियों की सूची न बनाकर नए लोगों की सूची बनाने में एक-एक हजार रुपए लेने संबंधी आरोपों की जांच हेतु परगनाधिकारी, महाराजगंज, गोरखपुर ने नवम्बर, 1982 से अप्रैल, 1983 तक की जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में लाए हैं ? और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में उस समय कार्यरत ए. डब्लू. वी. एन. [श्री राम कुंवर] के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच तहसीलदार महाराजगंज एवं राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त द्वारा माह फरवरी एवं मार्च 1983 में की गयी। जाँच कराये जाने पर आरोप निराधार पाये गये, अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उत्पन्न हुआ।

चकबन्दी अधिकारी बिछिया, उन्नाव की अदालत में श्री धनीराम, चपरासी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र तथा पेशकार श्री सूर्य बख्श सिंह के विरूद्ध कार्यवाही

75—श्री भीखालाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सी. ओ. बिछिया, जनपद उन्नाव की अदालत में ग्राम मनिया, परगना हड़हा, तहसील उन्नाव के खाता नं. 31 से सम्बन्धित मु. नं. 2088 व 2089 के विषय में धनीराम चपरासी ने 10-2-83 को बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि उक्त खाता से सम्बन्धित कृषक लाला, सोहन और अयोध्या मृत पाए गये थे और इसी प्रकार की तामीली रिपोर्ट चपरासी ने नोटिस पर 23-11-82 को दी थी परन्तु सी. ओ. के पेशकार सूर्य बख्श सिंह ने एक अन्य नोटिस पर 15-12-82 को जालसाजी करके उक्त व्यक्तियों पर तामील दिखा कर धनी राम चपरासी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर मुकदमें का फैसला करा दिया है ? यदि हां, तो इस मामले की जॉच कराई गयी ? यदि हाँ तो पेशकार के विरुद्ध जाल-साजी करने के अपराध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

चकबन्दी अधिकारी बिछिया, उन्नाव की अदालत में ग्राम मनिया, परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव में खाता नं०31 से संबंधित मुकदमा नं० 2088 व 2089 के विषय में धनीराम चपरासी ने दिनाँक 10-2-83 को प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। वास्तव में श्री धनीराम चपरासी ने दिनाँक 10-2-83 को चकबंदी अधिकारी बिछिया को उक्त वाद की नोटिस की तामीली से संबंधित एक स्पष्टीकरण दिया था और उस पर चकबंदी अधिकारी

द्वारा कार्यवाही न करने पर स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को दिनांक 7-3-83 को भेजी थी जो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्यालय में दिनाँक 14-3-83 को प्राप्त हुई ।

जाँच से यह बात सही पाई गई कि धनीराम चपरासी ने उक्त खाता से संबधित कृषक लाला, सोहन, अयोध्या जो मृतक पाये गये थे, के संबंध में इसी प्रकार की तामीली रिपोर्ट दिनाँक 23-11-82 को की थी, जाँच से यह भी सही पाया गया कि पुन: बद्री, सोहन, लाला मु. सधाना को श्री सूर्य बख्श सिंह पेशकार द्वारा 20-12-82 को हाजिर होने के लिये सम्मन जारी किये गये जिन पर तामीली रिपोर्ट 15-12-82 की है और स्पष्ट रूप में तामीली रिपोर्ट फर्जी प्रतीत होती है । इस तामीला में लाला व सोहन पर व्यक्तिगत रूप से तामील है जब कि उनकी पहले मृतक होने की रिपोर्ट आ चुकी है । चकबंदी अधिकारी ने उक्त दोनों वादों में दिनाँक 20-12-82 को अपना निर्णय पारित किया है । सम्मन तामीला के संबंध में जाँच कराई गई जिसका उल्लेख पहले किया गया है । फर्जी तामीला रिपोर्ट के लिए दोषी पाये गये पेशकार श्री सूर्य बख्श सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

बिक्री कर कार्यालय, बदायूं में कार्यरत आशुलिपिक मो० इदरीस को बकाया वेतन का भुगतान

76—श्री मो. अबरार अहमद—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिक मो. इदरीस को विभाग द्वारा वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 में पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

प्रश्नगत मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

कानपुर बिक्री कर कार्यालय में करदाताओं द्वारा अपनी स्वेच्छा से जमा की गयी एडवान्स टैक्स की धनराशि

77—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि कानपुर बिक्रीकर कार्यालय में करदाताओं ने अपनी स्वेच्छा से माह मार्च, 1983 का कर जो कानूनन अप्रैल में जमा होना चाहिये माह मार्च, में चेकों तथा नगद जमा किया है ? यदि हाँ, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के हर खण्ड में ऐसे एडवाँस टैक्स कितना जमा हुआ ? क्या उपायुक्त (शा.), सहायक आयुक्त [शा.] और अधिकारियों ने वर्ष 1982-83 में कलेक्शन की फिगर में एडवान्स टैक्स की राशि शामिल करके दिखाई अथवा अलग करके दिखायी ? क्या वित्त मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980-81 व 1981-82 के कर निर्धारण में ऐसे कितने कर दाताओं के बहीखाते स्वीकार किए गये और कितनों के अस्वीकार किए गये ?

श्री ब्रह्मदत्त–

कानपुर बिक्रीकर कार्यालय के 740 करदाताओं ने अपनी स्वेच्छा से माह मार्च 1983 का कर चेकों तथा नगद में रु. 1,03,02,110.81 माह मार्च 1983 में ही जमा कर दिया था। ऐसी जमा की गयी धनराशि को खंडवार/सहायक आयुक्त (क.नि.) वार विवरण निम्न प्रकार है :–

कानपुर के खण्ड/ स. ओ. (क. नि.) का नाम	करदाताओं की संख्या	धनराशि
1	2	3
खण्ड 1	32	292495-00
खण्ड 2	65	293558.32
खण्ड 3	39	210000.00
खण्ड 4	18	251500.00
खण्ड 5	63	256330.00
खण्ड 6	26	314917.26
खण्ड 7	48	167110.00
खण्ड 8	24	239000.00
खण्ड 9	27	236800.00
खण्ड 10	28	137220.00
खण्ड 11	13	120000.00
खण्ड 12	6	56007.81
खण्ड 13	18	132900.00
खण्ढ 14	82	260000.00
खण्ड 15	11	154290.25
खण्ड 16	13	205000.00
खण्ड 17	65	180100.00
खण्ढ 18	51	179000.00
खण्ड 19	61	669900.33
स. आ. (क. नि.) प्रथम	3	2350000.00
,, ,, द्वितीय	6	1750000.00
,, ,, तृतीय	10	322000.00
,, ,, चतुर्थ	11	722375.00
,, ,, पंचम	19	701606.84
,, ,, अष्टम	1	100000.00
	740	1, 03, 02, 110.81

करदाताओं द्वारा स्वेच्छा से जमा की गयी धनराशि को वर्ष 1982-83 में कलेक्शन फीगर में शामिल करके ही अधिकारियों ने आयुक्त बिक्रीकर को सूचित किया है क्योंकि

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मार्च 1983 में प्राप्त चेकों का भुगतान बैंक द्वारा उसी माह (मार्च 83) में ही कर दिया गया था। माह मार्च 1983 तक प्राप्त बिक्री कर की धनराशि को वित्तीय वर्ष 1982-83 में ही दिखाना आवश्यक होता है। माह मार्च 1983 में स्वेच्छा से कर जमा करने वाले 740 करदाताओं में से वर्ष 1980-81 के कर निर्धारण में 388 करदाताओं के प्रान्तीय एव 221 करदाताओं के केन्द्रीय बही खाते स्वीकार किये गये, तथा 10 करदाताओं के प्रान्तीय एवं 4 करदाताओं के केन्द्रीय बही खाते अस्वीकार किये गये। इसी प्रकार वर्ष 1981-82 के कर निर्धारण में 242 करदाताओं के प्रान्तीय एवं 128 करदाताओं के केन्द्रीय बहीखाते स्वीकार किये गये तथा 13 करदाताओं के प्रान्तीय एवं 6 करदाताओं के केन्द्रीय बहीखाते अस्वीकार किये।

श्री गंगा सागर, चपरासी, राज्य नियोजन संस्थान का निलम्बन तथा बहाली

78—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री गंगा सागर, चपरासी, राज्य नियोजन संस्थान, उ. प्र. जवाहर भवन, लखनऊ को दिनाँक 16-5-81 को निलम्बित किया गया था और उनके विरुद्ध आरोपों की जाँच हेतु संयुक्त निदेशक श्री वी. एस. गुप्ता को अधिकृत किया था ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है और उक्त कर्मचारी को अब तक बहाल न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हाँ। जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारोपरान्त निदेशक, सामान्य प्रशासन, नवीन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान ने निलम्बित चपरासी, श्री गंगा सागर, को अब सेवा में बहाल कर दिया है।

लखनऊ के विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा सर्वेक्षण तथा अपवंचित बिक्री का विवरण

79—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारी (एस. आई. बी.) ने 1976-77 में लखनऊ के खण्ड पाँच के अनेक कर-दाताओं के यहाँ सर्वेक्षण किया और कर वंचक बिक्री को पकड़ा ? यदि हाँ तो क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष में कितने सर्वेक्षण किन-किन तारीखों में हुये और खण्ड में कब-कब रिपोर्ट पहुंची कि हर वाद में कितना-कितना कर वंचक पकड़ा गया और कितने वादों में कर वंचना के लिए पीनल कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और कितनी-कितनी पेनाल्टी लगायी गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां। विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा वर्ष 1976-77 में खण्ड—5 के 9 व्यापारियों के सर्वेक्षण किए गए। सर्वेक्षण की तिथि, खण्ड में रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि तथा अपवंचित बिक्री का विवरण संलग्न है। किसी भी वाद में पीनल कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई और न कोई पेनाल्टी लगाई गई।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 1550 पर।)

तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के गुलौरा ग्राम के रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज हरिजन आबादी

80—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गुलउरा नई बाजार फुतूपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में सैकड़ों परिवार हरिजन बसते हैं ? क्या यह सही है कि हरिजन आबादी या आबादी रेवेन्यू रिकार्ड में न लिखकर दूसरों का नाम लिखा गया है ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी और हरिजन आबादी दर्ज कराने पर विचार करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

परगना भदोही, तहसील कानपुर, जिला वाराणसी में गुलहरा नाम का कोई ग्राम नहीं है। उक्त ग्राम का सही नाम गुलौरा है। इन ग्रामों में हरिजन परिवार बसे हैं। यह कहना सही नहीं है कि रेकार्ड में दूसरों का नाम लिखा हुआ है। खसरे में आबादी दर्ज है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी के गांवों में नजूल भूमि की जांच

81—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में कितनी नजूल की भूमि किन-किन मुहल्लों में है ? क्या सरकार सन् 75 से लेकर सन् 82 तक की सभी नजूल भूमि की जाँच करायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

नगरपालिका भदोही, तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी में कुल 64 बीघा 5 बिस्वा 3 धुर नजूल भूमि निम्नाँकित 24 गाँवों में है। सन् 75 से लेकर सन् 82 तक की सभी नजूल भूमि की जाँच करायी जा चुकी है।

1—कस्बा भदोही
2—आराजीतकिया कल्लनसाह
3—गोपाल पट्टी
4—गुलौरा
5—चकदीवानगान
6—चकसैफ
7—चक इनायत
8—जमीनशोर उर्फ शेखपुर
9—जलालपुर
10—पुरेशाम
11—पुरेपीर खाँ
12—पकरीजमीमें गंगापुर
13—बूढ़ापट्टी
14—बाजार सरदार खाँ
15—बाजार रुस्तम खाँ
16—बाग तालाब सरदार खाँ
17—बाग सलावत खां
18—मर्यादपट्टी
19—मामदेवपुर
20—मधुरापुर
21—रजपुरा
22—रेवड़ा परसपुर
23—सरैया
24—हिम्मतपुर बकुचिया।

गांव अमयनपुर, जिला वाराणसी में ग्राम सभा की भूमि के पट्टों का निरस्त्रीकरण का मुकदमा

82–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव अमयनपुर उर्फ लखनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में गाँव सभा की काफी आराजी थी ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि भू. पू. प्रधान सीताराम ने अपने पिता अपने भाई तथा अपने लड़कों के नाम भूमि आवंटित करके दाखिल खारिज भी करा लिया है और कुछ जमीन को दूसरों को बेच भी दिया है ? क्या सरकार इसकी जाँच कराएगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ–

इस ग्राम में ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध थी ।

ग्राम सभा के तत्कालीन प्रधान श्री सीताराम ने अपने पिता श्री तेजई एवं पुत्र श्री जगमोहन के नाम भूमि का आवंटन करके दाखिल खारिज भी करा लिया है । भाई के नाम कोई आवंटन नहीं किया है । श्री तेजई की मृत्यु के उपरांत उनके नाम की भूमि श्री दाताराम, श्री शिव शंकर तथा श्री सीताराम के नाम दर्ज हुई । दाताराम ने भूमि संख्या 458/0-18-5 का बैनामा कर दिया । इसके दाखिल खारिज की कार्यवाही नहीं प्रारम्भ है ।

उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम किये गये पट्टों के निरस्त्रीकरण का मुकदमा अपर जिलाधिकारी ज्ञानपुर के न्यायालय में चल रहा है ।

गांव गड़खड़ा जिला वाराणसी में जच्चा बच्चा केन्द्र हेतु आरक्षित भूमि

83–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें शुक्रवार के अता० प्र० सं० 75 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि गांव गड़खड़ा परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में जच्चा बच्चा की इमारत हेतु जो भूमि नं० 1606, 2022 व 1905 पर 0.56 एकड़ छोड़ी गयी थी वह समथल भूमि थी जो निगरानी संख्या 1174 का निर्णय 6-1-82 द्वारा करके 22 1/2 एकड़ भूमि कम करके समीप में ही गाटा संख्या 1611, 2012 व 2013 पर 0.19 एकड़ दी गयी है वह पोखरी गढ्ढा है जिसमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो इसको क्यों नहीं देखा गया ? क्या इसकी जाँच कमिश्नर चकबन्दी हेड आफिस से कोई ज्वाइन्ट डायरेक्टर मार्च के प्रथम या दूसरे सप्ताह में करने गये थे ? यदि हाँ, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5 वें शुक्रवार के अता० प्रश्न सं० 75 के उत्तर के संदर्भ में यह कहना सही नहीं है कि जच्चा बच्चा केन्द्र हेतु आरक्षित भूमि पोखरी तथा

गड्ढा है। यह कहना भी सही नहीं है कि इसमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। वास्तविकता यह है कि उक्त आरक्षित भूमि में दोनों फसलें होती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा जाँच नहीं करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम चन्दवक, जिला जौनपुर के सब्जी विक्रेताओं को दुकान रखने हेतु ग्राम सभा की जमीन आवंटित किये जाने संबंधी पत्र

84—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि गाँव चन्दबक बाजार परगना व तहसील केरावत, जिला जौनपुर में 150 घर हरिजनों (खटिक) को फल सब्जी बेचने के लिए गाँव सभा की जमीन के आवंटन हेतु प्रश्नकर्ता ने बाबू लाल सोनकर की दरखवास्त को अपने पत्र के साथ 14-3-83 को मा. राजस्व मन्त्री को दिया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

इस प्रार्थना-पत्र में ग्राम चन्दवक के लगभग 150 सब्जी विक्रेताओं को दुकान रखने हेतु सार्वजनिक भूखण्ड संख्या-866/10 डि. व 869/33 डि. निर्धारित करने के लिए निवेदन किया गया था। ये दोनों भूखण्ड राजकीय सम्पत्ति के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इनमें सप्तम वित्त आयोग के अन्तर्गत राजकीय कर्मचारियों के आवास बनने हैं तथा अपर जिलाविकास अधिकारी हरिजन कल्याण ने भी हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लिए दुकानें बनाने हेतु इस भूमि का चयन किया है। इन परिस्थितियों में सब्जी विक्रेताओं के लिए उक्त भूमि निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है। प्रश्नगत भू-खण्ड ग्राम समाज की सम्पत्ति नहीं है। इसलिए गाँव सभा द्वारा आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ख्याली राम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यू० पी० सेल्स टैक्स मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, अलीगढ़ के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

85—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि श्री ख्याली राम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यू. पी. सेल्स टैक्स मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसियेशन, अलीगढ़ के शिकायती-पत्र पर जिलाधीश, अलीगढ़ ने डिप्टी एस० पी०, एल० आई० यू०, अलीगढ़ श्री वी० एस० गौतम से जाँच कराई थी और जाँच अधिकारी ने जिलाधीश के माध्यम से रिपोर्ट ता. 22-9-82 को भेजी थी ? यदि हाँ, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री शर्मा की क्या शिकायत थी और जाँच में क्या तथ्य पाये गये ? क्या जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कोई दोषी अधिकारी जाँच अधिकारी की रपट आने के पश्चात् सेवानिवृत्त भी हो गया है ? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हाँ। दिनांक 22-9-82 की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई। जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनाँक 7-10-82 को प्रेषित की थी।

श्री शर्मा की मुख्य शिकायत थी कि श्री गौरी शरन श्रीवास्तव, आशुलिपिक द्वारा फर्जी, जाली व झूठा बिल बनाया गया तथा उपायुक्त (शा०) बिक्रीकर, अलीगढ़ के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया गया। जांच अधिकारी ने श्री गौरी शरन को दोषी पाया तथा श्री आर० जी० जौहरी, उपायुक्त (शा०) बिक्रीकर, अलीगढ़ का आचरण संदिग्ध पाया गया।

जी नहीं।

दि. 15-12-82 को पुलिस अधीक्षक उ. प्र. सतर्कता अधिष्ठान, आगरा द्वारा यह सूचित किया गया कि मामले में सतर्कता अधिष्ठान आगरा द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री आर० जी० जौहरी, उपायुक्त (शा०) के विरुद्ध मामले में सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही थी कि इसी बीच दिनांक 30-11-82 को श्री जौहरी सेवा निवृत्त हो गये हैं।

सेवा निवृत्त होने में किसी की जिम्मेदारी नहीं है।

जनपद बांदा के विसण्डा टाउन एरिया में चकबन्दी कार्य पूर्ण न होने का कारण

86–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाँदा के विसण्डा टाउन एरिया में चकबन्दी गत 12 वर्षों से चल रही है ? यदि हाँ, तो अब तक के पूर्ण न होने का कारण क्या है ? चकबन्दी कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम विसण्डा, तहसील बबेरु जिला बाँदा की जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति का प्रकाशन राजकीय गजट में दिनांक 20-5-1972 को तथा कटक में दिनाँक 14-5-73 को हुआ था। इस ग्राम का चक निर्माण कार्य पूर्ण होकर चकों का प्रकाशन चकबन्दी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत 20 अगस्त, 1983 को हो चुका है। इस ग्राम में कुल बन्दोबस्ती गाटा 19962 व क्षेत्रफल 7664 एकड़ है। यह क्षेत्र का बहुत बड़ा गाँव है। इस ग्राम में चकबन्दी क्रियायें अन्य ग्रामों में कार्य सम्पन्न कराने के पश्चात् आरम्भ की गयी अत: इस ग्राम की चकबन्दी क्रियायें अभी पूर्ण नहीं हो सकी है। इस ग्राम की चकबन्दी प्रक्रियायें लगभग वर्ष 1985 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री जी० सी० श्रीवास्तव, भू० पू० नायब तहसीलदार, बीकापुर, जनपद फैजाबाद के विरूद्ध बाढ़ राहत कार्य में किया गया घोटाला

87–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जी. सी. श्रीवास्तव, भू. पू. नायब तहसीलदार बीकापुर, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध सन् 1980–81 में बाढ़ राहत कार्य में

किए गये लाखों रुपयों के घोटालों के सम्बन्ध में दिनांक 8-2-83, 9-3-83 तथा 7-2-83 के प्रार्थना-पत्र जो प्रश्नकर्त्ता तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गये हैं, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं, किन्तु श्री रमाशंकर शुक्ल, निलबित तहसीलदार के प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-4-83 के साथ प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 20-4-83 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँच परिषद के अधिकारी से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। परिषद के संबंधित अधिकारी द्वारा जाँच अभी सम्पन्न नहीं हो पायी है। जांच शीघ्र सम्पन्न कराने के निर्देश परिषद को दिये गये हैं।

ग्राम गुवावा जमालपुर जिला फैजाबाद में हरिजन आबादी के पट्टे का आवंटन

88–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गुवांवा जमालपुर, तह० अकबरपुर जिला फैजाबाद में हरिजन आबादी का पट्टा वर्ष 1982 में किया गया था ? यदि हां, तो उक्त ग्राम प्रधान ने अब तक उक्त पट्टों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसकी जांच नायब तहसीलदार द्वारा की गयी ? यदि हाँ, तो कितने लोगों को पट्टा किया गया था और जाँच कब की गयी तथा जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम गुवावा जमालपुर, जिला फैजाबाद में वर्ष 1982 में अनुसूचित जाति के 35 परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटित की गई थी। ग्राम प्रधान ने आवंटन के प्रदेशन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इस संबंध में जांच नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी जिन्होंने जाँच आख्या दिनांक 21-12-82 को प्रस्तुत की। जाँच के फलस्वरूप आवंटन कार्यवाही में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

89–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

—[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गन्ना विभाग देवरिया, में श्री हरी शंकर तिवारी की मृत्यु तथा आश्रितों को सुविधा प्रदान किये जाने की मांग

90–श्री मोहन सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गन्ना विभाग, देवरिया में श्री हरिशंकर तिवारी, गन्ना ग्रामसेवक की मृत्यु दिनाँक 4-4-83 को हो गयी ? यदि हाँ, तो मृतक के परिवार को मिलने वाली समस्त सुविधाएं उनको दे दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हाँ।

श्री हरि शंकर तिवारी की सेवायें उनकी मृत्यु से पूर्व दिनाँक 14-2-78 से ही

समाप्त कर दी गयी थी । अत: सरकारी सेवक की हैसियत से मृतक परिवार को किसी प्रकार की सुविधा प्रदान किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

91–92 श्री ऊदल–

–[दिनाँक 2-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 45-46 द्वारा उत्तरित]

93–94 श्री ऊदल–

–[दिनाँक 2–9–83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 47–48 द्वारा उत्तरित]

आयुक्त बिक्रीकर के विभागीय परीक्षा दल द्वारा आबकारी ठेकेदारी की पत्रावलियों की जांच, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही

95–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले शुक्रवार दिनाँक 22-1-82 के निर्धारित अता. प्र. सं. 30 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दो दोषी अधिकारी क्रमश: ता. 31-7-76 और ता. 30-9-79 को सेवा निवृत्त हो गये, उनके द्वारा किये गये ? राजस्व की हानि के लिए समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? शेष दोषी आठ अधिकारियों के विरुद्ध अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

एक अधिकारी श्री पी. एन. मिश्रा आडिट आपत्ति भेजे जाने के लगभग दो मास उपरान्त सेवानिवृत्त हो गये दूसरे अधिकारी श्री जे. पी. नौटियाल के द्वारा निस्तारित किये गये दो मामलों में से एक में अधिकारी का दोष नहीं पाया गया तथा दूसरे मामले की पत्रावली उनके सेवानिवृत्त होने तक उपलब्ध नहीं हो पायी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न संख्या–30 में जिन 14 कर निर्धारण पत्रावलियों पर उठाई गई आपत्ति का उल्लेख किया गया था उनके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत है–

विवरण	मामलों की संख्या
[1] कर लगा दिया गया	3
[2] कर मुक्त योग्य पाये गये	3
[3] शासनादेशों के अनुसार अतिरिक्त कर आरोपित करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।	3
[4] जाँच से पाया गया कि व्यापारी ने सन्दर्भित वर्ष में व्यापार नहीं किया था	1
[5] कर निर्धारण अधिकारी की मृत्यु हो गयी है	1
[6] कर निर्धारण अधिकारी (दो) सेवा निवृत्त हो गए हैं	3

उपरोक्तानुसार अब किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना शेष नहीं है ।

वर्तमान उपायुक्त बिक्रीकर (शा) लखनऊ के कार्यकाल में कार्यालय की अल्मारी की चोरी

96–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा में दिनांक 18–2–83 के अता. प्र. सं. 146 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इनके कार्यकाल में लखनऊ व कानपुर में एस. टी. ओ. एस. आई. बी. की अल्मारी ही चोरी चली गयी थी ? यदि हाँ, तो कब-कब चोरी हुई और इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त–

केवल लखनऊ में कार्यालय की आलमारी चुराई गयी थी। इकतीस दिसम्बर, 1979 व पहली जनवरी, 1980 की बीच वाली रात की। दिनांक 1–1–80 को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा चोरी पता लगाने का प्रयत्न किया गया।

97–श्री यदुनाथ सिंह–

–[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

98–श्री कुबेर भण्डारी–

–[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

99–श्री यदुनाथ सिंह–

–[पुनर्विचार पर निरस्त]

100–श्री रामआसरे वर्मा–

–[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत भीषण तूफान एवं चक्रवात से जन धन की क्षति तथा अहेतुक सहायता

101–श्री प्रभुनारायण सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दिनांक 23–5–83 को आए भीषण तूफान एवं चक्रवात में जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत कितने धन जन की क्षति हुई ? क्या यह सत्य है कि इस तूफान के कारण इस क्षेत्र में जहां हजारों वृक्ष धराशायी हुए वहीं मनुष्य एवं पशु भी मारे गये ? इस क्षति हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों की क्या सहायता की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद जौनपुर की तहसील केराकात में 19–5–83 तथा 23–5–83 की तेज हवा के साथ भीषण तूफान आया था जिसमें हजारों पेड़ तो नहीं बल्कि सैकड़ों पेड़ उखड़ गये थे तथा अनेक पेड़ों की डालियां टूट कर गिर पड़ी थीं तथा खलिहानों में रखी फसल को 20–25 प्रतिशत तक की क्षति पहुंची थी।

दिनांक 19–5–83 को पेड़ गिरने से दो लड़कियां बिलगिस व जोहरा पुत्रीगण युसुफ तथा दिनाँक 23–5–83 को मन्ना देवी पुत्री शिवनाथ ग्राम मौजरा की मृत्यु

दीवाल गिरने से हो गयी ।

मृतक विलगिस एवं जोहरा के पिता युसुफ को रु. 500/– तथा मन्ना देवी मृतक की माता कु० फलदेवी को 500/–रुपये की अनुग्रह सहायता पहुंचाई जा चुकी है ।

भूतपूर्व संग्रह अमीन श्री कृष्णा प्रसाद की वार्षिक वेतन वृद्धि की पुनरीक्षित धनराशि का भुगतान

102–श्रीमती धनेश्वरी देवी–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्र सं. सी. आर. ए. 89 आप, दिनांक 25–4–67 के अनुसार भू. पू. संग्रह अमीन, श्री कृष्णा प्रसाद को रुपया पाँच हजार चालीस (5,040 रु.) वार्षिक वेतन वृद्धि (एरियर के रूप में) कब से कब तक की देय थी और उसका भुगतान कब किया गया ? यदि नहीं, किया गया, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

राजस्व परिषद् को सम्बोधित जिलाधिकारी बाराबंकी के पत्र संख्या सी. आर. ए. 89 दिनाँक 25–4–1967 में श्री कृष्णाप्रसाद को कुल रु. 5040/–की धनराशि देय होने की सूचना दी गई थी । यह धनराशि दिनाँक 23–1–54 से 20–3–65 तक के देय वेतन वृद्धियों के सम्बन्ध में थी । उक्त धनराशि में से रु. 4,320–00 का भुगतान इन्हें पूर्व में ही किया जा चुका था । इस प्रकार उक्त पत्र के अनुसार श्री कृष्णा प्रसाद को वास्तविक रूप से देय अवशेष धनराशि रु. 720/–ही थी । इस धनराशि का समायोजन करके अमीन को रु. 7,216–30 का नियमानुसार देय अवशेष भुगतान दिनाँक 7–7–82 को कराया जा चुका है ।

103–श्रीमती धनेश्वरी देवी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के छठे शुक्र. के अता. प्र. सं. 15 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण प्रसाद भू. पू. संग्रह अमीन उक्त भुगतान को अपने प्रार्थना पत्र में त्रुटि पूर्ण बताते हुए कुछ नये बिन्दु उठाये थे तथा पुनरीक्षित धनराशि का भुगतान और किये जाने का अनुरोध किया था ? यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या थीं ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ ।

श्री कृष्णा प्रसाद को दिनाँक 7–7–82 को अवशेष वेतन के रूप में 7216 रुपये 30 पैसे के किये गये भुगतान को त्रुटिपूर्ण बताते हुये 9 बिन्दु उठाये गये थे, जिनमें मुख्यत: यह माँग की गयी थी कि वर्ष 1960 माह अप्रैल के बाद तथा मई से जुलाई तक, तथा वर्ष 1971 में माह अप्रैल के बाद मई से जुलाई तक का अवशेष दिया जाय । जून 1971 से अप्रैल 1972 तक तथा उसके सेवा काल में स्वीकृत किये अन्य वेतन रहित अवकाशों को सवेतन कर भुगतान कराया जाय । अवशेष बिल में देय भत्तों का भुगतान यदा-कदा किया गया है, अत: पूर्ण भुगतान कराया जाय, वर्ष 1972 से पूर्व तथा बाद की समस्त वेतन वृद्धियाँ, जो नहीं दी गयी हैं, दी जाँय । वेतन आयोग की रिपोर्ट का लाभ वर्ष

1972 के वेतन निर्धारण में नहीं दिया गया है, जो दिया जाय। तथा नोटिस के बदले एक माह के दिये गये वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते भी दिये जायें।

अमीन द्वारा दर्शाये गये समस्त विन्दुओं के संबंध में समुचित छानबीन कराई गई और यह पाया गया कि नियमानुसार उसे देय समस्त अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका।

प्रदेश की चीनी मिलों पर कृषकों को गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि

104—श्री रेवतीरमण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 82—83 में प्रदेश में किसानों का कुल कितना गन्ना बकाया रह गया है ? सरकार गन्ना किसानों की कुल बकाया धनराशि को भुगतान कराने की कब तक व्यवस्था करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रदेश की चीनी मिलों पर 31—7—83 तक गन्ना काश्तकारों के पेराई सत्र 1982—83 का 110.78 करोड़ रु. गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया रह गया है। इसके भुगतान के लिए केन्द्र सरकार से 40 करोड़ रु. वेज एण्ड मीन्स एडवाँस के रूप में प्राप्त किया गया है। प्रदेश सरकार ने क्रयकर की 25.61 करोड़ रु. की धनराशि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार द्वारा 5 कस्टोडियन की मिलों के लिए 5.07 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था कर दी गयी है। इस प्रकार कुल 70.68 करोड़ रु. के भुगतान की व्यवस्था की जा चुकी है। शेष धनराशि का प्रबन्ध बैंकों द्वारा लेबी मुक्त चीनी के स्टाक के बाजार भाव के पुनर्मूल्याँकन, नकद ऋण सीमा में वृद्धि आदि के द्वारा किये जाने का निरन्तर प्रभावी प्रयास किया जा रहा है जिससे चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी तथा अवशेष धनराशि का भुगतान भी किया जा सकेगा।

प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं चीनी मिलों द्वारा पेराई

105—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष 82—83 में कितने एकड़ गन्ना प्रदेश में बोया गया था और कितने एकड़ गन्ने की पिराई चीनी मिलों द्वारा की गयी, शेष गन्ने का क्या प्रबन्ध किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रदेश में चीनी मिलों के सुरक्षण क्षेत्र में वर्ष 1982—83 में गन्ने का क्षेत्रफल 17.32 लाख हेक्टर था जिसमें 791.60 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ ! चीनी मिलों द्वारा 210.38 लाख टन गन्ने की पेराई की गयी। शेष गन्ना गुड़ खाण्डसारी बीज, चूसने एवं अन्य उपयोगों में प्रयुक्त हुआ।

106—श्री रेवतीरमण सिंह—

[3 रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

एच० आर० शुगर फैक्ट्री में मिल रिसीवर द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में पत्र

107–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29–12–82 को एच. आर. सुगर फैक्ट्री (श्री एम. एल. चोपड़ा) ने मिल रिसीवर द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य शिकायतें थीं ? इन शिकायतों की जाँच किस अधिकारी ने की और उसमें पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हाँ। शिकायती पत्र में मुख्य रूप से यह लिखा गया है कि रिसीवर, एच. आर. शुगर फैक्ट्री बरेली ने श्री एम. एल. चोपड़ा, फैक्ट्री मैनेजर की सेवायें गलत रूप से समाप्त की हैं। यह आरोप भी लगाये गये हैं कि रिसीवर द्वारा फैक्ट्री प्रशासन में गलत क्रय-विक्रय और गलत भुगतान किये गये हैं और अवैध नियुक्तियाँ की गई हैं तथा फैक्ट्री द्वारा तैयार की गयी चीनी कम दरों पर बेची गयी है और फैक्ट्री में घाटे के लिये रिसीवर ही दोषी हैं।

श्री चोपड़ा द्वारा, उनकी सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की गयी है। अतः उनकी सेवा समाप्ति के औचित्य की स्थिति न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से ही स्पष्ट होगी। अन्य आरोपों के संबंध में जिलाधिकारी बरेली द्वारा जांच कराई जा रही है।

छाता शुगर मिल जिला मथुरा पर कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य

108–श्री सरदार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छाता शुगरमिल, छाता, जिला मथुरा द्वारा अभी कितने कृशकों का गन्ना मूल्य का भुगतान शेष है तथा इस शेष मूल्य का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

छाता चीनी मिल पर दिनाँक 31–7–83 तक कुल 120.27 लाख रु. गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है जिसमें से सीजन 1982–83 का 101.51 लाख रु. तथा 1981–82 का 18.76 लाख रु. बकाया है। कृषकों की संख्या शासन स्तर पर ज्ञात नहीं है।

अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु प्रभावी प्रयास किया जा रहा है। दिनाँक 5–9–83 को शासन द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 19 लाख रु. ऋण भी स्वीकृत किया गया है। आशा है कि शेष धनराशि का भुगतान भी शीघ्र कराना सम्भव हो सकेगा।

चकबन्दी विभाग, बस्ती में सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

109–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग में कुल कितने ए. सी. ओ. सी. ओ. एवं एस. ओ. सी. पद के अधिकारी ऐसे हैं जो

पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से बस्ती जनपद में कार्यरत हैं ? क्या इन्हें जिले के बाहर स्थानांतरित करने पर शासन विचार करेगा । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

चकबन्दी विभाग के अन्तर्गत जनपद बस्ती में कुल 10 सहायक चकबन्दी अधिकारी 4 चकबन्दी अधिकारी पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं । बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर कोई भी अधिकारी तीन वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं है । विभाग द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार जिन सहायक चकबन्दी अधिकारी का जिले में कार्यकाल 7 वर्ष से कम तथा चकबन्दी अधिकारियों का कार्यकाल 4 वर्ष से अधिक है उन्हीं का स्थानान्तरण किया गया है । श्री दिगम्बर सिंह जैन तथा रामजी लाल, सहायक चकबन्दी अधिकारी का कार्यकाल 7 वर्ष का है परन्तु ये दोनों सहायक चकबन्दी अधिकारी निलम्बित चल रहे थे अतः इनके स्थानांतरण के मामले पर विचार नहीं किया गया ।

स्वर्गीय श्री हरी सिंह, भूतपूर्व लेखपाल की विधवा को पारिवारिक पेंशन व अन्य देयों का भुगतान

110–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीसिंह, भू. पू. चकबन्दी लेखपाल, तहसील करछना, जिला इलाहाबाद की मृत्यु सेवाकल में ही दिनांक 21 अप्रैल, 71 को हुई थी ? यदि हां, तो उनकी विधवा को पारिवारिक पेंशन व अन्य देय अभी तक भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां । स्वर्गीय हरी सिंह, भूतपूर्व लेखपाल के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की कटौती नहीं की जाती थी । उनकी विधवा को पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी देय है जिसे सेवापुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण अब तक दिया नहीं जा सका । अब इसके संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

111–श्री छेदीलाल–

–[दिनांक 2-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 165 द्वारा उत्तरित]

न्यायालय एस० ओ० सी०, सुलतानपुर के फैसले पर अमल-दरामद सुनिश्चित किये बिना पत्रावली नष्ट किये जाने के विरूद्ध कार्यवाही

112–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें शुक्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपील सं. 418 के अन्तर्गत धारा 78 सी. एम. रूल्स दिनाँक 27-10 1956 न्यायालय एस. ओ. सी. सुलतानपुर के फैसले पर अमल दरामद सुनिश्चित किये बिना पत्रावली नष्ट किये जाने का क्या कारण है अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है ? क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगें ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

अपील पत्रावली संख्या 148 अंतर्गत धारा 78 सी. एच. रूल्स दिनांक 17-10-1956 न्यायालय एम. ओ. सी. सुल्तानपुर के फैसले की पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में पत्रावलियों के रख-रखाव के लिए निर्धारित समय के बाद नष्ट की गई। पत्रावली में अमलदरामद की आवश्यकता थी या नहीं यह पत्रावली के नष्ट हो जाने के कारण बताना संभव नहीं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में स्थित कथित भूखण्ड संख्या में अंकित नाम दर्ज किये जाने का आधार

113–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे शुक्र के प्रश्न सं. 117 के उत्तर के सँदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1360-62 फसली में च. अ. पत्र 6 में मुमताज पुत्र नवाब सादेह के बारे में क्या अंकित है तथा चकबन्दी प्रक्रिया में कोई समझौता हुआ है? यदि नहीं, तो मूल खातेदार का नाम खारिज करने का क्या औचित्य है?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

114–श्री हरी शंकर–

–[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-178 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर के कतिपय भूखण्डों में सब रजिस्ट्रार मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर द्वारा अनियमित एवं भ्रष्ट साधनों द्वारा बैनामा किये जाने के संबंध में शिकायती पत्र

115–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुफाफिर खाना, जिला सुलतानपुर पर दिनाँक 27-1-83 को गाटा सँ. 1142 तथा 1143, दिनाँक 31-1-83 को गाटा सँख्या 1156, 1183, 1193, 1128, 1135, 1139, 1141, 1157, 1181, 1182 तथा 1192 की सब रजिस्ट्रार मुसाफिरखाना, जिला सुलतानपुर द्वारा अनियमित एवं भ्रष्ट साधनों द्वारा 3 बैनामों के किए जाने के सम्बन्ध में दि. 6-3-83, 26-3-83 तथा 6-3-83 तथा 16-4-83 को क्रमश: जिलाधिकारी एवं निबन्धक महानिरीक्षक एवं आयुक्त स्टाम्प्स राजस्व उ. प्र. इलाहाबाद को शिकायती पत्र भेजा गया है? यदि हाँ, तो वह शिकायतें क्या हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

प्रश्नगत शिकायती पत्रों में से एक शिकायती पत्र दिनाँक 6-3-1983, जो निबंधन महानिरीक्षक एवं आयुक्त स्टाम्प तथा अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ. प्र., इलाहाबाद को सम्बोधित है, की प्रति प्राप्त हुई। इस पत्र में शिकायत की गई थी कि इन तीन बैनामों में जिसमें दो दिनाँक 27-1-1983 को तथा एक दिनाँक 31-1-83 को रजिस्ट्री किये गये, कम मालियत दिखायी गयी है व उन पर कम स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया।

इस शिकायत की जाँच की गई। जांच से विदित हुआ है कि स्टाम्प शुल्क नियमित एवं स्थानीय मूल्य सूची के अनुसार लिया गया है। शासन को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

गन्ना विकास विभाग में गन्ना विकास निरीक्षकों के रिक्त पद तथा पदोन्नति

116–श्री सरदार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग में गन्ना विकास निरीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों में से कितने पदों की भर्ती विभागीय पदोन्नतियों द्वारा पूर्ण की जानी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

गन्ना विकास निरीक्षकों के कुल 12 पद रिक्त हैं। नियमानुसार इनमें से 50 ·/. पद अर्थात् 6 पदों पर भर्ती विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा की जानी है।

बकायेदार गन्ना समितियों/चीनी मिल्स समितियों को उर्वरक कीट-नाशक क्रेडिट बेस पर देने की योजना

117–श्री सरदार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे। बकायेदार गन्ना समितियों/चीनी मिल समितियों को भविष्य में उर्वरक कीटनाशक क्रेडिट बेस पर देना बन्द कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्या शासन पुनः उर्वरक कीटनाशक क्रेडिट बेस पर देने की योजना पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी नहीं। गन्ना संघ ने बकायेदार गन्ना समितियों/चीनी मिल्स समितियों को उर्वरक/कीटनाशक की पूर्ति क्रेडिट बेस पर देना बन्द नहीं किया है।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है।

जनपद हरदोई के संग्रह विभाग में संग्रह अमीनों की नियुक्ति तथा स्थायीकरण

118–श्री हरगोविन्द वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि हरदोई जनपद के संग्रह विभाग में वर्ष 1979 में 49 संग्रह अमीन एक वर्ष के लिए नियुक्त किये गये थे उनका परिवीक्षाकाल समाप्त होने के पश्चात् उनमें से कितने अमीनो का स्थायीकरण किया गया ? शासन के द्वारा उ० प्र० संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 के अनुसार कोई परीक्षा ली गयी ? स्थाई किये गये कितने अमीन ऐसे हैं जिन्होंने कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की ? तदर्थ आधार पर उनकी नियुक्ति का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद हरदोई में वर्ष 1979 में संग्रह अमीनों की नयी नियुक्तियाँ नहीं की गयीं। 29 नवम्बर, 1979 को पुराने कार्यरत 49 संग्रह अमीनों को स्थायीकरण हेतु परिवीक्षाकाल पर रखा गया। परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर 21 अमीन, जो उत्तर प्रदेश क्लेक्शन

अमीन सेवा नियमावली, 1974 लागू होने के पूर्व कार्यरत थे, स्थायी किये गये । उक्त नियमावली के अन्तर्गत कोई परीक्षा नहीं ली गयी है, क्योंकि परीक्षा लिया जाना शासन द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है । अतएव किसी अमीन की परीक्षा में उत्तीर्ण होने न होने का प्रश्न नहीं उठता ।

नियमित नियुक्ति हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिये जाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण तदर्थ नियुक्तियाँ की गयी हैं ।

119–श्री रेवती रमण सिंह–

(3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

120–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न सँख्या-177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

स्व० श्री नंगू प्रसाद श्रीवास्तव, भू० पू० लेखपाल, जनपद खीरी की पारिवारिक पेंशन दिये जाने पर विचार तथा भूलेख अधिकारी, खीरी द्वारा दिया गया पत्र

121–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री नंगू प्रसाद श्रीवास्तव, भू० पू० लेखपाल, तहसील निघासन, जनपद खीरी की सेवाकाल में ही दिनाँक 30–1–65 को लम्बी बीमारी के पश्चात् मृत्यु हो गई थी ? यदि हाँ, तो क्या श्री नंगू प्रसाद श्रीवास्तव का बकाया ग्रेच्युटी फंड आदि का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ ।

श्री नंगू प्रसाद की अर्हकारी सेवा 20 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें पेंशन तथा ग्रेच्युटी देय नहीं है । इनके मामले में नियमों को शिथिल करने हेतु जिलाधिकारी/परिषद् से कतिपय सूचनायें उनकी पारिवारिक स्थिति के सम्बन्ध में मांगी गयी है जिनके प्राप्त होने पर यदि पूर्ण औचित्य पाया गया तभी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो सकेगी ।

122–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 28–6–82 को भूलेख अधिकारी, खीरी ने सचिव, राजस्व परिषद अनुभाग–14 लखनऊ को कोई पत्र श्रीमती श्यामा देवी की पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी, फंड आदि के भुगतान के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां ।

नियमानुसार स्वर्गीय श्री नंगू प्रसाद के परिवार को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं है । किन्तु नियमों को शिथिल करने हेतु परिषद/जिलाधिकारी से कतिपय सूचनायें माँगी गयी जिनके प्राप्त होने पर यदि पूर्ण औचित्य पाया जाता है तो उनको पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो सकेगी ।

विधायक श्री अकबर हुसैन द्वारा दिये गये पत्र में उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाने की शिकायत

123–श्री अकबर हुसैन–

क्या गन्ना विकास मंत्री को विदित है कि प्रश्नकर्ता ने माह अप्रैल, 83 में एक शिकायती पत्र इस संबंध में भेजा था कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सी. डी. आई. (मोहर सिंह) बिलारी, जनपद मुरादाबाद ने उसके विरुद्ध किसी जांच के संबंध में केन कमिश्नर को पत्र भेजा था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

चकबन्दी के दौरान बयालसी कालेज, जलालपुर हेतु सुरक्षित भूमि के गलत आवंटन के संबंध में कार्यवाही

124– श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर के ग्राम बराई में चकबन्दी के दौरान बयालसी कालेज, जलालपुर को लगभग आठ एकड़ भूमि सुरक्षित की गई थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त सुरक्षित भूमि का अधिकांश भाग उसी गांव के किसी काश्तकार को आवंटित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस अनियमितता को दूर कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां । कालेज के लिए पहले आरक्षित सम्पूर्ण भूमि को उपसंचालक चकबन्दी द्वारा निगरानी संख्या–66 व 67 में अपने आदेश दिनाँक 3–11–71 द्वारा उदयभान पुत्र पुरषोत्तम के चक में प्रदिष्ट कर दिया गया । उक्त निगरानी के फैसले को फर्जी बनाने के संबंध में कालेज की ओर से दिनांक 4-1-83 को उपसंचालक चकबन्दी/के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है जो अभी विचाराधीन है । उक्त निगरानी के निर्णय के पश्चात् ही यह पता चलेगा कि कोई दोषी है अथवा नहीं ।

बस्ती के डुमरिया गंज तहसील के भट्ठा मालिकों पर बकाया बिक्री-कर

125–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत डुमरियागंज तहसील में कुल कितने ईंट के भट्ठे वर्ष 1970 से आज तक चलाये जा रहे हैं तथा ईंट भट्ठा मालिकों से कुल कितने रुपये सेल्सटैक्स के वसूले गये तथा किन-किन लोगों पर कितनी धनराशि अभी भी बकाया है ? क्या सरकार बकाये धनराशि की वसूली के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

बस्ती जनपद के अन्तर्गत डुमरियागँज तहसील में वर्ष 70 से आज तक 101 ईट भट्ठे चलाये जा रहे हैं । ईंट भट्ठा मालिकों से कुल रु० 975737/–बिक्रीकर की

धनराशि वसूली गयी और 81 ईंट भट्ठा मालिकों पर विभिन्न वर्षों की रु० 1513994/- की बिक्रीकर की धनराशि बकाया है जिसकी सूची संलग्न है। 30 व्यापारियों पर अर्थ दण्ड की कार्यवाही की जा चुकी है, एक व्यापारी के विरुद्ध वारेन्ट/गिरफ्तारी जारी है तथा 7 बाकीदारों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही के लिये लेखपालों से इन्तखाब मांगें गये हैं। 18 बकायेदारों के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा बकाया जमा करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। अन्य कई मामलों की वसूली के लिये अमीनों को निर्देशित कर दिया गया है कि बकाया की वसूली की जाये।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 1551 पर।)

126–श्री अम्बिका सिंह–

–(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

ग्राम आसौपुर जनपद फैजाबाद की ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में श्री हरी राम हरिजन का प्रार्थना-पत्र

127–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेगे कि श्री हरीराम हरिजन ग्राम आसौपुर, थाना टाँडा फैजाबाद द्वारा रजिस्टर्ड डाक नम्बर 985 दिनांक 4-4-83 को पट्टे पर दी गयी भूमि तथा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा हटवाने संबंधी आवेदन पत्र राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आवेदन पत्र का पूर्ण विवरण क्या है ? उक्त मामले की जाँच किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गयी ? तथा जांच रिर्पोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां।

उस आवेदन पत्र में गाँव समाज की जमीन नम्बर–1732 रकबा 1112 खलिहान पर श्री शिव मूरत द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने की शिकायत की गयी थी। कब्जा हटवाने की प्रार्थना की गयी थी।

उक्त मामले की जांच पर्यवेक्षक कानूनगो, टांडा द्वारा दिनांक 16-6-83 को की गई तथा उन्होंने उक्त भूमि पर श्री शिव मूरत का अवैध कब्जा पाया। उपर्युक्त जांच के पूर्व ही लेखपाल ने श्री शिव मूरत के विरुद्ध धारा 122 बी जमीन्दारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार के न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसका मुकदमा तहसीलदार टाँडा के न्यायालय में विचाराधीन है।

राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट सुल्तानपुर में अभिलेखों के सुरक्षित न रखे जाने की शिकायत

128–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अभिलेखपाल कलेक्ट्रेट सुल्तानपुर में रखे अभिलेखों को सुरक्षित ढंग से नहीं रखा जाता है, जिससे कई महत्वपूर्ण अभिलेख गायब है तथा कई अभिलेखों के पृष्ठ फटे हुए एवं उनमें जालसाजी करने की

शिकायत है ? यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं । राजस्व अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट सुलतानपुर में रखे अभिलेखों को सुरक्षित ढंग से रखा जाता है । अभिलेखागार में कोई महत्वपूर्ण अभिलेख गायब नहीं हैं । कुछ पुराने अभिलेखों के पृष्ठ निरीक्षण अथवा नकल लिखने के लिए निकाले जाते समय फट गये हैं । कुछ अभिलेखों में जालसाजी करने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करयी गयी और पुलिस उनमें विस्तृत जांच कर रही है । कुछ मामलों में निरीक्षण कर्ताओं द्वारा कागज फाड़े जाने के मामले प्रकाश में आये, जिनमें भी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और कार्यवाही हो रही है । इन सभी मामलों में किसी राज्य कर्मचारी का हाथ होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

बस्ती की तहसील डुमरिया गंज में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों की सूची

129–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनाँक 20–4–83 को कोई पत्र तहसीलदार, डुमरियागंज, बस्ती को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों को दिये गये अनुदान की तहसील डुमरियागँज की सूची भेजने के लिए पत्र लिखा था ? और क्या परगनाधिकारी, डुमरियागँज ने भी अपने पत्र संख्या 3309 (2)/एस० टी० दिनाँक 10 जून, 83 को पुन: तुरन्त सूची उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा ? यदि हाँ, तो क्या परगनाधिकारी के इस पत्र के बाद सूची उपलब्ध कराई गयी ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ, पत्र दिनाँक 20–4–83 व 10–6–83 प्राप्त हुये थे और इस संदर्भ में संपूर्ण तहसीलों के गृह अनुदान वर्ष 82–83 में प्राप्तकर्ताओं की सूची माननीय विधायक दिनाँक 15–8–83 को जिला प्रशासन द्वारा दस्ती उपलब्ध करा दी गयी ।

मुरादाबाद कमिश्नरी के कार्यालय

130–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुरादाबाद को कमिश्नरी बनाने के बाद कितने और कार्यालय खोले जा चुके हैं और जो कार्यालय अभी तक नहीं खोले गये हैं उसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नायब तहसीलदार विलारी जनपद मुरादाबाद के आवास पर अनधिकृत कब्जा

131–श्री अकबर हुसैन–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार विलारी जनपद मुरादाबाद के आवास पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने सम्बन्धी श्री रियासत

हुसैन स० वि० स० का कोई पत्र दिनांक 30–12–82 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद/राजस्व परिषद से इस संबंध में जांच करायी गयी । नायब तहसीलदार बिलारी का भवन 11 5/8 डि० भूमि पर निर्मित है तथा भवन की बाउन्ड्री वाल के अन्दर 11 5/8 डि० भूमि को लेकर कुल 52 डि० घेर ली गयी थी । 11 5/8 डि० भूमि स्व० राजा किशन कुमार से इकरारनामें के अनुसार नि:शुल्क प्राप्त हुई तथा 6 4/5 डि० भूमि अन्य जमींदार से क्रय की गयी थी । 33 डि० भूमि, जो श्री रियासत हुसैन द्वारा नजूल की बतायी गयी है, उपलब्ध कागजात के अनुसार सरकार की भूमि नहीं है । केवल 6 4/5 डि० भूमि नजूल की है और प्रश्नगत भूमि पर किसी का अनाधिकृत कब्जा नहीं है ।

युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के आश्रितों को रोजगार

132–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22–2–1983 (जिसके पाने की स्वीकृति आपके पत्र संख्या एम/1803 सी० एम०-2/83 द्वारा दी गयी है) जिसमें युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों के आश्रितों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया है, मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हां । उक्त पत्र में एक शहीद सिपाही के छोटे भाई, श्री रमेन्द्रसिंह को, जिसने सखौती टांडा चीनी मिल में अस्थायी रूप से वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में कार्य किया था, सेवा में बनाये रखने की संस्तुति की गयी थी । आवश्यकता न रहने पर उस कर्मचारी की सेवायें वर्ष 1982 में समाप्त कर दी गयी । उक्त चीनी मिल का नवीनीकरण होने के फलस्वरूप कुछ अन्य कर्मचारी भी फालतू हो रहे हैं । अत: अभी अतिरिक्त नियुक्तियाँ किया जाना सम्भव नहीं है ।

मथुरा कलेक्ट्रेट के प्रांगण से छायादार वृक्षों का कटान

133–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा क्लेक्ट्री के प्राँगण में से छायादार वृक्षों को मई–जून, 1983 में कटवाया गया है ? यदि हां, तो वृक्षों को काटने के कारण एवं औचित्य क्या थे ? क्या शासन पुन: कटे हुए वृक्षों के स्थान पर नये छायादार वृक्ष लगवायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ ।

जनपद मुख्यालय पर श्रेणी "बी" के स्वीकृत कोषागार भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिका-

रियों द्वारा क्लेक्ट्रेट प्राँगण में कोषागार भवन निर्माण हेतु जिस भूखण्ड का तकनीकी जाँच के उपरान्त चयन किया गया, उसमें बड़े एवं छोटे वृक्ष थे। इसलिए इन वृक्षों को कटवाया गया।

जी हां। क्लेक्ट्रेट प्राँगण में उक्त चयनित भूखण्ड को छोड़कर दिनाँक 15–8–1983 को 45 छायादार वृक्षों के पौधे लगवाये जा चुके हैं तथा और भी वृक्ष लगवाने की योजना है।

तहसीलदार डुमरिया गंज जनपद बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

134–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत तहसीलदार के भ्रष्टाचार के सम्बंध में तथा गृह अनुदान एवं अन्य मामले की जाँच राजस्व परिषद् के अधिकारी श्री सुखदेव प्रसाद कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो डुमरियागंज में वह किस तारीख को जाँच करने गये और जाँच के दौरान कौन से तथ्य प्रकाश में आये और क्या उन्होंने जितने मामले उनको सौंपे गये थे, उनकी जाँच पूरी कर ली है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील डुमरिया गंज जनपद बस्ती के नव्बागंज क्षेत्र के चकबन्दी अधिकारी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र

135–श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनाँक 21–6–83 को अपने विधान मंडल कार्यालय के पत्र संख्या 1553/लो० द०/83 द्वारा एक विस्तृत पत्र तहसील डुमरियागंज जनपद बस्ती में नियुक्त नव्बागाँव के चकबन्दी अधिकारी के भ्रष्टाचार और स्थानान्तरण के संबंध में लिखा था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं ? यदि हां, तो अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती में नियुक्त नव्बागंज क्षेत्र के चकबन्दी अधिकारी श्री गिरजा प्रसाद सिंह का स्थानान्तरण जनपद बहराइच को निदेशालय के आदेश दिनांक 28 मई, 1983 द्वारा किया गया। श्री सिंह ने जनपद बस्ती से कार्यमुक्त होकर जनपद बहराइच में दिनाक 6-7-83 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रश्नकर्ता के प्रश्नगत पत्र में भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए चकबंदी अधिकारी नव्बागंज के स्थानान्तरण को न रोकने की कार्यवाही की गयी थी। चकबन्दी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं रोका गया। भ्रष्टाचार का आरोप सामान्य रूप से है तथा किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं है। अतः आरोप गम्भीर होने तथा उसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत रुदामऊ गौरा मार्ग के निर्माण हेतु अध्याप्ति भूमि की प्रतिकर सम्बन्धी शिकायतें

136–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत रूदामऊ गौरा के निर्मित मार्ग से संबंधित भूखण्डों का प्रतिकर किसानों को चुकता कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रतिकर भुगतान में अनेक अनियमितताओं संबन्धी शिकायतें भी की गई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत रूदामऊ गौरा मार्ग के निर्मित किये गये भूखण्डों का समस्त प्रतिकर उपलब्ध है। जो किसान प्रतिकर हेतु वितरण के के समय उपस्थित हुए उन्हें प्रतिकर भुगतान कर दिया गया जो उपस्थित नहीं थे उनका प्रतिकर अवशेष है। प्रतिकर भुगतान में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत भी विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

137–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि हरदोई की तहसील बिलग्राम के रूदामऊ गौरा मार्ग के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 793, 794 एवं 795 का प्रतिकर भुगतान उक्त भूखण्डों के स्वामियों अथवा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान को कर दिया गया है ? यदि हां, तो भुगतान किनको दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में रूदामऊ गौरा मार्ग के निर्माणार्थ अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रस्ताव में गाटा संख्या–793, 794 एवं 795 मार्ग से काफी दूरी पर स्थिति होने के कारण सम्मिलित नहीं किये गये थे। इस कारण प्रतिकर भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

संगीत सिनेमा मथुरा के लाइसेंस का नवीनीकरण

138–श्री मोहन सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि संगीत सिनेमा, मथुरा के लाइसेंस का कोई विवाद सिनेमा के वर्किंग पार्टनर्स के बीच चल रहा है, जिसमें जिलाधिकारी मथुरा, (श्री बृहस्पति शर्मा) ने अपने आदेश दिनांक 29–6–83 को श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल के पक्ष में उक्त सिनेमा का लाइसेंस जारी कर दिया ? (यदि हाँ, तो उक्त लाइसेंस को जारी करने का क्या कारण है जबकि श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल ने अपने 16–6–82 के प्रतिवेदन में जिलाधिकारी मथुरा, को इस बात का हलफनामा दे दिया था कि उक्त संगीत सिनेमा, मथुरा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है ? क्या उक्त लाइसेंस जारी करते समय पार्टनरशिप डीड की धारा 17 का अवलोकन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां !

जिलाधिकारी द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था। कारण का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा जो हलफनामा या अन्य संबंधित अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये गये थे उनको श्री अग्रवाल ने स्वयं नवम्बर, 1982 में वापस ले लिया था। जी नहीं।

क्योंकि पहले से ही लाइसेंस श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल के नाम जारी किया जाता रहा था एवं केवल नवीनीकरण किया जाना था तथा श्री अग्रवाल अपने द्वारा प्रस्तुत अभिलेखादि स्वयं वापस ले चुके थे और कोई नई पार्टनरशिप डीड आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

जनपद गोरखपुर के ग्राम पुरतौली में धोबीघाट एवं कृषि योग्य भूमि आवांटित किये जाने संबंधी पत्र

139–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ग्राम पुरसौली, परगना भौवापुर में धोबीघाट एवं कृषि योग्य भूमि आवंटित किए जाने से सम्बन्धित मुख्यमंत्री को संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12–2–81 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में बद्रीनारायण, उप सचिव के आ० शा० प० संख्या एम–150/1-2/81 (रा०)–राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 6 अप्रैल, 1981 के पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां।

श्री बद्री नारायण उप सचिव के संदर्भित पत्र के साथ भेजे गये शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है जांच आख्या प्रतीक्षित है।

ग्राम बाहर पुर तहसील मुसाफिर खाना (बस्ती) के खेवट संख्या २ के भूखण्डों की संख्या, उनके मालिकान तथा प्रतिकर का भुगतान

140–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुलतानपुर में वर्ष 1359 फ० (जमींदारी उन्मूलन) के समय खाता खेवट संख्या 2 आला के कितने मालिकान तथा कितने भूखण्ड है, प्रत्येक भूखंड का प्रतिकर मालिकान को किस दर से दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जमींदारी उन्मूलन से किन-किन मालिकान की कौन-कौन सी भूमि प्रतिबंधित नहीं हुई है और उसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर के खेवट आला के खाता सं०-2 आला पर नाम सर्व श्री 1-नूरूल हसन, वल्द अब्दुल वाहिद खां, कौम भाले सुल्तान सा० रसूलपुर निस्फ 2-मो० हसन खां वल्द करम शेर खाँ कौम भाले सुल्तान सा० बनझौलिया मजरा मरदानपुर निस्फ दर्ज है। इस खाते में कुल 34 भूखण्ड

हैं सभी भूखण्डों का प्रतिकर मालिकान को नियमानुसार कच्ची निकासी के 8 गुना की दर से दिया गया है। कोई भूमि प्रतिबन्धित नहीं हुई है।

जिलाधिकारी सुल्तानपुर को नकल खतौनी खसरा के सम्बन्ध में विधायक श्री जमुना प्रसाद व श्री सरदार सिंह के पत्र

141—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री जमुना प्रसाद एवं सरदार सिंह का पत्र दिनाँक 2—6—83 जो जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को नकल खतौनी, खसरा आदि के 20 प्रार्थना पत्र राजस्व लेखपाल, कलेक्ट्रेट, सुल्तानपुर में दिलाने हेतु भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वांछित नकलें आवेदकों को कब दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ।

श्री जमुना प्रसाद विधायक द्वारा अग्रसारित श्री करामतुल्लाह का खसरा खतौनी की नकल दिलाये जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में आवश्यक नकल प्रार्थी को दिनांक 3—8—83 को दे दी गयी है।

2—श्री सरदार सिंह द्वारा अग्रसारित श्री नूरुल हुदा के खसरा खतौनी की नकल दिलाये जाने के सम्बन्ध में 19 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 11 नकलें दिनाँक 12—8—83 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थी को भेज दी गयी। शेष 8 प्रार्थना-पत्रों में से 3 प्रार्थना-पत्र अपूर्ण होने तथा 5 प्रार्थना-पत्रों पर अपर्याप्त स्टाम्प होने के कारण प्रार्थी को वापस भेज दिये गये। 3 प्रार्थना-पत्र पूर्ण करके एवं एक प्रार्थना-पत्र का स्टाम्प पूर्ण करके 20—8—83 को प्रार्थी द्वारा पुनः उपलब्ध कराये गये जिसकी नकलें दिनांक 3—9—83 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थी को पुनः भेज दी गई।

शेष चार प्रार्थना-पत्रों पर स्टाम्प पूर्ण करके प्रार्थी द्वारा जिला मुख्यालय को अभी नहीं भेजा गया है।

ग्राम दौलतपुर तहसील मुसाफिर खाना (सुल्तानपुर) के कतिपय भूखण्डों के प्रतिकर का भुगतान

142—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर निसूहा परगना जगदीश पुर, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1359 फ. (जमींदारी उन्मूलन) में भूखण्ड संख्या 130, 131, 133—134, 158—316—326, 326/1—326/2—333-334, 445-567-847 का कोई प्रतिकर मालिकान को नहीं दिया गया है ? यदि दिया गया है तो किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम दौलतपुर निसूरा परगना जगदीशपुर तहसील मु. खाना जिला सुलतानपुर में वर्ष 1359 फ. में स्थिति भूखण्ड संख्या—130, 131, 133, 134, 158, 316, 326, 326/1

326/2, 333, 445, 567, 847 का प्रतिकर मालिकान को नियमानुसार कच्ची निकासी का आठ गुना की दर से दिया जा चुका है ।

गन्ना परिषद बिलारी जनपद मुरादाबाद द्वारा मार्ग निर्माण में धांधली संबंधी शिकायती पत्र

143–श्री अकबर हुसैन–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि गन्ना परिषद बिलारी, जनपद मुरादाबाद द्वारा मार्ग निर्माण में धांधली से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 16-6-83 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हाँ ।

शिकायत की जाँच करायी गयी । परन्तु उसमें लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । अत: किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी ।

ग्राम सभा रसूलपुर जिला सुल्तानपुर के भूमिहीनों को भूमि को आवंटन

144–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुलतानपुर का कुल कितना क्षेत्रफल है ? उक्त ग्राम में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनके पास कोई भूमि नहीं हैं और भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं क्या उनको भू-आंवटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर विकास खण्ड शुकुल बाजार का कुल क्षेत्रफल 858 एकड़ है । उक्त ग्राम में कोई ऐसा व्यक्ति खेतिहर मजदूर नहीं है जिसके पास भूमि न हो । गाँव में ऐसे लोगों की संख्या–21 है जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आते हैं । चूंकि आवन्टन के समय इनके पास कुछ भूमि थी इसके कारण इनके पक्ष में आवन्टन नहीं किया गया । इस समय गाँव चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है चकबन्दी की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् ही इन्हें उपलब्ध भूमि आवन्टित करने पर विचार किया जा सकेगा ।

ग्राम सभा रसूलपुर जिला सुलतान पुर के पट्टों को निरस्त करके पेड़ लगवाने पर विचार

145–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर विकास खण्ड शकुल बाजार सुलतानपुर में भू-आँवटन की गई कितनी ऐसी भूमि है जिस पर आज तक कोई काश्त नहीं की जा सकी है ? क्या सरकार भूमि के पट्टों को निरस्त करके उस पर पेड़ लगवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम सभा रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार में आवंटित कुल भूमि में से 13 बीघा 19 बिस्वा 7 धुर भूमि ऐसी है जिस पर आज तक कोई कास्त नहीं की जा सकी है। ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है। चकबन्दी क्रियाओं के समाप्त होने पर ही किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

तहसील व जनपद बदायूं के काश्तकारों की भूमि नौशेरा चीनी मिल द्वारा अधिग्रहण आश्रितों की सेवा में न लिये जाने के सम्बंध में शिकायती-पत्र

146–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के तहसील बदायूं के काश्तकारों ने कोई शिकायती पत्र मई 83 में शासन को (गन्ना मंत्री को) भेजा गया है, जिसमें यह शिकायत की गई है कि नौशेरा में चीनी मिल बनवाने के लिये उनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है और मिल में इनको स्थान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो शासन में उसने क्या कार्यवाही की है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हाँ। उपयुक्तता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर सम्बन्धित काश्तकारों अथवा उनके आश्रितों को मिल की सेवा में रखने में वरीयता दी गयी है। कुछ को स्थायी पदों पर तथा कुछ को सीजनल पदों पर रखा गया है। अभी कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनकी भूमि चीनी मिल के लिये ली गयी थी किन्तु उनको अथवा उनके आश्रितों को सेवा में नहीं लगाया जा सका है। आवश्यकता एवं उपयुक्ता के आधार पर उनको भी सेवा में लेने का प्रयास किया जा रहा है।

चकबंदी वाद पत्रावली सं० ३९७९ न मिलने के संबंध में कार्यवाही

147–श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 7वें शुक्रवार हेतु निर्धारित श्रीमती कमला साहनी द्वारा पूछे गये अता. प्र. सं. 8 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी वाद संख्या 3979 अब्दुल वहाब खाँ बनाम अब्दुल जब्बार खाँ (जिसमें वास्तव में वादी श्रीमती सफिया खातून एवं प्रतिवादी नवील अहमद खाँ आदि है) के पत्रावली की जो खोज की जा रही थी वह अब तक उपलब्ध हो पायी ? यदि नहीं, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

वाद पत्रावली सं. 3979 अब्दुल वहाब खाँ बनाम अब्दुल जब्बार खाँ एवं उससे संलग्न श्रीमती सुखिया खातून व मुहम्मद नवील अहमद खां वाद संख्या 3980, 3983, 3984, 3985, 3986, 3977, तथा 3978 थी की खोज की गई लेकिन पत्रावली नहीं मिली जिसके बाद पत्रावली को पुनः स्थापित किया गया। उक्त पत्रावलियों के खो जाने का उत्तरदायित्व श्री दीपचन्द यादव, न्यायालय लिपिक पर निर्धारित किया गया जिन्हें दंडित किया जा चुका है।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के नायब तहसीलदार श्री भूखन सिंह का स्थानांतरण

148–श्री सत्यपाल सिंह यादव–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर को तहसील तिलहर के नायब तहसीलदार (श्री भूखन सिंह) का स्थानान्तरण माह जुलाई, 1983 अथवा इसके आस पास बरेली जनपद के लिए हुआ था ? यदि हाँ, तो यह तहसील तिलहर से किस तिथि को कार्यभार मुक्त हुये थे तथा जनपद बरेली में किस तिथि को इन्होंने कार्यभार संभाला ? क्या यह सच है कि इनका परिवार आज भी तहसील तिलहर की बिल्डिग में रह रहा है तथा इन्होंने भी अपना मुख्यालय इसी तहसील में आज भी बना रखा है ? क्या शासन इनके विरुद्ध शासनादेशों की अवहेलना तथा बरेली जिला प्रशासन को धोखे में रखकर तहसील तिलहर में अपना मुख्यालय बनाए रखने के आरोप में दण्डित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ ।

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुपालन में मण्डलायुक्त के आदेश दिनांक 2–7–1983 के अन्तर्गत श्री भूखन सिंह का स्थानान्तरण नहीं बल्कि उनकी नियुक्ति जनपद बरेली में की गयी । श्री सिंह जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर से दिनांक 8–7–83 को कार्यमुक्त किये गये तथा उन्होंने दिनांक 9/7/83 को जनपद बरेली में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर उनकी तैनाती जनपद की तहसील फरीदपुर में की गयी और उन्होंने दिनांक 23/7/83 को उक्त तहसील में अपना कार्यभार ग्रहण किया ।

श्री सिंह का मुख्यालय तहसील तिलहर नहीं है । उनका परिवार दिनांक 15-8-83 को तहसील बिल्डिग खाली कर चुका है तथा उनका मुख्यालय जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर है । इस आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

सचिव, गन्ना विकास समिति, हाटा, जनपद देवरिया के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में शिकायती–पत्र व स्थानांतरण

149–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के सहकारी गन्ना विकास समिति, हाटा में प्रतिनियुक्ति पर विशेष गन्ना सचिव गत दो वर्षों से कार्यरत हैं जिनके भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यों के विरुद्ध आरोप पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष गन्ना सहकारी समिति, हाटा एवं देवरिया जनपद के विधान सभा के सदस्यों का दिनांक 18 अप्रैल, 83, 5–5–83 तथा 29–6–83 का प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो आरोप पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

सचिव गन्ना विकास समिति हाटा के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर समिति के सचिव का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा आरोपों की जांच करायी जा रही है ।

150–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि विशेष सचिव, गन्ना सहकारी समिति हाटा को समिति में घाटा एवं भ्रष्टाचार के आरोप पर दिनांक 28-8-82 को गन्ना विकास मंत्री ने तबादलों के आदेश दिये हैं। यदि हां, तो उक्त आदेश का अब तक पालन न करने का क्या कारण है ?

कुँवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

जी हां। इन आदेशों के अनुपालन में विशेष सचिव, सहकारी गन्ना समिति, हाटा का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

ग्राम सभा देवडीह, व ग्राम गोपाली पट्टी, जिला आजमगढ़ के निवासियों का ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

151–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 13 व 15 जून, 1983 जिसमें ग्राम सभा देवडीह, परगना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ के निवासियों, का ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा तथा ग्राम गोपालीपट्टी, तहसील फूलपुर जिला आजमगढ़ में डा० राम सिंह एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर श्री शमशेर तथा अन्य द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री लालता, ग्राम देवराई, तहसील व जिला वाराणसी द्वारा गांव सभा की जमीन पर अनधिकृत भवन निर्माण के संबंध में शिकायती–पत्र

152–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालता पुत्र जमुना, गांव देवराई, पो० कोल असला, तह० व जिला वाराणसी जबरदस्ती गांव सभा की जमीन में पक्का मकान बना रहा था तभी सभापति, गांव सभा देवराई श्री राजबली ने परगनाधिकारी उत्तर वाराणसी के यहां मार्च, 83 से लेकर 31 मई, 83 के बीच कई प्रार्थना पत्र गांव सभा की सम्पत्ति की रक्षा करने एवं लालता के खिलाफ कार्यवाही हेतु दिया था ? यदि हां, तो परगनाधिकारी, उत्तरी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बैजनाथ कुरील–

श्री लालता पुत्र जमुना ग्राम देवराई द्वारा गाव सभा देवराई की भूमि (बंजर नम्बर-712/2 डि० पर अनाधिकार कब्जा कर भवन निर्माण कर रहे थे। उक्त के सम्बन्ध में सभापति गांव देवराई श्री रामबली द्वारा मार्च, 1983 से लेकर 31 मई, 1983 के बीच केवल एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 11–5–83 दिया जाना पाया गया। जिस पर जाँचोपरान्त बेदखली की कार्यवाही की गई जो तहसीलदार वाराणसी के न्यायालय में वाद संख्या 790 सन् 83 में विचाराधीन है।

उप गन्ना आयुक्त, मेरठ मंडल (पश्चिमी क्षेत्र) के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में शिकायती–पत्र

153–श्री थम्मन सिंह गहलौत–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें गन्ना उपायुक्त, मेरठ मंडल (पश्चिमी क्षेत्र) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताएं करने तथा गलत यात्रा भत्ता लेने के संबध में फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 83 मेंकि तने शिकायती पत्र मिले ? उनमें उल्लिखित मुख्य - मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

माह फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 1983 में उप गन्ना आयुक्त, मेरठ मंडल (पश्चिमी क्षेत्र) के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमिततायें तथा गलत यात्रा भत्ता लेने से संबंधित कोई भी शिकायती पत्र में शासन में प्राप्त नहीं हुआ । उप गन्ना आयुक्त, मेरठ क्षेत्र के विरुद्ध एक फर्जी टी० ए० वसूल करने संबंधी एक शिकायत इससे पूर्व में प्राप्त हुई थी जिसकी प्रारम्भिक जाँच करायी गयी तथा जांच के आधार पर उप गन्ना आयुक्त मेरठ के विरुद्ध कार्यवाही का मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री रवि प्रकाश मिश्र, सैनिक, ग्राम धवरेपार, जिला बस्ती द्वारा ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किये जाने विषयक पत्र

154–श्री केशरी प्रसाद पान्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि युनिट कमांडिग आफिसर, ई० एस० ई०, पठानकोट द्वारा अग्रसारित श्री रवि प्रकाश मिश्र सैनिक, ग्राम धवरे पार, तहसील खलीलाबाद, निवासी जिला वस्ती का दिनांक 22 अक्तूबर, 1982 का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी बस्ती को प्राप्त हुआ था ? यदि हां तो उक्त सैनिक के नाम दरवाजे की आबादी जमीन व ताल में ग्राम समाज की जमीन का पट्टा किया गया ? यदि नहीं, तो कब तक पट्टा किया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां ।

श्री राम प्रकाश मिश्र एक सेवारत सैनिक हैं अत: वे नियमान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते फलस्वरूप उन्हें ग्राम समाज की भूमि का आवन्टन नहीं किया जा सकता ।

वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय अधीक्षक के पद का नया वेतनमान

155–श्री बनवारी राम–

क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग प्रतिवेदन खंड 2 भाग 2 के पृष्ठ 112 पर वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उ० प्र० के कार्यालय अधीक्षक के पद को नया वेतनमान 670–1070 प्रस्तावित किया गया था और शासकीय संकल्प में ऐसे समस्त पदों को वेतनमान रु० 625–1360 करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो शासकीय संकल्प के विरुद्ध वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय के कार्यालय अधीक्षक पद का

नया वेतनमान रु० 625–1360 के स्थान पर रु० 570–1100 किये जाने की जिम्मेदारी किस पर है और कब तक संशोधित करके रु० 625 से 1360 किया जावेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त–

यह सही है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग प्रतिवेदन खण्ड–2 भाग–2 के पृष्ठ 112 पर वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय उत्तर प्रदेश के कार्यालय अधीक्षक के पद का नया वेतनमान रु० 670–1070 अंकित है, परन्तु खेद है कि इसमें लिपिकीय त्रुटि हो गई है। वेतन आयोग के प्रतिवेदन खण्ड–2 भाग–1 के अध्याय 19 के प्रस्तर 19.63 में वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय के कार्यालय अधीक्षक के पद के सम्बन्ध में विशिष्ट संस्तुति के अनुसार उक्त पद के लिए वेतनमान रु० 622 से 940 संस्तुति किया गया है।

नये वेतनमान सम्बन्धी शासकीय आदेश जारी करते समय उक्त प्रस्तर 19.63 में की गई संस्तुति और शासकीय संकल्प दिनांक 29–9–81 के प्रस्तर–1 उप प्रस्तर (4) (ख) में लिये गये निर्णय के अनुसार निदेशालय के कार्यालय अधीक्षक पद के लिए वेतन आयोग द्वारा संस्तुति वेतनमान 622–940 के स्थान पर 570-1100 का नया वेतनमान स्वीकृत किया गया। उक्त पद के लिए रु० 570-1100 का नया वेतनमान देने का निर्णय शासकीय संकल्प पर आधारित है और इसे संशोधित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय के वित्त लेखा संवर्ग के दो पदों को समाप्त करके निः संवर्गीय सृजित किया गया पद

156–श्री बनवारी राम–

क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि पिछले कुछ वर्षों पहले वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उ० प्र० के वित्त लेखा संवर्ग के दो पदों को समाप्त करके एक पद निःसंवर्गीय सृजित किया गया और उस पर किसी निःसंवर्गीय अधिकारी को नियुक्त कर दिया जिसके कारण इस विभाग की प्रगति अवरुद्ध हो गयी और इसके कार्य कलापों में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न हो गया ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया गया था और इस व्यवस्था को कब तक समाप्त किया जावेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त–

निदेशालय के उप निदेशक एवं मैनेजर तथा उप निदेशक एवं प्रोग्रैमर के एक-एक पद को समाप्त करके वर्ष 1980 में विशेष कर्याधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन एवं मैनेजर वित्तीय सांख्यकी निदेशालय का एक निःसंवर्गीय पद सृजित किया गया। समाप्त किये गये पद अस्थाई थे और लेखा संवर्ग में सम्मिलित नहीं है। नव सृजित पद पर एक अनुभवी एवं योग्य अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। इस परिवर्तित व्यवस्था से निदेशालय के कार्य कलापों में प्रगति, कार्य में समन्वय स्थापित हुआ तथा राजकीय व्यय में मितव्ययता हुई है। अतएव इस व्यवस्था को समाप्त करने का प्रश्न नहीं है।

वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय में कम्प्यूटर लगाये जाने की व्यवस्था हेतु आदेश

157–श्री बनवारी राम–

क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उ० प्र० में कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव पिछले कुछ माह पूर्व इस आधार पर स्थगित किया गया था कि

विस्तृत लेखा शीर्षकवार लेखों का विधायन शासन के विचाराधीन है और निर्णय हो जाने पर जब यह सिद्ध हो जायें कि कितना बड़ा कम्प्यूटर आवश्यक होगा तभी क्रय का प्रस्ताव रखा जाये ? यदि हां, तो यह कब तक सिद्ध हो सकेगा कि इस निदेशालय के लिए कितना बड़ा कम्प्यूटर आवश्यक होगा ?

श्री ब्रह्मदत्त–

वित्तीय सांख्यकी निदेशालय में कम्प्यूटर लगाये जाने के मामले को कुछ माह पूर्व स्थगित नहीं किया गया बल्कि कम्प्यूटर लगाये जाने की व्यवस्था हेतु शासकीय स्वीकृत के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

ग्राम तुलसी चक, जनपद वाराणसी में सीलिंग की जमीन का अनियमित पट्टा

158–श्री बनवारी राम–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र भदोही के ग्राम तुलसी चक में दिसम्बर, 1979 में सीलिंग की जमीन का आवंटन हुआ था और हरिजनों तथा भूमिहीनों को आवंटन न करके अन्य व्यक्तियों को आवटन किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करा कर सही ढंग से पुनः आवंटन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र भदोही के अन्तर्गत स्थिति ग्राम तुलसी चक में दिसम्बर, 1979 ई० में सीलिंग भूमि का आवंटन हुआ था । आवंटन में कुल ४० व्यक्तियों को भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर तथा तत्कालीन परगनाधिकारी के जांचोपरान्त 16 बीघा, 15 विस्वा साढ़े आठ धूर का पट्टा हुआ था । जिसमें 16 हरिजनों को ८ बीघा 2 विस्वा साढ़े अठारह धूर तथा अन्य पिछड़ी जाति के 24 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 8 बीघा 12 बिस्वा 10 धूर का पट्टा हुआ ।

पट्टे के वैधानिकता के सम्बध में जांचोपरान्त मात्र एक व्यक्ति सर्वजीत पुत्र श्यामदेव यादव का पट्टा अनियमित पाया गया क्योंकि इनके पिता के नाम जौनपुर जिले के रामपुर ब्लाक में भूमि पायी गयी । अनियमित पट्टे के निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है जिसका वाद न्यायालय आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी के यहां लम्बित है ।

प्रदेश के कोषागार कार्यालयों में उपकोषाधिकारी के पदों पर आरक्षित कोटा की पूर्ति

159–श्री बनवारी राम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूरे प्रदेश के कोषागार कार्यालयों में कुल 57 उप कोषाधिकारी के पद हैं ? किन्तु इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों में से मात्र दो ही अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं, शेष पदों पर सामान्य जाति के अभ्यार्थियों की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की गयी है । यदि हां, तो क्या सरकार आरक्षित कोटा पूर्ण करने के आदेश देगी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

राज्य में उप कोषाधिकारी के कुल पदों की संख्या 52 है। उक्त 52 पदों में से 7 पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारी कार्यरत हैं। उप कोषाधिकारी के पदों पर पदोन्नति स्थायी कोषागार मुख्य लिपिकों में से ज्येष्टता के आधार पर, अनुपयुक्त को छोड़ते हुये, की जाती है। पदोन्नति हेतु पात्रता के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के अर्ह अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण उक्त वर्ग के लिये आरक्षित कोटा पूर्ण करना फिलहाल सम्भव नहीं हो पाया है।

जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील में विकास क्षेत्र भदोही को तहसील बनाने का विचार

160–श्री बनवारी राम–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील में विकास क्षेत्र भदोही को तहसील बनाने का मामला शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक तहसील घोषित हो जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

प्रदेश में तहसीलों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में तहसील पुनर्गठन समिति का गठन दिनांक 18 मई, 1982 को किया गया था। समिति का प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हो गया है, जिस पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायगा।

ग्राम सभा जमालपुर, जनपद आजमगढ़ के प्रधान के विरुद्ध जालसाजी का आरोप

161–श्री खैरुल बशर–

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा जमालपुर, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ की भूमि प्रबन्धक समिति की कार्यवाही पुस्तिका मास 5 दिसम्बर, 1982 के पांच पृष्टों व रसीद बही पर प्रधान ग्राम सभा द्वारा इन्क-रिमूवर का प्रयोग करने की घटना सम्बन्धित अधिकारियों की जानकारी में आई है ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हाँ।

पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 420/467/468/469 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अंकित करा दी गयी है तथा प्रधान को पद से पृथक किए जाने हेतु आरोप पत्र दिनांक 9 जून, 1983 को दिया गया है।

162–163–श्री मोहन सिंह–

–(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

गाजीपुर बलिया एकीकृत एजेन्सी को सरकार द्वारा दी गयी धनराशि तथा उनके खर्च एवं प्रगति का विवरण

164–श्री राम नारायण सिंह–

क्या मुख्यमन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर बलिया एकीकृत एजेंसी को विगत 5 वर्षों में कितनी धनराशि सरकार द्वारा विभिन्न मदों में दी गयी है तथा उनके खर्च एवं प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 1554 पर)

नायब तहसीलदार, मथुरा के विरुद्ध भूमिहीनों से रिश्वत लेने का आरोप

165–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि दिनांक 5-7-83 को सदर तहसील मथुरा में नायब तहसीलदार कोसी खुर्द को रंगे हाथों भूमिहीनों से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा दोषी व्यक्ति के साथ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां ।

श्री सुरेन्द्र पाल, लेखपाल के विरुद्ध ग्राम नेनूपट्टी के निवासियों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान दिनांक 5-7-83 को श्री रामकृष्ण गोयल, स्थानापन्न नायब तहसीलदार, मथुरा को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आगरा द्वारा श्री जुल्ले पुत्र नथ्थी निवासी ग्राम डोमपुरा से 400/– रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तथा थाना सदर बाजार में उनके विरुद्ध धारा 161 भा० द० वि० एवं 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया । जिला जज द्वारा उक्त नायब तहसीलदार को उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया गया । नायब तहसीलदार को जिलाधिकारी द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है ।

उ० प्र० राजकीय लाटरी के प्रथम पुरस्कार विजेता श्री कुन्दन सिंह नयाल, जिला नैनीताल द्वारा उपकार, लाटरी केन्द्र हल्द्वानी के विरुद्ध धोखाधड़ी की दर्ज रिपोर्ट

166–श्री जसवन्तसिंह बिष्ट–

क्या वित्त मन्त्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी के 5 फरवरी, 83 को सम्पन्न हुए ड्रा के टिकट नं० एफ० एक्स० 196899 में घोषित प्रथम पुरस्कार रुपया 7 लाख जो कि श्री कुन्दन सिंह नयाल पुत्र स्व० श्री माधव सिंह नयाल, ग्राम बौड़ खत्ता, पो० ओ० लालकुआँ, जिला नैनीताल के नाम पर निकला था, किन्तु श्री कुन्दन सिंह जी से उपकार लाटरी केन्द्र हल्द्वानी वालों ने धोखाधड़ी से उन्हें रुपया 850 देकर वास्तविक टिकट ले लिया, इस पर श्री कुन्दन सिंह द्वारा हल्द्वानी थाने में दि० 4-3-1983 को रपट दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

उ० प्र० राजकीय लाटरी के 5 फरवरी, 1983 को सम्पन्न 129 पाक्षिक ड्रा में टिकट संख्या एफ० एक्स०-196899 पर प्रथम पुरस्कार सात लाख रुपये का घोषित किया गया था । इस सम्बन्ध में श्री कुन्दन सिंह नयाल पुत्र स्वर्गीय श्री माधव सिंह नयाल ग्राम-बौड़ खत्ता, पो०आ० लालकुआँ, जिला नैनीताल ने दिनांक 4 मार्च, 1983 को पुलिस

थाना हल्द्वानी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया कि लाटरी एजेन्ट, उपकार लाटरी इम्पोरियम, कालाढूंगी चौराहा हल्द्वानी ने उनको धोखा देखर उक्त टिकट को रूपया 850/- में ले लिया, जिसके बारे में विवेचना की जा रही है।

यह प्रकरण अब सिविल जज नैनीताल के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय होने तक उपरोक्त टिकट पर घोषित पुरस्कार का भुगतान रोक दिया गया है।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के जनरल सेक्शन का निरीक्षण व आडिट

167–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मन्त्री बताने के कृपा करेंगे कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के जनरल सेक्शन का निरीक्षण व आडिट वर्ष 1980–81, 1981–82 व 1982-83 में हुआ है ? यदि हाँ, तो आडिट में पुरानी साइकिलें जमा हो जाने के पश्चात् भी खर्चा कटिंजेंसी मद में दिखाने तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को देने के लिए थैला बाजार भाव से तेज खरीदने पर आपत्ति की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

निरीक्षण तीन वर्षों में किये गये आडिट केवल वर्ष 81-82 में किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यप्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग की सेवा निवृति तथा दूसरा प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किये जाने की मांग

168–राम आसरे वर्मा–

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन जो वर्ष 1979–80 में सेवा निवृत्त होने को थे और जिनकी इस समय आयु लगभग 60 वर्ष हो चुकी है का क्या दो बार शासन द्वारा सेवा विस्तार स्वीकार किया जा चुका है और तीसरी बार भी सेवा विस्तार किये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी नहीं।

श्री गुप्ता को वित्त विभाग में संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त किया गया था। यह व्यवस्था 28 फरवरी, 1983 को समाप्त हो गई है।

169–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वित्त मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगें कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में श्री गुप्ता से योग्य कोई दूसरा प्रशासनिक अधिकारी नहीं है ? यदि नहीं, तो दूसरा प्रशासनिक अधिकारी कब तक नियुक्त कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र के स्टेट बैंक व सहकारी बैंक की शाखाओं में शासकीय धनराशि जमा करने की सुविधा पर विचार

170—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के व्यापक साधन न होने के कारण वहां की गरीब जनता को राजकीय कोष (ट्रेजरी) में धनराशि जमा करने के लिए अत्यधिक दूर जाना पड़ता है जिससे उन्हें अत्यधिक समय व धन की हानि होती है ? इन परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र में खुली सभी स्टेट बैंक व सहकारी बैंकों की शाखाओं में उपरोक्त धनराशि जमा करने की सुविधा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

शासन का यह ध्येय सदा रहा है कि अपने संसाधनों के अन्तर्गत सार्वजनिक धन की सुरक्षा और जनता की सुविधा को देखते हुए ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो। इस दृष्टिकोण से पर्वतीय क्षेत्र के स्टेट बैंक व सहकारी बैंक की सभी शाखाओं में शासकीय धनराशि जमा करने की सुविधा प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सरसवां निवासी श्री एन. के. सिंह को पुलिस सब इंस्पेक्टर तथा डकैतों द्वारा गायब किये जाने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 25 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मैंने 10 को स्वीकार किया है। और शेष को अस्वीकार किया है।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

महोदय, दिनांक 4-9-83 को सायंकाल 6 बजे जनपद इलाहाबाद के थाना पश्चिम शरीरा के अन्तर्गत ग्राम सरसवां के नवयुवक एन. के. सिंह को पुलिस चौकी टेंवा से सब-इन्सपेक्टर तथा कुख्यात कतली डकैत जवाहर त्रिपाठी तथा उसके साथी दुलारे पासी, पूरी कोरी, बच्चा चमार, श्लोक, ओंकार पाण्डेय, प्रेम नारायण निवासी सरसवां थाना पश्चिम शरीरा धावा बोलकर उसको घर से उठा ले गये तब से वह लापता है तथा उसकी पत्नी के साथ उक्त सहायक दरोगा ने बलात्कार करने की कोशिश की तो वह भाग निकली। ज्ञातव्य हो कि उक्त थानेदार ने श्री एन. के. सिंह से दस हजार रुपया देने को कहा, न देने पर इनकाउन्टर की धमकी दी। रुपया न देने पर श्री एन. के. सिंह के घर को जमकर लूटा और एक हजार रुपया नकदी समेत लगभग 50 हजार रुपये के कीमती आभूषण, बर्तन, करधनी, को उठा ले गये। चौतरफा चर्चा है कि श्री एन. के. सिंह को पुलिस ने मारकर यमुना नदी में फेंक दिया है। ऐसी दशा में शासन का ध्यान उक्त शर्मनाक घटना की ओर दिलाते हुए सी. आई. डी. द्वारा अविलम्ब जाँच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास खण्ड वल्दीराय जिला सुल्तानपुर में आई. आर. डी. स्कीम के अन्तर्गत वितरित धनराशि में गोलमाल के संबंध में नियम ३०१ के अर्न्गतत सूचना

श्री मित्रसेन–

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, जनपद सुलतानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बल्दी राय में स्थिति ग्राम दुर्गापुर, जरई-कलां, सोराव, मकदूमपुर, नरसडा आदि दर्जनों गांवों में रहने वाले निर्बल एवं हरिजन वर्ग के पात्र व्यक्तियों के नाम पर आर्थिक रूप से सम्पन्न और सक्षम तथा समर्थ लोगों को आई० आर० डी० स्कीम का अनुचित लाभ उठाने की छूट दी गयी। वर्ष 1931-82 और 82-83 में लाखों रुपये के अनुदान कुपात्रों को देकर पात्र व्यक्तियों को फंसाया गया है जिससे अब उनको अवशेष धन की अदायगी करनी पड़ रही है और फर्जी अनुदान के नाम पर कर्ज की जबरिया वसूली की जा रही है। इस भारी पैमाने पर हेराफेरी और गोलमाल से गलत अनुदान वितरण की वसूली पर ग्रामीण लोगों में गहरा असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल जाँच एवं वक्तव्य की शासन से मांग करता हूं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी संघ द्वारा धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय अध्यक्ष, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न की सूचना नियम 301 के अन्तर्गत दे रहा हूं–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी संघ के महामंत्री ने 22 जुलाई, 1983 को अपनी 17 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री को दिया था, परन्तु आज लगभग दो माह के बाद भी उस पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के लगभग 30 हजार परिषदीय कर्मचारी संघर्ष के पथ पर खड़े हैं। 8-9-83 से उन्होंने धरना शुरू कर दिया है और 50 जिलों में काम पूर्णतया ठप्प है। इसका असर बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों का वेतन भुगतान तथा अन्य कार्य न होने के कारण स्थिति गम्भीर हो गयी है। अतः शासन से निवेदन है कि इस अविलम्बनीय प्रश्न पर तुरन्त ध्यान दें जिससे स्थिति बद से बदतर न हो जाये।

नेशनल कार्बेट पार्क के टाइगर प्रोजेक्ट के अन्दर आने वाले ग्रामों में जंगली पशुओं से क्षति तथा पुनर्वासन की मांग के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

अध्यक्ष महोदय, नेशनल कार्बेट पार्क के टाइगर प्रोजेक्ट के अन्दर धारा, झिरना कोठीरो तीन ग्राम हैं जिनकी तहसील कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल थाना जसपुर, नैनीताल एवं पोस्ट आफिस कल्लूवाला जिला बिजनौर में पड़ता है।

कालागढ़-रामनगर रोड पर स्थित इन तीनों ग्रामों की नाप जमीन के अलावा सारी भूमि टाइगर प्रोजेक्ट के अन्दर आ गयी है जिससे इनके पालतू पशुओं के चरान,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुगान पर प्रतिबंन्ध लग गया है। सन् 1968 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना पर इन ग्रामों को पुनर्वासित करने की योजना बनायी गयी थी। जिसके लिये जिला नैनीताल में रामनगर काशीपुर रोड पर आम पोखरा एवं मानपुर-फिरोजपुर स्थान चुने गये थे परन्तु अभी तक इन ग्रामों को पुनर्वासित नहीं किया गया है और तब से इन ग्रामों में पुनर्वासन की वजह से सारे विकास कार्य रोक दिये गये हैं नेशनल पार्क के हिंसक हाथियों एवं बाघों द्वारा इन ग्रामों के 10 आदमियों एवं सैकड़ों पालतू जानवरों को मार दिया गया है, इनकी फसलों को भारी क्षति पहुंचाई जाती है तथा इन लोगों को निरन्तर जान माल का गम्भीर खतरा बना हुआ है। पुनर्वासन में अत्यधिक विलम्ब से इन लोगों में घोर असन्तोष, असुरक्षा एवं निराशा व्याप्त हो गयी है तथा भयंकर आक्रोश उत्पन्न हो गया है।

अतएव मैं लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय वन मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इन ग्रामों के पुनर्वासन की व्यवस्था शीघ्र की जाय।

जिला आजमगढ़ के थाना अतरौलिया अन्तर्गत ग्राम मीरपुर में कुछ सामन्तों द्वारा हरिजनों की पिटाई के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री लालसा–

माननीय अध्यक्ष जी, जिला आजमगढ़ थाना अतरौलिया के अन्तर्गत ग्राम-मीरपुर में आये दिन कुछ सामन्ती लोगों द्वारा निर्धन एवं असहाय हरिजन मजदूरों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जा रहा है।

दिनांक 21-8-83 को मीरपुर के निवासी श्री चुल्हुर सिंह व मुल्हुर सिंह पुत्रगण रामदौर ने उसी गांव के निवासी सुखराज हरिजन तथा उसकी पत्नी रमदेई को बकाया मजदूरी मांगने पर बुरी तरह से मारा पीटा जिससे रमदेई का बांया हाथ टूट गया। जिसका डाक्टरी मुआयना भी हुआ है। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिये सुखराज तथा उसकी पत्नी रमदेई घायल अवस्था में जब थाने में गये तो थाना इंचार्ज ने उन्हें बहुत फटकारा तथा साथ में गये माखनराम कांग्रेस (ई) के हरिजन कार्यकर्ता को भी अपमानित किया और गाली देते हुये थाने से भगा दिया और धमकी दिया कि तुम्हें ठीक कर दूंगा। थाना इंचार्ज ने जुर्म छिपाने की नीयत से एक साधारण सी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दिया।

उक्त घटना से थाना इंचार्ज श्री महेन्द्र राय के इस प्रकार के दुर्व्यवहार, निष्क्रियता, पक्षपात एवं उदासीनता से पीड़ित जनता में बड़ा भय आतंक एवं असन्तोष का वातावरण छाया हुआ है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए न्याय हेतु अविलम्ब उचित कार्यवाही की माँग करता हूं।

ग्राम हाजीपुर सलइया, जिला जालौन में कुछ चकदारों को उनके चकों का कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री भीखा लाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

[श्री भीखा लाल–]

ग्राम हाजीपुर सलइया परगना कालपी जिला जालौन में चकबन्दी की क्रिया 1980–81 में समाप्त हो गयी थी। अब कोई मुकदमा अथवा अपील विचाराधीन नहीं है। जून सन् 1983 में गांव के लगभग चौथाई चकदारों को नये चकों की पैमाइश करके कब्जा दे दिया गया लेकिन बाकी को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप जिन काश्तकारों की जमीनें दूसरों के चकों में चली गई और उनको अपने चकों पर कब्जा नहीं मिला वे बिना भूमि के हो गये। इसके अतिरिक्त गांव के हरिजनों को सीलिंग से प्राप्त भूमि के पट्टे किये गये थे, लेकिन चकों की पैमाइश न होने से उनको भी आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करके तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

बस्ती जनपद के ग्राम सेवरा निवासी श्री राम सुमेर सिंह की हत्या पुलिस साजिश से किये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाँडेय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद के थाना छावनी के ग्राम सेवरा लाला के प्रधान श्री राम सुमेर सिंह की हत्या तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री राम आधार की राय साजिश से असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 21/22-7-83 की रात लगभग 10 बजे निर्मम ढंग से कर दी गई थी। इस सन्दर्भ में उनके भाई प्रधानाचार्य छावनी द्वारा प्रस्तुत प्रथम रिपोर्ट भी स्थानीय पुलिस ने नहीं दर्ज की है। हत्या के पूर्व प्रधानाचार्य की बन्दूक भी अवैध ढंग से जमा करा लिया गया। चूंकि प्रधानाचार्य हाई स्कूल छावनी ने थानाध्यक्ष राम आधार राय के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न अवसरों पर आरोप लगाये गये हैं जिससे चिढ़ कर थानाध्यक्ष श्री राम आधार राय प्रधानाचार्य के सम्पूर्ण परिवार की हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं।

जिससे संपूर्ण क्षेत्र में आतंक का वातावरण पैदा हो गया है उपरोक्त हत्या के भी मुकदमे को यह समाप्त करना चाहते हैं। जनपद के सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों में रोष व्याप्त हो गया है। कभी भी गंभीर घटना हो सकती है।

अतः मांग करता हूं कि हत्या के मुकदमें की जांच सी० आई० डी० से कराने की तथा प्रधानाचार्य की सुरक्षा कराने का कष्ट करें।

नोएडा काम्पलेक्स गाजियाबाद के औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले भूखण्डों एवं रोड़ों की ऋण की वसूली में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुवीर सिंह यादव–

मान्यवर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एव कमजोर बर्ग को नोएडा कांपलैक्स गाजियाबाद के औद्यागिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिये जाने वाले भू-खण्डों एवं निर्मित शेडों के ऋण की किस्तों की वसूली में की जाने वाली घनघोर अनियमितता की ओर सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन है कि सरकार तत्काल प्रभावी दखल देकर 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सुविधा प्रदान करने की कार्यवाही करे ।

नोएडा अथारिटी द्वारा किस्तों में चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जा रहा है जो इस प्रकार मूल लागत से चक्रवृद्धि ब्याज सहित दुगुनी हो गयी है तथा शासकीय योजना की मूल भावना नष्ट हो रही है । योजना असफलता के कगार पर आ पहुंची है क्योंकि दो गुनी कीमत की किस्तों की अदायगी न हो सकने के कारण प्लाट एंव शेड निरस्त किये जा रहे हैं ।

सुविधा प्रदत्त समानता के सिद्धान्त पर प्रभावी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 20 सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत हरिजनों को विशेष सुविधा प्रदान करना है किन्तु नोएडा अथारिटी ने इस विषय पर मनमाना रवैया अपना रखा है ।

अतएव तुरन्त सरकार द्वारा दखल करके चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली की समाप्ति तथा न्यूनतम ब्याज की दर की नियम लागू करने का पूर्ण औचित्य है । ताकि योजना की मूल भावना के अनुपालन में हरिजन वर्ग को उत्थान के समान अवसर बने रहे ।

प्रदेश के अनेक भागों में पैरेथीनियम पौधों के प्रकोप से उत्पन्न स्थति के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, राज्य के अनेक भागों में कुछ वर्षों से सफेद फूलों व लम्बी डंठल वाली एक विषाक्त पौधा पैरेथीनियम भयंकर गति से फैलने लगा है । बच्चों तथा महिलाओं पर इसका कुप्रभाव कम होता है । वयस्क पुरूषों के शरीर में इसके छूने मात्र से खुजली व जलन होने लगती है । फोडे भी होते हैं । पलकें सूजने लगती हैं, गर्दन व बदन के जोड़ों में दर्द पैदा होता है और चेहरा विकृत हो जाता है ।

इस पौधे को पशु भी नहीं खाते । खाने पर उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है जिसमें मौत भी हो सकती है । प्रदेश में अनेक लोग रोग ग्रसित हो रहे हैं ।

पी० एल० 480 के गेहूं के साथ पैरेथीनियम बीज भारत आये । सर्व प्रथम पूना में 1955 में यह दिखाई दिया । अब देश और प्रदेश में व्याप्त होता जा रहा है । इसके बीजों के विषाक्त होने के प्रमाण नहीं हैं । भारत की आत्मनिर्भरता की नीति को प्रभावित करने के लिए पैरेथीनियम के बीजों का भारत भेजा जाना एक सुनियोजित षडयन्त्र है । राज्य के वैज्ञानिक चुप हैं । श्रीमान के माध्यम से शासन से माँग करता हूं पैरेथीनियम का उन्मूलन करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जांय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देवबन्द जनपद सहारनपुर में श्री मितरू की हत्या तथा हत्यारों को पकड़े न जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद सहारनपुर के कस्बा देवबन्द में मितरू पुत्र हर ध्यान मोहल्ला कायस्थबाड़ा की कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा षड़यन्त्र रचकर दिनॉक 3-8-81 को सितांव सिंह के घर पर हत्या कर दी गयी। देर से मिली सूचना के अनुसार निश्चित जानकारी है कि सितांव सिंह द्वारा मितरू की जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया गया है। जिसके कारण यह हत्या हुई है। इसकी रपट 9-8-81 को मितरू के लड़के ने भी मंगल सेन थाना देवबन्द में दर्ज करायी लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण मितरू के हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकीं। वस्तुतः मितरू की पत्नी ने भी अपना दम तोड़ दिया। इससे क्षेत्रीय जनता में भय, आतंक एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया तथा मितरू के चार नाबालिग बच्चे मारे-मारे भीख मांगते फिर रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि सितांव सिंह को तुरन्त गिरफ्तार कर मामले की जांच सी० आई० डी० से करायी जाय ताकि मितरू के शेष हत्यारों पर कार्यवाही हो।

बस्ती व फैजाबाद में कतिपय व्यक्तियों द्वारा हरिजन होने का जाली प्रमाण पत्र देने, स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बावजूद प्रदेश की लैब टेक्नीशियन्स की मांगे न पूरी किये जाने, विधान सभा में लम्बित कार्य समाप्त किये बिना सब की समाप्ति व १० दिनों के उपवेशन न होने तथा खादी आश्रम गोरखपुर की लूट के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न

श्री मित्र सेन–

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि बस्ती और फैजाबाद में हरिजन होने का फर्जी प्रमाणपत्र लेकर हजारों लोगों ने पिछले वर्ष इजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, सरकारी नौकरियों और स्कूलों में नौकरियां प्राप्त की हैं, और कर रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इस मामले को पिछले सत्र में सदन में उठाया गया था और श्री अम्मार रिजवी साहब ने आश्वासन दिया था कि इसकी जाँच करायी जायेगी और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जायेगी। तमाम लोग दोषी साबित हो चुके हैं परन्तु उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है और न कोई कार्यवाही की गयी है। इस मामले को लेकर फैजाबाद में भूतपूर्व विधायक श्री रवीन्द्र तिवारी अनशन पर बैठे हैं। सरकार को सारी सूचना भेजी गयी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मन्त्री के आश्वासन देने के बाद जब वह इस काम को नहीं कर सकते है तो सरकार क्या कर सकती है। मान्ववर, इतनी सूचनायें प्राप्त होने के बाद अब भी फर्जी प्रमाण पत्र हरिजन होने के दिये जा रहे हैं। हमारे सदन के विधायक भी कुछ लोगों को हरिजन मानकर फर्जी प्रमाण पत्र देकर स्कूलों में फीस लोग माफ करा रहे हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या फर्जी प्रमाण पत्र हरिजनों का देकर हरिजनों के आरक्षित पदों को लाभ दूसरे लोग कब तक लेते रहेंगें और सरकार चुप बैठी रहेगी !

श्री बलबीर सिंह–

मान्यवर, मेरी भी सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

आप तलाशने के बावजूद नहीं मिले और अब हम दूसरे आइटम पर आ गये हैं, इसलिये आप बैठ जांय।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जिस समय पिछले सत्र में यह बात आयी थी, तो कहा था कि जैसे ही अधिकारियों के संज्ञान में बात आयी और विधायकों ने भी कहा, तौ वैसे ही इसको रोकने की कार्यवाही की गयी और जिनको ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र मिल गये थे और नौकरी पा गये थे तो उनके अधिकारियों को लिखा गया कि उनके प्रमाण पत्र ठीक नहीं हैं, और उनके खिलाफ कार्यवाही करें, और कार्यवाही की गयी तो श्री राघव चन्द्र और श्री अरुण कुमार गुप्ता ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दिया, शासन ने उसका विरोध किया है, मामला सब–जूडिस है और जैसे ही न्यायालय का निर्णय होगा शासन उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही करेगा। मान्यवर, इन्होंने स्वयं माना कि कुछ जन-प्रतिनिधियों ने भी सर्टिफिकेट दिये हैं, तो सारे मामले की छानबीन करके न्यायालय के फैसले के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर मैं जो औचित्य के प्रश्न के रूप में बात कहना चाहता हूं वह बात बड़े महत्व की है। मान्यवर, इस सदन के सामने लैबटेक्नीशियन और फार्मेशिस्ट कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। मैं उनकी माँगों के बारे में नहीं जाना चाहता हूं जिनको शासन जानता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसका सम्बन्ध हमारे सदन से है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने लैब-टेक्नीशियन के बारे में यहाँ घोषणा किया कि उनके संवर्ग का एकीकरण कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा]

दिया जायेगा । निदेशक स्तर से सचिव के पास संस्तुति भेजी गयी कि एकीकरण कर दिया जाये, लेकिन नौकरशाही अपने यहाँ उनकी फाइलों में दबाये बैठी है । जिसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि यह लोग अनशन पर हैं । मान्यवर, कई बार फार्मेशिस्टों के बारे में मा० मन्त्री जी ने यहां घोषणा की ।

मन्त्री जी के यहां 1980–81 में मीटिंगें हुई थीं और जो उसमें निर्णय लिये गये उनकी यहां सदन में घोषणा किया, लेकिन नौकरशाही के निकम्मेपन से वह निर्णय रद्दी की टोकरी में चले गये । इसलिये लैब-टेक्नीशियन और फार्मेशिष्ट आज कई दिनों से हड़ताल पर हैं और जो चिकित्सा सुविधायें जनता को मिलनी चाहिये वह हड़ताल के कारण प्रभावित हो रही हैं, और जनता को परेशानी हो रही है । इसलिये मैं जानना चाहता हू कि यदि नौकरशाही को मंत्री जी द्वारा सदन में घोषित नीतियों के खिलाफ चलने का अधिकार मिला है तो इसको शासन स्पष्ट बताये !

जब विधान सभा में माननीय मंत्री जी द्वारा घोषणा कर दी गयी, और उसका पालन नहीं होता है तो विधान सभा की मर्यादा को भी धक्का पहुंचता है । जनता में विधान सभा के बारे में यह छाप बनी हुई है कि एक बार यदि विधान सभा में किसी बात की घोषणा कर दी जाती है तो वह काम अवश्य पूरा होता है और उसे ऐसा समझा जाता है कि मोहर लग गयी है । अब उल्टा हो रहा है । सदन के सामने घोषणा कर दी जाती है, लेकिन उसका कार्यान्वियन नहीं होता । अतः मैं मांग करता हूं कि शासन की ओर से इन दोनों के बारे में स्पष्ट अपनी नीति की घोषणा करनी चाहिये और इस पर भी प्रकाश डालना चाहिये कि वे किस प्रकार से नौकरशाही पर उसके नंगे नाच पर रोक लगायेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी–

अध्यक्ष जी इस सम्वर्ग के लोग हड़ताल कर रहे थे । फार्मेसिस्टों की 17 मांगे थीं और इन लोगों ने अपना चार्टर आफ डिमान्ड माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया 3-4-83 को, और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग बना दी इसके परीक्षण के लिये । वित्त सचिव की अध्यक्षता में वह बनी । उनकी वेतन मान संबंधी भी मांग थी । यह तय हुआ था कि यह समिति अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री को देगी और माननीय मुख्य मंत्री का निर्णय अंतिम होगा । यह रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी को पेश कर दी गयी है वह विचाराधीन है ।

दूसरा लैब टैक्नीशियन्स का है इनकी भी 13 मांगे थीं । मुख्य मांग इनकी भी पेस्केल के बारे में है । एक मांग इस संवर्ग की अलग किये जाने के बारे में भी है । आप स्वयं जानते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है । अगर हर संवर्ग अपना-अपना वेतन रिवाइज करने की मांग उठाने लगेगा तो बहुत मुश्किल आ जायेगी । फिर भी इनकी मांगों पर भी वित्त विभाग विचार कर रहा है । इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता है । पेस्केल रिवाइज करने के बारे में इस वक्त वित्तीय स्थिति को देखते हुये यह सम्भव नहीं है कि फिर से यह चैप्टर शुरु किया जाये पे कमीशन की सिफारिश के बाद ।

श्री भीखा लाल–

मैं एक महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वह आपकी मर्यादा से संबंधित है। इस विधान सभा की मर्यादा से संबंधित है। इस विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की मर्यादा से संबंधित है। कल कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में शासन की ओर से यह स्पष्ट संकेत दिया गया था कि विधान सभा 12 तारीख के बाद नहीं बैठेगी। पहली सितम्बर से यह सदन बैठा और 12 को समाप्त हो जायेगा। केवल 8 सिटिंग हो पायीं। इस सत्र के लिये आपके द्वारा नियम 103 की 9 सूचनायें चर्चा के लिये स्वीकार की गयी थीं। नियम 52 के अन्तर्गत भी 9 सूचनायें चर्चा के लिये स्वीकार की गयी थीं। 103 वाली जिसको नियम 52 के अन्तर्गत आपने लिया है, केवल एक सूचना 12 तारीख को आ पायेगी। बाकी 8 पर चर्चा नहीं होगी। नियम 52 की 9 सूचनाओं में से केवल 5 पर चर्चा हो सकी है, शेष पर बाकी है। यह सरकार सदन को 12 तारीख के बाद नहीं चलाना चाहती। यह आपके निर्णयों का उल्लंघन है आपका अनादर है इस प्रक्रिया नियमावली का उल्लंघन है क्योंकि उक्त विषयों पर चर्चा नहीं हो सकेगी।

इसी प्रकार आपने स्वीकार किया था कि 4 प्रतिवेदनों पर, अनुसूचित जाति और जन जाति संबंधी प्रतिवेदन पर, आश्वासन समिति के प्रतिवेदन पर, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के प्रतिवेदन पर, और नियम समिति के प्रतिवेदन पर नियम 216 (4) के अन्तर्गत चर्चा होगी। मान्यवर यह समितियां इस विधान सभा ने बनाई है, ताकि यह समितियां कार्यपालिका और निगमों पर उचित नियन्त्रण रख सकें। जब वह प्रतिवेदन देती हैं तो उन पर इस सदन में बहस हो, ताकि यह सदन इस नियन्त्रण को मजबूत कर सके। लेकिन अबतक इनमें से किसी भी प्रतिवेदन पर बहस नहीं हो सकी है और न 12 तारीख तक हो सकेगी। तो इस प्रकार मान्यवर, यह सरकार आपके विनिश्चयों का उल्लंघन करके आपका अनादर कर रही है और इस सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियमों का खुला उल्लंघन कर रही है।

इसी प्रकार से नियम 14 दिया है, उसमें भी यह है कि वर्ष में विधान सभा के तीन सत्र होने चाहिए और 90 दिनों का उपवेशन होना चाहिए। लेकिन आप देखें बजट सत्र केवल 40 दिनों चला, यह मौजूदा सत्र 8 दिन चला। इस प्रकार केवल 48 दिन के 2 सत्र अभी तक हुए हैं। यदि तीसरा सत्र माननीय मंत्री जी बुलाएं भी, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन हमें उसकी कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती हैं। अक्टूबर में जिला परिषदों के चुनाव हैं, उसके बाद

[श्री भीखा लाल–]

नोटीफाईड एरिया के चुनाव हैं, दिसम्बर मास में महापालिकाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे। इस प्रकार अब शरद कालीन सत्र चलने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती है, और यदि किसी तरह चलायेंगे भी तो 42 दिन का वह उपवेशन नहीं हो पाएगा। पिछले वर्ष भी सरकार ने इसे पूरा नहीं किया था। तो इस पर औचित्य का प्रश्न उठाया गया था और मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था तो आपने उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि नियमों का पालन होना चाहिए-तीन सत्र होने चाहिए और 90 दिन के उपवेशन होने चाहिए, लेकिन वह बराबर आपके निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और आपका निरादर कर रहे हैं। इस प्रकार वह पूरे सदन और संसदीय परम्पराओं की भी उपेक्षा कर रहे हैं। सदन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि पाँच महीने बाद यह सदन बुलाया गया तो फिर यह इतने कम दिनों का क्यों ?

प्रदेश में आज हालत बड़ी खराब है नामी वकीलों के अपहरण हो रहें हैं, विधायकों पर गोली चलती है, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है, जिन पर तमाम प्रश्न यहाँ उठते हैं। जब इतने दिनों बाद सदन होता है तो उसके सम्बन्ध में बहुत सी समस्याएं इकट्ठा हो जाती है, जिनके लिए हम लोग जोरदार तरीके से यहाँ माँग रखना चाहते हैं, हमारे ऊपर इसके लिए जनता का दबाव पड़ता है। आप नियमों से बंधे हैं, केवल एक-दो को सुनने का मौका देते हैं और इसके फलस्वरूप होता यह है कि माननीय सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं। वे जानबूझ कर आपकी उपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन केवल उत्तेजनावश आपके निर्देशों का उल्लंघन करते हैं और उत्तेजनावश ही कभी-कभी सदन के बीच में आ जाते हैं।

इस बार तीन अवसर ऐसे आए कि आपको विवश होकर विधान सभा को तीन बार स्थगित करना पड़ा और आपको विवश होकर ही कुछ अप्रिय निर्णय लेने पड़े, संसदीय कार्य मंत्री को उनके निलम्बन के प्रस्ताव करने पड़े और आपने सदन से उनको निष्कासित किया। ऐसी स्थिति मौका न मिलने के कारण ही आई, तो आप सदन क्यों नहीं चलाते हैं और जनता की भावनाओं को इस सदन के माध्यम से प्रकट होने देते हैं। क्या कारण है कि आप 12 तारीख के बाद नहीं बैठना चाहते हैं ? एक कठिनाई हो सकती है, जो हम अब तक समझ पाए हैं - आपके दल के कुछ लोग माननीय श्रीपति मिश्र को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। इस पर सरकार सोचती है कि यह सदन चलता रहेगा, तो सब लोग इकट्ठा होंगे, मिलते-जुलते और मीटिंग करते रहेंगे, और यदि विधान सभा नहीं होगी तो उनको मिलने का और वार्ता करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप घरेलू लड़ाई के कारण विधान सभा के नियमों की धज्जियाँ न उड़ाएं, माननीय अध्यक्ष की उपेक्षा और अनादर न करें। जो औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैंने इस बात को सदन में रखा, मान्यवर, इस पर आप विचार करके सरकार को उचित निर्देश दें।

(श्री हुकुम सिंह और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर।)

बस्ती व फैजाबाद में कतिपय व्यक्तियों द्वारा हरिजन होने का जाली प्रमाण पत्र देने, स्वास्थ्य मन्त्री की घोषणा के बावजूद प्रदेश की लैब टेक्नीशियन्स की मांगे न पूरी किये जाने, विधान सभा में लम्बित कार्य समाप्त किये बिना सबकी समाप्ति व 10 दिनों के उपवेशन न होनें तथा खादी आश्रम गोरखपुर की लूट के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आपने कोई नोटिस तो दिया नहीं है। अब इस पर क्या कहना है ?

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो भीखा लाल जी ने कहा है उस पर बल देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जितना माननीय भीखालाल जी नेकह दिया उससे अधिक आप क्या कहेंगे ?

श्रीराम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्या है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय भीखालाल जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है तो अब वह भीखा लाल की प्रापर्टी नहीं रह गया है वह पूरे सदन की प्रापर्टी बन गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री भीखा लाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विन्दु की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। इस संबंध में मैं 2 वाक्य कहना चहता हूं। सत्तारूढ़ दल की जो नीति चली आ रही है सदन के उपवेशन बुलाने के संबंध में तो इसमें इस महत्वपूर्ण अंग को शासन ने, सत्तारूढ़ दल ने इर-रेलेवेंट कर दिया है।

आज इतनी समस्यायें हमारे सामने हैं कि जिनके ऊपर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। रोज आर्डिनेंस सरकार जारी करती है। 3-4 बार एक आर्डिनेंस को रिपीट करना पड़ता है क्योंकि विधेयक बनाकर उसको लागू करने का समय नहीं मिलता है। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन को कार्यक्रम दे सकते हैं। यह आपके हाथ में है, अगर आप आदेश देंगे तो इनको पालन करना पड़ेगा। मान्यवर, आज आपके आदेशों का निरादर हो रहा है। जो सदन ने तय कर दिया है उसकी अवमानना हो रही है। आपके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–]

निर्देशों की अवमानना हो रही है। मान्यवर, भीखा लाल जी ने जो विन्दु उठाया है उस पर बल देते हुए मैं मांग करता हूं कि आप हमारे अधिकारों का, आदरणीय सदन के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करें और जो नियमावली में व्यवस्था दी गयी है कि कम से कम 90 दिन यह सदन चलेगा तो उसको सरकार से सुनिश्चित करवा लें यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

अब आपको क्या कहना है ? काफी कहा जा चुका है।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी अनुमति से बोलूंगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

बोलिये। लेकिन भविष्य में ध्यान रखें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जबसे विधान सभा का कार्यक्रम आरम्भ हुआ है आज तक विपक्ष के जो गैर सरकारी दिवस होते हैं उनको आज तक चुकाया नहीं गया है। बराबर यह आश्वासन दिया जाता है कि अगले सत्र में चुका दिया जायगा। जो हमारा शुक्रवार का दिन नियत है तो 7 दिन हमारे बाकी हैं। अगर इसी तरह 4, या 7 दिन का सत्र चलायेंगे तो माननीय सदस्यों में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना जागृत होगी और विरोध पक्ष को अगर इस बात से वंचित रखेंगे तो यह अनुचित बात है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे इन अधिकारों को आप संरक्षण दें या आप अध्यादेश पर सरकार चलायें या विधान सभा में विश्वास रखें या न रखें लेकिन जो हमारा अधिकार है उसको आप पूरा करें। मान्यवर, आप हमारे अधिकारों को संरक्षण दिलावायें।

(श्री फखरे आलम के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

क्या सभी को इस पर बोलने की आवश्यकता है ?

* श्री फखरे आलम–

मान्यवर, इसी में जोड़ने का मौका दे दीजिये।

मान्यवर, जबसे असेंबली इलेक्ट होकर आयी है तब से बराबर आश्वासन दिया जाता है कि 90 दिन का सत्र होगा। जब माननीय श्रीपति मिश्र जी अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस बात का वादा किया था।

जब मान्यवर, आप अध्यक्ष हुए तो आपने भी इस बात की कोशिश की और आप बराबर चाहते हैं कि 90 दिन का शेसन हो। मान्यवर, अगर 90 दिन का नहीं हो सकता तो 80 दिन, 75 दिन या 70 दिन का सेशन जरूर पूरा हो सकता है। सरकार इसको रोक रही है। इसकी वजह यह है कि जिला परिषदों के इलेक्शन में इनमें आपस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में इतना झगड़ा पैदा हो रहा है कि फैसला नहीं हो पा रहा है कि कोआप्सन कैसे किया जायगा, अध्यक्ष कौन होगा। एक-एक ग्रुप के 4-4 उम्मीदवार हो गये हैं। इसलिये सरकार चाहती है कि किसी तरह सेशन को खत्म कर दिया जाय और सत्रावसान कर दिया जाय।

मैं मान्यवर इस बात पर बल देता हूं, भीखालाल जी ने जो बात कही है कि 12 के बाद बैठक हो। कम से कम एक हफ्ते का सत्र और हो।

*श्री रेवती रमण सिंह–

उत्तर प्रदेश 11 करोड़ की इकाई है। दुनिया की सबसे बड़ी ऐडमिनिस्ट्रटिव इकाई है। पार्लियामेंट में नियत है कि कब वर्षा कालीन सत्र होगा, कब शरदकालीन होगा और कब बजट सेशन होगा। मैं संसदीय कार्यमन्त्री से अनुरोध करूंगा और आपका संरक्षण चाहता हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में उसी तरह से सत्र हो। इतना बड़ा प्रदेश है यहां उतनी समस्यायें है जितने पूरे देश में है। इसलिये उचित होगा कि जिस प्रकार से लोक सभा में निश्चित है कि एक महीने वर्षा कालीन, एक महीने शरदकालीन और 3 महीने का बजट शेसन होता हैं उसी तरीके की परम्परा हम यहां भी कायम करें। संसदीय कार्य-मंत्री जो विज्ञ है सुचेता कृपलानी जब यहां की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने यह परपरा प्रारंभ की थी और जब तक वह थी यह परम्परा चली। मैं यह चाहूंगा कि इन समस्याओं के निदान में सरकार को इससे मदद मिलती हैं। इससे भागने से काम नहीं चलेगा। जो भीखालाल जी ने बात कही मैं उस पर बल देता हूं और चाहता हूं आप सरकार को कहें कि नियम से चलें और नियमावली का पालन होना चाहिये।

श्री अम्मार रिजवी–

सबसे पहले भीखालाल जी ने यह बात कही कि हम लोग आपके निर्णय, आदेशों और निर्देशों का अनादर करना चाहते है। जो आपके निर्णय या आदेश हैं उनका पालन करना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। उसके बाद कहा की नियमों की धज्जियां उड़ा दी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि आप नियम के ऊपर रहें। नियमावली में धारा 14 लिखी है सभा के अधिवेशन के बारे में अनुच्छेद 174 संविधान के अधीन रहते हुए लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीत-कालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन हों। "इसमें यह बात लिखी गई है कि साधारणतया तीन अधिवेशन हों और 90 दिन की बात लिखी गई है। संविधान के अन्दर 90 दिन का शब्द नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 174 में लिखा गया है" 174-(1) राज्य-पाल, समय-समय पर, राज्य के विधान मंडल के सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा

[श्री अम्मार रिजवी–]

कि वह उचित समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियम तारीख के बीच छः मास का अंतर न होगा ।

(2) राज्यपाल समय-समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ।

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा ।

जो स्थिति है वह यह कि 6 महीने गुजरने के बाद सदन में बुलाये, तीन सत्र की बात कही गई है । मान्यवर, बजट सत्र हो गया, वर्षाकालीन सत्र हो गया शरदकालीन सत्र होना है । अभी से शंका व्यक्त करना कि शरदकालीन सत्र नहीं बुलायेंगे, यह बात तो कह सकते है कि 90 दिन पूरा नहीं है लेकिन यह कहना कि शरदकालीन सत्र नहीं बुलायेगा यह शंका निराधार है ।

श्री अकबाल हुसैन–

पिछले तीन साल से नहीं बुला रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

पिछले तीन साल को आप देखें इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिये । दूसरी बात हुकुम सिंह ने कही जो असरकारी दिवस हैं । इस सरकार ने बिलकुल खत्म कर दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि जो असरकारी दिवस है वह रहेंगे, कल भी आपके कक्ष में चर्चा हुई थी, वह दिये जायेंगे चाहे इस सत्र में दे या आगे सत्र में दें ।

सत्र समाप्त हो गया सरकारी दिवस जो है वह समाप्त नहीं होंगे । श्री भीखालाल जी ने और श्री फखरे आलम जी ने कहा है कि जिला परिषद का मामला पड़ा हुआ है । भीखालाल जी ने कहा कि आपस का संघर्ष है, मैं कहना चाहता हूं कि न तो किसी प्रकार का संघर्ष है और न किसी प्रकार की यह बात है कि हम सत्र समाप्त करना चाहते हैं । इस वक्त मान्यवर, पूर्वान्चल में और पश्चिम क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है एक तरफ सूखा है बहुत से माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र में राहत दिलाने की आवश्यकता है।

(शोरगुल)

हमारे सामने बैठने वाले, जो कि नया गठबंधन हुआ है इसकी खुशी में आन्दोलन करने जा रहे हैं, इसका समय भी उनको मिलेगा कि आंदोलन वह कर सके । इन तमाम चीजों को देखते हुए यह सत्र छोटा रह गया । शीतकालीन सत्र में सब बातें कही जाएगी । मान्यवर, इन्होंने कई बातें कही, और यह भी कहा कि आपका अनादर हो रहा है, तो जहा तक आपके अनादर का किसी प्रकार का प्रश्न है वह सत्य नहीं है ।

*श्री माता प्रसाद पांडेय–

मान्यवर, यह सरकार निरन्तर आपके निर्देशों का उल्लंघन करती रही है और मुख्य रूप से संसदीय मंत्री सहयोग देते हैं, माननीय मुख्यमन्त्री की कार्बन कापी गुलाब सेहरा को । मान्यवर, दिनांक 6 अप्रैल को खादी आश्रम गोरखपुर को पुलिस और गुण्डों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा लूटे जाने के संबंध में एक चर्चा चली थी और उस चर्चा में सम्मानित सदस्यों ने हिस्सा लिया और किसी ने भी उस घटना को अच्छा नहीं बताया और सदन की भावनाओं को जानते हुए राज्यमंत्री ने मुख्य मंत्री की तरफ से एक आश्वासन दिया और मान्यवर आपने निर्देश भी दिया, सब कुछ सुनने के बाद माननीय गुलाब सेहरा ने कहा कि 109 कर्मचारियों को बन्द किया गया है, यह भी विशेष रूप से बड़े दुर्भाग्य की बात है और जो एक 80 साल के बुजुर्ग कर्मचारी हैं, उनके साथ भी जो दुर्व्यवहार किया गया जो केवल सेवा भाव से खादी भण्डार में काम कर रहे थे, बड़ी गम्भीर बात हैं और दूसरी बात विशेष रूप से सामने आयी कि जिनके यहाँ अनशन हो रहा था उनको ही केवल पकड़ा गया और अनशनकारियों की ओर ध्यान तक नहीं दिया गया। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं इस मामले की कमीशन इन्क्वायरी नियुक्त करता हूं। दूसरे मुझे उस सी. ओ. के कार्य-कलापों पर भी संदेह है, मैंने उसे भी वहां से हटा दिया है और सिटी मैजिस्ट्रेट को भी वहां से हटा दिया है। और प्रथम दृष्टतया में जो केस बनता है और जो एफ. आई. आर. खादी भण्डार के अधिकारी ने लिखायी है, उसी पर कार्यवाही करने के आश्वासन देता हूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह के प्रश्न उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जो खादी कर्मचारी का मुकदमा दर्ज कराया गया है उसको मैं वापस ले लूंगा मान्यवर, सदन की भावना को देखते हुए आपने यह निर्देश दिया था कि "यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को मैं भी जानता हूं इसलिए मैं सरकार को निर्देश देता हूं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए और इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है तथा कार्यवाही करने के बाद मुझे भी सूचित किया जाए कि क्या-क्या कार्यवाही की गई" आपके निर्देश की उपेक्षा करके सिटी मैजिस्ट्रेट की जांच कराना इन्होंने पूरा नहीं किया तब खादी आश्रम कर्मचारी आकर मुख्यमंत्री से मिले तब जाकर वह शिकायत रुकी इसके बाद अभी ज्ञात नहीं कि कमिश्नर की जांच हुई कि नहीं ? संभवतः हो रही हो। सिटी मैजिस्ट्रेट को भी समय से नहीं हटाया गया और न सी. ओ. सिटी को ही, और न ही अभी तक कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमें ही वापस लिए गये। अतएव मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी ओर के प्रश्न स्वीकारें तथा शासन को प्रताड़ित करें। और न ही वे मुकदमें उठाए। मैं औचित्य का प्रश्न उपस्थित करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि इसे आप स्वीकार करें और इनको पुनः निर्देश दें कि वे मुकदमें जो गांधी आश्रम के कर्मचारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं, वे वापस लें।

*हरिजन तथा समाज कल्याण राज्यमंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

मान्यवर, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देख लूंगा और जो कार्यवाही अपेक्षित होगी···

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माता प्रसाद जी ने जो बिन्दु रखा है, उससे भिन्न मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, सदन के अन्दर सरकार की ओर से जो कहा जाता है, जो आश्वासन दिया जाता है समझा जाता है कि वह पूरा होगा । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में आपके निर्देश हैं कि "कृत कार्यवाही से मुझे अवगत कराएंगें ।" मैं जानना चाहूंगा कि मा० मन्त्री जी ने किसी कृत कार्यवाही से आपको अवगत कराया । यदि आपको अवगत कराया तो जो आपके पास सूचना होगी, आपको जो सूचना मिली होगी उससे हम लोग भी अवगत हो जाएंगे । क्या माननीय मन्त्री जी ने उसका उत्तर आपको दिया और क्या उस उत्तर से आपका समाधान हो गया है । आपके स्पष्ट निर्देश थे कि कृत कार्यवाही से आपको अवगत कराया जाय । आये दिन आपके निर्देश होते हैं । आज भी आपने निर्देश दिये हैं कि कृत कार्यवाही मे मुझे सूचित करें । लेकिन सरकार की तरफ से जहां तक मेरी जानकारी है आपको सूचना नहीं दी जाती है । मान्यवर, अभी 12 तारीख तक सत्र है, ये सूचना पर कृत कार्यवाही से आपको अवगत करावें । मान्यवर, आप दबाव डालें । और जो कार्यवाही मिले, जो जानकारी मिले उससे आपका समाधान हो जाय तो ठीक है नहीं तो फिर से सरकार को निर्देश दें कि इसकी जानकारी शीघ्र सदन में मिलनी चाहिये ।

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, जो सदन में आश्वासन दिया गया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसको देख लूंगा और कल आपको सूचना दे दूंगा कि उसमें आगे क्या कार्यवाही हुई ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मित्रसेन यादव ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जहां तक उनके औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है उसमें किसी भी नियमावली का उल्लंघन नहीं हुआ है और जो नियम बने हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई है । इसलिये मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं ।

इसी प्रकार दूसरा प्रश्न माननीय राम आसरे वर्मा जी का है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की जानकारी में यह बात ला दी गयी है और मैं उनसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि वे पुन: इस मामले को देख लें । जहां तक औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

जहां तक माननीय भीखालाल जी का सम्बन्ध है और इसके सम्बन्ध में अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कही हैं, जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है और जो इसकी भावना है, संसदीय कार्यमंत्री जी आप देख लें और वे तमाम चीजें जो इस सदन में उठायी गयी हैं, उनको देखते हुए उसके अनुसार मैं समझता हूं, आप कार्यवाही करेंगे ।

जहां तक और तमाम चीजों का सम्बन्ध है, अभी वर्ष 1983 चल रहा है, अभी उसमें काफी समय है । अनुमान के रूप में कहना कि 90 दिन नहीं होगा, सही नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक औचित्य के प्रश्न का सवाल है, मैं इसको उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं। माननीय मंत्री जी सदन की जो भावना है आप इन बातों पर विचार कर लें।

जहाँ तक माननीय माता प्रसाद जी का सम्बन्ध है। मैंने माता प्रसाद जी को सुना, माननीय सदस्यों को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना। मुझे बहुत खेद है कि मेरे कहने के बाद भी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी जाय खादी आश्रम के बारे में, इस मामले में लापरवाही की गयी और सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया गया था उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी·····

श्री अध्यक्ष–

...मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि सोमवार को सदन उठने से पहले, इस विषय में आप जो निर्णय लेते हैं, उससे इस सदन को अवगत करायेंगे। लेकिन जहाँ तक औचित्य के प्रश्न का सवाल है मैं इसको इस प्रकार से उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मित्र सेन–

मान्यवर, जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके आमरण अनशन को तोड़ने के लिए आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं कृपया आप बैठें।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का अनुपूरक) विधेयक, 1983 जो विधान सभा द्वारा दिनाँक 6 सितम्बर, 1983 को पारित किया तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 6 सितम्बर, 1983 को विधान परिषद सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय के विनियमन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश

[सचिव विधान सभा–]

विनियोग (1979–80 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1983, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 1983 को पारित किया तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 6 सितम्बर, 1983 को विधान परिषद सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 8 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हुआ है ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1982–83) का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1982-83 का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम में सम्बन्धित है प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उमा शंकर बाजपेयी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जालौन तथा श्री रामायण सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष कदौरा के विरुद्ध श्री शंकर सिंह द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

दो निर्णय, जो सदन की अवमानना के संबंध में है, इस प्रकार हैं । प्रथम श्री शंकर सिंह, सदस्य विधान सभा की है, जो इस प्रकार है ।

"श्री शंकर सिंह सदस्य विधान सभा ने दिनांक 24 अगस्त, 1981 को श्री उमा-शंकर बाजपेयी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जालौन तथा श्री रामायण सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष, कदौरा के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि सितम्बर-अक्टूबर, 1980 और फरवरी - अप्रैल, 1981 में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध इन्होंने विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सूचनायें दी थीं और विधान सभा में उनके विरुद्ध भाषण भी दिया था । माननीय सदस्य के इन कार्यों से उक्त अधि-कारीगण नाराज हो गये थे और उन्होंने लखनऊ में समाचार-पत्रों को एक ऐसी फर्जी पत्र उपलब्ध कराया, जिसमें फूलन देवी तथा अन्य दस्युओं से माननीय सदस्य का संबंध बताया गया था । प्रमाणस्वरूप माननीय सदस्य ने कानपुर से प्रकाशित समाचार - पत्र "आज" दिनांक 6 अप्रैल, 1981, लखनऊ से प्रकाशित "पायनियर" दिनाक 6 अप्रैल, 1981 की प्रतियां तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत किया है ।

इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी और उनकी ओर से 3 पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1981, 13 जनवरी, 1982 तथा 15 फर-वरी, 1983 प्राप्त हुए । माननीय गृह मंत्री जी के पत्र में यह कहा गया है कि माननीय विधायक का यह कथन कि पुलिस अधीक्षक, जालौन तथा श्री रामायण सिंह, थानाध्यक्ष, कढौरा श्री शंकर सिंह से नाराज थे और उन्होंने एक फर्जी पत्र समाचार–पत्रों को दिया,

† छापा नहीं गया ।

सही नहीं है। अपने पत्र दिनांक 15 फरवरी, 1983 के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने एक पत्र की फोटोस्टेट कापी भी संलग्न की है, जिस पर भेजने वाले का नाम मानसिंह फूलन देवी वगैरह तथा पाने वाले का नाम चौधरी शंकर सिंह अंकित है। बताया गया है कि मूल पत्र पुलिस मुठभेड़ में मारे डकैत ललतू की जेब से दिनांक 31 मार्च, 1981 को बरामद हुआ था। यह भी बताया गया कि मृत डकैत की तलाशी के समय फर्द बरामदगी तैयार की गयी थी और यह सभी अभिलेख न्यायालय में दाखिल हैं।

मैंने पूरे मामले का अध्ययन किया तथा दोनों ओर से प्रस्तुत अभिलेखों को देखा। इस मामले में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय प्रतीत होते हैं।

(क) माननीय शंकर सिंह ने पुलिस प्रशासन जालौन के विरुद्ध सदन में कतिपय सूचनायें दीं और अपने भाषण में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कतिपय अरोप लगाये। क्या उपरोक्त कारणों से तत्कालीन पुलिस अधिकारीगण माननीय सदस्य से नाराज थे ?

(ख) क्या मृत डकैत ललतू की जेब से कोई पत्र बरामद हुआ ? यदि हां, तो क्या वह पत्र फर्जी था अथवा क्या माननीय सदस्य को बदनाम करने के लिये यह मात्र एक बहाना था ?

समस्त अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि यह मामला उस प्रकार का नहीं है कि प्रथम दृष्टतया साक्ष्य के अभाव में इसे निरस्त कर दिया जाय। तथ्यों तथा घटनाओं की सूक्ष्म जांच इसमें आवश्यक प्रतीत होती है ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु निर्दिष्ट करता हूं। उपरोक्त समिति अपनी जांच तथा अनुसंधान के दौरान, जालौन न्यायालय में माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत वाद तथा उसके अनुषंगिक परिणामों की ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट करेगी।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्री बलबीर सिंह द्वारा दिये गये संसोधन के कुछ अंश को निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

दूसरा निर्णय इस प्रकार है–

श्री बलबीर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 10 मार्च, 1983 को एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना इस आधार पर दी है कि वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया था, उसमें कतिपय अंश निकाल दिया गया था और उसे कार्यसूची में मुद्रित नहीं किया गया, जिससे उनके विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

[श्री अध्यक्ष–]

मैंने सम्बन्धित अभिलेखों को देखा और विधान सभा सचिवालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। मैंने माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में बातचीत भी की। इस संबंध में निम्नांकित तथ्य सामने आये:–

1– श्री राज्यपाल का अभिभाषण दिनांक । फरवरी, 1983 को हुआ था और दिनांक 2 फरवरी, 1983 को माननीय बलबीर सिंह ने अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में कतिपय संशोधनों की सूचना दी थी।

2– धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्राप्त संशोधनों के सम्पादन की परम्परा रही है। इसी सम्पादन के दौरान माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का एक अंश निकाल दिया गया था।

3– श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद दिनांक 10 फरवरी, 1983 को इस सदन द्वारा पारित किया गया।

4– दिनांक 10 मार्च, 1983 को माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार अवहेलना की प्रश्नगत सूचना इस आधार पर दी कि उनके संशोधनों को कार्यसूची में यथावत रखना चाहिए था।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा माननीय सदस्य से भी विचार विमर्श किया। इस मामले में लोक सभा तथा राज्य सभा से भी जानकारी की गई। अपने पत्र दिनांक 4 मई, 1983 में, सचिव लोक सभा ने सूचित किया हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिन्हें अध्यक्ष उचित समझें और मान्य प्रक्रिया के अनुसार ऐसे संशोधन ग्राह्य नहीं किये जाते जिनमें आरोप, अनुमान, लांछन अथवा मानहानि कारक कथन हो। राज्य सभा के सचिव ने अपने पत्र दिनांक 3 मई, 1983 में उसी मत को दोहराते हुए कहा है कि आक्षेपात्मक बातों को प्रस्तावित संशोधनों के सम्पादन के दौरान निकाला जा सकता है और ऐसे सम्पादन का अधिकार सभा सचिवालय को प्राप्त है।

लोक सभा के भूतपूर्व महासचिव श्री एस० एन० शकधर ने अपनी पुस्तिका– "सेक्रेटरी जनरल आफ लोक सभा–फंकशन्स एण्ड रिस्पान्सीबिलिटीज" के पृष्ठ–4 पर निम्नांकित मत व्यक्त किया है:–

> लोक सभा के महा सचिव माननीय अध्यक्ष के प्राधिकार से और उनकी ओर से कार्य करते हैं। महासचिव द्वारा पारित आदेश अध्यक्ष के नाम में पारित किये जाते हैं और अध्यक्ष ऐसे आदेशों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं।

भारतीय संविधान, प्रक्रिया नियमावली तथा प्रचलित परम्परा के अनुसार ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को कार्य सूची में अक्षरश: मुद्रित किया जाय। उपरोक्त परिस्थितियों में विशेषाधिकार अवहेलना की प्रश्नगत सूचना, जो बिलम्बित भी है, को सदन में उठाने की मैं अनुमति नहीं देता हूं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण के विरुद्ध विशेषाधिकारी की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

* श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मा० सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के विरुद्ध दिया था। उसमें मैंने लिखा था कि ...

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैं इस पर छानबीन कराऊंगा, लेकिन अगर आप इस प्रकार से चलने लगेंगे तो सम्भव नहीं होगा।

(घोर व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, प्रमुख अभियन्ता ने मुझसे "ईडियट" कहा .....।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी शब्द लिखा नहीं जायगा।

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

मान्यवर, एक मामला मेरा भी था।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जब कभी किसी मा० सदस्य से सम्बन्धित कोई मामला यहां आया है तो उसको सुना गया है, निर्णय तो आपको लेना है और वह शिरोधार्य होगा। किसी सरकारी अधिकारी ने माननीय सदस्य को "ईडियट" कहा, इससे ज्यादा लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है। आप कृपया सुन लें कि मा० सदस्य के साथ उस अधिकारी ने क्या दुर्व्यवहार किया।

श्री अध्यक्ष–

आप उनकी बात कह रहे हैं या वे स्वयं अपनी बात कहेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं मान्यवर, वे स्वयं ही अपनी बात कहेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

वैसे इस प्रकार की परिपाटी नहीं है।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर मेरे क्षेत्र में कार्यरत डी० सी० यू० तथा टेम्पोरेरी डिवीजन में से केवल डी० सी० यू० को भवन निर्माण कार्य के लिए अधिकृत किया गया, जो कि पहले सड़क

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मसरूर जाफरी–]

बनाने का कार्य भी करता था। इससे मार्गों का निर्माण कार्य पूर्णतः रुक गया। कई सदस्यों ने मा० मन्त्री से आग्रह किया कि डी० सी० यू० को मार्ग बनाने हेतु अधिकृत कर दिया जाय, माननीय मंत्री जी ने आदेश भी पारित कर दिया, परन्तु इसका पालन प्रमुख अभियन्ता द्वारा नहीं किया जा रहा था। जब मैं मन्त्री जी से मिला तो उन्होंने 1–9–83 को प्रमुख अभियन्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिये कहा। जब मैं प्रमुख अभियन्ता से व्यक्तिगत मिलने के लिये कार्यालय गया तो मालूम हुआ कि वह सचिवालय, सचिव के यहां गये हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो प्रमुख अभियन्ता सचिव कार्यालय से निकल कर मुझसे बातें करते हुए अपनी कार तक ले आये और अन्त में कहा कि आप चाहे जिससे जो भी आदेश करा दें मैं इस प्रकार की बेहूदी बातों तथा आदेशों का पालन नहीं करता न आप जैसे "ईडिएट" विधायकों से बात करना चाहता हूं। ऐसे विधान सभा में बकवास किया करते हैं, वैसे ही मुझे आप समझते हैं। इस प्रकार उन्होंने मेरा अपमान किया। मैंने 5 तारीख को मा० मन्त्री जी को पत्र लिखा कि अगर 8 तारीख तक उत्तर नहीं आया तो मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में दूंगा, आज तक कोई उत्तर नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि मन्त्री जी ने जरूर उस अधिकारी से कहा होगा कि मुझे अपमानित करे।

मान्यवर, स्थिति इस प्रकार है, जिस पर यह मामला उठा था कि पी. डब्ल्यू. डी. सेक्रेट्री के सेक्रेट्री श्री शुक्ला अपने विभाग के श्री सिन्हा को पदोन्नति देना चाहते थे, मैंने इस मसले को उठाया था, जिस पर माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि ऐसा नहीं होगा। (शोर)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मुझे बहुत खेद है कि माननीय मसरूर जाफरी साहब ने अपनी तकरीर के जोश में आकर पता नहीं क्या-क्या कह दिया। यह तो सत्य है कि मैंने एक आदेश पारित किया था और जब यह मुझ से मिले तो मैंने इनसे यह कहा था कि पत्रावली हमने भेजी है आदेश करके, आप उनसे सम्पर्क स्थापित कर लें, लेकिन यह नहीं कहा था कि फिजिकल कांटेक्ट द्वारा या टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित कर लें, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा ही सम्पर्क स्थापित कर लिया, इनको टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए था, दूसरी बात जब यह घटना हुयी और इन्होंने मुझे बताया तो मुझे वास्तव में बहुत दुख हुआ और मैंने फिर संबंधित अधिकारी को लिखा कि सारी जानकारी प्राप्त कर मुझे 8 तारीख तक उपलब्ध करायें, तो यह जानकारी मान्यवर, कल तक आनी थी, हो सकता है आ गयी हो, मैं सुबह से सदन की तैयारी में था और आज की डाक नहीं देख सका, वैसे अब मैं इसे दिखवा लूंगा। आपके माध्यम से मैं सभी माननीय सदस्यों को मान्यवर, आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी अधिकारी को इस प्रकार की इजाजत नहीं दी जायेगी कि वह किसी सम्मानित सदस्य का किसी भी प्रकार से अपमान करे। (शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को इस मामले का दुख भी बहुत हुआ और आंसू भी आ गये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब इस टिप्पणी को समाप्त करें, मैं इस मामले में छानबीन करूंगा और छानबीन के बाद निर्णय करूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी जब माननीय मंत्री जी मा० मसरूर जाफरी जी की बातों का जवाब दे रहे थे, उस समय इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि मैंने 'फिजिकल कॉंटेक्ट' के लिए इनसे नहीं कहा था, तो मान्यवर इनका फिजिकल कांटेक्ट से क्या आशय है ?

श्री अध्यक्ष–

यह आप उनसे स्वयं पूछ लीजिए, व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने 8 तारीख के आदेश जानकारी प्राप्त करने के दिये हैं, इन्होंने सदन में आने से पहले मान्यवर, आज की डाक भी देखी होगी, जिससे यह मालूम हुआ कि वह पत्रावली आयी नहीं, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि मा० मंत्री जी के आदेशों का जब समय पर पालन नहीं हो रहा है, तो एक माननीय सदस्य का अपमान ऐसे अधिकारी द्वारा करना बहुत आसान है ।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, आपने हमारी विशेषाधिकार की सूचना पर जो भी निर्णय दिये हैं, वह सब शिरोधार्य हैं लेकिन एक सूचना देना चाहता हूं कि मैंने उसमें केवल यही लिखा है कि जो मा० मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको निकाल दिया जाए फ्यूचर के लिए, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आक्षेप नहीं किया गया था । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

जो मैंने निर्णय दे दिया है वह अन्तिम है । (शोर)

(कई अन्य सदस्यों के फिर खड़े होने पर)

जो विशेषाधिकार की सूचना दी जाती है, उस पर सदन में किसी प्रकार की चर्चा इस स्तर पर नहीं होती । (शोर)

(श्री मसरूर जाफरी के पुनः खड़े होने पर–)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, ऐसे परम्परा गलत पड़ जायेगी, वह मैं देख लूंगा और उस पर कार्यवाही करूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सहायक अभियन्ता के विरुद्ध श्री मारकण्डेय चन्द द्वारा उठायी गयी विशेषाधिकार की सूचना की लिये जाने की मांग

*श्री मारकण्डेय चन्द–

मान्यवर, मैंने सहायक अभियन्ता के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी कि उस क्षेत्र में चार महीने से कटाव हो रहा है और वहां के गाँव के लोगों के लिये कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। मैंने सहायक अभियन्ता से कहा कि 10 लाख रुपये इस पर खर्च किए गये हैं और काम क्या हुआ है तो उन्होंने कहा कि विधायक लोग विधान सभा में गलत सलत बातें करते रहते हैं, जबकि वहां डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट स्वयं गये और 11 बजे रात को वहाँ पर पी. ए. सी. भेजी गयी। मैंने मुख्य मन्त्री को 3 तारीख को इसके बारे में शिकायत की और चीफ सेक्रटरी को भी इसके सम्बन्ध में शिकायत दी। इसके बाद भी सहायक अभियन्ता ने मुझे गुण्डा और बदमाश बताया तो इस पर मान्यवर आप तत्काल निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

दिनांक 5 मार्च, 1982 को श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–55 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही की सूचना

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)–

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर के भूखण्ड सं. 1153 (मि० रकबा 13 बिस्वा) के पट्टेदार श्री सियाराम का नाम निरस्त किये जाने हेतु अतिरिक्त जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने दिनाँक 29-7-81 को ही आदेश पारित कर दिये थे और उक्त आदेश तहसील के रजिस्टर मालिकान (नामान्त बही) में दिनांक 29-9-81 को ही अंकित भी कर दिया गया था। साधारणतौर पर न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप जो पट्टे निरस्त किये जाते हैं, उनका आदेश प्राप्त होते ही रजिस्टर मालिकान के माध्यम से संबंधित ग्राम को खतौनी पर दर्ज करा दिया जाता है व खतौनी पर अंकन की तिथि से पट्टा निरस्त समझा जाता है। किन्तु प्रश्नगत मामले में चूंकि ग्राम चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आ चुका था व तहसील के संबंधित समस्त अभिलेख भी चकबन्दी विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये थे, उक्त कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी और यह आवश्यक हो गया कि अमलदरामद की अग्रिम कार्यवाही हेतु चकबन्दी विभाग को कहा जाय। अत: संबंधित नायब रजिस्ट्रार कानूनगों द्वारा परवाना अमलदरामद की प्रमाणित प्रति तैयार कर दिनांक 30--1--82 को चकबन्दी विभाग को भेज दिया गया। तथापि किन्हीं कारणों से चकबन्दी कार्यालय में संबंधित अभिलेखों में वाँछित संशोधन तत्परता से नहीं किया जा सका व दिनाँक 12-4-82 को संबंधित लेखपाल द्वारा बिना अभिलेखों में संसोधन किये ही मा० सदस्य द्वारा प्रेषित खतौनी की प्रतिलिपि जारी कर दी गई।

इसी बीच विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठे शुक्रवार के लिये निर्धारित मा. सदस्य के प्रश्न सं० 55 के उत्तरार्थ शासन द्वारा आख्या माँगे जाने पर जिलाधिकारी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह ज्ञात हुआ कि तहसील के अभिलेखों में पट्टेदार का नाम अंकित नहीं है जिसके आधार पर शासन द्वारा उत्तर दिया गया। वास्तव में चूंकि तहसीलदार द्वारा परवाना अमलदरामद चकबन्दी अधिकारी को भेज दिया गया था व रजिस्टर मालिकान में भी निरस्तीकरण संबंधी अतिरिक्त जिलाधिकारी के आदेश अंकित कर लिये गये थे, उक्त अधिकारी द्वारा स्वाभाविक रूप से यह समझकर कि वांछित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है उक्त सूचना दी गयी थी।

उपरोक्त से यह कृपा कर देखा जायेगा कि मामले में जानबूझ कर न तो कोई गलत बयानी की गई है और न ही सदन को किसी प्रकार जानबूझ कर गुमराह ही किये जाने की कोई बात थी। सम्बन्धित पट्टे के निरस्त होने का अमलदरामद चकबन्दी विभाग द्वारा दिनांक 14-5-82 को कर दिया गया है व मामले में कर्मचारियों द्वारा शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मुसाफिरखाना द्वारा अपने स्तर पर जाँच पूरी कर ली गयी है। जांच के फलस्वरूप सर्वश्री मनोहर लाल लेखपाल एवं शोमनाथ श्रीवास्तव चकबन्दीकर्त्ता पट्टे के निरस्त होने का अमलदरामद समय से न करने के लिये उत्तरदायी पाये गये हैं। उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

जिलाधिकारी सुलतानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का उत्तर प्राप्त हो गया है जिस पर अन्तिम निर्णय लेने में कम से कम एक माह का समय और लगेगा।

उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, १९८३ †

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य, विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, १९८३ †

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां, और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

---

† दिनांक·····सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राम औतार दीक्षित, सदस्य, विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें निर्दिष्ट सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध अप्रकाशित लेख्यों की प्रतिलिपियाँ श्री शंकरसिंह, सदस्य, विधान सभा को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें निर्दिष्ट सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध अप्रकाशित लेख्यों की प्रतिलिपियां श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राम औतार दीक्षित, सदस्य, विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर यह सदन उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें निर्दिष्ट सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध अप्रकाशित लेख्यों की प्रतिलिपियां श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति देता है ।

को स्वीकार करते हुए उसमें निर्दिष्ट सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध अप्रकाशित लेख्यों की प्रतिलिपियां श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9 सितम्बर, 1983 को नियम 56 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । वह इस प्रकार हैं–श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की वृन्दावन में पुलिस फायरिंग से कई लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में है । इसी विषय पर श्री चंदन सिंह की भी सूचना है, इसमें उनका नाम जोड़ दिया गया है । तीसरी सूचना श्री मोहन सिंह की प्रदेश में विद्युत उत्पादन घटने के सम्बन्ध में है, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की लालकुंआ जिला नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पुलिस द्वारा पीटने के सम्बन्ध में है, श्री नन्द किशोर सिंह उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षक संघ द्वारा धरना दिए जाने के सम्बन्ध में है । इसी विषय पर श्री जसवन्त सिंह विष्ट की भी सूचना है इसलिए उनका नाम भी इसी के साथ जोड़ दिया गया है । श्री हरिवंश सहाय और और नन्द किशोर सिंह की प्रबन्ध मन्डल, परिवहन निगम द्वारा तोड़ने की साजिश से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है । श्री राम गोविन्द की श्री मुरली मनोहर स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के छात्रों का अभी परीक्षाफल घोषित न करने के सम्बन्ध में है । श्री सत्यपाल सिंह की डिप्लोमा फार्मेसिस्टों द्वारा हड़ताल की धमकी देने के सम्बन्ध में है । श्री खैरूल बशर श्री मित्रसेन, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी व श्री रेवती रमण सिंह की जनपद आजमगढ़ थाना मौसी के इंचार्ज के खिलाफ कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में है । श्री रेवती रमण सिंह की प्रदेश में बिजली संकट से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है । श्री माता प्रसाद पाण्डेय की बस्ती और गोरखपुर में गिरती हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में, श्री प्रदीप कुमार यादव की लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के सम्बन्ध में आंदोलन और श्री बलबीर सिंह की जिला रामपुर में नहरों में पानी न पहुंचने से जनता में उत्पन्न असंतोष के बारे में है ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, वृन्दावन में आजकल बहुत ही तनाव पूर्ण स्थिति है । वहां का वातावरण अत्यन्त ही तनावपूर्ण है । मान्यवर, गत 13 दिन से वहां पर सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं । उनके किसी आदमी को पीटा गया और पुलिस तथा प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की । वहां के लोग गन्दगी के कारण बहुत परेशानी में थे, गन्दगी का काफी अम्बार लगा हुआ था । छात्रों ने 7 सितम्बर को शान्तिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला । पुलिस ने पहले तो अश्रु गैस छोड़ा और गोली बरसायी गयी जिस में कई लोग घायल हुए, और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया । मान्यवर, 13 दिन से बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण है । प्रशासन ने यह जानते हुए भी कि स्थिति गम्भीर है लेकिन अभी तक कोई प्रिकाशनरी मेजर नहीं उठाया है । वहां पर विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है । धारा 144 लागू कर दी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कुंवर सिंह नेगी–]

गयी है। सारे कालेज और स्कूल बन्द कर दिए गये हैं। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूं कि सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा की जाये और कोई रास्ता निकाला जाये।

* श्री चन्दन सिंह–

मान्यवर, मेरा भी इसी पर था, मुझे भी एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष–

जिसका पहले नाम होता है उसी को आज्ञा दी जाती है, माननीय नेगी जी बोल चुके हैं।

श्री चन्दन सिंह–

अगर मुझे आज्ञा नहीं दी जाती है तो मैं सदन को चलने नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप अपने शब्दों को वापस लें।

श्री चन्दन सिंह–

मुझे बोलने के लिए समय दे दें तो मैं वापस ले लूं!

श्री अध्यक्ष–

पहले आप अपने शब्दों को वापस लें।

श्री चन्दन सिंह–

मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे। परिपाटी यह है कि पहले जिस माननीय सदस्य का नाम होता है उसको आज्ञा दे दी जाती है। मैंने नेगी जी को आज्ञा दी। नियम 56 के अन्तर्गत जिन सदस्यों की सूचनायें होती हैं वे सभी आज्ञा मांगेंगे तो यह संभव नहीं हो सकेगा। आप दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री चन्दन सिंह–

मान्यवर, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत वृन्दावन की जो एक पवित्र नगरी है जिसमें हजारों यात्री दूर-दूर से आते हैं, वहां 15 दिनों से हरिजनों के अन्दर भय का आतंक छाया हुआ है और स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। वहां पर सफाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। और वहां के यात्री स्वयं अपनी सफाई कर रहे है। सबसे भयंकर बात यह है कि वहाँ पर गऊओं को विष दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है जिसके विरोध में अखिल भारतीय साधू समाज का 4 तारीख को एक प्रदर्शन हुआ और उसके बाद वे लोग वहां के प्रशासन से मिले। किन्तु फिर भी प्रशासन ने कोई उस पर कार्यवाही नहीं की। छात्रों का शांतिपूर्ण जलूस निकला जिसमें बरबरतापूर्वक गोलियाँ चलाई गई, हथगोले चलाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये जिससे सैकड़ों यात्री घायल हो गये। वहाँ पर खाने-पीने की कोई चीज नहीं मिल रही है, सारा शहर बन्द है सारे मन्दिर और धर्मशालायें बन्द हो गई हैं। इससे पूरे जिले में तनाव की स्थिति फैलने की आशंका हो गई है। इसके लिये जिला प्रशासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। सैकड़ों गोलियाँ पुलिस ने चलाई जिसमें वहाँ के 25/30 निर्दोष व्यक्ति, छोटे-छोटे छात्र जख्मी हो गये हैं। सारे कालेज बन्द हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि आप काम रोककर इस पर चर्चा करा दें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे गम्भीर विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रख रहा हूँ। मान्यवर, लाल कुंआँ में हमारी पार्टी के एक व्यक्ति को पुलिस ने पीटा। एक हरिजन की हत्या कर दी गई थी और इस मामले को लेकर वे वहां के उच्च अधिकारियों से मिले कि उस पर कार्यवाही की जाय। लेकिन जब वे लोग इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो उस व्यक्ति को तत्काल पकड़ लिया गया और बड़ी बेरहमी के साथ पुलिस ने उसे मारा और उसके ऊपर फर्जी दफा लगाकर उसे जेल में बन्द कर दिया। यदि इस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जायेगा तो यह सही है कि यह समझा जायेगा कि यह सरकार खुद जानबूझकर इस तरह के कार्य करने के लिये उद्यत हो गई है जिससे प्रदेश में हरिजनों के ऊपर शोषण और बढ़ सके। मान्यवर, इसमें केवल पुलिस द्वारा पिटाई का सवाल नहीं है लेकिन उससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस इसलिये प्रताड़ित करे क्योंकि वह सत्य और न्याय के लिये आवाज उठा रही है। यह एक गम्भीर बात है। यदि इस तरह से सत्य की आवाज उठाने वाले को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जायेगा तो यहां पर प्रजातंत्र और लोकतंत्र नष्ट हो जायेगा, और यदि इसमें सरकार द्वारा पुलिस की मदद की गई तो पुलिस का हौसला और बढ़ जायेगा और यदि रक्षक ही भक्षक हो जायेंगे तो सम्पूर्ण प्रदेश की स्थिति और बदतर हो जायेगी। इसलिये मान्यवर, यह एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है और मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपको इन दोनों विषयों के बारे में कुछ कहना है।

* संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, वृंदावन की जो स्थिति है वह निःसंदेह तनावपूर्ण है। मान्यवर, वहां पर जो भीड़ थी, जिसका जिक्र माननीय चन्दन सिंह और माननीय नेगी जी ने किया वह मंदिर की तरफ से वृन्दावन घाट की तरफ जा रही थी। उसने पुलिस चौकी के ऊपर पथराव किया। इसको रोकने के लिये पुलिस ने आंसू गैस और हवाई फायर किया। हथगोले भी चलाये गये जिसके फलस्वरूप सिटी मजिस्ट्रेट और 6/7 पुलिस कर्मी जख्मी हुये। मान्यवर, इस तनावपूर्ण स्थिति पर काबू पाने के लिये पूर्ण व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई और बात न होने पाये। जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना का सवाल है उसके ऊपर पूरी कार्यवाही करने के लिये हम आदेश दे रहे हैं।

---

* वक्ता का भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्दन सिंह–

हमारी सूचना के बारे में मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो मैं निर्णय लूंगा कि इसके बारे में मैं क्या करूं। उन्होंने तो उत्तर दे दिया।

* श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस समय पूरा प्रदेश बिजली के संकट से ग्रस्त है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि आज सारे अधिकारी निरंकुश हो गये हैं। और इस सरकार का कोई अंकुश किसी अधिकारी पर नहीं है। बार-बार इस सदन में जब ध्यान आकर्षित किया गया कि बिजली का संकट होने वाला है तो यह लोग यह कहते थे कि बिजली इतनी ज्यादा है। कि हम दूसरे प्रदेशों को सप्लाई करेंगे। आज स्थिति यह है कि 270 मेगावाट थरमल बिजली का जनरेशन हो रहा है, जब कि 2400 मेगावाट स्थापित क्षमता है। इसी तरह 3-4 सौ मेगावाट जल विद्युत सप्लाई हो रही है और वह भी रिहन्द डैम से जब कि उसमें पानी केवल 842 फीट है जब कि उसमें अमूमन 860 फीट पानी रहना चाहिये तो यह 842 फीट में चला रहा है, जो केवल 15 दिन तक और चलेगा। आज प्रदेश में कहीं भी बिजली नहीं आ रही है केवल लखनऊ के वी० आइ० पी० मोहल्ले को छोड़ कर बाकी पुराने लखनऊ में तीन दिन से बिजली नहीं है।

इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर और तमाम जिलों के हैडक्वाटर्स में 10–10, 12–12 घंटों तक बिजली नहीं आ रही है जिससे अस्पतालों में आपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बिजली नहीं होगी तो पानी भी नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इन्होंने कहा है कि 10 घंटे बिजली दे रहे हैं वहां कई कई दिनों तक बिजली नहीं जा रही है। ओबरा में दो दो सौ मेगावाट की 5 इकाइयां बंद हैं, इसी तरह 50 मेगावाट की इकाइयां भी बंद पड़ी हैं, पिछले 15 दिनों का रिकार्ड मंगा कर आप देख लें और माननीय मंत्री जी सदन में वक्तव्य दें कि पिछले 15 दिनों में कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ। स्थिति इतनी खराब हो चुकी हैं और जब तक यह चैयरमैन रहेंगे तब तक सरकार विद्युत पर काबू नहीं पा सकती। ओबरा में कई दिनों से तेल नहीं पहुंचा है और यह चैयरमैन वहां देखने तक नहीं गये। यहीं बैठे रहते हैं, हिल कर ओबरा नहीं जाते। वहां तेल खतम हो गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इस सदन का कार्य स्थगित कराकर इस पर चर्चा करा दें, क्योंकि इस समय पूरा प्रदेश संकटग्रस्त है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से गोरखपुर और बस्ती जनपदों में जो नित्य प्रति हत्याओं की घटनायें हो रही हैं उनके संबंध में मामला सदन के सम्मुख रख कर चर्चा की मांग करता हूं। आपने देखा होगा आये दिन शायद इतनी हत्यायें किसी शहर में नहीं हो रही होंगी, जितनी गोरखपुर और बस्ती में हो रही हैं। वहां का हर नौजवान दो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुटों में बंट गया है जैसे मिलिट्री में भर्ती होती है उसी तरह से दोनों ग्रुप नौजवानों को अपने ग्रुप में भर्ती करते हैं और उसके बाद उसको ट्रेनिंग देते हैं। जो नौजवान देश के निर्माण में लगना चाहिये आज वह मजबूर होकर राइफल और बंदूक लेकर चौराहों पर निकल पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर हीरासाज सिंह युवा जनता की हत्या कर दी गयी। गोरखपुर में आये दिन हत्यायें हो रही हैं। मुख्य विषय यह है कि जो हत्यायें कराता है उसमें किसी न किसी तरह से दूसरे ग्रुप को संबद्ध' कर देता है। चाहे कोई मारे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को फर्जी या सही ढंग से दिखा कर नामजद रिपोर्ट लिखा देता है। अगर कोई भी मारा जाता है तो यह कल्पना कर ली जाती है दूसरे ग्रुप ने मारा। हर नौजवान, हर आदमी जो सुरक्षित रहना चाहता है। चार-चार जीपों में राइफल लेकर चलते हैं।

मेरे यहां से केवल 12 घटे में चीन पहुंच सकते हैं। बढ़नी से महेन्द्रनगर काठमांडू से लासा सीधी सड़क बनी हुई है।

इसके माध्यम से केवल 16 घंटे में पहुंचकर चीन का हथियार पूर्वी उ०प्र० में आ गया है। जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो कहा जाता है कि फलां गोल, ग्रुप का है, मुख्य मंत्री से सम्बन्धित हैं और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है कि यह फलां से सम्बन्धित है। इस तरह वहां विषाक्त वातावरण हो गया है।

मान्यवर, हमारे यहां किसी की हिम्मत नहीं कि वह ठेका ले सके। वहां बंदूकों और रायफलों के बल पर ठेके लिये जा रहे हैं। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि यह शासन अक्षम हो गया है वहाँ स्वयं अपने मन से कोई निर्णय लेने में, और विकास के कार्य करने में, तो मेरा अनुरोध है कि दोनों ग्रुपों के नेताओं को मुख्य मंत्री जी बुलायें और समझौता करा दें, जैसे कि पुराने जमाने में अंग्रेज पिंडारियों को बुलाकर समझौता कराता था। इसलिये मैं मान गया हूं कि अब पूर्वी उ०प्र० में कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गयी है और वहां दो ग्रुपों का राज्य चल रहा है, इसलिये यदि आपकी सरकार वहां कानून व्यवस्था कायम नहीं कर सकती है, तो दोनों ग्रुपों के नेताओं को बुलाकर समझौता करा दें।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में गया था तो मेरी जानकारी में एक मामला आया कि तीन 16–16 वर्ष की युवतियां जो विवाहित थीं उनके साथ अत्याचार किया गया, जिसको सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है। वहां के लड़के आज अपराधी बन रहे हैं और अच्छे शरीफ लोग गोली के शिकार हो रहे हैं। इसलिये पूर्वी उ०प्र० जो एक तरफ सूखे से पिस रहा है और दूसरी तरफ रायफलों और बंदूकों की चपेट में पिस रहा है। इसलिये सभी कामों को रोक कर कानून व्यवस्था पर मान्यवर, आप चर्चा करायें।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, आजमगढ़ के घोसी में श्री झारखण्डे राय, एस०ओ० हैं जिन्होंने 60 वर्षीय श्री राम सनेही राय, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की विगत चुनाव के बाद हत्या करा दिया। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुधाकर सिंह जनतापार्टी के विरुद्ध फर्जी पचासों मुकदमें दर्ज करके उनका इंकाउन्टर करना चाहता है। श्री रमाकांत राय जो हमारी पार्टी से सम्बन्धित हैं उन्हें भी इंकाउन्टर करने की तलाश कर रहा है। सत्तारूढ़ दल के 10 विधायकों ने उसके आपराधिक कुकर्मों की शिकायत किया है। इस एस०ओ० के खिलाफ दर्जनों मुकदमें जैसे 395/397/394/342/323/284 के अंकित हैं लेकिन फिर भी उसके

[श्री मित्रसेन]

विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । इसके विरुद्ध सर्वदलीय पार्टियों ने दर्जनों सभायें की हैं, यहां वह चार साल से कार्यरत है, इसका स्थानान्तरण हो गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसका स्थानान्तरण रोक दिया है । श्री कल्पनाथ राय जो केन्द्र में मन्त्री हैं उनका इस एस०ओ० को संरक्षण प्राप्त हैं और इसलिये वह सरेआम कहता फिरता है कि जब तक मैं श्री कल्पनाथ राय के विरोधियों का सफाया नहीं कर दूंगा तबीतक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है । मान्यवर, इसलिये हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिंदगी खतरे में है जिसकी ओर मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं । और आपसे आग्रह करता हूँ कि सदन का सारा कार्य रोक कर इस कानून व्यवस्था पर चर्चा करायें ।

* श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, मैं भी आजमगढ़ के घोसी के एस०ओ० के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मान्यवर, कल्पनाथ राय जब आजमगढ़ में आते हैं तो कहते हैं कि मैं भारत सरकार हूं, और भारत सरकार का आदेश है कि यह दरोगा यहीं रहेगा और एक–एक राजनीतिक विरोधियों को मारकर ठीक करेगा । मान्यवर, एक दर्जन आदमी उसकी लिस्ट पर हैं । इसलिये वह उनके खिलाफ फर्जी मुकदमें लिख रहा है जिससे कि वह विरोध न करें । मान्यवर, दरोगा ने वहाँ के एक विधायक हैं उनकी गाड़ी को बंद कर दिया था, और उसके डर से बहुत से विधायक घोसी में जाने से कतराते हैं ।

उनकी जिन्दगी दूभर कर दी गयी है । पता नहीं कौन सा पावर उस दरोगा के पीछे है कि वह 4 साल से वहाँ पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ 28 क्रिमिनल केसेज हैं । उसका कहना है कि मैं अपने सारे विरोधियों को समाप्त करके दम लूंगा, सभी को मौत के घाट उतार दूंगा । कांग्रेस पार्टी के ही 10 विधायकों ने उसके खिलाफ एक आवेदन पत्र माननीय मुख्य मंत्री को दिया है । यह मामला बड़ा गम्भीर है । इस पर आप चर्चा कराने की अनुमति देने की कृपा करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

आजममढ़ के बारे में माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया, इसके बारे में सारे तथ्यों की छानबीन की जायेगी और उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुँवर सिंह नेगी की सूचना के विषय को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को भी वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । माननीय राम आसरे वर्मा की सूचना को मैंने शासन के पास ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा है । माननीय खैरुल बशर और माननीय मित्रसेन की सूचना को भी शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं । माननीय रेवतीरमण सिंह की सूचना को भी शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु भेज रहा हूं । शेष जितनी भी सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत आयी हैं उनको अस्वीकार करता हूं ।

(शोर–व्यवधान) (एक साथ अनेक सदस्यों के बोलने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के कारण सुनायी नहीं पड़ा ।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय खैरुल बशर ने जो सूचना एक सब इन्स-पेक्टर के बारे में दी है वह बहुत अहम है । वह राजनैतिक विरोधियों का सफाया करने पर तुला हुआ है । विधायक लोगों ने डर के मारे वहां जाना बन्द कर दिया है । कई सर्वदलीय मीटिंगें भी इसके खिलाफ हुई है । इसलिये आप इस पर वक्तव्य देने के लिये निर्देश दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(शोर–व्यवधान पुन: एक साथ अनेक सदस्यों के बोलने पर)

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

आप लोग कृपया बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह बिजली वाला मामला मान्यवर, बड़ा अहम है, रिहन्द में पानी समाप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैने नियम 51 में इस विषय के बारे में एक सूचना स्वीकार की है । जिन–जिन लोगों की सूचनायें इसके बारे में और होंगी उनको भी इसमें शामिल कर लिया जायेगा ।

(शोर–व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव–

एक व्यवस्था का सवाल है । लखनऊ विश्वविद्यालय पुलिस की छावनी बना हुआ है । 4 सितम्बर को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक सभा की इस उद्देश्य से कि छात्र संघ का जो चुनाव है वह कैसे हो·····

तो मान्यवर, जब सभा का आयोजन किया गया था तो उसमें कुछ छात्र नेता जैसे उमा शंकर चौधरी भाषण दे रहे थे, तो उसी वक्त वहाँ पर मौजूद पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और करीब 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया । इस घटना की वजह से पूरे विश्वविद्यालय में अशान्ति का वातावरण पैदा हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

जो मैंने निर्णय दे दिया है, उन पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती है । यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, आप बैठें । अब मद संख्या 17, माननीय केदार नाथ सिंह ।

श्री राम गोविन्द–

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष–

मैं उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठें ।

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

जो हमारी आज्ञा के बिना बोलेंगें, उनका एक शब्द भी नहीं लिखा जाएगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

हमें सुन लीजिए, हमने नियम 51 में दिया था और नियम 56 में दिया था । आप मुझे इतने महत्व के विषय पर आज्ञा नहीं दे रहें हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर निर्णय हो गया है । अब हम आगे बढ़ गये हैं । हमने केदार नाथ सिंह को बुला लिया है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

आप उस पर कम से कम शासन का ध्यान तो आकर्षित कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

केदार नाथ सिंह जी, आप बोलिए ।

श्री राम गोविन्द–

श्रीमन्, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था...

श्री अध्यक्ष–

महत्वपूर्ण है या नहीं है, इसका तो मुझे निर्णय करना है (व्यवधान) आप कृपया बैठिए (व्यवधान), मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 1983 (क्रमागत) †

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 1983 पर विवाद के पूर्व में...

श्री अध्यक्ष–

यह विधेयक है, आपको ध्यान रहे ।

श्री केदार नाथ सिंह–

यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैंने किसी राजनीति से प्रेरित होकर इस विधेयक को नहीं रखा है । उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम 1976, 8–11–76 को अधिनियमित किया गया था और 23-11-76 को प्रकाशित किया गया था । उसके प्रयोजन में यह लिखा है कि–सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले सिक्त क्षेत्रों या किन्हीं अन्य

† दिनांक 7 अप्रैल, 1983 की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्षेत्रों के व्यापक विकास से सम्बन्धित विषयों और इस प्रयोजन के लिए नियमित निकायों की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए ।' इस उद्देश्य से यह अधिनियम अधिनियमित किया गया है । मान्यवर, इसके पूर्व भूमि सरंक्षण नियम लागू था 72 में । क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत एक कमेटी है, जिसको प्राधिकारी कहते हैं । उस कमेटी को पूरा अधिकार है कि वह अपनी प्रयोजनाओं के संबंध में प्लानिंग तैयार करे, उसके खर्च-आय-व्ययक स्वीकार करे । मान्यवर, इसमें इस प्रकार की उत्तर प्रदेश के अन्दर तीन प्राधिकारी कमेटियों का गठन हुआ । एक गंडक समादेश परियोजना, दूसरी शारदा सहायक समादेश परियोजना और तीसरी रामगंगा परियोजना प्राधिकार कमेटी कहलाती है । इन तीन प्राधिकार कमेटियों के अन्दर इस प्रदेश के 26 जिले कार्यरत हैं और इन 26 जिलों के अन्दर क्षेत्रीय विकास का कार्य इन्हीं के माध्यम से होता है ।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि करोड़ों करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं और इसमें आधे पैसे को किसानों से वसूल किये जाने का प्राविधान किया गया है, और उसी प्राविधान के अंतर्गत आज किसानों से जबरन वसूली की जा रही हैं। लेकिन इस प्राधिकारी कमेटी द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही हैं उन योजनाओं में किसी भी प्रकार की राय देने का अधिकार वहाँ के जन प्रतिनिधियों को नहीं है । सन् 76 में जो अधिनियम बना था उसके अंतर्गत प्राधिकारी कमेटी में 15 सदस्य रखें गये थे । उनमें से 10 तो केवल अधिकारीगण हैं । विभिन्न संस्थाओं के 10 अधिकारीगण हैं और 5 जन प्रतिनिधियों को नामांकित करने का प्राविधान उस अधिनियम में रखा गया था। मान्यवर, 10 तो अधिकारी हैं और 5 उस क्षेत्र में रहने वाले छोटे छोटे किसानों को नामांकित करने का प्राविधान है ।

मान्यवर, आप जानते होंगें, अनुभव किया होगा कि जितनी जिम्मेदारी जन प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास के संबंध में होती है, उतनी जिम्मेदारी वहन करने की क्षमता अधिकारी और जो बाहर के आदमी होते हैं उनमें नहीं होती है । बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी रखने वाले लोग जैसे सांसद हैं माननीय विधान सभा के सदस्य हैं, इस प्राधिकारी कमेटी से वंचित रखे गये हैं । ऐसे लोगों को प्राधिकारी कमेटी में नामांकित किया गया है जिनको कोई ज्ञान नहीं है । प्रशासक जिसको चाहे अपनी संस्तुति भेजकर नामाँकित करा दें । इस प्रकार के 4 सदस्यों को नामाँकित करने का प्राविधान है होता यह है कि ऐसे प्रतिनिधियों का गठन जब हो जाता है तो जो प्राधिकारी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, आई० ए० एस० होते हैं उन्हीं के निर्देश के अनुसार वह जैसा चाहते हैं उस तरह की स्वीकृति वहाँ करा ली जाती है, और इस प्रकार से करोड़ों रूपया जो प्राधिकारी कमेटी के माध्यम से व्यय होता उसमें जन प्रतिनिधियों की राय न होकर केवल प्रशासक की डिक्टेटर शिप में वह व्यय होता है । जन प्रतिनिधि जब तमाम शिकायतें लेकर जाते हैं तो उनकी सुनवायी नहीं होती है ।

मैं कहना चाहता हूँ कि अभी सन 80 में मैंने एक शिकायती पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में गंडक समादेश के बारे में भेजा था । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार की कहीं भी ऐसी नीति नहीं है कि विकास के लिये जो पैसा है उससे फर्नीचर और कूलर

[श्री केदार नाथ सिंह–]

आदि खरीदे जायँ । बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि 12 लाख रूपया गंडक समादेश में जो नालियों आदि को मजबूत बनाने के लिये था, उस पैसे से फर्नीचर और कूलर खरीदे गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह कार्य किसी नान आई० ए० एस० अफसर ने किया होता तो निलंबित किया गया होता और आज सड़कों पर मारा मारा फिरता ।

मान्यवर, इसी के बारे में मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ । मान्यवर, कुछ लड़के खेल रहे थे और वह गदहे की सवारी कर रहे थे । तो मान्यवर, उसी खेल ही खेल में गदहा मर गया । तो उसमें किसी लड़के ने कहा कि बड़ा भारी पाप हो गया ! तो उस पाप को मिटाने के लिये लड़के पंडित जी के पास पहुंच गये और कहा कि पंडित जी गदहा खेल-खेल में हम लोगों से मर गया हैं इसका पाप निवारण कैसे होगा ! तो पंडित जी ने कहा तुमको सोने की गदहे की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मण को दान में देनी पड़ेगी । तो लड़के अवाक रह गये क्योंकि गरीब बच्चे थे । तब तक एक लड़के ने कह दिया कि उसमें पंडित जी आपका लड़का संतोष भी था । तो पंडित जी ने कहा– जब 10–5 लड़कों में एक संतोष तो गदहा मरने में कोउ न दोष ।

मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह आई० ए० एस० अपनी बिरादरी के साथ दूसरी कार्यवाही करते हैं और नान आई० ए० एस० के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं । यह हाथी हजम कर जायं कोई पूछने वाला नहीं है । यह आई० ए० एस० गण्डक समादेश, शारदा सहायक समादेश और राम गंगा समादेश में बैठकर अनापशनाप काम कर रहा है और मनमाने काम कर रहा है । जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली जाती है । मैंने सन् 80 में यह कहा था गण्डक समादेश के अध्यक्ष से कि जितने कुलाबे, पुलियां और चकरोड का निर्माण किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है, उन क्षेत्रों का मुआयना कर लिया जाय । 80 के बजाय 83 हो गया लेकिन कोई अधिकारी वहाँ नहीं गया इस बात को देखने के लिये कि जिन क्षेत्रों में कुलाबों का निर्माण किया गया है उसमें पानी चढ़ता है या नहीं । किसान उनसे सिंचाई कर लेता हैं या नहीं ।

जनप्रतिनिधि दौरा करते हैं, ब्लाक प्रमुख दौरा करते है । ग्राम प्रधान तो ग्राम के विकास की बात सोच सकता है लेकिन यह आई० ए० एस० कुर्सी पर बैठकर ऊंघ रहे हैं और अन्धे होकर काम कर रहे हैं । यदि इसमें संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, ब्लाक प्रमुख होते तो ऐसी त्रुटियां कदापि न होने पाती । आधा पैसा किसान का और आधा पैसा सरकार का यह अफसर लूट रहे हैं । यह पैसा किसानों की गाढ़ी कमाई का वसूल किया जा रहा है समादेश क्षेत्र के अन्तर्गत और यह अधिकारीगण उसका व्यय मनमाने ढंग से कर रहे हैं । जनप्रतिनिधि होते तो ऐसा न कर पाते ।

श्री अधिष्ठाता–

कितना समय आप और लेंगे 4 बजे तक 3 विधेयक लेने हैं ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मैं जल्दी समाप्त करूंगा । इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने यह संशोधन पेश किया है । मान्यवर, आप अधिनियम 15, 1976 की धारा 6 को देखें इसमें ब्लाक प्रमुख,

विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों को उचित स्थान नहीं दिया गया । जो सही माने में अपने क्षेत्र के विकास से गहरी दिलचस्पी रखते हैं । मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, इसमें संगत धार को दिया है जो संशोधन है वह दिया है । इसमें देखें 15 सदस्यों में केवल 5 जनप्रतिनिधि है बाकी सब अधिकारीगण है । इसमें परियोजना प्राधिकरण का अध्यक्ष आई. ए. एस. बनाया गया है ।

इसमें यह प्राविधान नहीं था कि संसद सदस्य, विधायक भाग ले सकें । मैंने अपने संशोधन में प्राविधान किया है कि जो विधान सभा का सदस्य है और जिनका क्षेत्र कम से कम उस प्राधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आधा पड़ता है, संसद सदस्य जिनका क्षेत्र उस प्राधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कम से कम आधा पड़ता है जो ब्लाक उसके अन्तर्गत आते हों उनके ब्लाक प्रमुख को सदस्य माना जाय । संसद और विधायकों की एक वर्णानुक्रम सूची बनायी जाय और उस वर्णानुक्रम के अनुसार पहले जो नाम आता हो वह मीटिंग की अध्यक्षता करे ! इस सदन में कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है कि जिन बैठकों की अध्यक्षता आई. ए. एस. करता है उसमें जनप्रतिनिधि भाग न लें । इसी को दृष्टिगत रखते हुए मान्यवर, मैंने यह प्राविधान किया है । वर्णानुक्रम सूची बनायी जाये उसके अनुसार अलग बैठकों की भिन्न-भिन्न लोगों को अध्यक्षता का अवसर मिलेगा और सभी माननीय सदस्य अध्यक्षता करेंगे ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, इस प्रकार यह जो विधेयक, संशोधन मैं लाया हूं वह इस पक्ष के लिए भी और उस पक्ष के लिए भी और जनता के लिए भी कल्याणकारी है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने माननीय बड़े भाई से जो ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं बलराम सिंह यादव जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को स्वीकार करें । यह सही है कि आई०ए०एस० जो मनमानी कर रहे हैं जो हमने शिकायत की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह जांच कर रहे हैं । वित्तीय अनियमितता को दूर करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं । यहाँ मंत्रियों की बदलियाँ होती रहती हैं यह नियम बन जायगा तो हम वहां अंकुश बनाये रखेगें वहां नियन्त्रण बनाये रखेगें, फिर यहां माननीय सदस्यों को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी । इसलिए मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या और कोई माननीय सदस्य बोलने में रूचि नहीं रखते ?

* श्री नन्द किशोर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, केदारनाथ जी ने जो विधेयक रखा है उसके समर्थन में दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ । पूरा गंडक समादेश देवरिया जिले का आधा, जिला गोरखपुर का आधा जिला गंडक समादेश में कार्य कर रहा है । करोड़ों रुपया खर्च किया गया है लेकिन कोई फायदा नहीं है । जाहिदी साहब बैठे हुए हैं, एक सड़क बनाने हेतु कहा गया करोड़ों रुपया खर्च हो गया । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो एक कि.मी. बन रही थी उसमें डेढ़ मीटर भी नहीं बनी है । मान्यवर, गांव के 2–3 लोगों को बैठाकर प्रस्ताव पास करते हैं इस संबंध में कई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नन्द किशोर सिंह–]

बार निवेदन किया गया कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो प्रशासक थे वह अब हटा दिये गये लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार बसा हुआ है। निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण होने चाहिए। समिति बनाने के लिए जो ब्लाक प्रमुख हैं चाहे किसी परिषद के मंत्री हो या एम. एल. ए. हों उससे पूछताछ करने की ओर शासन का कोई ध्यान नहीं गया। अधिकारी वहां जाकर जांच करे जो रुपया पड़ा है उसका कोई फायदा नहीं है। गंडक समादेश में जितने अधिकारी है बड़े अधिकारियों को छोड़कर जितने नीचे के कर्मचारी हैं वह सब देवरिया और गोरखपुर के हैं। जिस दिन मीटिंग होती है कसिया, पडरौना आदि जाकर मीटिंग में हाजिर हो जाते हैं कोई काम नहीं हो रहा है लूट हो रही है।

* श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

माननीय केदार नाथ सिंह जी ने जो क्षेत्र विकास के संबंध में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है...

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको बीच में टोक रहा हूं मुझे नहीं टोकना चाहिए था माननीय सदस्य कुछ कहना चाह रहे हैं ?

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण छाया हुआ है उसका कारण यह है कि हर जगह अफसरों ने अपनी अफसरशाही की है। कहीं भी राजनीतिक प्रतिनिधियों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, जो विधेयक माननीय केदारनाथ सिंह जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जहां भी पैसा खर्च होना है, मैं शासन से मांग करता हूं कि वहां पर जन प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है जिस क्षेत्र में पैसा लगता है, आज सड़कों का हाल देख लीजिये पी. डब्लू. डी. मन्त्री जी ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हो रही है, के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। लेकिन उसमें मुख्य अभियन्ता ने यह रिपोर्ट भेजी कि यह कमेटी बेकार है और इसको भंग कर दिया जाना चाहिये और मंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, इसलिये वहां पर किसी के कार्यकलापों की रिपोर्ट न हो, उन पर कोई अंकुश न रहे इसलिये उस कमेटी को भंग कर दिया। इस प्रकार शासन भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहा है। मंत्रिमण्डल भी उसमें अपना हिस्सा रखता है और चाहता है कि वहां पर जो भी हो, होता रहे। किसी का भी उसमें हस्तक्षेप न रहे और वह उसमें मन माने रूप से काम कर सके ताकि चुनाव में पैसा मिल सके इसलिए मान्यवर, माननीय केदार नाथ सिंह जी ने जो विधेयक रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री रुद्र प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके यहां सब भ्रष्ट हैं। आपके अभियन्ता भ्रष्ट हैं। आपके मंत्रि–मंडल में जो हैं वह सभी भ्रष्ट हैं। ये नियम के अनुसार न तो काम कर सकते हैं और न करा सकते हैं। मान्यवर, मैंने प्रशासक को तीन चिट्ठियां लिखी थीं कि हमारे क्षेत्र में तीन गांवों में बड़ा भ्रष्टाचार है, देख लें। बाद में मैं खुद सशरीर उपस्थित हुआ देवरिया में सन् 82 में, और उनसे कहा कि आप नहीं चलेंगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा बहुत विनय के बाद उन्होंने श्री विश्वकर्मा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं को मेरे साथ कर दिया और कहा कि जाकर जानकारी कर आवें। श्री विश्वकर्मा ने उन पाँच गाँवों का दौरा किया तो देखा कि जहां जहां नालियाँ बनी थी परिश्रम से बनी थीं उनकी ईंटें बाहर हो गयीं, और जो खाका नक्शा दिया गया था कि नालियाँ बन गयी हैं, वह बनी ही नहीं है। उन्होंने वादा किया कि कार्यवाही करेंगे। उसके बाद तीन चिट्ठियां लिखने के बाद जवाब मिला कि कार्यवाही की जा रही है, आवश्यक कार्यवाही हो रही है। लेकिन कोई कार्य–वाही नहीं हुई। मान्यवर, दो हजार रुपया लेकर कार्यवाही रुकवा दी।

मेरा स्पष्ट आरोप है ज्ञानी सिंह जो इन्सपेक्टर था, हाटा में रखा गया है उसके खिलाफ जनता के पैसे से जो नालियां बनायी जा रही हैं तो वह ठीक नहीं हैं। देखने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। आप हमको रास्ता बताते हैं। मान्यवर, देवरिया जिले में पाँच गांव हैं नोहन, सिसवा, उदयपुरा, मलघोट विरोचा, छितौनी देवघाट ये जो गाँव हैं इनके बारे में मान्यवर, जानकारी कर लें अगर मैं गलत कहता हूं तो जो दण्ड है, मैं वह दण्ड सहने के लिये तैयार हूं। यदि नहीं—तो तत्काल वहां से विश्वकर्मा को हटाकर उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाय। मान्यवर, जब हम अधिकारी लोगों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि आप लिख कर दें हम उस पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हां, सिर्फ एक पासपोर्ट है, जिससे हम अधिकारियों से मिल सकते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विषय पर विशेष ध्यान दें।

* पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मन्त्री [श्री बलराम सिंह यादव]–

मान्यवर, माननीय श्री केदार नाथ सिंह जी ने जो क्षेत्रीय विकास से संबंधित संशोधन दिया है, उसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि इसका किसी भी तरीके से औचित्य समझ में नहीं आता है। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं, जो माननीय सदस्य ने अपने सुझाव दिये हैं, उनमें काफी बल है। मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि उनकी जो शिका-यतें हैं वे दूर हों।

मान्यवर, समादेश क्षेत्रीय विकास की जो परियोजनायें हैं, वह केवल इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के हर प्रान्तों में चल रही हैं, और क्षेत्रीय विकास के लिए इसका बहुत महत्व है। हमारे प्रदेश में तीन कमान्ड एथोरिटी हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस मामले में हम प्रथम हैं, इसलिए मान्यवर, भारत सरकार पूरे प्रान्तों के कमान्ड

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलराम सिंह यादव–]

एथोरिटी आफीसर्स की एक कान्फ्रेन्स, इस प्रदेश में करने जा रही है। इस योजना में ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रशासक या अध्यक्ष अपने मनमाने ढंग से काम करे। इसके जो आफीसर्स हैं वे भारत सरकार के निर्देशों तथा प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही काम करते हैं।

दूसरा, इसमें संशोधन हम इसलिए भी नहीं कर सकते हैं कि यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, उन्हीं का यह मोडल एक्ट है, जिसे हमने अपने प्रदेश के अन्दर लागू किया है। अन्य प्रदेशों में भी यही प्रक्रिया है वहां पर भी इसके पदेन अध्यक्ष है। जहां तक माननीय सदस्यों का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो आपके प्रगतिशील किसान हैं, उनको इसमें मनोनीत किया जाता है। इसमें आपके नौनआफिशियल तथा प्रगतिशील किसान भी बैठते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो संशोधन इसमें लाया गया है उसका कोई खास औचित्य नहीं है। इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विरोध करने के कुछ कारण बताये। साथ ही यह भी कहा कि यह योजना बहुत भली है, इसमें हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। हमने यह कहां कहा कि आपकी योजना गलत है, हमने आपकी इस योजना को कन्डम करने के लिए कहाँ कहा और आपके कार्यों की आलोचना हमने कहाँ की ? हम तो कह रहे थे कि इस योजना को द्रुतगामी बनाने के लिए इसे और सशक्त बनाने के लिए आप माननीय विधान सभा के सदस्यों तथा लोकसभा के सदस्यों, ब्लाक प्रमुखों तथा ग्राम प्रधानों को, जिस तरह से आप समझें, उस तरह से आप उन्हें इसमें शामिल कर लें।.....

हमारे कहने का तात्पर्य यह था और आप योजना के बारे में कहने लगे। दूसरी चीज हमें यह कहनी है कि आप कह रहे हैं कि यह अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा पोषित है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, बड़े नम्र शब्दों में, कि इसमें क्या यह सत्य नहीं है कि 50 फीसदी, अगर 100 करोड़ की योजना है तो 50 करोड़ आप किसानों से वसूल लेंगे ? अगर यह सत्य है, तो जन प्रतिनिधियों को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। इसके पीछे क्या औचित्य है, उस औचित्य को आप समझा दीजिए, मैं प्रस्ताव वापस ले लूंगा। यह तो खुली बहस है, आप इस औचित्य को समझा दीजिए, आप कह दीजिए कि वहां के 4 किसानों को नामिनेट कर दिया जा रहा है। मान्यवर, गंडक समादेश, शारदा सहायक समादेश या राम गंगा समादेश में जो आपने चेयरमेन आई. ए. एस. भैंसे छोड़ दिये हैं, वे जिसका नाम भेजते हैं, आप आँख मूंद कर उसे मान लेते हैं।

मुझे तो यह भी सूचना हैं कि आपके दल के जिला अध्यक्षों से यह भी नहीं पूछा जाता कि इनको शामिल किया जा रहा है, यह उचित है या नहीं। तो, फिर किस प्रकार से आप उनका प्रतिनिधित्व मानते हैं ? मान्यवर, यह अपने दल के जिला अध्यक्षों से भी उनके नामांकन के संबंध में नहीं पूछते, अगर पूछते हैं, तो वे कह दें, मैं इसे वापस लेता हूं। आखिर कुछ तो औचित्य दीजिए। आप उन अधिकारियों के कहने में आकर आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुमत चूंकि यहां आपका है, आप कह सकते हैं कि हमारा खूटा यहीं

रहेगा, और हाथ उठ जायेगा बहुमत आपका है, हमारा विधेयक गिर जायेगा। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आपसे कहता हूं आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी बड़ी कद्र करता हूं, इस विधेयक में कोई कमी हो, तो आप उसमें संशोधन कर दें। मैं स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन, यह तो खुली बहस है। लोकहित में, जनहित में और विधान सभा सदस्यों के हित में एवं राष्ट्र हित में, अगर यह आपको उपयोगी लग रहा है, तो इसे अस्वीकार करने का, यहां विरोध करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

मान्यवर, एक चीज और नम्रता के साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर यह कहें या आश्वासन दें कि इस विधेयक पर पुर्नविचार करके हम संशोधन खुद लायेंगे, तो यह भी सम्मानजनक होगा और हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। लेकिन, मेरा अनुरोध है कि आप जबरन इसे मत लाइये, जिद्द करके मत लाइये और इस बहुमत की दुधारू तलवार को हमारे इस विधेयक पर इस्तेमाल न करें। मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपका बहुमत है, आपकी अपनी जगह पर अहमियत है, आप कह देंगे तो यह विधेयक पास हो जायेगा, हमारे विरोध पक्ष के चाहने या न चाहने पर यह निर्भर नहीं करता है। इसलिए मेरा बड़ी नम्रता के साथ अनुरोध है कि कुछ उदारता इस विधेयक के सम्बन्ध में दिखलाइये।

आपसे मैं बताऊं कि एक-एक बीघे पर, एक-एक एकड़ पर 500 रुपए की लगान वसूल की जा रही है, किसान की गाढ़ी कमाई को वसूला जा रहा है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देंखे। दूसरी चीज इस पक्ष के ही नहीं उस पक्ष के भी माननीय सदस्यों की भली-भांति जानता हूं कि उनकी भारी शिकायतें रहती हैं। कुलाबे जो बने, उसकी ईट हाथ में नजर आयेगी। कुलाबे जो बनाये गये, यह सायल कंजरवेशन इंस्पेक्टर जो होते हैं, अपने घर से ठेकेदारों को ले जाकर खुद बनवा लिये। आज नतीजा यह है कि जिनसे 400-500 रुपया अगर टैक्स लिया जा रहा है, विकास का टैक्स लिया जा रहा है, उसके खेत में पानी नहीं चढ़ नहीं रहा है। अगर यह बात आपके मन के अंदर न बैठे तो मैं आपको करीब 50 ऐसे कुलाबों को दिखाने के लिये तैयार हूं, जिसमें किसानों की गाढ़ी कमाई लगायी गयी, लेकिन आज वहां पानी नहीं चढ़ रहा है और उनके ऊपर वसूली की जा रही है। तो मान्यवर, मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है, आप देखें जिनकी पीठ पर चमड़ी नहीं है, जिनके पास मात्र एक एकड़ जमीन है उनसे विकास टैक्स लिया जा रहा है। उनकी गाढ़ी कमाई को ध्यान में रखते हुये, उदारता दिखलाते हुए, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी उठ कर यह कहें कि पुर्नविचार कर लेंगे, तो मैं इसे वापस ले लूं। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने आप संशोधित करके इस विधेयक को बना लीजिए, और यहां रख दीजिए।

श्री बलराम सिंह यादव–

बीच का कोई रास्ता बतलाइये।

श्री केदार नाथ सिंह–

कुछ उदारता दिखलाइए मैं विधेयक वापस ले लूंगा।

श्री बलराम सिंह यादव–

मैं चाहता हूं कि कोई बीच का रास्ता निकल आये। अच्छा होगा कि मा० सदस्य विधेयक को वापस ले लें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अगर मा. मन्त्री जी और मा. केदार नाथ सिंह जी को स्वीकार्य हो तो ब्लॉक प्रमुख, जो निर्वाचित हो गये हैं उनको इसका सदस्य बना दें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मा. अधिष्ठाता महोदय, मैं भी ऐसा महसूस करता हूं कि किसी न किसी स्तर पर जनप्रतिनिधियों को, जो चुनकर आ गये हैं, उनको सम्मिलित कर लिया जाय तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरी सरकार जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है । इस पर यदि मा. मन्त्री जी विचार करने की बात भी कहें तो भी मा. केदार नाथ सिंह जी इसे वापस ले लें ।

श्री बलराम सिंह यादव–

यह मामला पहले से ही सरकार के विचाराधीन है कि ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनको इसका सदस्य बना दिया जाय । मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि 3 या 5 ब्लॉक प्रमुख सरकार द्वारा नामित किये जाया करें ।

श्री केदार नाथ सिंह–

ठीक है, मैं इस विधेयक को मा. मन्त्री जी के आश्वासन पर वापस लेता हूं ।

(हर्षध्वनि)

श्री अधिष्ठाता–

यह जो चर्चा हुई, यह विधेयक सदन की सम्पत्ति था । इसलिये इस पर सदन की अनुज्ञा आवश्यक है ! इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(सदन की सहमति से विधेयक वापस लिया गया ।)

उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1983

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । इस सम्बन्ध में इससे पहले 2 वर्ष पूर्व संकल्प भी प्रस्तुत कर चुका था, जो अस्वीकृत हो चुका था । उसमें अस्वीकृति के पीछे मा० मंत्री जी ने कारण बताया था कि जो बंजर, बीहड़ और ऊसर जमीन है 70 लाख हैक्टेयर, उसका उद्धार करना राज्य के सीमित साधनों को देखते हुए सम्भव नहीं है । मैंने 5 वर्ष का समय रखा था । वास्तविकता भी यही है कि जो साधन राज्य सरकार के पास हैं, उससे सारी ऊसर भूमि का सुधार करना सम्भव नहीं था ।

तो इसलिए श्रीमन्, इसे विधेयक के रूप में इस सदन के समक्ष रख रहा हूं । मैं संक्षिप्त में इसके संबंध में दो तीन बातें कहूंगा कि अनुत्पादक कृषि भूमि की परिभाषा इस

विधेयक में जो मैंने रक्खी है, वह यह है कि "अनुत्पादक कृषि भूमि" का तात्पर्य 25 एकड़ से बड़े भूखंडों में स्थित उस भूमि से है जो कि कृष्य बेकार, बंजर, बीहड़ अथवा ऊसर हो और जिसमें निर्धारित मापदण्ड, जैसे नियमों में दिये जाएं, के अनुसार कोई वन न हो, अथवा खेती न हो।"

तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास आज बहुत सी भूमि ऐसी है, जो बिल्कुल बेकार पड़ी है और जिस पर वर्षों से उत्पादन नहीं हो रहा है, ऐसी भूमि हमारे पास 45 लाख हेक्टेयर है, जो बोई हुयी भूमि की 16 से 18 परसेंट है। तो ऐसी भूमि को जब हम उपजाऊ बनायेंगे तो इसके लिए जिन साधनों की हमें आवश्यकता होगी वह कितनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें आवश्यकता है जन-शक्ति की, तो यह जन-शक्ति आज हमारे पास अथाह है, अर्थात इतनी अधिक है कि हमारे यहां इसकी पूरी तरह खपत नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आज काफी संख्या में आदमी हमारे यहां का दूसरी जगह जाकर नौकरी तलाश कर रहा है। और दूसरी आवश्यकता है जल की। तो यह भी सबको मालूम है कि हमारे पास शायद पूरे भारतवर्ष के समस्त सूबों से ज्यादा ही है, जबकि इसका इस्तेमाल हमारे यहां केवल 10 परसेंट ही होता है और 90 परसेंट जल बेकार हो जाता है।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश की स्थिति आज विचित्र है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे यहां जो कृषि योग्य भूमि है, जिस पर खेती हो सकती है, वह 16 परसेंट तो वैसी ही बेकार पड़ी हुयी है, जैसे हमारे शरीर को लकवा मार जाए या अन्य कोई बीमारी हो जाए, जिससे जिस्म बिल्कुल अपंग हो जाए, इसी प्रकार से हमारी भूमि का छठवाँ हिस्सा बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, इसी प्रकार से हमारे यहां का जल 90 परसेंट के करीब ऐसे ही जा रहा है और जन-शक्ति की भी स्थिति यही है, जिसका सही इस्तेमाल यहां न हो कर दूसरी जगह हो रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए यह आवश्यकता समझी कि इस विधेयक को मैं आदरणीय सदन में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही एक बात और रह जाती है, जिसका कहना बहुत जरूरी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर जो असामाजिक तत्वों से संबंधित समस्याओं का सवाल ज्यादा उभरा हुआ है, उसका मात्र कारण इन बीहड़ों और बंजरों से भी हैं और आप देखिए कि जो जिले दस्यु प्रभावित घोषित हुए हैं, आगरा, मथुरा, कानपुर, मैनपुरी वगैरह, इन जिलों में ज्यादा ऊसर और बीहड़ भूमि है। लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी प्रत्येक जिले में है और ऐसे ही स्थानों पर ऐसी असामाजिक तत्वों की समस्याएं अधिक हैं, जहां पर अनुत्पादक भूमि अधिक मात्रा में बेकार पड़ी हुई है, इसलिए यह विधेयक लाने की हमने आवश्यकता समझी है।

श्रीमन्, इसमें व्यवस्था काफी विस्तृत है और काफी लम्बा यह विधेयक है आप इसकी एक-एक धारा को देखें तो काफी समय लगेगा। मैंने इसमें जो मुख्य प्राविधान किया है उसके बारे में यहां कुछ विचार रखता हूं। श्रीमन्, जो भूमि के मालिक हैं और जो भूमि अनुत्पादक है उसमें कृषि हो सकती है और वन लगाये जा सकते हैं, तो इस भूमि के जो मालिक हैं उनके लिये भारतवर्ष के संविधान में स्पष्ट दिया हुआ है कि हमारे उत्पादन के जो ऐसे श्रोत हैं उन सबको अधिक से अधिक उपयोग करना है। श्रीमन्, एक तरफ तो

[श्री जयदीप सिंह बरार–]

बेकारी और एक तरफ अन्न की उत्पादन की समस्या और दूसरी तरफ उन सब समस्याओं से निपटना। इन सब समस्याओं से निपटने के लिये साधन मौजूद हैं परन्तु हम उसका उपयोग नहीं करते हैं और इस तरह से अपने दायित्व से हम विचलित होते हैं।

आज जो ऐसी भूमि के स्वामी हैं उनका दायित्व है कि जिस दिन से यह विधेयक लागू होगा उसी दिन से समस्त ब्यौरा जहां खेती नहीं होती है या जहाँ वन नहीं हैं, उस अनुत्पादक भूमि का पूर्ण ब्यौरा उसे प्रस्तुत करना होगा। परगनाधिकारी को, और वह परगनाधिकारी यह देखेगा। यदि परगनाधिकारी उस ब्यौरे से सन्तुष्ट हो जाता है कि यह भूमि अनुत्पादक नहीं है या इससे सन्तुष्ट हो जाता है कि यह भूमि अनुत्पादक है तो उस भू-स्वामी को एक इकरारनामा करना पड़ेगा कि जो उसकी इस प्रकार की अनुत्पादक भूमि पड़ी हुई है ,उसमें नियत रीति के अनुसार उसको कृषि योग्य बनाने के लिये या वन लगाये जाने के लिये वह इकरारनामा करने पर बाध्य होगा। जहां यह एक जिम्मेदारी शासन के लिये थी, मैंने इस विधेयक के द्वारा यह कोशिश की है कि इस दायित्व को भू-स्वामियों पर डाला जाय। इस पर कुछ लोग कहेंगे कि यह तो उनके ऊपर बर्डेन है।

मैं कहता हूं कि जो हमारे उत्पादन के श्रोत हैं वह किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है। हमारे यहां इस संबंध में बहुत से भूमि सुधार अधिनियम लागू हुए हैं कि भू-स्वामित्व सरकार में निहित है और भू-स्वामी एक टेनेन्ट की हैसियत से है, चाहे वह भूमि का भूमिधर हो या चाहे सीरदार हो और इस राज्य में बसने वाली जनता के लिये उसका उपयोग सुलभ किया जाना आवश्यक है। मैंने सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दी है जो कि निर्धारित शर्तों के मुताबिक इसका उद्धार करेंगे या करने के लिये तैयार हैं और वही उसके भू-स्वामी रहें। भू-स्वामी चाहें कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे ग्राम सभा का हो चाहे राज्य सरकार की भूमि हो। यदि भूमि उत्पादन नहीं दे रही है तो वह उस भूमि को ऐसे लोगों को स्थानान्तरित करे जो उस पर उत्पादन करने के लिये तैयार हों। अब चाहे वह भूमि ग्रामसभा की हो या वह व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति हो परन्तु उस भूमि का उपयोग होना बहुत ही आवश्यक है।

श्रीमन्, इसमें जो प्राविधान है कि यदि भू-स्वामी इकरारनामा नहीं करता है तो क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी कि परगनाधिकारी अनुत्पादक भूमि को अवधारण करेगा। नियमों के अनुसार वह अवधारण करेगा उस भूमि का जो कि अनुत्पादक है उस भूमि पर कृषि करने के लिये या वन लगाने के लिये वह ऐसे व्यक्ति को देगा जो कि उसका उद्धार करने के लिये तैयार हो चाहे वह व्यक्ति विशेष हो, चाहे उसे ग्राम सभा ले परन्तु शर्त यह रहेगी कि उस अनुत्पादक भूमि पर कृषि की जाय या फिर वन लगाये जाएं और उसे उत्पादक बनाया जाय। यह काम वन विभाग भी कर सकता है। इसी संशोधन के साथ वह भूमि व्यक्ति विशेष को, या ग्राम सभा को या फिर वन विभाग को सौंप दी जायेगी।

मान्यवर, एक प्राविधान मैंने इस में रखा है कि जो भूमि होगी उसकी दो श्रेणियाँ होगी। मान्यवर, हमारे प्रदेश में वनों की बहुत कमी है। 33 प्रतिशत वन होने चाहिए परन्तु इस समय 20 प्रतिशत ही वन हैं और वह भी डिग्रेडेड हैं। मैंने ऐसी भूमि पर वन लगाने का प्राविधान रखा है। ऐसी भूमि पर जहां पर खेती न हो सके वहाँ पर वन लगाये

जाये अथवा उन्नत चरागाह हेतु वह भूमि निर्धारित की जायेगी। दूसरी श्रेणी में मैंने उस भूमि को रखा है जो कृषि योग्य बनायी जायेगी। अब मान्यवर, प्रश्न आता है इस प्रकार की भूमि के आवंटन का। इस विधेयक की धारा 10 में मैंने यह प्राविधान किया है कि इस प्रकार की भूमि का आवंटन किस प्रकार से किया जाये। मैंने यह प्राविधान किया है कि अनुत्पादक कृषि भूमि के आवंटन हेतु गजट में सूचना प्रकाशित करायी जाये और उसके लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाये और प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात नियमानुसार वृक्षारोपण अथवा उन्नत चारागाह बनाने हेतु भूमि का आवंटन निम्नलिखित प्राथमिकता पर निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा—

(क) ग्राम सभायें जिनमें वह भूमि स्थिति है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार का वन विभाग।

(ग) वन उत्पाद पर आधारित उद्योगों को सिर्फ अपने उद्योग में उपयोग के लिए वृक्षारोपण हेतु।

(घ) इस धारा की उपधारा (3) के अनुसार जो भूमि कृषि योग्य बनायी जायेगी उसके आवंटन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से रखी जायेगी।

(क) भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की सहकारी समितियां एवं निबन्धित संस्थाये—

(ख) अन्य भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी समितियों एवं निबन्धित संस्थाये।

(ग) अन्य शक्तियों की सहकारी समितियां एवं निबंन्धित संस्थाये।

(घ) अन्य जिसमें सभी वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित है।

मान्यवर, जब भूमि का आबंटन हो जायेगा। तो नियत प्राधिकारी भू-स्वामी से उसकी आवंटित की गयी भूमि का अंतरण निर्धारित मूल्य पर आवंटी के पत्र में करने के लिए आदेश पारित करेगा। इस आदेश के पारित होने की 30 दिन की अवधि के भीतर भू-स्वामी उस भूमि का अंतरण नियत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य आवंटी से प्राप्त कर के आवंटी को निबंधित अंतरण पत्र द्वारा करने के लिए बाध्य होगा। मान्यवर, भूमि वनारोपण के लिए वनों पर आधारित उद्योगों को दी जा सकती है। हमारे यहां पर कागज की बहुत कमी है। जिस प्रकार का उद्योग वहाँ पर स्थापित किया जाये, वह उद्योग स्वयं अपने उद्योग में प्रयोग होने वाले वनों को लगावे, 4-5 साल के बाद उनके प्रयोग के लायक वन तैयार हो जायेगें।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि इस समस्या से निपटना आसान नहीं है। अकेला व्यक्ति इसको हल नहीं कर सकता है। इसलिये राज्य सरकार में यह दायित्व डाला गया है कि वह ऐसे स्थानों पर जहाँ-जहाँ ये लोग भूमि का उद्धार करने के इच्छुक हो वहाँ पर प्रशासनिक और तकनीकी सहायता दें जिससे उसका उद्धार किया जा सके। यह अभी हो रहा है परन्तु इसमें प्राविधान कर दिया गया है।

मान्यवर, अब मैं कहना चाहता हूं कि इस अन्तरण की आवश्यकता क्यों है। कुछ लोग आपत्ति कर सकते है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि संविधान में स्पष्ट दिया हुआ है कि राज्य के उत्पादन श्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जायेगा और यह राज्य का सबसे

[श्री जयदीप सिंह बरार–]

प्रमुख कर्तव्य है इसलिये इस पर कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता कि इसका उपयोग क्यों किया गया। दूसरे अन्तरण में यह बात आती है कि मान्यवर, आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी ऊसर और बीहड़ भूमि बड़े-बड़े ब्लाकों में होती है। अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई ग्राम सभा या कोई भी संस्था अपनी भूमि का उद्धार करना चाहे और उसमें कोई बीहड़ भूमि है, ऊसर है, उसमें नाले हैं और जैसे यदि किसी के पास 10 एकड़ जमीन इस तरह की है तो शेष सारी भूमि से इस भूमि के ऊपर पानी भर जायेगा। इस तरह से जब तक उसमें जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जायेगी तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है उसको सुधारा नहीं जा सकता है। ऊसर भूमि में लवण, नमक इत्यादि होते हैं। वह पास की भूमि से उसकी भूमि में फिर आ जाएंगें।

इन सब चीजों को देखते हुए यह आवश्यक है कि जहाँ पर 25 एकड़ से बड़ा भू-खन्ड है उसका उद्धार किया जा सकता है। या तो वह स्वयं उसका उद्धार करे या फिर उसके लिये इकरारनामा करे। उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इकरारनामा करना चाहते है और कुछ नहीं भी करना चाहते हैं। तो जो न करने वाले लोग हैं उनकी भूमि को लेकर दूसरी संस्थाओं को दिया जायेगा, इसकी व्यवस्था इस विधेयक में की गई हैं, जिससे कि पूरे के पूरे ब्लाक का उद्धार हो सके। इसलिये अनिवार्य अन्तरण की आवश्यकता इसमें पड़ी।

अब मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे क्या लाभ हैं। इससे खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी। अगर ढाई टन प्रति एकड़ अनाज की वृद्धि भी माने जो आसानी से हो सकती है तो इस प्रकार लगभग एक करोड़ टन अनाज का उत्पादन प्रदेश में बढ़ जायेगा जो कि कम से कम 15 सौ करोड़ रूपये के मूल्य का होगा। इससे अन्न उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। 6वी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है वह 65 लाख रोजगार नये सृजित करने का है। यदि 45 लाख हेक्टेयर भूमि जो है एक हेक्टेयर एक व्यक्ति के लिये रोजगार के अवसर सृजित करते है तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि 45 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो जायेंगे और ढाई करोड़ जनसंख्या को इससे रोजगार मिलेगा। जितना 6वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा है, उससे कोई खास अन्तर नहीं आता। इसके साथ ही साथ जहां तक सुधार के कार्य करने की बात है उसमें सेकेन्डरी उद्योग भी हैं चाहे वह हल बनाने का हो, कृषि स्नातक हो उनको इससे कितना रोजगार मिलेगा, इसका भी अन्दाजा लगाया जा सकता है।

बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। यदि आप आंकड़े देखें तो सन् 52 से सन् 72 तक 19 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित थी। पिछले सात वर्षो में यह बढ़कर 36 लाख हेक्टेयर हो गयी। बाढ़ से भूमि अधिक से अधिक प्रभावित होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज जो इस तरह की भूमि अनुत्पादक पड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि जहाँ धान की खेती होती है, उसमें मेड़ पड़ी होती है तो पानी रुका रहता हैं। अनुत्पादक भूमि में वर्षा का पानी रुकता नहीं है।

जो भूमि ऊसर है वह इतनी सख्त होती है कि उसमें नीचे पानी नहीं जाता है और जो बीहड़ हैं उनमें ढलान होती है जिसमें पानी को रोकने की क्षमता नहीं होती और

पानी तेजी से बहता है । उससे आप सब जानते हैं कि अच्छी जमीनों का कटान होता है और इस बाढ़ के कु-प्रभाव से आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेती आगे नहीं बढ़ पा रही है ।

इससे सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने की बात मैं पहले ही कह चुका हूं । वनों का कम प्रतिशत हमारे यहां है जो न्यूनतम आवश्यकता है उससे कम है । तो जब वृक्षा-रोपण करेंगे तो इस विधेयक के पास होने के पश्चात् वह कमी भी दूर होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मि० सिंह इसमें दो बिन्दुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जमीन किस्म में बहुत अच्छी है लेकिन उस पर काश्तकार की कमजोरी की वजह से वह जमीन उत्पादक नहीं हो पाती । दूसरा यह कि क्या आपका कोई क्राइटेरिया है कि कितना उत्पादन करे कि वह उत्पादक बने ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, इसमें दिया हुआ है । अनुत्पादन कृषि भूमि का तात्पर्य 25 एकड़ से बड़े भूखण्डों में स्थित उस भूमि से है जो कि कृष्य बेकार, बंजर, बीहड़ अथवा ऊसर हो और जिसमें निर्धारित मापदण्ड जैसे नियमों में दिये जायं, के अनुसार कोई वन न हो, अथवा खेती न होती हो । इसका तात्पर्य यह है कि नियमों में ऐसा प्रावधान किया जायेगा जैसे पिछले 5 वर्षों में कोई फसल हुई है, अगर फसल हुई है और कम हुई है और वह उत्पादन के लिए कोशिश कर रहा हैं, तो नियमों में उसके लिए प्रावधान उसके अनुसार किया जायेगा जिससे निर्धारित मापदण्ड का उत्पादन हो । आपने कहा कि भूमि की किस्म अच्छी होने के बावजूद कुछ नहीं होता है तो यह संभव है कि एक वर्ष या दो वर्ष काश्त-कार किसी कारण से उत्पादन न कर सका हो । लेकिन अगर 5, 10 वर्षों तक वह खेती न करे तो उस भूमि को उसे रखने का कोई अधिकार नहीं है चाहे उसने उस भूमि को मूल्य देकर खरीदा हो । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य बरार जी द्वारा जो विधेयक रखा गया है उसको मैंने पढ़ा और उन्होंने जो भाषण दिया उसको गौर से सुना । श्रीमन् मुझे कुछ विसंगतियां इसमें लगीं । माननीय बरार जी ने इसमें कहा है–खण्ड 2 [1] में कि अनुत्पादक कृषि भूमि का तात्पर्य 25 एकड़ से बड़े भू-खण्डों में स्थित भूखण्डों से है । आपने अपने भाषण में यह कहा कि उसका यह मतलब नहीं है कि व्यक्तिगत कोई उसका स्वामी है या गांव सभा उसकी स्वामी है या संस्था स्वामी है । लेकिन यहीं पर खण्ड 10 [2] में जहां आपने आवंटन की बात कही है वहां उपखण्ड 2 [क] में कहा है कि ग्राम सभायें जिनमें वह भूमि स्थित है । तो इसमें दूसरी ओर देखे उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने परिवार के सदस्यों सहित सिंचित भूमि का साढ़े 18 एकड़ रखने का अधिकार है और अगर वह बंजर है, ऊसर है तो उसके ढाई गुना यानी 45 एकड़ रख सकता है, और यदि भूमि असिंचित है तो उसके लिए सीमा 27 एकड़ है । अगर किसी व्यक्ति के पास कुल टोटल बंजर भूमि है तो वह कृषक खाना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह–]

क्या खा रहा है, कैसे जी रहा है । 45 एकड़ में से किसी के पास टोटल बंजर भूमि है तो किस प्रकार यह निश्चित हो सकता है । तो निश्चय ही उसकी पूरी भूमि का कुछ भाग ऊसर हो सकता है । असिंचित हो सकता है । लेकिन संपूर्ण ऊसर किसी के पास नहीं हो सकता है । इसलिये यदि 27 एकड़ भूमि किसी के पास है जिसमें आपने धारा 2 [1] में लिखा है कि जो कृषि बेकार, बंजर, बीहड़ तथा ऊसर हो तो वह कृषि योग्य भूमि में नहीं आती है । इसलिये 25 एकड़ भूमि किसी व्यक्ति विशेष की बेकार तो नहीं हो सकती है लेकिन या तो वह ग्राम समाज की होगी या किसी एक संस्था की होगी । यदि संस्था की जमीन है, उसे कह सकते हैं कि सरकार संस्था से लेकर किसी को अंतरण कर दे । ग्राम समाज की जमीन बेकार पड़ी है तो उसका अंतरण कहां करेंगें, फिर गांव समाज को ही करेंगे । आज गांव समाज की जमीन तमाम ऐसी हैं जो बेकार हैं । उदाहरण मा. सदस्य ने दिया आगरा और इटावा के बीहड़ का जो कि व्यक्ति विशेष के नहीं है । किसी संस्था के भी नहीं हो सकते हैं । वह गांव समाज के होंगे या फिर राज्य संपत्ति होगी । इसलिये जो विधेयक लाये हैं और जिन्होंने अपना उद्देश्य दिया है वह इससे पूरा नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, यदि सचमुच सरकार चाहती है कि यहां का जो भूखण्ड बेकार पड़ा है जो लगभग 18 प्रतिशत है, जैसा श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने दो साल पहले इसी सदन में जिक्र किया था, कि लगभग 18 प्रतिशत इस प्रदेश में भूमि ऐसी है जो बेकार पड़ी है उसका निराकरण सरकार करे, तो,इसमें सरकार कहती है कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि वह उसका सुधार कर सके । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका यह निराकरण हो सकता है कि जो भूमिहीन हैं, उनकी समितियां बनाकर या व्यक्तिगत रूप से उन्हें वृक्ष लगाने हेतु दे दिया जाये और यदि कोई तैयार नहीं होता है तो इसके लिए वन विभाग चूंकि वह आज-कल वानिकी संरक्षण पर जोर दे रहा है और काम अच्छा हो रहा है, वृक्षारोपण हो रहे हैं, इसलिये वन विभाग के माध्यम से उसमें पेड़ लगाये जांय ।

मान्यवर, तीसरी बात जहां पर कृषि योग्य भूमि की बात आती है मैं कहूंगा धारा 9 [2] में जो दो श्रेणियों में बांटा है, उसमें जो जमीन कृष्य बेकार बंजर, बीहड़ या ऊसर जैसा परिभाषा में है, यदि वह है, अनुत्पादक भूमि है, यहां पर जो कहा गया कि प्रथम श्रेणी में चारागाह हेतु निर्धारित की जायेगी और दूसरी श्रेणी में वह भूमि रखी जायेगी जो कृषि योग्य बनायी जायेगी । तो मान्यवर, निश्चित रूप से छोटा किसान जिसे आबंटित करेंगे वह कृषि योग्य नहीं बना सकता है और पुनः वही प्रश्न आ जायेगा, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया था जब आप इधर बैठे थे और शासन ने उसको ठुकरा दिया था । तो क्या सरकार इस बीहड़, बेकार, बंजर और ऊसर भूमि है जो मुख्य रूप से ग्राम समाज या राज्य सरकार की हैं उन्हें कृषि योग्य बनाकर अनुसूचित जाति और जनजातियों को एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों को आबंटित करने के लिये तैयार हैं । यदि सरकार इसके लिए तैयार है तो इस विधेयक की कहां आवश्यकता हैं । इसका तो पहले से ही आपके पास निराकरण उपलब्ध है । आपका स्वायल कंजरवेंशन डिपार्टमेंट भूमि सुधार का कार्य कर रहा है ।

आप अपने स्वायल कन्जरवेशन विभाग से उस बीहड़ भूमि का सुधार करवाइये और उसे कृषि योग्य बनाइये। वन विभाग को दे दीजिए ताकि उसमें वृक्षारोपण किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कृषि मन्त्री [श्री यशपाल सिंह]–

मान्यवर, माननीय बरार साहब ने जो विधेयक इस सदन में रखने की कोशिश की है, उस विधेयक की भावना से तो मैं पूर्णतया सहमत हूं कि प्रदेश की बीहड़ भूमि को सुधारा जाये, पर जो विधेयक जिस तरह का वे लाये हैं उससे सहमत नहीं हूं। उनके आंकड़ों के अनुसार 45 लाख हेक्टेयर भूमि बन्जर है, हमारे आंकड़ों के हिसाब से 24 लाख हेक्टेयर है। तो उनकी इस चिन्ता से तो मैं सहमत हूं कि वह भूमि कृषि योग्य बने, पर वह कैसे बने ? आज के डेमोक्रेटिक युग में जिस तरह से वे चाहते हैं इस विधेयक के द्वारा वह सम्भव नहीं है। यह भूमि हमारे पास 3 प्रकार की है–व्यक्तिगत, ग्राम समाज की तथा सरकार की। उन्होने जो अनुत्पादक भूमि की परिभाषा दी है वह यह है "अनुत्पादक कृषि भूमि" का तात्पर्य 25 एकड़ से बड़े भूखंडों में स्थित उस भूमि से है जो कि कृष्य बेकार, बंजर बीहड़ अथवा ऊसर हो और जिसमें निर्धारित मापदण्ड, जैसे नियमों में दिये जायें, के अनुसार कोई वन न हो, अथवा खेती न होती हो।

अब अगर 25 एकड़ से कम के बंजर, बीहड़, भूमि क्या वह उत्पादक कहलायेंगी ? तो उनका क्या उद्देश्य है इसका यह समझ में नहीं आया। मैं आज के युग में किसी भी तरह इसका औचित्य नहीं समझता।

दूसरी बात यह है कि ग्राम समाज की ओर से बहुत सी भूमि भूमिहीनों के लिये आवंटित की जाती है जिसमें ऊसर भी शामिल होती है। उनसे क्या वह ले ली जायेगी ? अगर ले ली जायेगी, तो वह किसे दी जायेगी ? उनका मकसद है कि उस भूमि को उसे दिया जाये जो उसका सुधार कर सके। अब किस आधार पर दिया जाए ? क्या मुस्तकिल स्वामी उसको बना दिया जाए ? फिर मुस्तकिल स्वामी बनने के लिए 18 एकड़ से अधिक आप उसको दे नहीं सकते हैं। फिर आता है ग्राम समाज, उसके बारे में उन्होंने कहा, जो अपनी उस ऊसर जमीन को दुरुस्त न कर सके उसको उत्पादन योग्य न बना सके, या उस पर जंगलात न लगा सके। तो उसे कौन लेगा ? उसे फिर गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट भी न लें, तो किसको देने जाओगे ? बहरहाल मैं इस विधेयक की आवश्यकता महसूस कर लेता यदि उत्तर प्रदेश में ऊसर सुधार की कोई स्कीम, योजना न होती। मैं बरार जी को इसके लिए बधाई देता कि वह यदि उसको द्रुतगामी तरीके से चलाने के लिए कोई योजना सुझाते कि कैसे कितने दिनों में और जल्दी हम उसे सुधार सकें। वैसे शासन इस बिन्दु पर बड़ी गम्भीरता से और तेजी से सोच रहा है कि इस ऊसर, बंजर और बीहड़ जमीन को–चाहें व्यक्तिगत हो, कैसे सुधारा जाए ! वह चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे ग्राम-समाज में हो। चाहे रिवाइस में हो। उसको किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम सुधारें, उसके लिए योजना हम बना रहें हैं और योजना पूरी करने के बाद हम उसे इस सम्मानित सदन में रखने का प्रयास करेगें।

मान्यवर, दूसरे जो उन्होंने उत्पादक भूखंड की परिभाषा दी है, उससे तो शायद कोई भी सदस्य सहमत नहीं हो पायगा सिद्धांत रूप में उनकी बात ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे

[कृषि मंत्री श्री यशपाल सिंह–]

देश में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है या अन्य कोई है, वह इस राष्ट्र के लिए है और एक तरह से राष्ट्रीय हितों को देखने वाली सरकार की है। उस जमीन पर काम करने का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, जो उस पर काम कर सके और वह अपनी पूरी शक्ति और उसकी पूरी शक्ति के साथ उससे उत्पादन ले सके। लेकिन यह उसके लिए क्या संभव है ? यह अभी सम्भव है, कब आएगा, इसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकता, बहरहाल मेरे होश में तो आने वाला नहीं है ''(व्यवधान) यह आने वाला है ही नहीं। मेरे होश में तो आने वाला नहीं है और माननीय सदस्य के होश में भी आने वाला नहीं है। इस विधेयक को मैं न जनहित में समझता हूं, न प्रदेश के भूमिहीनों के हित में समझता हूं। इसमें यह भी नहीं है कि इस जमीन को सुधार कर हम क्या करेंगे ? इसमें तो केवल यह है कि भूमि को सुधारा जाए... हम अनिवार्य अन्तरण के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को आवंटित करें जो उसका सुधार कर सकें। उसके सुधारक कौन होंगे ? 18 एकड़ से अधिक वाला ले नहीं सकता है। जैसा उन्होंने कहा वह 45 एकड़ अधिक से अधिक रख सकता है, तो वह भी उससे अधिक नहीं रख सकता है। तो मेरी समझ में इसमें कोई ऐसा बिन्दु नहीं है जो स्वीकार करने योग्य हो।

मैं माननीय बरार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जो उनकी स्प्रिट है, जो उनकी भावना है कि ऊसर सुधार प्रदेश में हो तो उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने तजवीज किया है, यह शासन उसको स्वीकार करने में असमर्थ है। मैं चाहूंगा कि जो स्कीम चल रही है ऊसर सुधार की, उसको द्रुतगामी रूप से चलाने के लिये वह कोई सुझाव दें तो इस पर जरूर विचार कर लिया जायगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं माननीय दिवाकर विक्रम सिंह और माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार रखे हैं। श्रीमन्, उन्होंने कम से कम मेरी भावना का आदर किया है परंतु कुछ शंकायें उठायी गयीं हैं, मैं समझता हूं कि उसके लिये कहना आवश्यक है। माननीय दिवाकर विक्रम सिंह ने कहा कि 25 एकड़ से बड़े भूखंड का क्या तात्पर्य है, मंत्री जी ने भी यह बात कही। तो मैं पहले ही कह चुका था कि 25 एकड़ से जो छोटे भूखंड हैं उनका उद्धार मालिक करना चाहे तो कर सकता है। जो बहुत बड़े भूखंड हैं 500 और 1000 एकड़ के अगर उसका सुधार कोई करना भी चाहे, चाहे ऊसर सुधार निगम की सहायता भी ले लें तब भी अकेले सुधार नहीं कर सकता है। इसलिये आवश्यक समझा गया कि 25 एकड़ से अधिक जो भूमि है उसके लिये कंपलसरी ट्रांसफर की आवश्यकता होगी। इसलिये श्रीमन्, मैंने 25 एकड़ की बात रखी थी।

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, 500 एकड़ ऊसर भूमि किसी एक व्यक्ति के नाम प्रदेश में नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, इसीलिये मैंने व्यक्ति विशेष की बात नहीं कही है। इसमें ग्राम सभायें भी हैं, राज्य सरकार भी आती है और व्यक्तिगत खातेदार भी आते हैं। एक शंका उठायी

गयी है कि ग्राम सभा की भूमि उनको वापस दे दें। तो अगर ग्राम सभा जमीन का विकास कर लेगी तो उनको दी ही जायगी। वह नहीं कर सकती तो जो ग्राम के अन्य लोग हैं। उसमें श्रीमन्, आप देखें तो धारा 10 इसमें रखी गयी है, भूमिहीन अनुसूचित जाति, एवं जन जाति के सदस्यों की सहकारी समितियां। अगर सहकारी समिति में 20 परिवार हैं तो 100 एकड़ भूखंड जो उनको दिया जायगा वह उसका सुधार कर सकती हैं। अन्य व्यक्तियों की भी सहकारी संस्थायें हो सकती है। तो ऐसी समस्या नहीं है कि वह लोग भूमि का सुधार नहीं कर सकेगें।

श्रीमन्, भूमि की मालिक राज्य सरकार है। किसी की मिल्कियत का प्रश्न नहीं है। इस सिध्दांत को यह विधान सभा बहुत पहले स्वीकार कर चुकी है कि जितनी भूमि है वह राज्य सरकार की है राज्य सरकार में निहित है। उसका मालिक कोई और नहीं है। भूमिधर या सीरदार बने हैं लेकिन उसके वह पूरे स्वामी नहीं हैं। एक बात नियमों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कही है कि जैसा निर्धारित किया जाय। श्रीमन्, निर्धारित तो राज्य सरकार करेगी। हमें विश्वास है कि राज्य सरकार ऐसा नियम बनायेगी जो न्याय संगत होगा। जो भूमि अनुत्पादक है या जिससे प्रदेश का लाभ नहीं हो सकता उसी भूमि के संबंध में सरकार ऐसा नियम बनायेगी और नियमानुसार इस विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा। यदि कोई सदस्य एतराज करता है तो वह चीज ड्राप की जाती है।

ग्राम सभा ऊसर सुधार के मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ऊसर सुधार के सम्बन्ध में मंत्री जी ने कहा कोई सुझाव लाते तो अच्छा होता। मैं पहले कह चुका हूं जब हमने यह संकल्प रखा था उस समय मैंने कहा था कि ऊसर सुधारने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ले और 5 वर्ष के अन्दर ऊसर सुधार करें। तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने कहा कि ऊसर का बहुत बड़ा एरिया है। राज्य सरकार के लिये सम्भव नहीं है कि वह अकेले कर सके। इसके लिये मैं आवश्यक समझता हूं..

श्री यशपाल सिंह–

आपने जिम्मेदारी लेने की बात कहीं। ऊसर सुधार का कोई सुझाव नहीं दिया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन् जहां तक सुधार की तकनीक का प्रश्न हैं मंत्री जी ऊसर सुधार निगम बना हुआ है उसके कर्मचारी सब जानते हैं कि कैसे सुधार किया जाय। मेरी राय उसके मुकाबले बहुत हल्की पड़ेगी। मंत्री जी के पास तकनीकी जानकारी और सहायता जो उपलब्ध है मैं समझता हूं कि उसमें मेरे सुझाव कोई इजाफा नहीं कर सकते हैं। उनके पास वैज्ञानिक उपलब्ध है। मैं मंत्री जी को थोड़ी सूचना देना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षो में 80-81 में 12 हजार, उसके अगले साल 20 हजार एकड़ ऊसर सुधार का लक्ष्य था। इस चीज को देखते हुये जैसा मैंने कहा 45 लाख हेक्टेयर और मंत्री जी ने कहा 24 लाख हेक्टेयर इसको सुधारने में इस लक्ष्य के अनुसार 100 साल लगेगें। मैंने इस समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया है। मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी इस ऊसर सुधार की तरफ ध्यान दें। मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि ऊसर समस्या की गम्भीरता, महत्व और साइज को देखते हुये मंत्री जी कोई आश्वासन दें कि इसके लिये हम कोई नया कार्यक्रम

[श्री जयदीप सिंह बरार–]

और चलायेंगे इस समय निगम 15, 20 हजार एकड़ ऊसर सुधार के लिये सहायता देता है पता नहीं वह भी सुधार कर पाता है या नहीं। मंत्री जी इसको और द्रुतगति से चलाने का प्रयास करें। तथा उसकी सूचना सदन को देने की कृपा करेंगे।

श्री यशपाल सिंह–

माननीय सदस्य से मैं यह जानना चाहूंगा कि जो संकल्प आपने रखा था वह किस समय रखा था। 80 के पहले रखा था यह बाद में ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

18 सितम्बर, 1981 को रखा था।

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, मैं इस सदन के सामने अपना दृढ़मत रखना चाहता हूं कि यह ऊसर शैतान की आंत नहीं है जिसकी पैमाइश न हो सके। ऊसर पानी से पैदा होता है और पानी से जाता है। पानी का साधन जितनी जल्दी से जल्दी सुलभ हो जाय उतनी जल्दी ऊसर का सुधार किया जा सकता है। केवल तकसीम का प्रश्न है। कैसे इसको आबंटित करे और किस एजेन्सी के जरिये जल्दी से जल्दी इसका सुधार कराया जाय।

तो मैं बरार साहब को मुतमुइन करना चाहता हूं कि शासन उस पर गम्भीरता से विचार कर रहा है कि उस ऊसर को कितनी जल्दी से जल्दी ठीक किया जाय। मैं तीन-पांच करने का आदी तो हूं नहीं। लेकिन एक कृषक होने के नाते यह जरूर मानता हूं कि बड़े से बड़े भू-खंड मुझे दे दिए जाए चाहे वह 50 एकड़ हो चाहे वह 100 एकड़ हो, उसमें बहुत ज्यादा तो तीन साल में उसका सुधार कर सकता हूं लेकिन उसको सुधारने के लिए जो साधन जुटाने पड़ते हैं वह एक समस्या है। लेकिन हर कोई इस कार्य को नहीं कर सकता है जो कि अनभिज्ञ हैं। इस संबंध में वैसे शासन गम्भीरता से विचार कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

क्या वापस लेते हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने समस्या की गम्भीरता को देखते हुए एक आश्वासन दिया है। इसलिए इसे वापस लेना उचित है। इससे पहले कि विधेयक को वापस लूं यह कहना चाहता हूं कि–

यह तकल्लुफ है कि तकलीफ तो बढ़ती ही रही,
वादे पे वादे किए फिर भी बहाना न गया ।।

कहीं ऐसा नहीं कि आश्वासन एक बहाना तो नहीं है। मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश अनुत्पादक कृषि भूमि उद्धार एवं अनिवार्य अन्तरण विधेयक, 1933 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(सदन की सहमति से विधेयक वापस हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) [संशोधन] विधेयक, 1983

*श्री रामस्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस विधेयक में पूरी एक धारा का संशोधन है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो कूपन का सिस्टम है और दूसरे सूबों में भी होगा। मान्यवर, इसमें पिछले साल कूपनों की 62 लाख की खरीद हुई। कूपनों का प्रयोग हो रहा है कूपन अकेले सदस्य के लिए हैं अगर उसके परिवार का कोई आदमी जाना चाहता है तो बाहर के जो कूपन है उससे जा सकते हैं। यह कूपन इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब माननीय सदस्य एक कूपन से अधिक कूपन का इस्तेमाल करते हैं यह दुरुपयोग है, इसमें मैं माननीय सदस्यों पर शक जाहिर नहीं करता हूं। लेकिन यह निश्चित हो गया कि 5 लाख की जगह अब 62 लाख हो गया और रेल का किराया 40 प्रतिशत सैकड़ा बढ़ा है। कूपनों का बहुत दुरुपयोग होता है इसमें कोई शक नहीं है। सरकारी कर्मचारी यह कहते हैं कि सदस्य गण तो मालिक हैं जो चाहते हैं कानून बना लेते हैं। गलती करते हैं तो कोई सजा नहीं।

और अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलत भत्ता बना दे तो सजा है। विधायक को कोई सजा नहीं है। विधायक के अपने अकेले के लिये कूपन है, मगर वह चार आदमियों के लिये कूपन कटा लेता है, और कोई सजा नहीं है यह भी एक कारण था इसको लाने का। तीसरी बात जन प्रतिनिधियों का अपना चरित्र इतना साफ होना चाहिये कि दूसरे लोगों पर भी असर पड़े।

जो सरकारी कर्मचारी हैं, कहने लगे हैं कि आप प्रदेश के मालिक हैं जो चाहे कर सकते हैं। चूंकि इसमें शास्ति नहीं हैं, यह जनतंत्र के अनुरूप भी नहीं रह गया है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, जब माननीय सदस्य जनतन्त्र के अनुरूप, कानून के अनुरूप कार्य न करें तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिये। चौथी बात यह है कि इस बात से तो सब माननीय सदस्य सहमत होंगे कि कूपन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। अगर सहमत हैं तो ऐसे कानून के पास होने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिये।

मान्यवर, कानून हमेशा ऐसा होना चाहिये जिससे सदाचार की ओर उन्मुखता हो। मान लीजिए एक सदस्य कानून का पालन करता है और दूसरा गलत तरीके से अपने साथियों को ले जाता है, तो जो दूसरे क्षेत्र के विधायक होते हैं, उनसे लोग कहते हैं आप कैसे एम. एल. ए. हैं। आप अकेले जाते हैं, जबकि दूसरों को नहीं ले जाते हैं तो इससे दुराचार को प्रोत्साहन मिलता है। इसीलिये मैंने इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। 1980 या इतर तारीखों में विधेयक में जो लिखा हुआ है उससे अलग तरीके से अगर कोई इस्तेमाल करता है, यानी अपने लिये जो कूपन प्रयोग कर सकता है, वह दूसरों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा–]

लिये करता है, और यह तथ्य प्रकाश में आता है तो उसके बाद उसको बाकी समय के लिए कूपन नहीं मिलेंगे। छोटा सा संशोधन है और इसको स्वीकार करने में जन प्रतिनिधियों की छवि भी सुधरती है। मैं तो समझता हूं कि कोई भी इस सदन का माननीय सदस्य इसके विरुद्ध न होगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक को स्वीकार करेंगे।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वर्मा जी ने जो विधेयक रखा है उसका तहेदिल से स्वागत करता हूं। है तो एक बिलकुल ही साधारण सा विधेयक लेकिन प्रियनेन्ट विद मीनिंग है। इसको जब मैंने देखा और उसका उद्देश्य पढ़ा और यह जाना कि जिस चीज पर सन् 67 में पांच लाख खर्च हुए, जबकि पिछले साल 62 लाख और इस साल इसमें और बढ़ोत्तरी हो गयी हो तो कोई सन्देह नहीं है, मैं इसका स्वागत करता हूं। अभी पिछले दो साल में तो यह और भी बढ़ गया है और इधर और बढ़ता जा रहा है।

एक बात और वर्मा जी ने कही कि पब्लिक के लोग प्रायः यह कहते हैं कि सब आपके हाथ में है, आपके पास अधिकार है, चाहे जो कानून बना लीजिये, जो चाहे सुविधा हासिल कर लीजिए, आपके ऊपर कोई अकुश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। यह बात भी सही है कि कभी-कभी लोग कहते हैं कि आप बहुत तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, कान्स्टीटुऐंसी भत्ता बढ़ा लेते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इससे हमारी छवि धूमिल होती है। जो बढ़ाना भी हो तो एक बार बढ़ जाय, बार-बार बढ़ाने से छवि धूमिल होती है।

लेकिन हर साल इस प्रकार खर्च का बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक एक निवेदन और कर दूं वह यह कि यह क्षेत्र भोग का नहीं है सेवा का क्षेत्र है। यदि हमें भोग ही करना है तो और भी क्षेत्र हैं जहां अच्छी तरह से भोग किया जा सकता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भी एक कमेटी का चेयरमैन हूं। लेकिन देखता हूं कि वही कमेटी विधान परिषद में भी है। पी. ए. सी. की कमेटी यदि यहां पर है तो विधान परिषद में भी है। इस्टिमेट कमेटी यदि यहां पर है तो विधान परिषद में भी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कमेटी यहां पर है वही कमेटी विधान परिषद में भी है। क्या हम ज्वाइन्टली काम नहीं कर सकते हैं? हम लोग ज्वाइन्टली काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बहुत कम खर्चा हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

पी. ए. सी. की कमेटी विधान परिषद में नहीं है, इसकी एक ही कमेटी विधान सभा में है जिसमें विधान परिषद के सदस्य भी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो कमेटी यहां है वही कमेटी विधान परिषद में भी है। यदि इनकी ज्वाइन्ट कमेटीज बना दी जाय तो मैं समझता हूं कि खर्चे में बहुत कमी आ जायेगी। माननीय वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही अच्छा है। इससे हम सभी जन प्रतिनिधियों की कदर बढ़ेगी, इससे खर्चे में कमी आयेगी और साथ ही साथ पद और अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा। जो खर्चा एक दिन में 5 लाख था वह 62 लाख हो गया। भविष्य में यह 80 लाख तक भी हो सकता है। इसके लिए कानून बनाया जाय, और खर्चे को कम किया जाय। मैं तो कहूंगा कि माननीय वर्मा जी का यह एक आर्ट है, वह किसी जटिल समस्या को बहुत ही सरलता से निपटा देते हैं। माननीय वर्मा जी ने इसे यहां पर लाकर सदन का ध्यान आकर्षित किया और मैं समझता हूं कि इस पर विचार होना चाहिये और एक नियम बनना चाहिए ताकि खर्चों में कमी आये। माननीय वर्मा जी ने जो भावनायें इस संशोधन के पीछे रखी हैं उसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय वर्मा जी के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। निःसंदेह वर्मा जी द्वारा रचित जो भी साहित्य हो, मैंने उसे पढ़ा है और देखा है। परन्तु आज जो सूक्ष्म विधेयक संशोधन के रूप में वे यहां लाये हैं वह हृदयग्राही है और स्वागत के योग्य है।

मान्यवर, यह सही है कि कूपन का दुरुपयोग होता है। प्रथम श्रेणी में चलने के लिए इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार है और वह अपने परिवार वालों को भी ले जा सकते हैं। माननीय वर्मा जी ने बताया कि जो खर्चा पहले 5 लाख था वह 1981 में 62 लाख हो गया। इस सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन को इस बात के लिए भी सोचना पड़ेगा कि जो चिकित्सा सुविधायें आज विधायकों को दी जा रही हैं, यदि आप उसके खर्चे के आंकड़े को देखेंगे तो आपको मालूम हो जायेगा कि उसमें भी 50 लाख रुपए से नीचे खर्चा नहीं आ रहा है, अर्थात् वह भी 50 लाख तक पहुंच गया है।

तो यह जो तीन विंग हैं, कहीं मान्यवर ऐसा न हो कि पूरी व्यवस्था को कोलेप्स कर दें। मान्यवर, हम भी चरित्र की बात करते हैं और यह सही है, मान्यवर, अपनी-अपनी भावना है। लेकिन, जो कुछ भी राष्ट्रीय धन या लूट है, पूरे मामले में, जो जन प्रतिनिधि हैं, उनके हिस्से में पाँच प्रतिशत भी नहीं आता है। 95 प्रतिशत तो अधिकारियों के पेट में समाती चली जा रही हैं, लेकिन उसकी ओर जनता का ध्यान नहीं जाता है। मगर हम जो सीमित लोग हैं, इस आदरणीय सदन में बैठे हैं, हमारी जो कुछ बातें होती हैं, जैसे एक छोटा नगर होता है या छोटा शहर होता है, उसकी बातें लोगों को मालूम हो जाती हैं, उसी तरह से हम सीमित लोगों की बातें मालूम हो जाती हैं।

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जिस तरफ शासन का और इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, उसी सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना

[श्री श्याम लाल बाजपेयी–]

चाहता हूं कि वर्मा जी ने जो यह विधेयक रखा है, उनकी भावना को समझें और उनकी भावना को समझकर के जो यह विधायकों के सम्बन्ध में एक दूसरा विधेयक लाने जा रहे हैं, उसमें आपकी भावना को समझते हुये मान्यवर, मेरा अपना मत है कि बजाय इस कूपन के अधिष्ठाता महोदय, एक कार्ड की व्यवस्था कर दें जैसे कि लोक सभा में माननीय सांसदों के लिये है। जिसमें अंकित हो कि कितनी यात्रा कर सकता है, परिवार के कितने सदस्यों को ले जा सकता है। ऐसा हो जाने से न तो कूपन मिलेगा और न ही इस तरह की कुव्यवस्था रहेगी। हमारे पास कार्ड रहेगा और जो उसके तहत अनुमन्य होगा साथ जाने के लिये, तो लोग देख ही लेंगे कि कौन-कौन साथ जा रहा है। मान्यवर, हम लोगों को दो प्रकार के कूपन मिलते हैं एक प्रदेश के अन्दर यात्रा करने के लिये और दूसरे प्रदेश के बाहर यात्रा करने के लिये। यदि नैतिकता की बात कहते हैं तो गाजियाबाद के बाद से हमें बाहर के कूपन इस्तेमाल करने चाहिये। लेकिन जितने प्रदेशों में हम जाते हैं चाहे वह तामिलनाडु हो, या कर्नाटक हो, तो मान्यवर अपने चरित्र की बात मैं बताता हूं, दूसरे पर कलंक क्यों लगाऊं कि हमें वहां बाहर के कूपन इस्तेमाल करने चाहिये, रेलवे वालों को तो मालूम नहीं होता है, हम अपने अंदर वाले कूपन जो 10–5 यहां से इशू कराके ले जाते हैं, उन कूपनों से बाहर की यात्रा करते हैं। उनको मालूम नहीं होता है, वे बेचारे टिकट बना देते हैं। मगर हमारी नीयत तो हमें कचोटती है कि हम बुरा कर रहे हैं। जिस चीज की जितनी मात्रा निश्चित है, उससे परे जाकर, उसकी गलत इस्तेमाल कर, हम यात्रा कर रहे हैं।

मान्यवर, इन्होंने जो विधेयक पेश किया है, यह बहुत छोटा है, अब इस पर ज्यादा क्या कहूं। मैं इस विधेयक का स्वागत कर ही रहा हूं परन्तु उसके साथ-साथ माननीय वर्मा जी से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वे इसको वापस ले लें और यह बोझ सरकार पर छोड़ दें। लेकिन, यह जो संभवतः सोमवार को इसी सम्बन्ध में विधेयक ला रहे हैं, उसमें आप कार्ड की व्यवस्था निश्चित रूप से करा दें तो संसदीय कार्य मंत्री जी यह सदन आपका आभारी रहेगा और वर्मा जी जो यहां बैठे हुए हैं, उससे उनकी आत्मा भी तृप्त होगी। अगर उन्हें कहीं कुछ हो गया तो वहां से भी इनकी आत्मा आपको आर्शीवाद देती रहेगी।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वर्मा जी ने जो यह विधेयक रखा है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इन्होंने इस विधेयक के अन्त में फिर भी विधायकों की लाज रख दी है कि जो विधायक ऐसे पाये जायं, जिन्होंने गलत कूपन इस्तेमाल किये हैं तो उन्हें कूपन देना बन्द कर देना चाहिये। लेकिन, मैं तो इससे ऊपर उठकर इस सदन से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जिन विधायकों ने इस तरह का दुरुपयोग किया है उनको सदन से निष्कासित कर देना चाहिये। और नैतिकता तो यही है कि उनको अपने आप इस सदन से त्याग पत्र दे देना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा० श्याम लाल बाजपेयी जी ने जो सुझाव रखा है कि "पास" होना चाहिये क्योंकि कूपनों का दुरुपयोग होता है। जनता को यह मालूम है कि हमारे प्रतिनिधियों को कूपन बुकें मिलती हैं और बहुत से प्रियवर, मित्रवर, क्षेत्र के वोटर, राजनीतिक साथी और अन्य दलों के साथी विधायकों को घर आकर मजबूर कर देते हैं कि वे कूपन दें। इस बात पर मेरे एक खास मित्र नाराज थे। मेरा सुझाव है कि जो मा० विधायक कूपनों का दुरुपयोग करें, उन्हें निष्काषित कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

जो "पास" का सुझाव आया है, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कई बार लिखा-पढ़ी की। केन्द्र सरकार इस पर राजी नहीं हो रही है। इस बिन्दु को भी ध्यान में रखते हुए सुझाव दीजियेगा।

श्री भीखा लाल–

मा० राम स्वरूप वर्मा जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसकी भावना से मैं पूरी तौर से सहमत हूं। हम विधायकों को कुछ सुविधायें मिली हुई हैं और उन सुविधाओं का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हमें एक जो अच्छा आचरण पेश करना चाहिये। उससे हम विलग होते हैं। हम बाहर जाकर चाहे जितने आदर्श की बात करें लेकिन अगर खुद हम वह आदर्श नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो हमारी बात का समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समय पर इन्होंने यह विधेयक पेश किया है। प्राविधान किया है कि नियमों के विपरीत कोई विधायक कूपनों का इस्तेमाल करता है तो उसे इस सुविधा से बंचित कर दिया जाय। अब यह सरकार के सोचने की बात है कि अगर कूपनों का खर्चा बढ़ता चला जाता है तो कहीं न कहीं रास्ता निकालना चाहिए। दोनों सदनों को मिलाकर 62 लाख की फिगर हो गयी है। केवल हमारे सदन का 82–83 में 47 लाख का खर्चा है, 78–79 में 9 लाख का था, अब 5 गुना बढ़ गया है, जो कि चिन्ता की बात है।

सरकार को सोचना पड़ेगा। जैसे "पास" की बात आयी और अधिष्ठाता महोदय ने सूचना दी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से कई बार लिखा-पढ़ी की लेकिन वह "पास" की व्यवस्था मा० विधायकों के लिये करने के लिये सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि "पास" से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना सफर किया। एक रास्ता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के बाहर के कूपनों की सीमा कर दी है 4 हजार रु० की, तो उतनी नहीं लेकिन अन्दर के भी कूपनों की सीमा निश्चित की जा सकती है। यदि उतनी सीमा तक कूपन कोई विधायक कन्ज्यूम कर ले तो बाकी दिन बस से यात्रा करे। 47 लाख का मैक-सीमम व्यय आया है। अगर इसी के आस–पास सीमा 10 हजार की निश्चित कर दें तो 42 लाख 60 हजार रु० होगा। इससे दुरुपयोग नहीं होगा जैसा कि बाहर के कूपनों में एहतियात बरतते हैं और कुछ बचाकर रखते हैं।

तो इसमें भी माननीय सदस्यों को एहतियात से काम लेना पड़ेगा। अगर आप बाहर की तरह अंदर भी सीमा निर्धारित कर सकें तो अच्छा होगा और अगर ऐसा न कर सकें तो इस दिशा में कुछ जरूर सोचें ताकि इस पर हम कुछ नियंत्रण रख सकें।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वर्मा जी ने जिस मंशा से संशोधन विधेयक रक्खा है, उस मंशा मे इंकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने मर्ज की तलाश तो की और मर्ज जाना भी, लेकिन नुसखा जो तजबीज किया है, उसमें कुछ जल्दी की है, बल्कि इस मामले में जो अन्य माननीय सदस्य श्री श्याम लाल बाजपेई लाल प्रताप सिंह और भीखा लाल जी बोले हैं और जो नुसखा तलाश किया है, उसमें जान है बैर खिलाफ उस नुसखे के जो वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है। दूसरे हमें यह मानकर चलना होगा कि हमारे सदन में आने के बाद, हम किस तरह से अपने किरदार को प्रस्तुत करें और दूसरे हमें यह भी मानकर चलना होगा कि हम जिस सोसायटी मे आए हैं, उसकी मान्यताएँ क्या है अगर ऐसा किसी ने कुछ किया है तो वह गलत है, उनको सही रास्ते पर आना चाहिए और अगर वह नहीं आते तो इस पर सरकार को कुछ सोचना होगा और कुछ नुक्खा तजबीज करना होगा, लेकिन इस विषय पर जैसा कि मा० लाल प्रताप सिंह जी ने कुछ चीजों पर इशारा किया और श्री बाजपेयी जी ने दवाओं के संबंध में कहा और माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने इस विधेयक के विचारों में सुधार करते हुए कहा कि एलाउंसेज नहीं बढ़ने चाहिए। जिस तरह से अभी कल न्यायधीशों की तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए एक सुझाव प्रस्ताव के रूप में विपक्ष से आया था उधर के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ताकि इन न्यायधीशों का कुछ रिहायशी स्टैंडर्ड बढ़े और वह आमदनी के दूसरे श्रोतों की तरफ न जा सकें, इसलिए उनके एलाउंसेज बढ़ने चाहिए तो यह तर्क समझ में आने वाला था, अगर यह तर्क समझ में आने वाला न होता तो लोक सभा कभी भी इसकी मंजूरी न देता और अभी-अभी कर्नाटक ने इसको माना और बढ़ाया है।

तो इसका मतलब यह नहीं है। आप सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट के और स्टेट गवर्नमेंट के इम्पलाईज़ में भ्रष्टाचार कम करने के लिये कभी यह सवाल पैदा करते हैं कि उनका स्टैण्डर्ड सही नहीं है उनको पैसे कम दिये जा रहे हैं इसलिये भ्रष्टाचार की तरफ वो जाते हैं। यदि ऐसी सूरत है तो हमको इस रुख से इसे देखना होगा कि क्या आप अपने आपको इतने में मौजूदा एलाउन्स के साथ में और बरकरार रख सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

एक सूचना है कि 4 बजे तक इसके लिये समय निर्धारित था मैं देख रहा हूं कि इस पर कई माननीय सदस्य बोलने की इच्छा रखते हैं, इसलिये इस पर विचार जारी रहैगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मुझको फिर बोलने का मौका मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

हां चर्चा जारी रहेगी। आपको मौका तो मिलेगा ही।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इनको तो मौका देना ही चाहिये क्योंकि सबसे अच्छी वकालत तो ये ही कर रहे हैं। (हँसी)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संसोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

श्रीमन्, मैं पहले एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि पहले माननीय मंत्री जी का भाषण करवा दें क्योंकि अभी अम्मार रिजवी साहेब ने उन्हें जो कुछ पढ़ाया है, कहीं उसे वह इतनी देर मे भूल न जायं तो पहले उन्हीं को बुलवा दें।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो प्रशासक नियुक्त किये हैं, इस विधेयक के जरिये उनका कार्यकाल एक साल और बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमन्, अभी कल यहाँ पर कृषि मंत्री एक विधेयक के विषय में बोल रहे थे, मण्डी समितियों के बारे में उसमें जब मैंने यह आशंका व्यक्त की थी। जिस उद्देश्य और भावनाओं को लेकर गठन किया गया है इन समितियों, का, इसके द्वारा उन पर खुला प्रहार हो रहा है। सहकारी समितियाँ जिस उद्देश्य को लेकर बनायी गयी थी, इस अध्यादेश से ऐसा मालूम होता है कि शायद सरकार का इरादा इसका भी सरकारीकरण करने का है। इसके लिये तीन टर्म बढ़ाये गये हैं पहले 1982, फिर 1983 और अब 1984 तक।

श्रीमन्, यह सरकार जनतांत्रिक मूल्यों का दिन प्रति दिन ह्रास करती जा रही हैं। जो जोर–शोर से इस सरकार ने दावा किया था कि हमने ब्लाक प्रमुखों का और जिला परिषदों का चुनाव करा कर यह साबित कर दिया है कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक हैं तो मैं पूछता हूं कि फिर मण्डी समितियों का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है और इसका भी कार्यकाल आप बढ़ाने जा रहे हैं? जो चुनाव होने जा रहे थे, ये इस तरह का एक विधेयक पिछले सदन में ला कर क्षेत्र समितियों का कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा था। तमाम लोगों ने विरोध किया और भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी तब जा कर इन्होंने उसको वापस लिया और चुनाव कराये उसके बावजूद भी इनके दिल में कमजोरी थी, क्षेत्र समितियों में ब्लाक प्रमुखों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों का चुनाव न करा कर प्रशासक बनाये और उन्हें एक समिति में व्यक्ति को 8 नियुक्ति करना था पर इन्होंने 4 ही लोगों को नियुक्त किया। जितने लोगों को वोट देना था। जरा मान्यवर, उनको चुप कराइये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जरा माननीय सदस्यगण कृपया आपस में बात न करें।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, उधर दूसरा सदन चल रहा है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मै क्षमा चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द–

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इन पूरी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा महसूस होता है कि सरकार समितियों के उद्देश्य को उल्टा समझती है और सहकारी समितियों का सरकारीकरण करने जा रही है। इसलिए वहां पर प्रशासक नियुक्त किये गये हैं और जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं इनमें से अधिकांश लोग क्रिमिनल पाये गये हैं, ऐसा सुना गया है यह चाहे मंत्री जी को मालूम हो, चाहे न मालूम हो।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को मालूम हो या न मालूम हो लेकिन मै कहता हूँ कि सहकारी समितियों में आधे से अधिक लोग वह है जिनका चरित्र ठीक नहीं है या जो डिफाल्टर हैं। वही लोग प्रशासक नियुक्त किये है। आज सचिव और प्रशासक के बीच निहित स्वार्थो को लेकर आपस में खींचातानी शुरू हो गयी है। आपने उनको इस लिए नियुक्त किया था कि जिससे जिला परिषद् और ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में आपके वोट बढ़ जांय। इनकी नियुक्ति का यही एक उद्देश्य था। परन्तु प्रशासक यह समझ कर बैठ गये है कि इस सरकार ने उनको नौकरी दे दी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजनैतिक बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए यह योजना चलायी है। (व्यवधान)

आपको याद होगा कि सन् 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराये। जब आपकी सरकार बनी तो आपने चुनी हुई संस्थाओं को भंग कर दिया और उनमें प्रशासक नियुक्त कर दिये। मै माननीय मंत्री जी से कह रहा हूँ कि आपकी जानकारी में यह बात आयी हो या न आयी हो लेकिन कई जगह पर यह देखने में आया हैं कि जब सचिव किसी बिल या चेक पर दस्तखत कराने के लिए प्रशासक के घर जाता है तो प्रशासक बिना पैसे लिये हुए उन पर दस्तखत नहीं करता है।

मान्यवर, जिस उद्देश्य को लेकर आपने उनकी नियुक्ति की थी वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। यह लोग तो यह समझकर बैठे हैं कि उनको नौकरी मिल गयी है और आपका उद्देश्य भी जो बेरोजगार पोलिटिकल लोगों को रोजगार देना था, वह पूरा हो गया है। श्रीमन्, थोड़े दिन पहले जब जिला परिषद् के सदस्यों के चुनाव होने बाकी थे, उस समय समितियों के चुनाव हेतु तिथि घोषित हो गयी, नामांकन पत्र दाखिल हो गये, और चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी हो गयी उसके बाद आपने उनको रोक दिया। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि अगर आपने प्रशासक नियुक्त किया या कोई मेम्बर बनाया और उसके बाद वह प्रधान चुन लिया गया तो ऐसी दशा में उसको दो वोट देने का अधिकार हो गया एक तो प्रधान की हैसियत से और दूसरा सदस्य की हैसियत से। तो आपने उसको बदल दिया क्योंकि वह एक ही वोट दे सकता था इसकी भी बड़ी चर्चा हुई। इसको भी रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की जो भावनाए हैं आप उन भावनाओं की कद्र करें और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोक तन्त्र के तरीके से जल्दी से जल्दी चुनाव करावें समय बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री राम गोविन्द जी ने जो अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है, मैं तो सोच रहा था कि वे कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे हो सकता है कि सहकारिता का जो यह आन्दोलन है उसमें तीव्रता आये या कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे कि अगर सहकारिता में कोई कमी आ गई हो तो उसे पूरा किया जा सके। लेकिन जब मैंने उनके विचारों को सुना तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लगता है कि माननीय सदस्य को अभी सहकारिता की नियमावली का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि इस नियमावली में जो संशोधन हुआ उसमें प्रशासक मण्डल की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके साथ ही साथ यह है कि प्रशासक या प्रशासक मंडल। अगर वे इस बात को समझते तो यह न कहते कि केवल प्रशासक की नियुक्ति करनी थी, या प्रशासक मंडल की नियुक्ति करनी थी।

दूसरी तरफ उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि हम प्रजातंत्रीय प्रणाली को समाप्त करने जा रहे हैं। हमें आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि यह जो हमारी सहकारी संस्थायें हैं, हमारे जन प्रतिनिधियों की संस्थायें हैं उन पर सरकारीकरण हो गया है और दूसरी तरफ यह संशोधन करते हैं कि इस सरकारीकरण को समाप्त करके हमारी सरकार ने उन पर जन प्रतिनिधियों को स्थापित कर दिया है। यह बात समझ में नहीं आती। इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। यह उनकी बातों से हमें मालूम हुआ।

तीसरी बात उन्होंने प्रजातंत्र की कही। हमें लगता है कि उन्होंने उसी बात को सोचा है जब जनता पार्टी शासन में आयी तो इन्होंने प्रजा के चुने हुये लोगों का पहला काम यह किया कि उनकी हत्या कर दी। चुनाव तक गये ही नहीं। लेकिन माननीय सदस्यों को ज्ञान होना चाहिए कि इन्होंने भी वही प्रक्रिया जो हमारी सरकार ने अपनायी है जिस पर कई माननीय सदस्यों को इन संस्थाओं में अभी नियुक्ति नहीं की है बल्कि उन्हीं संस्थाओं पर नियुक्ति कर दी जिस पर नियुक्ति नहीं करनी चाहिए थी। यह बात समझ में नहीं आती।

पांचवी बात उन्होंने कही कि इस प्रशासक मंडल में ऐसे लोग नियुक्त हुए हैं जिनका आचरण ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सहकारिता का जो यह आन्दोलन है उसमें किसी प्रकार की पार्टीबाजी की बात नहीं है बल्कि इसके अन्दर यह है कि जो सहकारिता का सदस्य होगा, जो कोआपरेटिव का सदस्य होगा वही उस चुनाव में भागीदार होगा और आज भी वही प्रशासक नियुक्त किया गया है जो सहकारिता का सदस्य है। यह बात आपके सामने है। इस संशोधन को आपके सामने इसलिये रखा गया है और एक तरफ आपने जो कहा कि हमने ढिंढोरा पीटा गांव सभा के चुनाव का, ब्लाक प्रमुखों के चुनाव का, जिला परिषद के चुनाव का।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी इकाई गांव सभा है और आप जो कह रहे थे कि प्रजातन्त्र का गला घोंट दिया लेकिन हमने इस काम को करके गांव सभाओं के चुनाव करा दिये और जिन गांव सभाओं के चुनाव हो गये वहाँ जिला परिषदों के चुनाव होंगे और सदस्यों के चुनाव होंगें। इसलिये प्रजातन्त्र की जो सबसे बड़ी इकाई

सहकारिता राज्य मंत्री [श्री बच्चा पाठक–]

है उसके सामने कोई जरूरत नहीं थी कि सहकारिता के चुनाव भी होते और इसीलिये सहकारिता के चुनाव में समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी । अभी जिला परिषद का चुनाव है, बाढ़ की समस्या है, सूखे की समस्या है और यदि हम आज ही सहकारिता का चुनाव शुरू कर दें तो आप कहेंगे कि बाढ़ और सूखे की समस्या सामने है और आप चुनाव करा हैं । इसलिये इसे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी । दिसम्बर 83 तक का जो इसके लिए चुनाव कराने का समय था उसके अन्दर सहकारिता का चुनाव नहीं करा सकते थे ।

इसलिए इसमें जो समय बढ़ा रहे हैं जैसा विधान परिषद ने भी समय बढ़ा दिया है उसी हिसाब से मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य राम गोविन्द सहकारिता की बातों को समझ लेंगे और इस अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे ।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री चौधरी द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने बड़े जोश-खरोश के साथ कहा कि हमने केवल ऐसे लोगों को प्रशासक नियुक्त किया है जो सहकारिता के सदस्य हैं । अगर उन्होंने यह बात न कही होती तो मैं खड़ा न होता । जो व्यक्ति इस सदन में नहीं आ सकता है उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिये । जिला बिजनौर की तहसील धामपुर में ऐसे लोग नियुक्त किये गये हैं जो सहकारिता के सदस्य नहीं है । मैं अगर मंत्री जी चाहेंगे तो नाम दे सकता हूं कि जो किसी भी सहकारी संस्थाओं के सदस्य नहीं रहे । धामपुर सहकारी संघ जिसका काम खेती के लिए बीजों का वितरण कराना है उसका प्रशासक ऐसा व्यक्ति नियुक्ति किया गया है जो कभी खेती नहीं करता, जिसकी कभी 7 पुश्तों से खेती नहीं हुई, जिसके पास एक बिस्वा भी खेत नहीं है और वह दूसरा व्यापार करता है । एक स्थान पर ऐसे व्यक्ति को किसान सेवा सहकारी समिति का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है जो पुलिस का हिस्ट्रीशीटर रह चुका है अब उसमें मंत्री जी का कहाँ तक दोष है यह मैं नहीं मानता हूं ।

यह इतना बड़ा प्रदेश 57 जिलों का है इसमें कांग्रेस पार्टी से लिस्ट मांगी गयी और नीचे से अपने अपने हिसाब से लिस्ट बना कर दे दी, और यहां से प्रशासक नियुक्त कर दिये । ऐसा करने में कोई ऐसी भी व्यवस्था नहीं रखी गयी कि उसकी स्क्रीनिंग यहां कर डालते । लेकिन विभाग का सर्वे सर्वा होने के नाते अगर कोई गलत आदमी नियुक्त होता है तो उसमें बदनामी मंत्री जी के हिस्से आती है । मैं यही कहने के लिए खड़ा हुआ था और इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासक जितनी जल्दी विथड्रा कर लिये जाय उतना अच्छा है । हमारे प्रदेश के अंदर जो सहकारी आंदोलन चल रहा है हम और कांग्रेस दल के लोग भी यह महसूस करते हैं कि हमसे अच्छा सहकारी आंदोलन महाराष्ट्र और गुजरात में चल रहा है ।

हमें यह विचार करना चाहिये कि हमसे अच्छा महाराष्ट्र और गुजरात में कैसे चल रहा है । अगर सहकारिता मंत्री जी ने इस पर विचार किया हो तो ठीक है अन्यथा उसका अध्ययन होना चाहिये । यह निश्चित बात है भारत वर्ष जैसे गरीब देश में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल खेतिहर तथा गरीब प्रदेश में सहकारिता आंदोलन ही ऐसा है जो गरीबों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की सहायता कर सकता है, यदि उसका विधिवत उपयोग हो। अगर दुरुपयोग हुआ तो जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया था वह काम नहीं कर सकेगा और इस समय नहीं कर रहा है। यही मैं संक्षेप में निवेदन करते हुए पुनः मांग करता हूं कि प्रशासक जल्दी से जल्दी हटा दिये जांय और इनके स्थान पर जनप्रतितिधियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाय।

*श्री मारकण्डेय चन्द–

माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो शक्ति जिला सहकारी निबंधकों को प्रशासक नियुक्त करने की दी है उसमें प्रशासक मंडल है। तो प्रशासक के साथ प्रशासक मंडल बनाया है, अगर चुनाव कराने में विलम्ब है सूखा और बाढ़ के कारण तो यह अच्छा होगा कि जो आपने प्रशासनिक मंडल नियुक्ति करने की व्यवस्था किया है तो उसको नियुक्त कर दें!

मान्यवर, दूसरी बात निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया है, उसकी प्रक्रिया समाप्त हो गयी है उसके अनुसार आप मतदाता सूची को अंतिम रूप देकर, उचित होगा कि बाढ़ और सूखे के कारण समय बढ़ाकर, चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दें ताकि सहकारी समितियाँ जनप्रतिनिधियों के हाथ में आ जांय।

मान्यवर, उधर के मा० सदस्यों का भ्रम है कि सत्ता पक्ष के लोगों को उसमें कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि उसमें वही व्यक्ति हुए हैं 70 प्रतिशत जिनका सहकारिता से संबंध था और जो सहकारी आंदोलन में रूचि रखते थे, वही रखे गये हैं। यह हो सकता है कि वह दल विशेष में हों। इतिहास है और जब आप सत्ता में थे तो आपने सहकारी समितियों का चुनाव कराया था जिसमें ध्यान नहीं दिया था कि किस दल का आदमी है। उसी प्रकार हमारी सरकार ने भी यह नहीं किया कि कौन किस दल का है बल्कि सहकारिता में जो रूचि रखते थे उसको किया। इसलिये आपको अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहिये और मांग करना चाहिये कि प्रशासनिक मंडल बना दें और सूखा एवं बाढ़ के बाद चुनाव करायें। और प्रशासनिक मंडल बनाने की प्रक्रिया को नहीं रोकना चाहिये, वह बना दें।

* श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मा० राज्यमंत्री ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिये संशोधन रखा है। मान्यवर, 1965 के एक्ट में प्रशासकों को 6 महीने के लिये नियुक्त करने का अधिकार था। उसके बाद 80–81 में यह सरकार आयी और सभी सहकारी संस्थाओं के जिनके चुनाव कराये जाने थे और सभी सहकारी संचालन मंडलों ने इस बात का प्रस्ताव पारित किया था कि निबंधक को एक्ट में यह प्राविधान है कि निबंधक चुनाव कराने का जिम्मेदार है। लेकिन उस संचालक मंडल के प्रस्ताव के बाद भी सरकार के आधीन जो सहकारी समितियां हैं उनकी चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं किया। तो क्यों नहीं किया। सहकारिता में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण मंत्री जी के कहने के अनुसार निबंधक ने एक्ट के अनुसार कार्य नहीं किया और फलस्वरूप तिथि निर्धारित नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–]

उसमें इनका नैतिक पतन हो चुका है, इनकी नीयत खराब है, इसलिये ऐसा किया। संचालक मंडल के प्रस्ताव के बाद निबंधक की डयूटी हो जाती है कि तिथि तय करे लेकिन नहीं किया। यह इसके दोषी हैं, इन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है। सहकारिता के विरुद्ध जाकर सहकारी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया।

मान्यवर, सहकारिता में जब जब राजनीतिक हस्तक्षेत हुआ तब तब इसमें बाधायें पड़ीं। वर्ष 1981 जून की रिकवरी का प्रतिशत देखें।

सन् 82 का देखा और सन् 83 का भी देखा, बराबर गिरता जा रहा है। नतीजा यह है कि जो सन् 81 की रिकवरी थी आज वह घट कर 50 प्रतिशत उससे कम हो गयी है। प्रशासक सरकारी अधिकारियों का कहना नहीं मानते और यह अधिकारी प्रशासकों का कहना नहीं मानते। इसके कारण सारे उत्तर प्रदेश में रिकवरी 50 प्रतिशत घट गयी है।

प्रशासकों का समय आपने पहले 6 मास का किया, बढ़ाते-बढ़ाते 2 वर्ष किया और अब ढाई वर्ष करने जा रहे हैं। यह लोकतंत्र प्रणाली पर जबरदस्त कुठाराघात है, इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

बैंकों की हालत यह है कि सहकारी सदस्यों को साढ़े 14 प्रतिशत ब्याज पर रुपया मिलता है जब कि बैंकों को रिजर्व बैंक से साढ़े 6 प्रतिशत पर रुपया मिलता है। तो बिना मुनाफे के रुपया देने की जो सरकार की मंशा थी वह कहाँ पूरी हो रही है।

इसके अलावा प्रशासकों में सत्ता पक्ष के लोगों की ही भर्ती की गयी है...(व्यवधान) जनता सरकार ने प्रशासकों का समय 6 मास रखा था और उस अवधि में सभी चुनाव करा दिये थे। (व्यवधान) यह जनतंत्र प्रणाली पर कुठाराघात है और सहकारिता को नष्ट भ्रष्ट करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से इस मंत्री मंडल की होगी क्योंकि जो सहकारी एक्ट है वह पहले से ही सरकारी एक्ट है। अगर आप महाराष्ट्र के एक्ट की तरह का एक्ट लाते तो वास्तव में सहकारिता को बढ़ावा मिलता और कुछ लाभ होता। आपने अपने लोगों को नामित करके इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री राम गोविन्द–

अधिष्ठाता महोदय, सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये मैं उन सभी का आभारी हूं। मैंने जिन आशंकाओं को व्यक्त किया था, मंत्री जी ने भी उनकी पुष्टि की है, पर उसका कोई जवाब नहीं दिया हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चुनाव 27-28 सितम्बर को होने वाले हैं क्या आप उनको करायेंगे? (व्यवधान)

माननीय मारकन्डे चन्द जी ने जो प्रशासक मंडल नियुक्त करने की बात कही है। उनका कहना है कि प्रशासक मंडल नियुक्त कर दिये जायँ।

जिस बात की आशंका मैंने व्यक्त किया था कि आप सहकारी संस्थाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहे है, उन्होंने भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको रोजगार देने की संभावनाओं को और उजागर कर दिया है । मैं आपसे कहता हूं कि यह सीधा जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, हर चीज इससे जनता को मिलती है, खाद और चीनी मिलता है...

श्री अधिष्ठाता–

अब आप जल्दी करें ।

श्री राम गोविन्द–

सिर्फ दो मिनट ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं आप एक मिनट में खत्म करें ।

श्री राम गोविन्द–

आपने जो प्रशासक बैठा दिया है, क्या वह कोई व्यवस्था कर रहे हैं । केवल वह दोनों सचिव तथा प्रशासन मिलकर लूट कर रहे हैं । लूट करने में दोनों में प्रतिस्पर्धा मची हुई है और जनता पिसी जा रही है । एक-एक सचिव जो कल चिरकुट था, आज मोटर सायकिल पर घूम रहा है, प्रशासक की उसके साथ मिली भगत है। आपने कहा कि रामगोविन्द ने कहा कि को-आपरेटिव संघर्ष के बारे में कोई बात नहीं कही, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं । तो आपका यह नैतिक कर्तव्य है कि आप तत्काल प्रशासकों को हटावें और चुनाव के लिए 26/27 सितम्बर की जो तिथि घोषित किया है उसमें आप चुनाव करायें । तब लोग समझेगें कि आपकी लोकतन्त्र में आस्था है और आप कोआपरेटिव आन्दोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ मैं पुन. अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री बच्चा पाठक–

अधिष्ठाता महोदय, इस बहस के दौरान माननीय रामगोविन्द चौधरी जी ने, धम्मन सिंह जी ने, मार्कन्डेय चन्द और बलवीर सिंह जी ने भी कुछ बातें कहीं। मैं उनसे कहता हूं, यों तो मैं पहले ही कह चुका हूं, जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं वह ईमानदार और चरित्रवान और उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए लोग हैं । फिर भी यदि उनको कहीं शिकायत हो तो वह मुझे दे देंगे मैं उसकी जांच करा लूंगा । मार्कन्डेय चन्द जी ने जो सुझाव दिया है, वह सही है, क्योंकि यदि हमारे यहां प्रशासक मंडल का प्राविधान है, तो उसको कर दिया जाना चाहिये उसको कर दिया जाएगा, तो उनको एक साथ मिलकर काम करने में सुविधा हो जाएगी । एक बात बलवीर सिंह जी ने कही, शायद चले गये हैं । उन्होने सन् 65 के ऐक्ट के बारे में जो कहा है, यह बिलकुल बात नहीं है । साथ ही उन्होंने जो आंकड़े दिये वह भी गलत हैं । हम चुनाव जब तक नहीं कराते तब तक प्रशासक उस पर रहेंगे, यह हमारे लिए चुनाव करायेंगे ।

[श्री बच्चा पाठक–]

हमारी रामगोविन्द चौधरी की तरह की भावना होती, जिस तरह से 77 से 80 के बीच में किस तरह तत्कालीन सरकार ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने के पहले डिलिमिटेशन कराया, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कार्य किया। यदि वह उसी तरह से उस व्यवस्था को चाहते हों तो मैं उसे करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं सहकारी संस्थाओं का चुनाव पूरे कायदे से कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो बैंकों का क्लैक्शन है वह बिलकुल समाप्त हो गया है आज इन तीन वर्षों के अन्दर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज बैंकों की हालत मुखे और बाड की हालत है, सरकार को कन्वर्जन करना पड़ा और न करते तो कोई लाभ होने वाला नहीं था। माननीय सदस्य ने ही कहा है कि किस तरह से किया जाए।

तो मान्यवर, मैं अधिक न कहकर पुनः यह कहता हूँ कि यह जो सहकारिता है, हमारी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है चुनाव कराने के लिये। जिला परिषदों के चुनाव के तुरंत बाद सहकारिता के चुनाव करायेगें। हम बता देगें कि कितनी सहकारिता आंदोलन में हमारी आस्था है और हमारी सरकार सहकारिता आंदोलन में कितना आगे बढ़ रही है।

(बधाई हो, बधाई हो की आवाजे।)

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, केवल एक जानकारी करना चाहता हूं। 27-28 को शायद कोई कार्यक्रम, सहकारी समितियों के चुनाव का लगाने की बात कर रहे हैं।

श्री बच्चा पाठक–

जैसा कि माननीय बलवीर सिंह जी ने कहा था यह काम निबंधक का है और उसको सारी पावर दी गयी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिला परिषदों के चुनाव के बाद ही यह चुनाव होंगें यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी के बलिया के होने के नाते मै कहूंगा कि वह अपना अननुमोदन का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम गोविन्द चौधरी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। इसलिये मैं वापस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 4 तक, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (जैसा) उत्तर प्रदेश (विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–[1] यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

[2] यह 28 जून, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा [6] में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1983" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1984" रख दिये जायेंगे।

धारा 35 का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा [6] में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1983" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1984" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 33 सन् 1983

निरसन और अपवाद

4– [1] उत्तर प्रदेश सहकारी समिति [संशोधन] अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

[2] ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा [1] में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खन्ड 2 से 4 तक, खन्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।]

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति [द्वितीय संशोधन] विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति [द्वितीय संशोधन] विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।]

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री राम गोविंद–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन [संशोधन] अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

श्रीमन्, यह विधेयक ठीक है इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी उस समय सत्ता में रहते हुए भी हम लोगों ने इसकी माँग की थी कि बोर्ड बना दिया जाय। जो होम्योपैथिक को मान्यता देवे तथा प्रबन्ध करे, परन्तु उसमें भी बड़ी अनियमिततायें देखी गयी हैं तो इसलिए उस समय भी इसके राष्ट्रीयकरण की मांग की गयी थी और सरकार ने केवल इस पर एक नियंत्रक बैठा दिया था। नियंत्रक के कार्यकाल का भी कोई बहुत उपयोग नहीं रहा। जिस उद्देश्य और जिस भावना से नियंत्रक की नियुक्ति की गयी थी, तो चाहे होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को ले लीजिये, या मेडिसिन को ले लीजिये कोई उपलब्धि नियंत्रक की नियुक्ति होने से नहीं हो पायी।

[इस समय 4 बज कर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।]

तो जब आप जान गये, अनुभव हो गया कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, होम्योपैथिक का कोई काम आगे नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं आप उसका सरकारीकरण कर रहे हैं, एक साल का यह समय बढ़ा रहे है जबकि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। इसलिये आप इसे वापस लें और पूरे होम्योपैथिक विभाग को सरकार के अन्दर निहित कर लें। क्या हर्ज है इसमें। इन शब्दों के साथ मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

जन स्वास्थ्य मंत्री [श्री लोकपति त्रिपाठी]–

श्रीमन्, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड इसका नियंत्रक है। यह सन् 77 में बैठाया गया था और उसी समय से इसमें मुकदमे बाजी शुरू हुई।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप मद संख्या 27 पढ़ दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन [संशोधन] विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

पहले इस बोर्ड का 2 वर्ष का समय था नियंत्रक का, फिर बढ़ाकर 5 वर्ष हुआ, इस विधेयक के अनुसार हमने अनुरोध किया है कि एक वर्ष आगे और प्रदान कर दें। ताकि मुकदमे समाप्त हो जायं और चुनाव कराये जा सकें। बोर्ड का रहना आवश्यक है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। जो होम्योपैथिक छात्र इन कालेजों से पढ़ लिखकर निकलते हैं उनके नाम का पंजीकरण करने का काम इस बोर्ड का है। जब तक पंजीकरण नहीं हो जाता है तब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं कह सकता है। संयुक्त सचिव, उपसचिव उत्तर प्रदेश शासन इसके नियंत्रक है। मुकदमों में फैसला होने के बाद इसका चुनाव करा देंगे। यह मुकदमे तक के लिये कार्य करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

बलबीर सिंह जी, आपने हर चीज का ठेका ले रखा है क्या ।

* श्री बलबीर सिंह [रामपुर]–

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि होम्योपैथिक छात्रों की मांग थी कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाय । बोर्ड बनाया गया लेकिन आज तक ऐसी कोई विधि, रिसर्च लेबोरेटरी या ऐसा संस्थान नहीं बनाया गया, हालांकि मंत्री जी यह मानते हैं कि एलोपैथी में परमानेन्ट इलाज नहीं है केवल होम्योपैथी में ही स्थायी इलाज का प्रबन्ध है । फिर भी मंत्री जी एलोपैथी की चमक दमक में फंसे हुए हैं । होम्योपैथी की तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं । मैंने पहले भी ध्यान दिलाया था पिछले 2 वर्ष से सी० पी० एम० टी० होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की परीक्षा करा रहे हैं । मान्यवर कहना चाहता हूँ कि पिछले साल 8 ./· प्रतिशत सीटें खाली थी उसका कोई प्रबन्ध नहीं किया । हमें ऐसा ऐहसास हो रहा है कि इन होम्योपैथिक कालेजों और आयुर्वेदिक कालेजों में अगले वर्ष कोई नया छात्र नहीं होगा कोई परीक्षा देने के लिये नहीं होगा ।

यह मंत्रिमंडल इस पर विचार नहीं कर रहा है मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह जो उन्होंने रखा है, इसको यह वापस ले लें और मंत्रिमंडल में फिर से अध्ययन करके इस पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम गोविन्द जी वापस ले लीजिए ।

श्री राम गोविन्द–

वापस नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन [संशोधन] अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।]

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन [संशोधन] विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खण्ड 3, 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन विधेयक) 1983

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा ।

(2) यह 6 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

2–– उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 53 में, उपधारा (1) में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36 सन् 1983

3–– (1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपलब्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन [संशोधन] विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुक्षरण [संशोधन] अध्यादेश 1983 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, अभी इसके पहले जो सहकारी समितियों संबंधी विधेयक आया था उसमें माननीय मंत्री जी ने बड़े जोर–शोर से भाषण दिया कि हमसे बड़ी कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है और आप देखेंगे संविधान में जो अधिकार हमको मिले हुए हैं नागरिकता का अधिकार, तो मान्यवर नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का षड़यन्त्र है । कोआपरेटिव संस्थान, जितने हैं भूमि विकास बैंक, उनमें इन्होंने कर्मचारियों की हड़ताल पर निषेध, सभा करना निषेध कर दिया गया है । ऐसी आशंका हो रही है श्रीमन्, कि पुनः यह सरकार जन आक्रोश से घबराकर लोगों की जो माँगे हैं उन माँगों से घबराकर सन् 1975 की तरह अपना दायरा सकुचित कर रही है । यह जनता की समस्याओं से घबड़ाकर इस प्रदेश में इमरजेन्सी तो लगाना नहीं चाहते हैं ? भूमि विकास बैंक के अधिकारी अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डलवाने के लिए मंत्री जी से और आपसे विधेयक प्रस्तावित कराते हैं । वह भ्रष्टाचार करते हैं घोटाला करते हैं तो इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी जो हैं उन्हें उजागर करते हैं ।

और इसलिये उन्होंने आपको अपने जाल नें फांस करके यह कदम उठाने के लिए बाध्य किया है, नहीं तो मैं जानता हूं कि कोई भी आदमी जनतांत्रिक मूल्यों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा । कोई भी आदमी लोकतांत्रिक प्रथा में जो अधिकार मिले हैं, संविधान में जो अधिकार मिले है उनसे वंचित होना पसन्द नहीं करेगा । हम हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे । आप रोटी दे नहीं सकते । रोजी दे नहीं सकते । मकान दे नहीं सकते । दवा दे नहीं सकते, तो हड़ताल करने के अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं । काहे को सरकार बना करके बैठे हैं ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब तो ये किसी भी क्षेत्र में हड़ताल को निषिद्ध करने जा रहे हैं । अभी माननीय मंत्री जी, मैं बताऊं, एक यूनियन है भूमि विकास बैंक में "तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ" । इसमें आपके जनपद के ही महा मंत्री हैं । जब उसने भूमि विकास बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में जानकारी दी और मीटिंग की और कहा कि भूमि विकास बैंक के चतुर्थ श्रेणी और ततीय श्रेणी कर्मचारियों की मेहनत से, उनके काम से जो पैसा वसूल होता है, उसका बड़े बड़े

[श्री राम गोविन्द–]

अधिकारी घपला करते हैं। उन्होंने इस घोटाला को उजागर किया तो इसी यूनियन के डर से उन अधिकारियों ने आपको यहां यह विधेयक लेने के लिये कहा। उन्होंने क्या किया कि उन कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया। जो सबसे ज्यादा बदनाम और भ्रष्ट लुटेरे हैं, जो जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं। अगर उनकी दुरुपयोग की बातों को, उनकी जन विरोधी बातों को कोई संगठन उजागर करना चाहता है, उनके कारनामों को उजागर करना चाहता है तो ये उस पर रोक लगाते हैं। तो यह कौन सी नैतिकता है। और आप उनके भावनाओं पर कुठाराघात करते हैं और बोलने का अधिकार नहीं देते।

ठीक यही हाल इमरजेंसी के दौरान हुआ था। हम बोल नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे, हम अपनी मांगों के लिये प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, अनशन नहीं कर सकते थे और ठीक वही हाल अब होने जा रहा है। माननीय मंत्री जी चले गये। जिस भावना को लेकर जवाहर लाल जी ने सहकारिता विभाग का गठन करवाया था, ये उसी पर कुठाराघात करने के लिये मंत्री बन गये हैं। अब सहकारिता में आंदोलन करने पर भी प्रतिबंध लगेगा। आपने यह भी घोषणा की है कि निजी क्षेत्र, जिनमें सरकार का आधा अंशदान है, उनमें भी सरकार आन्दोलन और प्रदर्शन पर रोक लगाएगी। तो बचा क्या है इस प्रदेश में कौन सा भाग बचा है जिसको आप प्रतिबन्धित नही कर रहे हैं। यहीं सरकार की कलई खुल जाती है।

आप बहुत बड़े तानाशाह हैं। आप स्पष्टीकरण दीजिये कि आप तानाशाह हैं या लोकतांत्रिक हैं। यह प्रदेश कैसे चलेगा। लोकतंत्र की जनभावनाओं पर कुठाराघात करके ये सरकार चलाना चाहते हैं या इस प्रदेश की सरकार को जनतान्त्रिक तरीकों से चलाना चाहते हैं। लोगों की आह को दबा करके यह सरकार चलाना चाहते हैं, या इस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का अनादर करके यह सरकार चालाना चाहते हैं, या आपने जो चुनाव वादा किया है उसको पूरा करके सरकार चलाना चाहते हैं। आपने जो वोट मांगा है तो उसमें जो भावनायें है उसको पूरा करके सरकार चलाना चाहते हैं। आप कैसे सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन आपमें दम नहीं है...

...आपकी सरकार में दम नहीं है।

घोषणा-पत्र में तो आपने बहुत कुछ कहा, किन्तु किया कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जनभावनाओं से संघर्ष करने की बात आती है और कर्मचारियों के यूनियनों से संघर्ष करने की बात आती है तो आप वहाँ डर जाते हैं। डरने के बाद आप प्रतिबन्धात्मक कदम उठाते हैं। दो दिन पहले ही इसी सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो उस दिन कहा गया कि इस गवर्नमेंट में कहीं पर भी छात्रों का आन्दोलन नहीं हुआ, कहीं पर भी औद्योगिक आन्दोलन नहीं हुआ जो इस सरकार की बहुत ही उपलब्धियां इस प्रदेश की जनता को हुई हैं। यदि आपकी सरकार शांतिप्रिय ढंग से चल रही थी तो यह कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि आप इस विधेयक को इस माननीय सदन में लाये।

इस विधेयक को यहां पर लाकर अपने संविधान के खिलाफ काम किया है, इस विधेयक से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने जिस भावना से इस कोआपरेटिव का

निर्माण किया था, यदि आप वास्तविक रूप से कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हैं, और आप सच्चे कांग्रेसी हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए आप इस विधेयक को वापस लीजिए। आप जन समस्याओं का सामना कीजिए, आप कर्मचारियों की समस्याओं का सामना कीजिए, आप छात्रों की समस्याओं का सामना कीजिए और आप किसानों की समस्याओं का सामना कीजिए, किन्तु आप उनसे डरिये नहीं। उनका हल निकालिए। जिस विधेयक को आप यहाँ आज ला रहे हैं वह बिलकुल ही काला कानून है। इसने आज कर्मचारियों के सगठन को बिलकुल रौंद दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

५ बजे दर्शक दीर्घाएं खाली कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी यह आदरणीय सदन चल रहा है। जो दर्शक दीर्घायें हैं उनमें 5.00 बजे से लोगों को खाली करने को कहा जाता है जबकि 3.00 बजे से जो पास बनता है वह सदन की समाप्ति तक का होता है। किन्तु देखा यह जाता है कि पुलिस वाले 5.00 बजे दर्शक दीर्घा से लोगों को उठा देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर स्थाई तौर से व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

हम लोगों की जो परिपाटी चली आयी है और जो नियम है तथा जो लोग पास देते हैं वे 1.00 बजे से 3.00 बजे तक तथा 3.00 से 5.00 बजे तक का होता है। 5.00 बजे से मेरा अभिप्राय यह है कि उपवेशन की समाप्ति तक।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 (क्रमागत)

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जैसा कि अभी हमारे भाई श्री राम गोविन्द जी बड़े जोरों से को-आपरेटिव के ऊपर बोल रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने संशोधन को पढ़ा नहीं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे उसे पढ़ लें।

श्री राम गोविन्द–

मैं आपसे ज्यादा पढ़ा हूं। इसमें भी आपसे ज्यादा पढ़ा हूं और उसमें भी आपसे ज्यादा पढ़ा हूं।

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण 66 की धारा 2 में बहुत छोटा सा संशोधन किया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, जो अत्यावश्यक सेवाए हैं, जिसका सीधा सम्बन्ध जनता जनार्दन से है, जैसे हमारे अंडरटेकिंग है–जल निगम, विद्युत परिषद, परिवहन सेवा–उन पर हड़ताल की रोक लगाने की बात है - क्योंकि श्रीमन् हमारा उत्तरदायित्व यह है, हम जनता जनार्दन के बीच मे चुनकर आते हैं, कि जनता की सुविधा में कोई व्यवधान न होने पाये। और यही हमारा कर्तव्य है। और, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिये यह संशोधन हम लायें हैं। जहां तक आप प्रजातंत्र की बात करते हैं, उसमें तो आपकी कलई खुल ही गई कि अपने तीन साल के शासन काल में भी आप किसी गांव सभा का चुनाव नहीं करा पाये। और हमारे शासनकाल में देखिए हम लोगों ने इतने कम समय में 85 हजार गांव सभाओं के चुनाव करा दिये, तो श्रीमन्, हमसे ज्यादा प्रजातांत्रिक आप कहाँ हैं।

श्री राम गोविन्द–

जब आपको बहस करनी नहीं आती, तो काहे को आप विधेयक पेश करते हैं।

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन् हम कर्मचारियों के शत्रु नहीं हैं, लेकिन हम अनुशासनबद्ध तरीके से हर चीज चाहते हैं। आजकल क्या होता है, किस आधार पर हड़ताल होती है, किसी संस्था के किसी कर्मचारी को किसी पुलिस वाले ने पीटा नहीं कि पूरी संस्था में हड़ताल। व्यक्तिगत कारणों से हड़ताल कर रहे हैं। मान लीजिए कल जल निगम हड़ताल करे तो राम स्वरूप वर्मा जी को बाथरूम जाने के लिये पानी नहीं मिलेगा और उनकी राजनीति वहीं खत्म हो जायेगी। अगर किसी सदस्य को ससुराल जाना है, और अगर परिवहन सेवायें प्रभावित हैं, तो बस स्टेशन पर ही खड़ा रह जायेगा। तो, श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जो जनता जनार्दन की सुविधायें हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, जिसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और को-आपरेटिव के कंज्यूमर्स स्टोर शामिल हैं दाल चीनी चावल जो आवश्यक चीजें हैं, यदि को-आरेटिव वाले हड़ताल पर चले गये, तो वह उनको मिलेगी कैसे आम आदमियों को। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह छोटा सा संशोधन लाया गया है। आपने तो प्रजातन्त्र की दुहाई दे डाली, कर्मचारियों के अधिकारों की दुहाई दे डाली और तमाम बातें कह डालीं। हम तो कहते हैं उनको प्रार्थना-पत्र देकर अपनी बात कहने का अधिकार है, अपना प्रतिवेदन देने का अधिकार है, वह टेबिल पर एक साथ बैठकर अपनी बात शांतिपूर्वक कह सकते हैं श्रीमन् शासन इस बात से कृत संकल्प है कि जनता जनार्दन को जो असुविधा होगी और जो इन सुविधाओं में व्यवधान डालेगा, उन शक्तियों से निपटने के लिये हम हमेशा तैयार हैं (मेजों की थपथपाहट) माननीय राम गोविन्द जी कह रहे थे कर्मचारियों के हितों का हनन हो रहा है, वे तो ऐसे बोल रहे थे जैसे घर से टेप किया जाता है और टेप को फिर खोल दिया जाता है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी, आप इनको टेप ही समझें।

श्री गुलाब सेहरा–

ठीक है, विद्वान हैं। उधर से जो लोग आते हैं, हमारे मित्र भी उधर से हैं, वे सब विद्वान लोग है। मेरा श्रीमन्, कहना यह था कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है। यह संशोधन आपकी सुविधा के लिये है जनता की सुविधा के लिये ताकि इन अत्यावश्यक

सेवाओं पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। मुझे आप बतायें श्रीमन्, किसी मरीज को अस्पताल जाना है और मान लीजिए अगर परिवहन वाले हड़ताल कर दे, तो उसकी क्या दुर्दशा होगी। श्रीमन्, मान लीजिए हमारी अंडरटेकिंग की दवाइयों की दुकानें हैं, वे दुकानें अगर बन्द हो जायं, तो कितनी असुविधा होगी। मान लीजिए जल निगम वाले हड़ताल कर दें, तो सबेरे पानी ही लोगों को नहीं मिलेगा।

मैं बहुत नम्र शब्दों में कहूंगा कि हम भी कर्मचारियों के बहुत शुभचिंतक है, हम ही लोगों ने वेतन आयोग बिठवाया और उनके वेतन में वृद्धि की, उनको बहुत सुविधाएं दी। हमारी कमेटी उनकी हर संस्तुतियों पर विचार करती है। हमारा केवल इतना कहना है कि जो बहुत आवश्यक सेवाएं है, उनमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो, काम सुचारू रूप से चले। हम आपको बतायें, जो आंकड़े आये हैं उसको देखने से लगता है कि बहुत छोटी-छोटी घटनाओं पर हड़तालें हो गयीं। किसी का किसी से झगड़ा हो गया, किसी अधिकारी से झगड़ा हो गया, वह उसका व्यक्तिगत मामला है, कार्यालय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके कहने पर स्ट्राइक हो गयी। अब उस स्ट्राइक से उत्पादन का लास होता है, जनता को असुविधा होती है। अत्यावश्यक सेवाएं प्रभावित होने से, बन्द होने से, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उन पर अंकुश रखने के लिये यह छोटा सा संशोधन लाया गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप गम्भीरता से ले। विरोध आप अपने मन को मनाने के लिये अवश्य कर लें। लेकिन चीज अच्छी लायी गयी है सत्ता पक्ष के लोग..

कभी-कभी आप स्वीकार भी कर लिया करें। हमारा मन देख लें, भाव देख लें। आपको पानी और परिवहन की सुविधा सतत मिलती रहे, इसीलिये यह कर रहे हैं।

* श्री राम स्वरूप वर्मा–

मा० मुख्यमन्त्री जी की तरफ से सेहरा साहब ने जो वकालत की है, वह एक पक्ष है जो अन्धेरा पक्ष है। इसका उजला पक्ष नहीं रखा। उजला पक्ष यह है कि जो बातें उन्होंने कहीं हैं उनसे कोई इन्कार नहीं करता कि सेवायें चलती रहनी चाहियें। 4 तरह के सिस्टम हैं, एक तो ऐसा है कि व्यक्तिगत है, कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। कुछ देशों में ऐसा है कि सार्वजनिक है, जैसे सरकारीकरण किया है। कुछ देशों में राष्ट्रीयकरण किया गया है, लेकिन मेरा विचार है कि समाजीकरण सबसे अच्छी तरकीब है। 4 सिस्टम हो सकते हैं। व्यक्तिगत तो अब नहीं रहा है हालांकि आपने कहा है कि सरकार के शेयर्स वगैरह हों तो ऐसी कम्पनियों में भी आप हड़ताल नहीं करने देंगे।

सरकारीकरण और राष्ट्रीयकरण का अर्थ आप नहीं समझे। इस देश में किसी सेवा का राष्ट्रीयकरण नहीं है। सरकारीकरण में सरकार सारी जिम्मेदारी उसके नियंत्रण की लेती है, मजदूरों का कोई हिस्सा प्रबन्ध में नहीं रहता है। जहां मजदूर और सरकार बराबर बैठकर प्रतिनिधित्व करते हैं, वह है राष्ट्रीयकरण। जहां मजदूर, सरकार और उपभोक्ता तीनों फैसला करते हैं, वह है समाजीकरण। यह तो खैर कल्पना की बात है, लेकिन राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण दो तो हैं। सरकारीकरण में मजदूरों के दुखों का इजहार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप वर्मा–]

नहीं हो पाता । प्रबन्ध में उनका हिस्सा नहीं है, उनको बोलने की इजाजत तो दें । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके हाथ में तो तानाशाही की ताकत आ गयी । तानाशाह ऐसा कोई नहीं होता जो यह नहीं समझता कि वह सबसे बड़ा देशभक्त है । आप मजदूरों को इतना अधिकार तो दीजिए कि वह अपनी बात कह सकें । उनके साथ बैठकर फैसला कीजिए । जो फैसला बहुमत से हो जाता है, वही मानिये, या तो राष्ट्रीयकरण लागू कर दीजिये । मजदूर और सरकार दोनों का बराबर का हिस्सा हो जायगा । दोनों अपना-अपना फैसला करेंगे, हड़तालें समाप्त हो जायेंगी । दूसरा तरीका जो ध्यान में है सरकारीकरण, तो कोई बात नहीं है । चाहे टाटा की फैक्ट्री हो या मुख्यमंत्री की फैक्ट्री हो, हड़ताल तो मजदूर की मजबूरी है क्योंकि उसके द्वारा वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है । उसको डंडे से आप चाहते हैं कि रोक लें तो वह रुक नहीं सकता ।

कैद मजबूत नहीं दामों कफ़स की सैय्याद,

रख वो बरताव कि दिल माइले परवाज़ न हो ।

इसलिये ऐसा प्रबन्ध करें जो उचित हो । पिंजरे और रस्सी से बांधने से कैद मजबूत नहीं होगी, जब मौका मिलेगा पंछी उड़ जायगा । सरकारीकरण की आवाज खत्म करके राष्ट्रीयकरण करिये, समाजीकरण तो आप कर नहीं सकते ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यूगोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट सिस्टम है ।

उस सिस्टम में यह है, जैसे मान लीजिए एक होटल है, जिसमें मजदूर से लेकर जनरल मैनेजर तक की हैसियत के लोग काम करते हैं, और वह इस बात को देखते हैं कि इसमें इतना–2 मुनाफा होना चाहिए, इसलिए जब ऐसा होता है तो फिर मजदूर से लेकर जनरल मैनेजर तक सभी वर्ग के लोग बढ़िया प्रबंध करते हैं और वह अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें सर्विस से निकाल दिया जाता है और फिर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती फिर उन्हें दूसरी तरह के काम करने पड़ते हैं और दूसरी तरह की मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर आप यह यूगोस्लाविया वाला सिस्टम अपनाना चाहें और अपना सकते है तो अपना लीजिए, वरना राष्ट्रीयकरण वाली नीति अपना लें तो इससे आधा-आधा हो जायेगा और दोनों हिस्से इससे बराबर हो जायेंगे ।

दूसरी बात अगर आप यह कहें कि वह हड़ताल छोटी-छोटी बातों पर कर देते हैं तो इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं जब उनके अधिकारों पर आप इंसाफ नहीं करेंगे समय से तो उनको रोना पड़ेगा ही, जैसे जब तक बच्चा रोता नहीं है, तक तक उसे दूध नहीं मिलता, लेकिन अच्छी माँ वही है जो बच्चे के रोये बगैर दूध दे दे और खराब माँ वह है जो बच्चे को दूध बगैर रोये न दे तो आप अच्छी माँ वाली नीति को अपनाईये, तो यह स्थिति स्वयं पैदा नहीं होगी इसलिए सेवाओं में अनुरक्षण का जो संशोधन आप लाए हैं, वह किसी भी तरह से उचित नहीं है । अगर आप सरकारीकरण को हटाकर राष्ट्रीयकरण वाली नीति को अपनायें तो हड़तालें भी कम होंगी और उनके अधिकारों की रक्षा भी हो सकेगी इसलिए इस विधेयक को वापस लिया जाए और सरकारीकरण को हटाकर राष्ट्रीयकरण में बदलिये ।

*श्री राम नारायण पाठक–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो यह संशोधन विधेयक लाये हैं, वह मजदूरों की समस्याओं के बिल्कुल विपरीत है, उनके अधिकारों के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि जब मजदूरों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था भी करनी पड़ती है। मजदूरों की जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसको हल करने के लिए आपके पास कौन सी मशीनरी होगी, जो दोनों पक्षों को सुनकर उस पर निर्णय लेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो मजदूर की समस्याएं दिन पर दिन इकट्ठी होंगी और तब मजदूर कोई भी कदम उठा सकता है, और उसका वह कदम देश के हित में नहीं होगा।

दुनिया के मुकाबले में हिंदुस्तान के मजदूरों की सुख-सुविधाएं बहुत कम हैं। यूरोप के लोग कहते है कि आज हिंदुस्तान में तमाम इन खामियों के बावजूद जो प्रोडक्शन चल रहा है, वह दुनिया के बाजार के मुकाबले में बहुत अधिक रहता है। अगर वह सुविधाएं जो दुनिया के मजदूरों को मिल रही हैं, वही सुविधाएं हिंदुस्तान के मजदूरों को मिल गयीं तो प्रोडक्शन में और सबसे आगे हो जायेंगे। इसी तरह से रोडवेज है बिजली विभाग है या अन्य जितनी भी सर्विसेज हैं जहां आप हड़तालें बैन करना चाहते हैं तो जो उनकी समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए कोई निगोशियेटिंग मशीनरी अवश्य होनी चाहिए, जो उनकी समस्याओं को हल कर सके।

जो सुविधायें हिन्दुस्तान में मजदूरों को नहीं मिलती हैं उनके बावजूद हिन्दुस्तान में जो मशीनरी और कल कारखानों का आरबीटाईज नहीं है लेकिन लोग क्या कहते है ? कि वह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के मजदूर ऐसे सामान बना रहे हैं जो कि दुनियां के मुकाबिले में बिक रही हैं वह सोचते हैं कि जो सुविधायें यूरोप के लोगों को मिलती हैं या मिली हुई हैं वह यदि यहां दे दी जाँय तो आपका हिन्दुस्तान कहां होगा ? आप यदि मजदूरों के विषय में ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। आप विश्वास कर लें कि यदि कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो मजदूर के मसले के लिये कौन जिम्मेदार होगा ?

*श्री विजय सिंह राना–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख: है। कि इस तरह का प्रस्ताव जनतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी के लोगों ने यहां लाकर रखा है। अध्यक्ष महोदय, प्रगतिशील समाज में जहां दुनियां आगे चलती है, उसका एक ही विश्वास होता है कि हर व्यक्ति को शोषण से मुक्त किया जाय। सारी दुनियां इसी सिद्धान्त से आगे बढ़ रही है और हमारे तथाकथित जनतंत्रवादी या लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार के लोग दुनियां में उल्टी धारा बहाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उन्होंने कहा है कि मजदूरों और यूनियनों द्वारा कभी भी व्यवधान नहीं पैदा होता है और न पैदा किया जाता है। मंत्री जी की समझ को बदलने के लिये मैं उनको बताना चहता हूं कि मजदूर और यूनियन के कारण समाज में कोई व्यवधान नहीं पैदा होता है बल्कि व्यवधान पैदा होता है शासन की शिथिल नीतियों के कारण शासन की पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण से। मैं आप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय सिंह राना–]

को एक किस्सा सुनाता हूं कि आगरा में अभी एक ट्रक से एक लड़के की मृत्यु हो गयी। थानेदार ने चालक को ले जा कर थाने में बन्द कर दिया और लड़के की लाश को लेकर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने उसे मारा था। ट्रक ड्राईवर और उसके मालिक को पकड़ कर थाने में बन्द कर दिया गया। उसके बाद हमारे एक विधायक महोदय जिनको कि माननीय मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने उस थानेदार का ट्रान्सफर इनसे कह कर करवा दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां सारा प्रशासन दुखी है। एस० एस० पी०, डी० एम० तथा डी० आई० जी और कमिश्नर सब दुखी हैं। लेकिन इसके बावजूद एक एम० एल० ए० के कहने से आपने उस दरोगा का ट्रान्सफर कर दिया। जब ऐसी नीतियां आप कायम कर लेंगे तो आपकी व्यवस्था कैसे सुचारु रूप से चल सकती है ?

इसी तरह से फतेहपुर सीकरी में 6 लोगों का ट्रान्सफर किया गया है। वहां का सुपरिन्टेन्डेन्डिग इंजीनियर है हाइडिल का, उनका हाथ तोड़ दिया और वह अस्पताल गये तो वहां भी बुरी तरह से उनको पीटा गया। मरणासन्न स्थिति में यूनियन के कर्मचारी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी लेकिन आज तक आपकी पुलिस और सारा प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया इस शासन की नीतियों के बावजूद आज शासन की नीतियों के कारण ऐसा हो गया है कि जो छोटा कर्मचारी हो वह अपने से बड़े कर्मचारी का ट्रान्सफर कराता है, आज यह स्थिति पैदा हो गयी है तो फिर इस तरह से कैसे आपका शासन सुचारू रूप से चल पायेगा ? नहीं चल सकता है। इसमें मजदूर कहाँ पर आते हैं ?

शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये ही ट्रेड यूनियन बनायी गयी। आप निश्चित मानिये कि जितना भी व्यवधान पैदा हो रहा है यह सब शासन की शिथिल नीतियों के कारण और पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण ही पैदा हो रहा है। इसका दूसरा पक्ष क्या है ? कालेजों की यूनियनें खत्म हुई...

कालेजों से छात्र यूनियनें समाप्त कर दी हैं, तो टीचर्स ने कक्षाओं में जाना बन्द कर दिया। वह क्लास में जाते ही नहीं थे। उन्हीं टीचर्स ने अपने लड़कों को अधिक मार्क्स दिए और जो लड़के अधिक ब्रिलिएन्ट थे उनको नीचे कर दिया। आप की जो नीतियां हैं वह पक्षपातपूर्ण हैं, आपकी कोई भी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है जिसके कारण आज सारी अव्यवस्थायें फैल रही है, लेकिन आप इस बात को महसूस नहीं करते हैं इसी कारण शासन व्यवस्था जो है वह चरमरा रही है और टूट रही है। समाज के अन्दर जो व्यवस्था है वह चरमरा गयी है। इसका केवल एक ही तरीका है कि आप अपने शासन को मजबूत बनावे और जो आपका पक्षपातपूर्ण रवैया है उसको समाप्त करें। आपका सारा का सारा ढांचा चरमरा गया है वह केवल आप के पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण चरमरा रहा है, मंत्री जी के रवैये के कारण वह टूट रहा है। आप को इस पर चिंतन करना चाहिए, लेकिन आप कोई चिन्तन नहीं कर रहे हैं। आप प्रदेश को बरबाद कर देंगे और आप गरीब जनता का शोषण कर रहे है, तो फिर क्या होगा।

मन्डी समिति के बारे में अभी एक बात आयी। आप उनको जन प्रतिनिधियों के हाथ में दीजिए। वहां पर जो अधिकारी बैठा हुआ है वह जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता हैं। वह निरंकुश हो गया है। आज प्रगतिशीलता समाप्त हो गयी हैं, उसका प्रगतिशीलता का सिद्धान्त समाप्त हो गया है। अगर आप यूनियनों को बन्द कर देंगे तो क्या

होगा, उन का शोषण होगा जिसको आप रोक नहीं पायेंगे और सामंतवाद और तानाशाही बढ़ेगी। इससे समाज का कल्याण नहीं होगा। आप को इन सारी चीजों को रोकना होगा। हड़तालें जो हो रही हैं उनको रोकना होगा इसका केवल एक ही तरीका है कि आप शासन को मजबूत बनायें और अपने पक्षपात पूर्ण रवैये को समाप्त करें। अगर आपके यहाँ इसी प्रकार की प्रथा रही कि अगर पुलिस वाला किसी अपराधी को पकड़ता है तो आपके दल के विधायक या एम० पी० उसको छुड़ा देंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि शासन कैसे चलेगा और वह कैसे मजबूत होगा। प्रजातंत्र में सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। अगर आप निष्पक्ष होंगे तो कोई भी व्यवस्था उसको कमजोर नहीं कर सकती है। लेकिन यही आपकी कमजोरी है। आप पक्षपात पूर्ण ढंग से शासन चलाना चाहते है। गरीबों का शोषण हो रहा है, समाज में जो हक उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। आप देखे इंग्लैंड, जापान और अमेरिका में जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था है वह सारे शक्तिशाली देश हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लाल बत्ती को भी तो देखें, आप तो उधर देख रहे हैं।

श्री विजय सिंह राना–

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसको वापस ले लें।

श्री राम गोविन्द–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जो एक कलाकार हैं अपने तो पढ़कर आते नहीं हैं जो टाइप करके उनको दिया जाता है उसी को पढ़ देते हैं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

मैं राम गोविन्द चौधरी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे माननीय मंत्री जी को कलाकार कहा है कौन सी कला आपको भा गयी है वह कला आप बता दें।

श्री राम गोविन्द–

इनकी कला से सभी परिचित हैं। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि आप जनता और कर्मचारियों से फेस करने की परम्परा को निभाये यह बहुत गलत बात है कि हम अगर अपनी कठिनाइयों को सरकार के सामने रखते हैं तो उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। इन्होंने सिर्फ यह बात कहीं कि अगर किसी पुलिस वाले से उनका झगड़ा हो जाता तो कर्मचारी आन्दोलन कर देते हैं केवल पुलिस से झगड़ा हो जाय तो उससे कर्मचारी आन्दोलन नहीं करते बल्कि यदि प्रशासन और सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण और द्वेषपूर्ण होता है तब ही वह आन्दोलन करते हैं। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि अभी परिवहन निगम के कर्मचारी धरना अनशन पर बैठे हैं, आप जाकर देख लें। उस बार जब सदन बैठा था तो मैंने एक कार्यस्थगन का प्रस्ताव उठाया था और इसी सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि सदन के उठने के बाद उनकी मांगों के विषय में हम विचार करेंगे और उनकी

[श्री राम गोविन्द–]

जो जायज मांगे होगी उनको हम मानेंगे। लेकिन आज तक उनको बात करने तक के लिये भी नहीं कहा गया जिसका परिणाम यह हो रहा है कि आज जब सदन बैठा है तो वे भी अनशन पर बैठ गये हैं यह हैं आन्दोलन के कारण और यह हैं इनका कार्य।

आप अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिये यह प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। आपको बात करनी चाहिए अपने सरकारी कर्मचारियों के साथ। वे आपके कर्मचारी हैं। उन्हीं के बल पर आप सरकार चलाते हैं और जनता की भी वे सेवा करते हैं उत्पादन भी कर्मचारी ही करते हैं ऐसा नहीं हैं कि वह सब बर्बाद ही करते है, सेवा भी करते हैं। जो जनता की सेवा करते है, आपकी सरकार को चलाने में हाथ बटाते हैं ऐसे लोगों की समस्याओं के समाधान के विषय में आपको सोचना पड़ेगा जैसे आप अपने परिवार के विषय में सोचते हैं तो क्यों नहीं आप एक परिवार के सदस्य के रूप में उनके बारे में भी सोचते हैं। वह भी आपके परिवार के हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों की समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करे! यदि आप ऐसा नहीं कर पाते है तो आपको एक दिन भी सरकार में बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपको चुनना है कि आप सरकार में रहना पसन्द करेंगे या ट्रेड यूनियनों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों आदि के कर्मचारियों के ऊपर प्रतिबन्ध लगायेंगे दोनों में से आपको एक बात चुननी है। हमको आशा है कि आप सरकार में रहना पसन्द करेंगे। यदि यह बात है तो आप इस विधेयक को वापस करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री गुलाब मेहरा–

श्रीमन्, मैंने प्रारम्भ में ही बहुत हिस्से करके एक-एक बात समझा दी लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि इनकी समझ में नहीं आया। जो चीजें आपने उठायी है मैंने आपसे कहा कि अत्यावश्यक जो सेवायें हैं उनमें व्यवधान पैदा न हो उनको प्रदर्शन का राइट है, अनशन का राइट है, टेबुल पर बैठने का राइट है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो जनता की सेवा करने में बाधक हो जाते हैं उन्हीं पर अंकुश लगाने के लिये यह संशोधन है। इसलिये मैं चाहूंगा कि यह पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको कोई आज्ञा नहीं दी, किसकी आज्ञा से इसको पढ़ रहे हैं?

माननीय राम गोविन्द जी आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री राम गोविन्द–

नहीं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1983 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 1983

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 का अग्रतर संशोधन करने के लिए ।

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा ।

(2) यह 2 जुलाई, 1983 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(4) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा, 2 के खण्ड (क–4) में उल्लिखित कोई अन्य राज्य स्तर सहकारी समिति या उक्त अधिनियम के अधीन निबंधित उसकी सदस्य सहकारी समिति से सम्बद्ध सेवा,

(5) किसी ऐसी सरकारी कम्पनी से जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत समादत्त अंश पूँजी राज्य सरकार धारण कर रही हो या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या गठित किसी अन्य सांविधिक निकाय (जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) से सम्बद्ध सेवा,

(6) ऐसे विषयों से सम्बद्ध किसी अन्य सेवा जिसके सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है, और जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ऐसी राय होने पर कि उसमें हड़ताल से किसी लोकोपयोगी सेवा, लोक सुरक्षा के अनुरक्षण या जन-जीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और सेवायें बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या जिसके फलस्वरूप जनता को बड़ा कष्ट होगा, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित करे ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 34 सन् 1983 का निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।]

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण [संशोधन विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

*श्री बलवीर सिंह [रामपुर]–

मान्यवर मैं इसका विरोध करता हूं। उसका कारण माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि यह छोटा सा विधेयक है। पूरे प्रदेश की सहकारी समितियों को छोटी से छोटी को लेकर बड़ी से बड़ी सहकारी समिति को इस विधेयक में समायोजित कर दिया गया है। इसको पढ़ने से पता चलता है, हालांकि भूमि विकास बैंक का मसला होता तो दूसरी बात थी लेकिन जैसा माननीय पाठक जी ने पहले कहा सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं यह सोचने का विषय है कि जो प्राइमरी समिति में एक ग्रेजुवेट सचिव होता है तो वह तनख्वाह पाता है 170 रु० और वही ग्रेजुवेट जो भूमि विकास बैंक में करता काम है उसको तनखा मिलती है 700 रु० और वही ग्रेजुवेट सहकारी बैंक में काम करता तो 11 सौ रु० मिलता हैं और जब वही ग्रेजुवेट उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक में बैठता है तो उसको 15 सौ रु० मिलता है। मान्यवर, एक ही हाड़मांस के बने व्यक्तिगत एक ही शिक्षा पाये हुये व्यक्ति के साथ यह भेदभाव क्यों? यह समाजवाद का नारा देने वाली सरकार, लोकतन्त्र का नारा देने वाली सरकार झूठ पर बनी है। मान्यवर, सब इंसान के बराबर हैं। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनका मानक, उनकी सेवा नियमावली उनका कैडर बनाया जाय और उनकी तनखा और भत्ते एक समान होने चाहिये यह विधेयक जो लाया गया है यह इंसानियत से परे है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

यह क्या होता है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलबीर सिंह [रामपुर]–

यह अधिकारों का हनन है। स्व० महात्मा गांधी ने लोकतन्त्र के अधिकारों का नारा दिया था और उसके लिए सत्याग्रह और हड़ताल का नारा दिया था उनका नाम लेकर जीने वाले यह लोग उसका आज विरोध कर रहे हैं [व्यवधान] सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों ने भी इशारा किया कि यह विधेयक लोक तंत्र विरोधी हैं। इसलिये इसको वापस लिया जाय। मेरा दल इसका विरोध करता हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मन्त्री जी आपको कुछ कहना है।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, यह काला कानून है, जनता की भावनाओं के प्रतिकूल है। इसके पारित होने से पहले मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करता है।

[श्री विजय सिंह राना अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।]

[श्री विद्यासागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये।]

[श्री राम गोविन्द भी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।]

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है जैसा कि उ० प्र० अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण [संशोधन] विधेयक, 1983, जैसा उ० प्र० विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री राम यश सिंह की सूचना जो पनकी पावर हाउस में विद्युत उत्पादन ठप्प होने के सम्बन्ध में है, को मैंने स्वीकार किया है और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत की गयी है। इसमें 12 तारीख हम निर्धारित करते हैं।

कानपुर निवासी श्री महावीर शर्मा की पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर तथा हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

नोट :– [ ] पढ़ा हुआ माना गया !

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11–8–83 को श्री मोहन लाल शर्मा निवासी खपरा मोहाल, थाना रेलबाजार, जनपद कानपुर ने थाना जगदीशपुर जनपद सुल्तानपुर में लिखित सूचना दी कि उनके चाचा श्री महावीर प्रसाद शर्मा जो कानपुर के एक चांदी व्यवसायी थे, व्यापार के सम्बन्ध में दिनांक 5–8–83 को कानपुर से सुल्तानपुर गये थे। जब कुछ दिन बाद तक वह वापस नहीं लौटे तो दिनांक 11–8–83 को उन्होंने दूरभाष द्वारा सुल्तानपुर सम्पर्क स्थापित किया जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री महावीर प्रसाद शर्मा यू. पी. एस. आर. टी. सी. बस संख्या–यू. पी. एक्स.–9941 से दिनांक 7-8-83 को सुल्तानपुर से कानपुर के लिये चाँदी के समान [पग्गों] सहित रवाना हुये थे। ज्यों-ही बस जगदीशपुर से आगे बढ़ी कि मंडी के निकट उन्हें दो सिपाहियों ने बस रोककर चांदी के पग्गो सहित्त नीचे उतार लिया और जी संख्या– यू. आर. ई.– 737 में बैठाकर कहीं ले गये। उन्हें संदेह है कि उन अपराधियों ने उन्हें मार कर चांदी ले ली है। इस सूचना पर थाना जगदीशपुर पर एक अपराध अन्तर्गत धारा 364/395/302/201 भा. द. वि. का पंजीकृत हुआ। थानाध्यक्ष द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई उपरोक्त बस के चालक तथा परिचालक से सम्पर्क स्थापित किया गया और उसके द्वारा दी गयी सूचना पर श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री सभा जी सिंह निवासी गजनपुर थाना मुसाफिर खाना, जो घटना में प्रयुक्त जीप के ड्राइवर थे को दिनांक 13–8–83 को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इस अपराध में पुलिस कांस्टेबिल श्री राजमनि सिंह एवं देवनारायन शर्मा तथा तीन अन्य को सम्मिलित होना बताया और यह भी सूचना दी कि श्री महाबीर प्रसाद शर्मा को जीप में बैठाकर जनपद आजमगढ़ के थाना अहरौला के अन्तर्गत मझुई नदी पर बने पुल के नीचे ले जाकर हत्या कर दी और चाँदी कहीं बेच दी। तत्पश्चात कांस्टेबिल राजमणि सिंह को उसी दिन तथा अभियुक्त दिनेश पुत्र मोहनपाल निवासी जवाहरगंज धरहरिया जनपद इलाहाबाद को दिनांक 16–8–83 को, कांस्टेबिल देव नारायन शर्मा तथा अभियुक्त कमला कान्त मिश्रा को दिनाँक 17–3–83 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में लूटी गयी चांदी कुल वजन 21 कि. ग्रा. 980 ग्रा. इलाहाबाद की दो फर्मों के पास से बरामद की गयी और इसके बिक्री की रसीदें कुल 28454.80 की बरामद की गयी। घटना में प्रयुक्त 315 बोर का देशी तमन्चा तथा दो कारतूस भी बरामद किया गया। घटना से सम्बन्धित उपरोक्त पांच अभियुक्त जेल भेजे जा चुके हैं। अभियुक्त श्री रामपटेल की तलाश जारी है।

श्री मोहम्मद जुवेद खां साकिन मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने दिनांक 8-8-83 को लिखित सूचना दी कि मझुई नदी के पुल के पूरब नदी में से एक अज्ञात मानब शव मिला है। इस सूचना पर थाना अहरौला पर एक अपराध संख्या–77 अन्तर्गत धारा 301/201 भा. द. वि. का पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की गयी। दिनांक 9–8–83 को शव पोस्टमार्टम सदर अस्पताल आजमगढ़ में कराया गया जिससे मामला हत्या का पाया गया। शव पर पाई गई वस्तुओं की शिनाख्त मृतक के परिवार वालों ने कर ली है। मामले की विवेचना की जा रही है।

पुलिस द्वारा तत्परता से की गई कार्यवाही के उपरान्त जनता में कोई रोष नहीं है।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जैसी कि सूचना पर रिपोर्ट आयी है उससे जाहिर है कि उ० प्र० में जिस गृह विभाग का दायित्व है कि लोगों की वह हिफाजत करे यदि उस विभाग के पुलिस कर्मचारी ही रंगे हाथों पकड़े जांय तो कैसे प्रशासन चलेगा । मेरी जानकारी में पूरे उ. प्र. में लगभग 10 हजार पुलिस कर्मी अपराधी प्रवृत्ति के पाये गये हैं और उन पर मुकदमे चल रहे हैं लेकिन वह गवाहों की कमी से छूट–छूट कर बाहर आ जाते हैं । इसलिये क्या मंत्री जी ऐसे पुलिस कर्मियों को जो अपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनको सजा देने के लिये कोई विशेष न्यायालयों का गठन करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन् इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । आई० पी० सी० में जो क्राइम करेगें, जो अदालते हैं वह सजा देंगी ।

श्री मुईद अहमद–

आई. पी. सी. में आम न्यायालय हैं लेकिन उसके अतिरिक्त सी. आर. पी. एफ. और बी० एस० एफ० में जो कर्मचारी हैं उनके लिये विशेष न्यायालय बने हैं, इसलिये क्या उ० प्र० पुलिस के लिये विभागीय विशेष न्यायालय गठित करने पर मंत्री जी विचार करेगें जिससे कि आम न्यायालयों में जो पुलिस के अपराधिक प्रवृत्ति के लोग छूट जाते हैं वह सजा पा सकें ?

श्री गुलाब सेहरा–

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इसमें राम पटेल नं० 6 के अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, उनकी तलाश जारी है, तो उनके खिलाफ फिर क्या कार्यवाही किया है ?

श्री गुलाब सेहरा–

मान्यवर, यह नाम आया है लेकिन जो पकड़े गये हैं उनसे राम पटेल का पता लगाया जा रहा है कि कहां का है और पता होने पर कार्यवाही होगी ।

डा० बृज किशोर मिश्र–

जो अभियुक्त पुलिस के कर्मचारी हैं और जिन्होंने मर्डर किया है, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी प्रवृत्ति के पुलिस कर्मचारियों को बरखास्त क्या आप करेगें ।

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, पूरा वक्तव्य इन्होंने नहीं पढ़ा, उसमें है कि एक व्यक्ति चांदी ले जा रहा था, बीच में दो सिपाहियों ने बस रोककर उस व्यक्ति को चांदी सहित नीचे उतार लिया और जीप में बैठाकर चले गये । यह घटना बस चालक तथा परिचालक ने देखा जिसमें अभियुक्तों को गिरफतार किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और दिनांक 12–9–83 को 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 40 मिनट पर सोमवार 12 सितम्बर 1983 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
9 सितम्बर, 1983 ।

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1379 पर)

वर्षा 1983 में तहसील महराजगंज में ओला से 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने वाले ग्रामों की सूची ।

क्र. स.	50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम	क्र. स.	50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम
1–	वन्दी	34–	गौनरिया बाबू
2–	होरलापुर	35–	विशुनपुर
3–	कटकदौना	36–	करमहा
4–	गौरा दूवे	37–	रजवल
5–	हरपुर पकड़ी	38–	वनवा खुर्द
6–	मधवलिया	39–	रामपुर महुअवा
7–	सोफड़ा	40–	नरायनपुर
8–	मटियरिया	41–	वरवाविद्यापति
9–	वसडीला	42–	शिकारपुर
10–	शेषपुर	43–	वायोखास
11–	पिपरा बाबू	44–	पड़री खुर्द
12–	वरवा चमैनिया	45–	परसा गिदेही
13–	हरपुर	46–	सिरसिया
14–	करमही	47–	वैरिया
15–	पिपरा मुड़ेरी	48–	हरखपुरा
16–	बेलवा टीकर	49–	अहिरौली
17–	विशुनपुर गवड़आ	50–	नरावतपुर
18–	पिपराइच उफ पचरुखिया	51–	विशुनपुर घाट
19–	धर्मपुर	52–	पुरैना
20–	वरवा खुर्द	53–	पिपरिया
21–	लक्ष्मीपुर	54–	पटखौली
22–	रामनगर	55–	पताल कुंई
23–	सेमरा	56–	भरवलिया
24–	अगया	57–	अमोढ़ा
25–	मनियार छपरा	58–	पोखरभिन्डा
26–	कोदैवा	59–	मटकोपा
27–	भिस्वा	60–	रामपुर वरडीहा
28–	दरौवी	61–	जोगिया
29–	सिसवा बाबू	62–	चैनपुर
30–	रामपुर	63–	घुघुली खुर्द
31–	सतभरिया	64–	पौहरिया
32–	मुजहना खुर्द	65–	महराजगंज
33–	बैकुन्ठपुर	66–	लिलकनिया

विधान सभा प्रदेश

क्र. सं.	50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम	क्र. सं.	50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम
67–	अहिरौली	103–	मुड़िया तिवारी
68–	ढोढ़िलवा	104–	सधौली भरनचक
69–	मुड़ेरी	105–	कन्हौली
70–	रानीपुर	106–	गोपी
71–	मझौवी	107–	पिपरा रसूलपुर
72–	भुअही	108–	बेइलिया
73–	घुघुली बुजुर्ग	109–	सिसवा अमहवा
74–	इमिलिया	110–	कुरथिया
75–	कृतपिपरा	111–	हजरतपुर
76–	पकड़ी	112–	जं० फरजंदअली
77–	सिसवा राजा	113–	अहमदपुर
78–	राम पुर खुर्द	114–	फलवरिया
79–	खेमपिपरा	115–	नटवा
80–	गिदहा	116–	मठिया
81–	सहरेजी	117–	अटीखास
82–	दुबौली	118–	बरगदवा
83–	महदेवी	119–	नरायनपुर
84–	पकड़ी	120–	बुलुवाभार
85–	नटवा	121–	मंगलपुर
86–	वासपार गैंजोली	122–	रानीपुर
87–	सौना	123–	राजपुर
88–	नेतासुररदुरवा	124–	सुमेरगढ़
89–	पकड़ी नौननियां	125–	मोहदपुर
90–	कांध	126–	बेलराई
91–	सेहराना	127–	कतरारी
92–	पिपरिया	128–	गोधवल
93–	ललकारपुर	129–	पिपरा लाला
94–	कोटा मुकुन्दपुर	130–	रूदपुर मलुही
95–	महुअवा	131–	परसिया रुद्रंपुर
96–	तरकुलवा	132–	महुअवा महुई
97–	रुद्रपुर	133–	नन्दना
98–	सिसवा	134–	पिपरापाती
99–	सिंहपुर	135–	सोहवल
100–	विशुनपुरा	136–	बेलवा
101–	मटिहनिया चौधरी	137–	रामपुर चकिया
102–	राजमन्दिर	138–	बेलासपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1395 पर)

परिशिष्ट–१

अब तक पिछड़े हुये घोषित जनपदों की सूची

1–	अल्मोड़ा	21–	रायबरेली
2–	पिथौरागढ़	22–	सीतापुर
3–	गढ़वाल	23–	उन्नाव
4–	चमोली	24–	आजमगढ़
5–	टेहरी गढ़वाल	25–	बहराइच
6–	उत्तर काशी	26–	बलिया
7–	बदायूँ	27–	बस्ती
8–	बुलन्दशहर	28–	देवरिया
9–	एटा	29–	फैजाबाद
10–	इटावा	30–	गाजीपुर
11–	फरूंखाबाद	31–	गोण्डा
12–	मैनपुरी	32–	जौनपुर
13–	मथुरा	33–	प्रतापगढ़
14–	मुरादाबाद	34–	सुल्तानपुर
15–	रामपुर	35–	बाँदा
16–	पीलीभीत	36–	हमीरपुर
17–	शाहजहाँपुर	37–	जालौन
18–	बाराबंकी	38–	झांसी
19–	फतेहपुर	39–	देहरादून
20–	हरदोई	40–	नैनीताल
		41–	कानपुर (देहात)

सत्यमेव जयते संसद

परिशिष्ट- २

पिछड़े हुये घोषित जनपदों के सूचकाँक

जनपद	सूचकांक			
	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81
1– अल्मोड़ा	78.03	74.93	76.96	79.10
2– पिथौरागढ़	68.51	68.46	69.87	70.36
3– गढ़वाल	69.95	72.10	71.92	73.55
4– चमोली	66.80	61.08	67.31	67.75
5– टेहरी गढ़वाल	62.66	54.10	63.91	63.93
6– उत्तर काशी	105.89	97.02	93.65	91.79
7– बदायूं	55.83	58.15	55.22	56.10
8– बुलन्दशहर	79.55	86.49	85.92	86.16
9– एटा	61.01	61.90	61.22	62.14
10– इटावा	62.37	65.08	64.24	65.14
11– फर्रूखाबाद	62.49	64.06	64.67	65.15
12– मैनपुरी	70.30	69.39	70.12	71.77
13– मथुरा	77.02	82.08	84.92	86.64
14– मुरादाबाद	86.02	88.93	89.76	89.91
15– रामपुर	91.97	97.70	96.21	96.81
16– पीलीभीत	92.95	110.02	97.81	96.67
17– शाहजहाँपुर	83.91	88.98	84.93	83.83
18– बाराबंकी	58.72	60.27	60.82	60.30
19– फतेहपुर	61.92	63.50	62.32	62.07
20– हरदोई	57.64	56.26	55.87	56.35
21– रायबरेली	74.73	74.89	79.26	79.13
22– सीतापुर	68.21	67.87	65.04	64.10
23– उन्नाव	63.10	65.42	66.70	66.35
24– आजमगढ़	56.64	59.15	58.51	58.36
25– बहराइच	52.25	50.38	49.84	48.72
26– बलिया	52.00	52.58	52.64	53.12
27– बस्ती	48.17	49.18	49.21	49.03
28– देवरिया	70.71	70.17	66.32	65.78
29– फैजाबाद	57.40	58.30	59.64	60.05
30– गाजीपुर	60.38	62.79	66.80	66.46
31– गोण्डा	56.83	56.68	56.63	56.31
32– जौनपुर	56.69	58.64	57.71	57.26
33– प्रतापगढ़	50.28	52.30	52.41	50.32

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण संस्थान

जनपद	सूचकांक			
	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81
34– सुल्तानपुर	49.67	50.66	51.12	51.23
35– बाँदा	66.58	67.72	65.26	66.72
36– हमीरपुर	67.00	64.76	65.95	67.16
37– जालौन	73.03	74.82	74.24	75.18
38– झाँसी	98.13	117.20	118.55	118.63
39– देहरादून	209.24	189.40	185.11	184.78
40– नैनीताल	173.14	149.35	147.11	146.86
41– कानपुर [देहात] –सूचना उपलब्ध नहीं है।				

सत्यमेव जयते

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1401 पर ।)

ऊदल, पत्र सं० 268/नि० क० पा०/83

[उप नेता] 4/4/83

[सील]

श्री के० चन्द्रमोलि, 148, ए, ब्लाक, दारूल सफा,
जिलाधिकारी, लखनऊ ।
सुलतानपुर । दिनांक– 4 अप्रैल, 1983.

महोदय,

मुझे जानकारी मिली है की श्री राम सुमेर शुक्ल पुत्र श्री रामयश शुक्ल निवासी ग्राम अमुआही, परगना व तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ के नाम से फरजी व जाली बयनामा व हवाले बही नं० । जिल्द नं०– 754 पृष्ठ 361, 364 नं0 2721 दिनांक 31-12-79 को सब रजिस्ट्रार कादीपुर, जिला–सुल्तानपुर में करायी गई है । इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

1– क्या उपरोक्त ग्राम में स्थिति भू–खण्डों का बयनामा सब–रजिस्ट्रार पट्टी जिला–प्रतापगढ़ में न कराकर सब रजिस्ट्रार कादीपुर, जिला सुल्तानपुर में कराना, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत नियमित है ? यदि नहीं तो क्या इस पर कोई कार्यवाही करेगें ?

2– उपरोक्त बयनामा बिना कोई भूमि आदि बेचने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त किये बेची जा सकती है ? यदि नहीं तो संबंधित रजिस्ट्रार ने बिना अनुमति पत्र किस प्रकार रजिस्ट्री कर दी है ।

शुभ कमानाओ सहित,

आपका,

ह०/ ऊदल !

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1409 पर ।)

प्रेषक,

बन बन्दोबस्त अधिकारी
वाराणसी ।

सेवा में,

सहायक अभिलेख अधिकारी
गोरखपुर !

संख्या–54/व. व. अ. वाराणसी दिनांक मार्च 27, 81

विषय :– आप के पत्र संख्या 1663/स. अ. अ. दिनांक फरवरी 26, 81 के संबंध में ।

आप के पत्र सं. 1663/स. अ. अ. दिनांक 26 फरवरी, 1981 के संदर्भ में निवेदन है कि कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के अनुसार निम्नांकित छः कर्मचारी इस वन बन्दोबस्त में कार्यरत थे । परन्तु उनकी सेवाओं का पूर्ण विवरण देने में यह कार्यालय असमर्थ है, क्योंकि इस कार्यालय का कुछ संबंधित अभिलेख चोरी चले गये है ।

भवदीय,

ह०/ (मिश्री लाल)
बन बन्दोबस्त अधिकारी
वाराणसी
26-3-81

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम व पिता का नाम व पता	वर्तमान पद	आप के अधीष्ठान का अनुभव पद अवधि प्रमाण-दाता का नाम प्रमाण पत्र की तारीख		विवरण
1–	श्री हृदया नंद तिवारी पुत्र श्री जानकी नाथ तिवारी ग्राम पान्डेय पुर पो. मलकौल जिला देवरिया ।	सर्वे कानूनगो	सर्वे अमीन 20-7-67 से 8-9-69	श्री फसउद्दीन एफ. एस. ओ. वाराणसी	8-7-69
2–	अक्षैवर नाथ तिवारी पुत्र श्री लाल जी तिवारी ग्राम सिसवा दीक्षित पोस्ट डुमवरलिया जिला देवरिया ।	”	13-3-66 से 15-6-69	”	16-6-69
3–	रघुवंश पाण्डेय पुत्र श्री गंगा शरण पाण्डेय ग्राम सिसवा पांडेय पोस्ट डुमवलिया जिला देवरिया ।	”	10-2-66 से 5-5-69	”	5-5-69
4–	रघुराज दुवे पुत्र श्री रामदौर दुवे ग्राम व पो. डोलछपरा–देवरिया	”	25-12-62 से 30-6-64 15-12-67 से 8-7-68	”	30-6-64
5–	राजा सिंह पुत्र श्री रामजी सिंह ग्राम डेगवली तिवारी पोस्ट डेगवल दुवे, देवरिया ।		10-3-66 से 9-5-69	”	9-5-69
6–	उत्तम चन्द सिंह (यादव) पुत्र श्री शिव पूजन सिंह ग्राम सिंहपुर पो० घाटी [भटनी] जिला देवरिया ।	”	1-10-65 से 25-9-70	”	27-9-70

ह०/– अपठनीय 26-2-81
सहायक अभिलेख अधिकारी
गोरखपुर ।

कार्यालय बन बन्दोबस्त अधिकारी, वाराणसी ।

संख्या मेमो दिनांक पो. आ. वारा. जून 9, 1981

सेवा में,

सहायक अभिलेख अधिकारी ,
गोरखपुर ।

विषय:– सर्व श्री हृदया नन्द तिवारी, अक्षैवर नाथ तिवारी, रघुवंश पाण्डेय रघुराज द्विवेदी तथा उत्तम चन्द यादव के विगत में किये गये सेवाओं के सत्यापन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 1702/स. अ. अ. दिनांक मई, 30/1982 तथा संख्या 102/स. अ. अ. दिनांक जून 3, 1981 के संदर्भ में जिसके द्वारा सर्व श्री हृदयानन्द तिवारी, अक्षैवर तिवारी, रघुवंश पाण्डेय, रघुराज द्विवेदी तथा उत्तम चन्द यादव सर्वे कानूनगो के विगत में की गई सेवाओं के सत्यापन के संबंध इस कार्यालय को लिखा गया है जबकि पहले ही आप को सूचित कर दिया गया है कि इस कार्यालय के रिकार्ड चोरी चला गया है, इसका एफ. आई. आर. थाने में दर्ज है । यह चोरी का मामला सन् 1978 का है और इन कर्मचारियों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र श्री फामुउदीन भूतपूर्व बन बन्दोबस्त अधिकारी वाराणसी के समय का है ।

फामुउदीन जैसे प्रतिभावान अधिकारी का दिया हुआ कार्य अनुभव प्रमाण पत्र गलत प्रतीत नहीं होता है । इस कार्यालय के वेतन देयक रजिस्टर में श्री रघुराज द्विवेदी दिनांक 15-12-67 से 31-10-70 तक सर्वे अमीन का नाम पाया जाता है । शेष 5 कर्मचारियों का नियुक्ति दैनिक परिश्रमिक वेतन पर की गई थी इन शेष 5 कर्मचारियों का केवल नियुक्ति आदेश पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध है । रिकार्ड चोरी हो जाने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों का अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन करना औचित्य नहीं हो रहा है ।

अत: आप से अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रमाण पत्र श्री फामुउदीन साहब के पास सत्यापन के वास्ते भेज दिया जावे ताकि सही जानकारी प्राप्त हो सके ।

दिनांक 8–6–1981 ई०

भवदीय,

ह०/ (मिश्री लाल)

बन बन्दोबस्त अधिकारी, वाराणसी
परगना, चकिया वाराणसी ।

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1422 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के द्वितीय शुक्रवार के लिए श्री यदुनाथ सिंह सदस्य विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–79 के उत्तर का संलग्नक ।

क्रम सं०	व्यापारी का नाम व पता	सर्वेक्षण का दिनांक	खण्ड में रिपोर्ट प्राप्ति का दिनांक	वर्ष	अपवंचित बिक्री (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6
1–सर्वश्री	यूनाइटेड मेडिकल एजेन्जी, अमीनाबाद, लखनऊ ।	14-7-76	27-10-76	75-76 76-77	– 1051
2–	धर्मचन्द्र राजेन्द्र कुमार जैन, अमीनाबाद, लखनऊ ।	3-7-76	18-11-76	76-77	690
3–	किशोर मेडिकेल स्टोर, अमीनाबाद, लखनऊ ।	14-7-76	20-9-76	76-77	7825
4–	शादीराम विश्वप्रकाश, लाटूशरोड, लखनऊ ।	18-11-76	21-2-77	76-77	4632
5–	मनचन्दा ऊल सैन्टर, अमीनाबाद, लखनऊ ।	27-11-76	27-7-77	76-77	441
6–	विजय इम्ब्रायडरी स्टोर्स, अमीनाबाद, लखनऊ ।	27-11-76	10-3-77	76-77	21400
7–	बनारसीदास कपूर चन्द, श्रीराम रोड, लखनऊ ।	29-11-76	16-12-76	76-77	–
8–	इण्डिइन बाजार, अमीनबाद लखनऊ ।	22-1-77	22-3-77	76-77	1968
9–	न्यू वीना स्वीट हाउस, अमीनाबाद, लखनऊ ।	28-1-77	18-5-77	76-77 (प्रथम भाग) 76-77 (द्वितीय भाग)	4667 2128

नोट:– क्र० सं०–1 पर अंकित व्यापारी ने अपनी करयोग्य बिक्री शून्य घोषित की थी पर अधिकारी ने ऐसी बिक्री रु० 65,000/= निर्धारित करते हुए 3,900/= बिक्रीकर आरोपित किया गया था । किन्तु अपील से व्यापारी करमुक्त घोषित कर दिया गया । अत: चार्ट में अपवंचित बिक्री शून्य दिखाई गई है क्र० सं०–7 पर अंकित व्यापारी के मामले में बिक्रीकर अधिकारी (वि० अनु० शा०) ने सर्वे पर कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं पाई । कर अधिकारी ने बहीखाते स्वीकार किए हैं। अत: इस व्यापारी पर कोई अपवंचित बिक्रीकर निर्धारित नहीं हुआ है ।

नत्थी "ख"

(देखिये अतांराकित प्रश्न संख्या 125 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1438 पर ।)

डुमारिया गंज तहसील के ईंट भट्ठा मालिकों पर बकाया बिक्रीकर की सूची

क्र० स०	बकायेदार का नाम व पता	बकाया
1–	सर्वश्री मन्धान कान्ट्रक्शन कं. बी. के. ओ. डुमरिया गंज	14042. 76
2–	मो. मुकीम वी. के. ओ. बरगदवा डुमरिया गंज	48190. 00
3–	मो. सिद्दीकी शोहरत अली मो. आल्मी बी. के. ओ. बरगदवा डुमरिया गंज	1616. 00
4–	मन्धान ब्रिक क्लीन सिखुईया डुमरिया गंज	6746. 79
5–	मन्धान ब्रिक प्रौडैक्ट भारत भारतीय	7194. 00
6–	मो. जरार बी. के. ओ. बरगदवा	6232. 00
7–	मो. जरार बी. के. ओ. विशुनपुरवा	5912. 00
8–	मो. हददीस मो. रईस वी. के. ओ. महादेव घुरहू	38400. 00
9–	ओम ईट भट्ठा जिलहासा	28499. 99
10–	यार मोहम्मद वी. के. ओ. बयारी	15034. 77
11–	ओम प्रकाश कनवानी वी. के. ओ. पिकौरा	4985. 33
12–	उदय शंकर कृष्ण चन्द्र वी. के. ओ. पिपरा	12215. 00
13–	जमील अहमद नियाज अहमद वी. के. ओ. चुडिहारी	5953. 40
14–	तीरथ दास वी. के. ओ. कनधुई बरगदवा	12880. 00
15–	अली हुसैन बदरन हसन वी. के. ओ. हल्लौर	5566. 43
16–	अब्दुल मजीद मो. रईस वी. के. ओ. पिपरा मुरसौहवा	10319. 00
17–	अली हुसैन वी. के. ओ. मिश्रौलिया	14400. 00
18–	अशोक ब्रिक फील्ड वी. के. ओ. बरगदवा	18733. 65
19–	अली मुहक अब्दुल सलाम वी. के. ओ. मुडिया	4794. 48
20–	भारत भूषण वी. के. ओ. बेवा	76051. 35
21–	भलन सिंह वी. के. ओ. चूडिहारी	26860. 00
22–	अब्दुल बारी वी. के. ओ. उपथी रसूलपुर	1575. 00
23–	अब्दुल्ला वी. के. ओ. नरपुरिया	2240. 00
24–	आशा ब्रिक फील्ड बनवधिया	1973. 50
25–	आलम हुसैन मो. हददीस वी. के. ओ. महादेव धरेहु	21216. 00
26–	अस्तफा हुसैन वी. के. ओ. बुढ़ऊ सहनारोड	16719. 15
27–	मलिक मोहम्मद यूसूफ वी. के. ओ. डुमरिया गंज	1500. 00
28–	मौ. हैदर अली सरकार वी. के. ओ. हल्लौर	5768. 00
29–	मकबूल अहमद वी. के. ओ. बरगदवा	580. 00
30–	मेंहदी हसन अब्बास अहमद वी. के. ओ. पथरी डुमरिया गंज	1300. 00
31–	गंगाराम वी. के. ओ. डुमरिया गंज	5320. 00
32–	गिरिश दत्त मिश्रा वी. के. ओ. मनिकौरा	7513. 31

अनुपूरक सभा

क्र० सं०	बकायेदार का नाम व पता	बकाया
33–	त्रिभुवन प्रसाद ब्रज लाल वी· के. ओ. महुआरा	35000. 00
34–	मनी राम कासिम अली वी· के. ओ. मसजिदीया	12793. 00
35–	मो. उमर एण्ड कं. वी. के. ओ. बरगदवा	3116. 25
36–	विशालमन पाण्डेय, वी. के. ओ. लोडवा भानपुर	10075. 00
37–	मो. ईशाक जमाल अहमद वी. के. ओ. मस्जिदीया	31522. 80
38–	कुतुबुल्ला वी. के. ओ. उपथी	107590. 49
39–	मीरे मोहम्मद वी. के. ओ. मनीकौरा	24478. 40
40–	अनीस अहमद वी. के. ओ. नेबुआ	46173. 78
41–	अजीबुल्ला ब्रजीशकदर वी. के. ओ. डु. गंज	65018. 00
42–	अजीजुल कदर वी. के. ओ. डुमरियागंज	42682. 99
43–	मो. हददीस मो. रइस वी. के. ओ. सरपोका	22231. 50
44–	प्रवेज अख्तर वी. के. ओ. कोट्खास	14957. 00
45–	हमीर वी. के. ओ. बड़ौगी बस्ती	123462. 95
46–	लाखन प्रसाद रामतेज इटा खोरिया	15787· 49
47–	हैलाल हैदर नकी हुसैन वी. के. ओ.	325. 50
48–	खजान्ची राम कन्हैया लाल वी. के. ओ. चौखड़ा बस्ती	2234. 00
49–	हसनरजा पुत्र अब्दुल गफ्फार ईटा सगरी कुइया बस्ती	4900. 00
50–	करम हुसैन वी. के. ओ. बढ़नी बस्ती	22496. 22
51–	कृष्ण चन्दर गोपाल चन्दर वी. के. ओ. ईटवा	8095. 00
52–	पंजाब ईट उद्योग पिकौरा डुमरियागंज	56955. 44
53–	जगदीश नारायन ईटा व्यापारी ईटवा	21979. 03
54–	श्री जुम्मन ईटा मिश्रौलिया खलसा डुमरियागंज	486. 07
55–	जग्गल पुत्र सीताराम वी. के. ओ. औकटेला	1655. 50
56–	निजाबुद मु. रइस वी. के. ओ. महादेव घुरहूं	21171. 00
57–	जय किशोर सिंह ईटा कोपिया ईटवा	9117. 00
58–	जगदीश चन्द्र असरार अली इटा मस्जिदीया	14829. 25
59–	नंदलाल वासुदेव ईटा स्किोहर	14073. 90
60–	चन्द्र प्रकाश वी. के. ओ. खरैली सोनहा	2972. 00
61–	नेशनल ब्रिक फील्ड तकिया ईटवा	20620. 00
62–	स्वस्तिक ईट भट्टा ग्राम मुडिया पो. सेमरी त. डुमरियागंज, बस्ती	5551. 20
63–	शाह मो. अफजल हुसैन वी. के. ओ. बरगदवा	13586. 75
64–	शान्ति ब्रिक फील्ड भानपुर त. डुमरियागंज	36900. 38
65–	शाह मो. पुत्र श्री नूर मो. वी. के. ओ. तेनुआ ग्रान्ट त. डुमरियागंज	11340. 00
66–	सुरेश ब्रिक फील्ड पटखौली नानखार तहसील डुमरियागंज	14724. 00
67–	राघवेन्द्र प्रकाश वी. के. ओ. वेवा हल्लौर त. डुमरियागंज	38487. 00
68–	रामलखन मोहन लाल चाखेड़ा त. डुमरियागंज	940. 00
69–	रहमतुल्ला ताहिर हुसैन वी. के. ओ. महुआरा त. डुमरियागंज	1104. 00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र० सं०	बकायेदार का नाम व पता	बकाया
70–	रामसागर मिश्र वी. के. ओ. असनहरा तहसील डुमरिया गंज	3010. 00
71–	रामकृष्ण चौधरी वी. के. ओ. परसा कुतुब त. डुमरियागंज	21095. 00
72–	राम चन्दर राम सरन वी. के. ओ. वनरहिया त. डुमरियागंज	19930. 43
73–	राम कुमार वी. के. ओ. महादेव घुरहू डुमरियागंज	1581. 00
74–	रामदेव पुत्र पटेशवरी वी. के. ओ. महादेव घुरहुं ईटवा डुमरियागंज	15338. 00
75–	शिव चरन वी. के. ओ. अमाना इटवा तहसील डुमरियागंज	17264. 00
76–	शिवदीन पुत्र बाबू वी. के. ओ. लोड़वा भानपुर डुमरियागंज	1400. 00
77–	सुखराम वी. के. ओ. ईटवा तहसील डुमरियागंज	1750. 00
78–	सुरेन्द्र पाल सिंह वी. के. ओ· पिकारा डुमरियागंज	5523. 00
79–	राम कृपाल पाण्डेय, द्वारिका प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद वी. के. ओ. लोहरअली	1645. 00
80–	दोस्त मो. वी. के. ओ. कम्हरिया त. डुमरियागंज	2212. 00
81–	सरवर जहां वी. के. ओ केवटली तहसील डुमरियागंज	144980. 87
	कुल योग	15, 13, 994. 10

सत्यमेव जयते

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1453 पर।)

अनुलग्नक

एकीकृत क्षेत्र विकास अभिकरण गाजीपुर–बलिया को विगत 5 वर्षों में विभिन्न मदों के अन्तर्गत दी गई धनराशि का मदवार व्यय तथा प्रगति का विवरण निम्नवत् है :–

क्र. सं.	मद का नाम	विगत 5 वर्षों में कुल प्राप्त धनराशि [लाख रु. में]	विगत 5 वर्षों में व्यय की गई धनराशि [लाख रु. में]	विगत 5 वर्षों में 31-3-83 तक कुल प्रगति का विवरण			
				क्रमाँक	उप मद का नाम	ईकाई	उपलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पशु पालन एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम	40.06	51.55 व्ययाधिक्य अन्य मदों की बचत से बहन किया गया।	[1]	दुधारु पशुओं का क्रय	संख्या	7580
				[2]	नाली नस्ल की भेड़ों का वितरण	,,	1050
				[3]	बरबरी बकरी का वितरण	,,	
				[4]	मिडयार्क सायर सूकरियों का वितरण	,,	299
				[5]	गायें जो गर्भित की गई	,,	15482
				[6]	पशु अस्पताल हेतु फ्रिजन सांड का क्रय	,,	14
				[7]	वर्ण संकर बछिया जो प्राप्त हुई	,,	3348
				[8]	बरबरी बकरों का वितरण	,,	47
				[9]	मैरिनों रैन सेन्टर की स्थापना	,,	3
				[10]	रशियन मैरिनों रैम (सांड़) वितरण	,,	78
2.	मत्स्य पालन कार्यक्रम	1.41	0.30	[1]	तालाब जो गहरे किये गये	संख्या	37
				[2]	अंगुलिकाओं का वितरण (लाख में)	,,	24.06
.3	औद्योगिकी कार्यक्रम	3.51	3.39	[1]	अल्पकालिक फलदार वृक्ष के बाग	,,	176

1	2	3	4	5	6	7	8
				[2]	फुटकर वृक्षारोपण	,,	34627
				[3]	साग सब्जी एवं मसाले की खेती हेतु नवीन कृषक	,,	2379
				[4]	पौधशाला की स्थापना	,,	5
4.	अल्प सिंचाई कार्यक्रम	20.35	2.26	[1]	टर्नकी नलकूप की स्थापना	,,	8
				[2]	संयुक्त नलकूप की स्थापना	,,	9
5.	उद्योग एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	39.67	19.12	[1]	चर्मकला उद्योग इकाई स्थापना	,,	21
				[2]	कुम्हारी उद्योग इकाई स्थापना	,,	31
				[3]	बान रेसा उद्योग इकाई स्थापना	,,	40
				[4]	कम्बल बुनाई इकाई स्थापना	,,	26
				[5]	रिक्शा उद्योग इकाई	,,	13
				[6]	लाउडस्पीकर उद्योग इकाई स्थापना	,,	19
				[7]	इक्का घोड़ा इकाई स्थापना	,,	6
				[8]	नाव, जाल, इकाई स्थापना	,,	26
				[9]	नवयुवतियों को सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण	,,	2466
				[10]	प्रशिक्षित महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण	,,	1702
				[11]	बास, बेंत प्रशिक्षण	,,	138
				[12]	दरी, कालीन प्रशिक्षण	,,	172
				[13]	चर्म कला प्रशिक्षण	,,	140
				[14]	रावर्ट चरखा प्रशिक्षण	,,	118
				[15]	कम्बल बुनाई प्रशिक्षण	,,	66

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
				[16]	उन्नत चरखा वितरण	,,	826
				[17]	विपणन भण्डार की स्थापना	,,	1
6.	सामाजिक सेवा कार्यक्रम :						
	1. दाई प्रशिक्षण	0.60	0.44	[1]	दाई प्रशिक्षण	,,	274
	2. महिला अस्पताल का निर्माण	15.45	13.32	[2]	महिला अस्पताल निर्माण	,,	2 (निर्माणाधीन)
	3. हरिजन पेयजल कूप निर्माण	4.20	3.72	[3]	हरिजन पेयजल कूप निर्माण	,,	132
	4. निर्बल वर्ग आवास निर्माण	36.61	56.97 [व्याधिक्य अन्य मदों की बचत से बहन किया गया]	[4]	निर्बल वर्ग आवास निर्माण	,,	3265
	5. सड़क निर्माण	48.00	52.05 [व्याधिक्य अन्य मदों की बचत से बहन किया गया]	[5]	सड़क निर्माण	कि. मी.	34.5
	6. जल निकासी	4.86	2.61	[6]	जल निकासी	कि. मी.	37.5
7.	प्रशासनिक व्यय	17.78	16.01	[7]	संरक्षित क्षेत्रफल	हेक्टेयर	45000
	योग :	232.50	221.74				

पी. ओ. न./ए. पी. 52 वि० सभा दिनांक 10-2-84-(813)-राजा राम कुमार प्रेस, 75 हजरतगंज, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा